

  
सत्यमेव जयते

# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 305]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 3, 2015/भाद्र 12, 1937

No. 305]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 3, 2015/BHADRA 12, 1937

भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय

अधिसूचना

चेन्नई, 4 सितंबर, 2015

फा. सं. भा.स.वि./मु./प्रशा./अधिसूचना/2015.—भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 (2008 का 22वां) की धारा 47 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित को सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:

**2014 का अध्यादेश 01**

*[कार्यकारी समिति संकल्प सं. का स-2014-28-19 दि 26-06-2014 के तहत]*

**बी टेक (मरीन इंजीनियरिंग) और बी.टेक. (नेवल आर्किटेक्चर व समुद्री इंजीनियरिंग) के द्वितीय वर्ष में लेटरल एंट्री द्वारा प्रवेश के लिए मार्गदर्शिका**

**बी टेक (मरीन इंजीनियरिंग)**

- (1) अभ्यर्थी ने एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित किसी संस्था से संपूर्ण अंक में से कम से कम 60 प्रतिशत अंक के साथ, मकैनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा (या) मरीन इंजीनियरिंग में डिप्लोमा और इस डिप्लोमा को निर्धारित 3 वर्ष की अवधि में पूर्ण किया हो।
- (2) अभ्यर्थी ने 10वीं कक्षा या 12वीं कक्षा में अंग्रेजी विषय में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किया हो।
- (3) आयु-सीमा - 18 से 25 वर्ष।
- (4) द्वितीय वर्ष के प्रारंभ में उपलब्ध रिक्त स्थानों के लिए मात्र ही लेटरल एंट्री दिया जाएगा।

**बी.टेक (नेवल आर्किटेक्चर व समुद्री इंजीनियरिंग):**

- (1) अभ्यर्थी ने, बी.एससी (जहाज निर्माण तथा मरम्मत), संपूर्ण अंक में कम से कम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त किया हो और इस उपाधि को निर्धारित 3 वर्ष की अवधि के अन्दर पूर्ण किया हो।

(या)

जहाज निर्माण प्रौद्योगिकी संस्था, गोआ से, कम से कम 60 प्रतिशत अंकों के साथ जहाज इंजीनियरिंग में डिप्लोमा और इस डिप्लोमा को निर्धारित 4 वर्षों के अन्दर पूर्ण किया हो।

(या)

अभ्यर्थी को एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित संस्था से, मकैनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा (या) सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा की अर्हता, संपूर्ण अंक में कम से कम 60 प्रतिशत अंक के साथ प्राप्त किया हो तथा इस डिप्लोमा को निर्धारित अवधि 3 वर्ष के अन्दर पूर्ण किया हो।

- (2) आयु—सीमा — 18 से 25 वर्ष
- (3) द्वितीय वर्ष के प्रारंभ में उपलब्ध रिक्त स्थानों के लिए मात्र ही लेटरल एंट्री दिया जाएगा।
- (4) प्रवेश देते वक्त, धुमाव द्वारा उपरोक्त 3 स्ट्रीम के प्रत्येक से एक-एक करके प्रवेश दिया जाएगा।

### 2014 का अध्यादेश 02

[कार्यकारी समिति संकल्प सं.का स.2014 - 28-26 दि 26-06-2014 के तहत]

#### उप वित्त अधिकारी पद के लिए भर्ती नियम

1.	पदनाम	उप वित्त अधिकारी
2.	पदों की संख्या	01
3.	वर्गीकरण	वर्ग ए
4.	वेतनमान	प्रारंभ में, भर्ती पर, वेतन बैंड रु. 15600-39100 में जीपी रु. 7600 के साथ वेतन तय किया जाएगा। इस वेतन बैंड में 5 वर्षों की सेवा पूर्ति करने के बाद, उन्हें उच्च वेतन बैंड रु. 37400-67000 में जीपी रु. 8700 के साथ रखा जाएगा परंतु उन्हें उप वित्त अधिकारी के रूप में ही अभिहित किया जाएगा।
5.	प्रवरण पद या गैर प्रवरण पद	सीधी भर्ती / प्रतिनियुक्ति के लिए लागू नहीं पदोन्नति के प्रकरण में चयन द्वारा
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	उम्र- 55 वर्ष से अधिक न हो। (कुलपति द्वारा उपयुक्त प्रकरणों में 2 वर्ष तक छूट दी जा सकती है)
7.	उप वित्त अधिकारी पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	<p><b>अनिवार्य:</b></p> <p>i) कम से कम 55 प्रतिशत अंक (या उसके समतुल्य ग्रेड) के साथ कामर्स में पोस्ट ग्रेजुएट उपाधि या सीए/ आईसीडब्ल्यूए और</p> <p>ii) केन्द्रीय/ राज्य विश्वविद्यालयों, स्वायत्त शैक्षिक संस्थाएँ, पोर्ट ट्रस्ट, सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम, केन्द्रीय/ राज्य सरकारी विभाग/ एजेन्सी में ग्रेड वेतन रु. 5400/रु. 6600 (या उसके समतुल्य) में कम से कम 5 वर्ष अनुभव</p> <p>(या)</p> <p>वित्त तथा लेखा में कम से कम 8 वर्ष पोस्ट-अर्हता अनुभव (i) व्यवहार करने वाले सनदी/ लागत लेखाकार या (ii) किसी विख्यात कंपनी में वरिष्ठ पद पर</p> <p><b>वांछनीय:</b></p> <p>कम्प्यूटर में कार्यकारी ज्ञान</p> <p>रिक्त स्थानों पर भर्ती करने के लिए पूर्ण रूप से योग्यता प्राप्त अभ्यर्थी न मिलने पर अर्हता में छूट देने का हक कार्यकारिणी समिति सुरक्षित रखता है।</p>

8.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति के प्रकरणों में, क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं लागू होगी?	<b>पदोन्नति:</b> आयु – नहीं शैक्षिक योग्यताएं : हां <b>प्रतिनियुक्ति:</b> आयु – 57 वर्ष शैक्षिक योग्यताएं : हां परंतु, वित्त/लेखा/बजटीय क्षेत्रों में कार्यरत, कम से कम 7 वर्ष अनुभव प्राप्त केन्द्रीय/ राज्य सरकार के वर्ग ए अधिकारियों पर यह लागू नहीं होगी।
9.	परीवीक्षणावधि, अगर कुछ हो	सीधी भर्ती मात्र के लिए दो वर्ष
10.	भर्ती हेतु तरीका, चाहे सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा हो तथा विभिन्न तरीकों से भर्ती किये जाने योग्य प्रतिशत	पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ सीधी भर्ती
11.	अगर विभागीय पदोन्नति समिति/भर्ती समिति उपलब्ध है तो उसकी रचना कैसे की जाएगी	विभागीय पदोन्नति समिति/ चयन समिति में निम्न होंगे : i) कुलपति अध्यक्ष के रूप में ii) कार्यकारिणी समिति का एक सदस्य iii) कार्यकारिणी समिति की एक नामिती iv) कुलपति द्वारा नामित एक अधिकारी
12.	टिप्पणी	सेवानिवृत्ति आयु : सीधी भर्ती तथा पदोन्नति के लिए 60 वर्ष। प्रतिनियुक्तियों के लिए, प्रायोजक विभाग/एजेन्सी से संबंधित आयु लागू होगी।

नोट: दिनांक 12 मई 2009 को भारत के राजपत्र संख्या 76 के [प्रशासनिक मामलों को निर्धारित करने वाले अध्यादेश] के अध्याय 9 में प्रकाशित प्रकाशन क्रम संख्या 15 को निरस्त किया जाता है।

## 2014 का अध्यादेश 03

[कार्यकारी समिति संकल्प सं. का स. 2014 - 29-15 दि 31-10-2014 के तहत]

### शिक्षक, अधिकारी और अन्य कर्मचारियों के स्थानांतरण तथा प्रविष्टि आदेश जारी करने के सक्षम प्राधिकारी

भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों को स्थानांतरण तथा प्रविष्टि आदेश जारी करने हेतु निम्न अधिकारी सक्षम हैं:

क्रम सं	सक्षम प्राधिकारी	निम्न का स्थानांतरण तथा प्रविष्टि के लिए आदेश जारी कर सकता है
1.	कुलपति	नियमित तौर पर नियुक्त परिसर निदेशक, प्रोफसर, असोसियेट प्रोफसर तथा सहायक प्रोफसर, टेके आधार पर नियुक्त शिक्षक, नियमित तौर पर नियुक्त वर्ग 'ए' अधिकारी (जैसे सहायक कुलसचिव तथा उससे उच्च रैंक के गैर-शिक्षण कर्मचारी); परिसर के अधीन-संविदा आधार पर नियुक्त गैर-शिक्षण कर्मचारी; एक परिसर से दूसरे परिसर, मुख्यालय से दूसरे परिसर में तथा उसके विपरीत।
2.	कुलसचिव	नियमित तौर पर नियुक्त वर्ग 'बी' और वर्ग 'सी' के अधिकारी (प्रभागीय अधिकारी और उससे निचले रैंक का गैर-शिक्षण कर्मचारी) – एक परिसर से दूसरे परिसर और भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय मुख्यालय से तथा उसके विपरीत।
3.	परिसर निदेशक	नियमित तौर पर नियुक्त वर्ग 'बी' तथा वर्ग 'सी' अधिकारी (जैसे अनुभाग अधिकारी

	तथा उनसे निम्न रैंक के गैर-शिक्षण कर्मचारी) और ठेके आधार पर नियुक्त गैर-शिक्षण अधिकारियों को परिसर के अधीन ।
--	--

## **2014 का अध्यादेश 04**

**[कार्यकारी समिति संकल्प सं. का स 2014-28-14 दि 26-06-2014 और**

**का स 2014-29-30 दि 31.10.2014 के तहत]**

### **स्कूल बोर्डों की संरचना**

1. प्रत्येक स्कूल में एक स्कूल बोर्ड रहेगा, जिसमें निम्न सदस्य होंगे:
  - (i) स्कूल का डीन (पदेन)।
  - (ii) स्कूल के विभागों का विभागाध्यक्ष (पदेन)।
  - (iii) कुलपति द्वारा भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय से नामित, एक प्रोफसर, एक असोसियेट प्रोफसर और एक सहायक प्रोफसरा
  - (iv) कुलपति द्वारा संबद्ध प्राप्त संस्थाओं से नामित विषय विशेषज्ञ, जिनकी संख्या 4 से अधिक नहीं होगी।
  - (v) महानिदेशक, जहाजरानी द्वारा नामित दो विषय विशेषज्ञ (नॉटिकल अध्ययन स्कूल तथा समुद्री अध्ययन स्कूल के संबंध में मात्र)
  - (vi) मरीन इंजीनियरिंग तथा तकनॉलजी और नॉटिकल अध्ययन स्कूल के प्रकरण में, कुलपति द्वारा प्रस्तावित छः नामों के पेनल में से, शिक्षा परिषद द्वारा नामित विषय विशेषज्ञ, जो तीन से अधिक नहीं होंगे और विश्वविद्यालय या उसके किसी संबद्धता प्राप्त कॉलेज के कर्मचारी नहीं होंगे। नेवल आर्किटेक्चर व समुद्री इंजीनियरिंग, समुद्री प्रबंधन स्कूल के प्रकरण में कुलपति द्वारा प्रस्तावित 12 नामों के पेनल में से शिक्षा परिषद द्वारा नामित विषय विशेषज्ञ, जो छः से अधिक नहीं होंगे और विश्वविद्यालय या उसके किसी संबद्धता प्राप्त कॉलेज के कर्मचारी नहीं होंगे।
2. पदेन सदस्यों को छोड़कर अन्य सदस्यों की कार्यालयीन अवधि तीन वर्ष होगी और उन्हें पुनःनामित किया जा सकता है।
3. स्कूल का डीन, बोर्ड का अध्यक्ष रहेंगे और वह बोर्ड की बैठक आयोजित करेगा। जब डीन पद रिक्त है तब कुलपति द्वारा अध्यक्ष नामित किया जाएगा।
4. बोर्ड की गतिविधियाँ निम्न होंगी:
  - अ. स्कूल के निर्दिष्ट विभागों में अध्ययन तथा अनुसंधान कार्य का समन्वयन करना।
  - आ. स्कूल के किसी भी विभाग की परिधि में न आनेवाले विषयों या क्षेत्रों में अध्ययन तथा अनुसंधान कार्य आयोजित करना तथा ऐसे समितियों के कार्यों का पर्यवेक्षण करने हेतु समिति का गठन करना ।
  - इ. विभागों द्वारा पेश किये जानेवाले अनुसंधान उपाधियों सम्मिलित करके, विभिन्न कार्यक्रमों के अध्ययन पाठ्यक्रमों को अनुमोदन प्रदान करना ।
  - ई. पी.एचडी शोध प्रबंधन तथा अन्य अनुसंधान उपाधियों के मूल्यांकन के लिए परीक्षकों का नाम कार्यकारिणी समिति को सिफारिश करना ।
  - उ. विभागों/ केन्द्रों द्वारा प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करने के बाद, शिक्षक पदों के निर्माण या उन्मूलन करने के संबंध में शिक्षा परिषद को सिफारिश करना ।
  - ऊ. ऐसे उपाधियों को प्राप्त करने के लिए सक्षम पाये गये अभ्यर्थियों को अनुसंधान उपाधि प्रदान करने के संबंध में पोस्ट ग्रेजुएट अध्ययन बोर्ड के सुझावों को शिक्षा परिषद को सिफारिश करना ।
  - ए. स्कूल के विद्यार्थियों की कल्याण संबंधित किसी प्रस्ताव पर विचार करना तथा कार्यवाही लेना।
  - ऐ. शिक्षण तथा अनुसंधान के मानकों में विकास के लिए योजनाओं पर विचार करना तथा शिक्षा परिषद को इससे संबंधित प्रस्ताव समर्पित करना।

ओ. अधिनियम, विधि तथा अध्यादेशों द्वारा निर्धारित सभी अन्य गतिविधियों को निष्पादित करना तथा कार्यकारिणी समिति, शिक्षा परिषद या कुलपति द्वारा संदर्भित सभी अन्य विषयों पर विचार करना।

औ. कुलपति के निर्णयानुसार, ऐसे अधिकार, सामान्य या विशिष्ट, डीन को या बोर्ड के किसी अन्य सदस्य या किसी समिति को सौंपने के विषय में।

5. बोर्ड की बैठकें सामान्य या विशेष हो सकती हैं। सामान्य बैठकें वर्ष में दो बार आयोजित की जाएगी। जिनमें से एक को शिक्षा सत्र के प्रथम तिमाही में आयोजित किया जाएगा।
6. डीन अपनी पहल से या कुलपति के सुझावानुसार या बोर्ड के कम से कम 1/5 सदस्यों की लिखित वेदन पर, विशेष बैठकें आयोजित कर सकते हैं।
7. बोर्ड बैठक के लिए कोरम कुल सदस्यता की एक तिहाई होगी।
8. बोर्ड के साधारण बैठक के लिए सूचना, बैठक की निर्धारित तारीख से कम से कम दस दिनों के पूर्व जारी की जाएगी और विशेष बैठक संबंधित सूचना, बैठक की निर्धारित तारीख से कम से कम पाँच दिनों से पूर्व जारी की जाएगी।
9. बैठक आयोजन संबंधित नियम, इस संबंध में निर्धारित किये जानेवाले विनियमों द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

*नोट: दिनांक 12 मई 2009 को भारत के राजपत्र संख्या 76, के [शैक्षिक विषयों को निर्धारित करने वाले अध्यादेश] में प्रकाशित प्रकाशन 'अध्याय II विद्यालय बोर्ड' को निरस्त किया जाता है।*

## 2015 का अध्यादेश 01

*[कार्यकारी समिति संकल्प सं.का स. 2015-30-11 दि 25-02-2015 व*

*शि प 2015-13-01 दि 19-06-2015, का स 2015-31-44 दि 26-06-2015]*

### अनुसंधान अध्ययन बोर्ड का सृजन

1. भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय में अनुसंधान अध्ययन बोर्ड रहेगा, जिसकी संरचना निम्न होगी:
  - (i) कुलपति - अध्यक्ष (पदेन)
  - (ii) अध्ययन स्कूलों के डीन - सदस्य (पदेन)
  - (iii) प्रत्येक अध्ययन स्कूल से कुलपति द्वारा नामित एक प्रोफसर - सदस्यगण
  - (iv) प्रत्येक अध्ययन स्कूल से कुलपति द्वारा नामित एक असोसियेट प्रोफसर - सदस्यगण
  - (v) कुलपति द्वारा प्रस्तावित 12 नामों के पैनल में से शिक्षा परिषद द्वारा नामित शिक्षण, अनुसंधान तथा उद्योग को प्रतिनिधित्व करनेवाले छः विशेषज्ञ (पीएचडी के साथ) सदस्यगण
2. नामित सदस्यों की कार्यलयीन अवधि 3 वर्ष की होगी और उन्हें पुनःनामित किया जा सकता है।
3. अनुसंधान अध्ययन बोर्ड की गतिविधियाँ निम्न होगी :
  - (i) पीएचडी तथा अन्य अनुसंधान कार्यक्रम से संबंधित सभी विषयों में उचित मार्गदर्शन व नियंत्रण प्रस्तावित करना।
  - (ii) विश्वविद्यालय के परिधि के अधीन विषयों में अनुसंधान के मुख्य क्षेत्रों के लिए संभाव्य योजना तैयार करना।
  - (iii) प्रत्येक विभाग में अनुसंधान संबंधित वर्तमान स्तर का पुनरीक्षण।
  - (iv) समय समय पर कार्यकारिणी समिति या शिक्षा परिषद द्वारा अभिहित ऐसे अन्य गतिविधियों को निष्पादित करना।
4. बोर्ड की बैठकें वर्ष में कम से कम दो बार आयोजित की जाएगी।
5. बोर्ड के बैठक के लिए कोरम कुल सदस्यों की एक तिहाई होगी।
6. बैठक की सूचना बैठक के लिए निश्चित तारीख के कम से कम 10 दिन पूर्व जारी की जाएगी।
7. कार्य के लिए अपनी ही स्व प्रक्रिया, बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएगी।

## 2015 का अध्यादेश 02

[कार्यकारी समिति संकल्प सं. का स 2015-30-12 दि 25-02-2015 व शि प 2015-13-01 दि 19-06-2015, का स 2015-31-44 दि 26-06-2015 के तहत]

### नेवल अध्ययन स्कूल का सृजन

1. भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय में नेवल अध्ययन स्कूल रहेगा, जिसकी संरचना निम्न होगी:

(अ) कुलपति - अध्यक्ष (पदेन)।

आ) नॉटिकल अध्ययन स्कूल, मरीन इंजीनियरिंग व टेक्नालजी स्कूल, नेवल आर्किटेक्चर व समुद्री इंजीनियरिंग स्कूल के डीन - सदस्यगण (पदेन)।

(इ) कुलपति द्वारा नामित नॉटिकल अध्ययन स्कूल, मरीन इंजीनियरिंग व टेक्नालजी स्कूल नेवल आर्किटेक्चर व समुद्री इंजीनियरिंग स्कूल - प्रत्येक स्कूल से एक शिक्षक, जो असोसियेट प्रोफसर स्तर से निचले पद के नहीं होंगे - सदस्यगण।

(ई) कुलपति द्वारा प्रस्तावित 4 नामों के पैनल में से शिक्षा परिषद द्वारा नामित तीन विशेषज्ञ और महानिदेशक, जहाजरानी द्वारा नामित दो नाम।

(उ) भारतीय नौसेना के सक्षम प्राधिकारी द्वारा नामित संबंधित क्षेत्र में छः विशेषज्ञ।

2. नामित सदस्यों की कार्यालयीन अवधि 3 वर्ष की होगी और उन्हें पुनः नामित किया जा सकता है।

3. नेवल अध्ययन स्कूल की गतिविधियों निम्न रहेगीं :

(I) भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय द्वारा उपयुक्त उपाधि/डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए योग्य भारतीय नौसेना के प्रशिक्षण स्कूलों द्वारा चालित कई कार्यक्रमों की जांच करना व सिफारिश करना।

(II) विभिन्न पाठ्यक्रमों का मार्गदर्शन व अधिनियमों का संरक्षण। साथ में प्रशिक्षकों की संख्या, उम्र तथा शैक्षिक व सेवा योग्यतायें; सुविधाएँ/ मूलभूत सुविधाओं का प्रबंधन; पाठ्यक्रम विषयवस्तु तथा अवधि और मूल्यांकन तरीकों पर निगरानी रखना।

(III) समय समय पर शिक्षा परिषद तथा कार्यकारिणी समिति द्वारा निर्दिष्ट अन्य प्रकार्यों का करना।

4. नेवल अध्ययन स्कूल की बैठकें वर्ष में एक बार आयोजित की जाएगी।

5. बैठक के लिए कोरम कुल सदस्यों की एक तिहाई होगी।

6. नेवल अध्ययन स्कूल की बैठक संबंधित सूचना बैठक की निश्चित तारीख के कम से कम 21 दिन पूर्व जारी की जाएगी।

7. कार्य के लिए अपनी स्व प्रक्रिया, स्कूल द्वारा निर्धारित की जाएगी।

### 2015 का अध्यादेश 03

[कार्यकारी समिति संकल्प सं. का स. 2015-30-13 दि 25-02-2015 और शि प 2015-13-01 दि 19-06-2015, का स 2015-31-44 दि 26-06-2015 के तहत]

### अल्लैड अध्ययन स्कूल का सृजन

1. भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय में अल्लैड अध्ययन स्कूल रहेगा, जिसकी संरचना निम्न होगी:

(i) मरीन इंजीनियरिंग व टेक्नालजी, नॉटिकल अध्ययन, नेवल आर्किटेक्चर व समुद्री इंजीनियरिंग और समुद्री प्रबंधन स्कूलों के डीन - सदस्यगण (पदेन)

इसमें से एक डीन, उपरोक्त सिरे में उल्लिखित अनुसार प्रत्येक वर्ष घुमाव पर स्कूल बोर्ड का अध्यक्ष रहेगा।

- (ii) कुलपति द्वारा नामित असोसियेट प्रोफसर स्तर से निचले न रहने वाले प्रत्येक स्कूल से एक शिक्षक ।  
— सदस्यगण
- (iii) कुलपति द्वारा नामित संबद्ध कालेजों से चार शिक्षक (विभिन्न विषयों से)।  
— सदस्यगण
- (iv) कुलपति द्वारा प्रस्तावित 12 नामों के पेनल में से शिक्षा परिषद द्वारा नामित शिक्षण, अनुसंधान और उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाले छः विशेषज्ञ।  
— सदस्यगण
2. नामित सदस्यों की कार्यालयीन अवधि 3 वर्ष की होगी और उन्हें पुनःनामित किया जा सकता है।
3. अल्लैड अध्ययन स्कूल की गतिविधियाँ निम्न होगी :
- (i) कुलपति द्वारा जैसे अभिहित किया जाएगा, वैसे प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और पोस्ट ग्रेजुएट उपाधि पाठ्यक्रमों के लिए मार्गदर्शिका तथा नियंत्रण प्रस्तावित करना ।
- (ii) ऐसे प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा तथा पोस्ट ग्रेजुएट उपाधि पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम तथा समर्थन पाठ्यक्रम सामग्री विकसित करना ।
- (iii) शिक्षा परिषद तथा कार्यकारिणी समिति द्वारा समय समय पर अभिहित ऐसी अन्य गतिविधियों का निष्पादन करना ।
4. बोर्ड की बैठकें वर्ष में कम से कम दो बार आयोजित की जाएगी ।
5. बोर्ड बैठक के लिए कोरम कुल सदस्यों की एक तिहाई होगी ।
6. बोर्ड की बैठक संबंधित सूचना बैठक की निर्धारित तारीख के कम से कम 10 दिन पूर्व जारी की जाएगी।
7. कार्य के लिए अपनी स्व प्रक्रिया, बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएगी।

## **2015 का अध्यादेश 04**

**[कार्यकारी समिति संकल्प सं. का स 2015 – 30-16 दि 25-02-2015]**

### **धर्मस्व निधि की स्वीकृति हेतु शर्त व विनियम**

**अ. मेडल तथा पुरस्कार के लिए धर्मस्व संबंधित शर्त व विनियम**

1. एक पदक के लिए या पुरस्कार के लिए निम्नतम दान रु.1.00 लाख देना होगा। इसके लिए अधिकतम सीमा नहीं है। रु.1.00 लाख से अधिक दान को रु.10000/- की गुनों में देना है।
2. इस रकम को भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय द्वारा एक राष्ट्रीयकृत बैंक में मियादी जमा में ऐसे जमा किया जाएगा जिससे कि मियादी जमा में उपार्जित ब्याज अधिक हो सकें।
3. मियादी जमा से वार्षिक ब्याज को, प्रत्येक वर्ष पदक तथा पुरस्कार देने हेतु उपयोग किया जाएगा।
4. निम्नतम धर्मस्व निधि रु.1.00 लाख के लिए – 8 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज दर मानते हुए – रु.8000/- मूल्य का पदक/पुरस्कार दिया जा सकता है।
5. पदक या पुरस्कार का नाम, उसका उद्देश्य, जिन विद्यार्थियों को उसे दिया जाना है, इन सभी को विवरण दानी द्वारा स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट किया जाना है। सामान्यतः इस विषय में भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय, दानी की विनती को स्वीकार करेगा। फिर भी, अगर दानी से प्रस्तावित पुरस्कार को सामूहिक एकता या लॉ एण्ड आर्डर या शैक्षिक श्रेष्ठता के लिए प्रतिकूल माना जाएगा या उसे कार्यान्वयन करना असंभाव्य/ अप्रयोगात्मक हो तो धर्मस्व निधि को अस्वीकृत करने या नाम, उद्देश्य या पदक और पुरस्कार जिस प्रकार के विद्यार्थियों को दिया जाना है उसमें संशोधन करने का अधिकार भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय सुरक्षित रखता है।
6. उपरोक्त (5) में उल्लिखित विषय के तहत, दानी को सूचना के अधीन पदक या पुरस्कार के लिए विद्यार्थियों का चयन करना भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय का परमाधिकार होगा।

7. भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय द्वारा पदक या पुरस्कार, सामान्यतः धर्मस्व निधि स्वीकृत किये जानेवाली तारीख से एक वर्ष के बाद दिया जाएगा। अगर दानी चाहता है कि वर्ष पूर्ण होने के पूर्व ही पुरस्कार या पदक प्रदान किया जाए, तो उन्हें पदक या पुरस्कार रकम के समतुल्य रकम अतिरिक्त दान देना पड़ेगा।
8. भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय में एक बार निर्मित धर्मस्व अटल है और उसे वापस करने के लिए दानी या उनके कानूनी वारिस/ उत्तराधिकारी/ समनुदेशिती माँग नहीं कर सकते हैं। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय द्वारा दान स्वीकृत करने संबंधित पत्र जब दानी को जारी किया जाता है तभी धर्मस्व निधि निर्माण किया जाना माना जाता है।
9. दो या उससे अधिक व्यक्ति धर्मस्व निधि संयुक्त रूप से स्थापित कर सकते हैं।
10. अगर किसी कारणवश, एक विशिष्ट वर्ष में पदक या पुरस्कार नहीं दिया जाता है तो भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय द्वारा उसे यथाशीघ्र दिलाने संबंधित कार्यवाही अपनायी जाएगी।
11. अगर किसी कारणवश, दिये गये वर्ष में पुरस्कार या पदक प्राप्त करने योग्य विद्यार्थी न मिले तो उस रकम को मियादी जमा के मूल रकम के साथ जोड़ा जाएगा।
- 12- सेवा में रहते वक्त, भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय के किसी कर्मचारी को धर्मस्व निधि स्थापित करने अनुमति नहीं दी जाएगी।
13. धर्मस्व पदक या पुरस्कार प्रदान करने में भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय की निधियों पर कोई भी वित्तीय भार नहीं दिया जाएगा।
14. धर्मस्व की ओर दान को डिमॉड ड्राफ्ट/बैंकर चेक के रूप में ही स्वीकृत किया जाएगा।
15. जहाँ धर्मस्व निधि को विदेशी नागरिक या विदेशी कंपनियों से प्राप्त किया जाता है तब विधि का अनुपालन सुनिश्चित करना है।
16. धर्मस्व निधि का उपयोग, अन्य प्रयोगों के लिए नहीं करना है।

*आ. छात्रवृत्ति के लिए धर्मस्व निधि संबंधित शर्त व विनियम*

1. छात्रवृत्ति के लिए धर्मस्व निधि हेतु निम्नतम रु.3.00 लाख देना पड़ेगा। इसके लिए अधिकतम सीमा नहीं है। पर रु.3.00 लाख से अधिक दान को रु.10000 गुना में देना है।
2. इस रकम को भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय द्वारा एक राष्ट्रीयकृत बैंक में मियादी जमा में ऐसे जमा किया जाएगा जिससे कि मियादी जमा में उपार्जित ब्याज अधिक हो सकें।
3. मियादी जमा से प्राप्त वार्षिक ब्याज को, प्रत्येक वर्ष छात्रवृत्ति देने के लिए उपयोग किया जाएगा।
4. रु.3.00 लाख निम्नतम धर्मस्व के लिए, मियादी जमा ब्याज दर को प्रतिवर्ष 8 प्रतिशत मानते हुए — रु.25000 अंदाजन छात्रवृत्ति दी जा सकती है।
5. छात्रवृत्ति का नाम, उसका उद्देश्य, जिन विद्यार्थियों को उसे दिया जाना है इन सभी विवरण को दानी द्वारा स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट करना है। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय सामान्यतः इस विषय में दानी की विनती को स्वीकार करेगा। फिर भी, अगर दानी से प्रस्तावित धर्मस्व को सामूहिक एकता या लॉ अण्ड आर्डर या शैक्षिक श्रेष्ठता के लिए प्रतिकूल माना जाएगा या उसे कार्यान्वयन करना असंभाव्य/ अप्रयोगात्मक हो तो निधि को अस्वीकृत करने या नाम, उद्देश्य या छात्रवृत्ति जिस प्रकार के विद्यार्थियों को दिया जाना है उसमें संशोधन करने का अधिकार भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय सुरक्षित रखता है।
6. उपरोक्त (5) में उल्लिखित विषय के तहत, दानी को सूचना के अधीन छात्रवृत्ति के लिए विद्यार्थियों का चयन करना भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय का परमाधिकार होगा।
7. सामान्यतः, भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय द्वारा छात्रवृत्ति हेतु धर्मस्व निधि स्वीकृत की गई तारीख से एक वर्ष के बाद ही छात्रवृत्ति दी जाएगी। अगर दानी चाहता है कि वर्ष पूर्ण होने के पूर्व ही छात्रवृत्ति दिया जाए तो उन्हें छात्रवृत्ति रकम के समतुल्य रकम अतिरिक्त दान देना पड़ेगा।
8. भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय में एक बार निर्मित धर्मस्व अटल है और उसे वापस करने के लिए दानी या उनके कानूनी वारिस/ उत्तराधिकारी/ समनुदेशिती माँग नहीं कर सकते हैं। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय द्वारा दान को स्वीकृत किये जाने संबंधित पत्र जब दानी को जारी किया जाता है तभी धर्मस्व निधि निर्माण किया जाना माना जाता है।



9. धर्मस्व को दो या अधिक दानी संयुक्त रूप से स्थापित कर सकते हैं।
10. अगर किसी कारणवश, दिये गये वर्ष में छात्रवृत्ति प्रदान नहीं की जाती है तो उस रकम को यथाशीघ्र देने संबंधित व्यवस्था की जाएगी।
11. अगर किसी कारणवश, दिये गये वर्ष में छात्रवृत्ति प्राप्त करने योग्य विद्यार्थी न मिले तो उस रकम को मियादी जमा के मूल रकम के साथ जोड़ा जाएगा।
12. सेवा में रहते वक्त भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय के किसी भी कर्मचारी को धर्मस्व निधि स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
13. धर्मस्व छात्रवृत्ति प्रदान करने में भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय की निधियों पर कोई भी वित्तीय भार नहीं दिया जाएगा।
14. धर्मस्व के लिए दान को डिमॉंड ड्राफ्ट/बैंकर चेक के रूप में ही स्वीकृत किया जाएगा।
15. जहाँ धर्मस्व निधि को विदेशी नागरिक या विदेशी कंपनियों से प्राप्त किया जाता है तब विधि का अनुपालन सुनिश्चित करना है।
16. अन्य प्रयोगों के लिए धर्मस्व निधि का उपयोग नहीं किया जाना है।

#### इ. ओरेशन के लिए धर्मस्व संबंधित शर्त व विनियम

1. भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के लाभार्थ, ओरेशन के लिए जमा किये जानेवाले धर्मस्व के लिए निम्नतम दान की रकम रु. 5.00 लाख होगी। इसके लिए अधिकतम सीमा नहीं है। पर रु. 5.00 लाख से अधिक दान रु. 10000 के गुना में देना पड़ेगा।
2. भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय द्वारा, इस रकम को राष्ट्रीयकृत बैंक में मियादी जमा के रूप में ऐसे जमा किया जाना है जिससे कि जितना संभाव्य हो, मियादी जमा में उपार्जित ब्याज अधिक हो सके।
3. मियादी जमा से वार्षिक ब्याज को प्रत्येक वर्ष ओरेशन आयोजित करने के लिए उपयोग किया जाएगा।
4. रु. 5.00 लाख निम्नतम धर्मस्व के लिए, मियादी जमा ब्याज दर को प्रतिवर्ष 8 प्रतिशत मानते हुए -यात्रा, बोर्डिंग व लाजिंग, व्याख्यान कर्ता को मानदेय, समारोह व्यवस्था और ऐसे सभी व्ययों को करने के लिए, अंदाजन रु. 40000 रकम उपलब्ध होने की संभावना है।
5. ओरेशन का नाम, उसका उद्देश्य, जिस प्रकार के श्रोतागण को प्रदान करना है, इन सभी विषय पर दानी द्वारा स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट किया जाना है। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय सामान्यतः इस विषय में दानी की विनती को स्वीकार करेगा। फिर भी, अगर दानी से प्रस्तावित धर्मस्व को सामूहिक एकता या लॉ अण्ड आर्डर या शैक्षिक श्रेष्ठता के लिए प्रतिकूल माना जाएगा या उसे कार्यान्वयन करना असंभाव्य/अप्रयोगात्मक हो तो, निधि को अस्वीकृत करने या नाम, उद्देश्य या ओरेशन जिस प्रकार के श्रोतों को दिया जाना है उसमें संशोधन करने का अधिकार भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय सुरक्षित रखता है।
6. उपरोक्त (5) में उल्लिखित विषय के तहत, दानी को सूचना देते हुए, ओरेशन को आयोजित करना भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय का परमाधिकार होगा।
7. सामान्यतः भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय द्वारा ओरेशन, धर्मस्व निधि स्वीकृत की जानेवाली तारीख से एक वर्ष के बाद ही आयोजित की जाएगी। अगर दानी चाहता है कि वर्ष पूर्ण होने के पूर्व ही ओरेशन आयोजित किया जाए, तो ओरेशन आयोजित करने हेतु उन्हें अतिरिक्त समतुल्य रकम दान देना पड़ेगा।
8. भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय में एक बार निर्मित धर्मस्व अटल है और उसे वापस करने के लिए दानी या उनके कानूनी वारिस/उत्तराधिकारी/समनुदेशिती मॉग नहीं कर सकते हैं। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय द्वारा दान को स्वीकृत करने संबंधित पत्र जब दानी को जारी किया जाएगा, तभी धर्मस्व निधि निर्माण किया जाना माना जाता है।
9. धर्मस्व को दो या अधिक दानी संयुक्त रूप से स्थापित कर सकते हैं।
10. अगर किसी कारणवश, दिये गये वर्ष में ओरेशन आयोजित नहीं होता है तो, भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय द्वारा उसे यथाशीघ्र आयोजित करने संबंधित व्यवस्था की जाएगी।
11. अगर किसी वर्ष में ओरेशन आयोजन के बाद, बचत है तो, उसे मियादी जमा के मूल रकम के साथ जोड़ा जाएगा।

12. सेवा में रहते वक्त, भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय के किसी भी कर्मचारी को, अपने नाम पर धर्मस्व निधि स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
13. धर्मस्व ओरेशन आयोजित करने में भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय की निधियों पर कोई भी वित्तीय भार नहीं दिया जाएगा।
14. धर्मस्व की ओर दान को डिमांड ड्रॉफ्ट/बैंकर चेक के रूप में ही स्वीकृत किया जाएगा।
15. जहाँ धर्मस्व निधि, विदेशी नागरिक या विदेशी कंपनियों से प्राप्त किया जाता है तब विधि का अनुपालन सुनिश्चित करना है।
16. अन्य प्रयोगों के लिए धर्मस्व निधि का उपयोग नहीं किया जाना है।

*नोट: दिनांक 12 मई, 2009 को भारत के राजपत्र संख्या 76 के [शैक्षिक विषयों को निर्धारित करने वाले अध्यादेश] में प्रकाशित प्रकाशन 'अध्याय XI छात्रवृत्तियां, अध्ययन-वृत्ति, अधिछात्रवृत्ति, पदकों, वृत्तिदान इत्यादि के पुरस्कार' को निरस्त किया जाता है।*

## **2015 का अध्यादेश 5**

*[कार्यकारी समिति संकल्प सं. का.स.2015-30-20 दि 25-02-2015 के तहत]*

**भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय परिसरों के शिक्षक के लिए निष्पादन मूल्यांकन तरीका**

- (1) भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय के नियमित शिक्षक हेतु निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली (पीएएस) में तीन भाग होंगे, जैसे
  - वर्ग 1 – अधिकतम अंक 125 के साथ, शिक्षण, अध्ययन और मूल्यांकन संबंधित गतिविधियाँ।
  - वर्ग 2 – अधिकतम अंक 25 के साथ, पाठ्येतर, विस्तार तथा व्यावसायिक विकास संबंधित गतिविधियाँ।
  - वर्ग 3 – असोसियेट प्रोफसर तथा प्रोफसर के लिए, अधिकतम 50 अंक तथा सहायक प्रोफसर के लिए 25 अंक के साथ अनुसंधान प्रकाशन और शैक्षिक अंशदान।

प्रोफसर तथा असोसियेट प्रोफसर के लिए कुल अंक 200 रहेगा और सहायक प्रोफसर के लिए 175 रहेगा।
- (2) कुल अंकों को निम्न प्रकार 'स्कोर' के रूप में 10 पाइन्ट स्केल में कम करना है।
 

9 से 10	-	उत्कृष्ट
8 से <9	-	बहुत अच्छा
6 से <8	-	अच्छा
4 से <6	-	औसतम
4 से कम	-	खराब
- (3) *अ. वर्ग 1:*
  - (i) व्याख्यान, सेमिनार, टुटोरियल, प्रयोगात्मक, संपर्क समय – कुल अंक 50
  - (ii) आबंटित समय के अतिरिक्त में शैक्षिक भार – कुल अंक 10
  - (iii) परामर्शकृत शिक्षण/ निर्देशनीय सामग्री तथा विद्यार्थियों को प्रदत्त अतिरिक्त ज्ञान संसाधन – कुल अंक – 10
  - (iv) सहभागिता तथा नवप्रवर्तनीय शिक्षण का उपयोग-शिक्षण तरीके, नये पाठ्यक्रमों का निर्माण, पाठ्यक्रम विकास आदि – कुल अंक 10
  - (v) विद्यार्थियों का फीडबैक – कुल अंक – 20
  - (vi) अभिहित तथा निष्पादित परीक्षा कर्तव्य (प्रश्न पत्र की तैयारी, मूल्यांकन आदि और संबंधिता कर्तव्य)-कुल अंक – 25

*आ. वर्ग 2:*

- (i) विस्तार, पाठ्येतर और क्षेत्र आधारित गतिविधियाँ – कुल अंक 20

(ii) विश्वविद्यालय जीवन तथा संस्थान के प्रबंधन को अंशदान – कुल अंक- 20

(iii) व्यावसायिक विकास संबंधित गतिविधियाँ (सांविधिक बॉडियों/अन्य मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं में सदस्यता)- कुल अंक- 10

इ. वर्ग 3:

(i) पुस्तकें-स्व-लिखित/संयुक्त रूप से लिखित/संपादित/अनुवादित/लेख/संपादित पुस्तकों में अंशदान दिये गये अध्याय/संदर्भित पत्रिकाओं में प्रकाशित पूर्ण अनुसंधान प्रपत्र/कांफरेन्स कार्यवृत्त/पत्रिकाओं में प्रकाशित/पत्रिकाएँ (स्व लिखित-10 स्कोर और सह लेखक-5 स्कोर) कुल अंक-अ) प्रोफसर तथा असोसियेट प्रोफसर-20, आ. सहायक प्रोफसर-10

(ii) समुद्री सेक्टर से संबंधित अब चालित अनुसंधान परियोजनाएँ, समुद्री सेक्टर से संबंधित पूर्ण की गई परियोजनाएँ और परामर्श – कुल अंक अ) प्रोफसर तथा असोसियेट प्रोफसर-20, आ) सहायक प्रोफसर-10

(iii) क्षेत्रीय/राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय कांफरेन्स/सेमिनार/ कार्यशाला/सिम्पोजिया/रेफ्रेशर और ओरियेंटेशन पाठ्यक्रम आदि में प्रस्तुत प्रपत्र। उपरोक्त के अलावा देश के अन्दर/बाहर, विश्वविद्यालय/संस्था में प्रदत्त व्याख्यान/ विशेष व्याख्यान, अगर कुछ हो (जैसे भाग लिये राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय कांफरेन्स/ सेमिनार)/अध्यक्षता के अधीन कांफरेन्स/सेमिनार में प्रदत्त विशेष व्याख्यान। (स्व-लेखन के लिए – 5 स्कोर) तथा (सह लेखन के लिए – 2 स्कोर ) कुल अंक अ. प्रोफसर तथा असोसियेट प्रोफसर – 10 आ. सहायक प्रोफसर – 5

(4) सामान्यतः, निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन (पीएआर), भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय के शैक्षिक वर्ष को आच्छादित करेगा जैसे अगले वर्ष के 1 अगस्त से 31 जुलाई तक। जहाँ, शैक्षिक वर्ष के दौरान, एक से अधिक पीएआर लिखा जाता है, ऐसे प्रत्येक प्रतिवेदन में उससे संबंधित अवधि का संकेत किया जाएगा। 3 महीने से कम आच्छादित अवधि के लिए कोई निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बदले इस संबंध में फाइल में एक प्रमाण पत्र रखना है।

(5) शिक्षक सदस्य के निष्पादन मूल्यांकन 'प्रतिवेदक प्राधिकारी' द्वारा किया जाएगा और इसे बाद में 'पुनरीक्षण प्राधिकारी' द्वारा पुनरीक्षित किया जाएगा। सहायक प्रोफसर, असोसियेट प्रोफसर और प्रोफसर के लिए पुनरीक्षण प्राधिकारी निम्न होंगे।

क्रम सं	वर्ग	प्रतिवेदक प्राधिकारी	पुनरीक्षण प्राधिकारी
1.	असोसियेट प्रोफसर	असोसियेट प्रोफसर के रैंक के निचले न रहनेवाले विभागाध्यक्ष	परिसर निदेशक
2.	असोसियेट प्रोफसर	परिसर निदेशक	कुलपति
3.	प्रोफसर	परिसर निदेशक	कुलपति

प्रतिवेदक प्राधिकारी के रूप में, उनके मूल्यांकन को दर्ज करने के पूर्व, परिसर निदेशक द्वारा प्रोफसर रैंक के निचले न रहने वाले, परिसर के विभागाध्यक्ष से, असोसियेट प्रोफसर पर टिप्पणी माँगी जा सकती है।

(6) समय समय पर कार्यकारिणी समिति द्वारा निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन (पीएआर) प्रारूप निर्धारित किया जाएगा। जैसे आवश्यकता पड़े, प्रारूप में ऐसे संशोधन करने के लिए (कई शैक्षिक निष्पादन संकेत के लिए स्कोर को परिवर्तन किये बिना) तथा कार्यकारिणी परिषद से अनुसमर्थन प्राप्त करने हेतु कुलपति को प्राधिकृत किया जाता है।

(7) प्रतिवेदित शिक्षक सदस्य को, शैक्षिक वर्ष की समाप्ति से 2 महीने के अन्दर प्रतिवेदक प्राधिकारी को पीएआर प्रारूप में संबंधित पंक्तियों में 'स्व-मूल्यांकन प्रतिवेदन' पेश करना है (जैसे 30 सितंबर के पूर्व)। उन्हें अपने लिए किसी अंक को नहीं लगाना है। अगर निर्धारित समयावधि के अन्दर, शिक्षक सदस्य अपना स्व-मूल्यांकन प्रतिवेदन समर्पित करने में चूकता है तो, स्व-मूल्यांकन प्रतिवेदन के बिना, प्रतिवेदक प्राधिकारी तथा पुनरीक्षण प्राधिकारी को अपने स्कोर दर्ज करने अधिकार है।

(8) पीएआर प्रारूप के संबंधित पंक्तियों में, प्रत्येक शैक्षिक निष्पादन संकेतक के लिए प्रतिवेदक प्राधिकारी और पुनरीक्षण प्राधिकारी अंक दर्ज करेंगे तथा प्रारूप की प्राप्ति की तारीख से 2 महीने के अन्दर सामान्यतः 10 पाइन्ट स्केल पर स्कोर दर्ज करेंगे। जब एक प्रतिवेदक प्राधिकारी/पुनरीक्षण प्राधिकारी सेवानिवृत्त होंगे, ऐसे सेवानिवृत्ति से एक महीने के अन्दर अपने शिक्षकों पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

(9) 10 पाइन्ट स्केल पर पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा प्रदान किये गये अंक/ स्कोर ही अंतिम है।

(10) 10 पाइन्ट स्केल में अंक/ स्कोर के अलावा, प्रतिवेदक प्राधिकारी तथा पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा 100 शब्दों के अन्दर, शिक्षक के निष्पादन के बारे में लघु लिखित प्रतिवेदन दर्ज किया जाएगा।

(11) पीएआर को दण्डनीय नहीं होना है, पर उसका लक्ष्य, शिक्षक को पूर्ण संभाव्य उपलब्धि में तथा श्रेष्ठ परिणाम प्राप्ति हेतु मार्गदर्शक रहना है।

(12) उचित पावती के अधीन, शिक्षक के अवलोकन हेतु, पीएआर की फोटो प्रति प्रदान की जाएगी।

(13) किसी भी शिक्षक सदस्य, जिन्हें 10 पाइन्ट स्केल में 4 से कम स्कोर दिया गया है, पीएआर की प्रति संप्रेषण की तारीख से 2 महीने के अन्दर पुनरीक्षण प्राधिकारी को लिखित प्रतिनिधित्व समर्पित कर सकता है। व्यथित शिक्षक सदस्य के प्रतिनिधित्व पर प्रतिवेदक प्राधिकारी से पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा टिप्पणी प्राप्त किया जाएगा और 3 महीने के अन्दर स्कोर में संशोधन संबंधित उचित आदेश पारित की जाएगी।

(14) अगर लघु लेख लिखते वक्त, प्रतिवेदक प्राधिकारी तथा पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा कोई टिप्पणी शिक्षक सदस्य के प्रतिकूल लिखा जाता है तो पीएआर की प्रति संप्रेषण की तारीख से 2 महीने के अन्दर पुनरीक्षण प्राधिकारी से लिखित प्रतिनिधित्व समर्पित कर सकता है। ऐसे व्यथित सदस्य के प्रतिनिधित्व पर, प्रतिवेदक प्राधिकारी से पुनरीक्षण अधिकारी टिप्पणी प्राप्त करेगा और 3 महीने के अन्दर उचित आदेश पारित करेगा। जहाँ प्रतिवेदक प्राधिकारी द्वारा प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गयी है, पर पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा प्रतिकूल टिप्पणी लिखी जाती है तब यही प्रथा अपनायी जाएगी। जहाँ प्रतिवेदक प्राधिकारी द्वारा प्रतिकूल टिप्पणी लिखी गयी है और उसे विशिष्ट रूप से पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा अस्वीकार किया गया है, वहाँ ऐसा माना जाएगा कि शिक्षक सदस्य के विरुद्ध कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय के नियमित शिक्षक के लिए निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन (पीएआर) हेतु प्रारूप

भाग अ : सामान्य विवरण तथा शैक्षिक परिप्रेक्ष्य

1) संकाय सदस्य का नाम:

(ब्लाक अक्षरों में)

2) परिसर:

3) वर्तमान पदनाम:

4) वेतनमान का वेतन बैंड:

ग्रेड वेतन रु.:

5) विश्वविद्यालय में प्रारंभ में कार्य में लगने की तारीख तथा पदनाम:

6) संप्रेषण के लिए पता:

दूरभाष सं (कार्यालय):

आवास :

मोबाइल सं.:

ई मेल आईडी:

## 7) शैक्षिक योग्यताएँ:

क्रम सं.	योग्यताएँ	विषय	अंकों का प्रतिशत	उत्तीर्णता वर्ष
i)	10 / एसएसएलसी / समतुल्य			
ii)	एचएससी / 12 / पीयूसी / समतुल्य			
iii)	ग्रेजुएट उपाधि, उपाधि और विषय को कृपया उल्लिखित करें			
iv)	पोस्ट ग्रेजुएट उपाधि, उपाधि और विषय को कृपया उल्लिखित करें।			
v)	एम.फिल			
vi)	पीएच.डी			
vii)	किसी अन्य			

8) क्या एनईटी / एसएलईटी में उत्तीर्ण है? अगर हाँ तो, वर्ष जिसमें अर्हता प्राप्त किया:

9) तारीख जिसमें अंतिम संपत्ति रिटर्न दर्ज किया गया:

## भाग आ – शैक्षिक निष्पादन संकेतक

संकाय को टिप्पणी : कृपया पंक्ति 'क्रम सं' तथा 'विवरण' की मात्र पूर्ति करें।

## वर्ग 1 : शिक्षण अध्ययन तथा मूल्यांकन संबंधित गतिविधियाँ

i) (अ) व्याख्यान, सेमिनार, टूटोरियल, प्रयोगात्मक, संपर्क समय (जहाँ भी आवश्यकता पड़े सत्रांतवार विवरण प्रदान करें) - अधिकतम अंक - 50

क्रम सं.	विवरण	अंक	
		प्रतिवेदक प्राधिकारी	पुनरीक्षण अधिकारी

टिप्पणी : अगर अध्यापक, अभिहित वर्गों में से 80 प्रतिशत से कम वर्गों को लेंगे तो कोई अंक नहीं दिया जाएगा। सामान्यतः वैकल्पिक शिक्षण व्यवस्था किये जानेवाले छुट्टी अवधि के लिए विश्वविद्यालय द्वारा भत्ता दिया जाएगा।

(आ) आबांटित समय से अति में शैक्षिक भार - अधिकतम अंक - 10

क्रम सं.	विवरण	अंक	
		प्रतिवेदक प्राधिकारी	पुनरीक्षण अधिकारी

(ii) परामर्श किये गये शिक्षण/निर्देशनीय सामग्री और विद्यार्थियों को प्रदत्त अतिरिक्त ज्ञान

अधिकतम अंक : 10

क्रम सं.	विवरण	अंक	
		प्रतिवेदक प्राधिकारी	पुनरीक्षण अधिकारी

iii) सहभागिता तथा नवप्रवर्तनीय शिक्षण का उपयोग – शिक्षण तरीके, नये पाठ्यक्रमों को ढाँचाकृत करना, पाठ्यक्रम विषय वस्तुओं का उन्नयन, पाठ्यक्रम विकास आदि

अधिकतम अंक: 10

क्रम सं.	विवरण	अंक	
		प्रतिवेदक प्राधिकारी	पुनरीक्षण अधिकारी

(iv) प्रत्येक सत्रांत के अंत में विद्यार्थियों से फीडबैक पर आधारित। अधिकतम अंक : 20

क्रम सं.	विवरण	अंक	
		प्रतिवेदक प्राधिकारी	पुनरीक्षण अधिकारी

v) अभिहित और निष्पादित परीक्षा व संबंधिता कर्तव्य (प्रश्न पत्र की तैयारी, मूल्यांकन, संबंध कॉलेजों आदि का निरीक्षण)

अधिकतम अंक:25

क्रम सं.	विवरण	अंक	
		प्रतिवेदक प्राधिकारी	पुनरीक्षण अधिकारी

### वर्ग II : पाठ्येतर, विस्तार, व्यावसायिक विकास संबंधित गतिविधियाँ

(i) विस्तार, पाठ्येतर तथा क्षेत्र आधारित गतिविधियाँ – क्षेत्रीय अध्ययन/शैक्षिक पर्यटन जैसे संस्थानीय पाठ्येतर गतिविधियाँ, उद्योग – इन्व्लान्ट प्रशिक्षण, विस्तार कार्य और एनएसएस, एनसीसी या अन्य ऐसे गतिविधियों में संस्थान में वहन किये गये पद/भूमिका, विद्यार्थी तथा कर्मचारी संबंधित सामूहिक, सांस्कृतिक और खेल कार्यक्रम, परिसर प्रकाशन, राष्ट्रीय एकता, धर्मनिर्पेक्षता, लोकतंत्रता, समाज, मानवीयता, शांति, वैज्ञानिक भाव, बाढ या सूखे निवारण, छोटे परिवार नियम आदि का मूल्य जैसे सामूहिक कार्य।

अधिकतम अंक: 10

क्रम सं.	विवरण	अंक	
		प्रतिवेदक प्राधिकारी	पुनरीक्षण अधिकारी

(ii) कार्पोरेट जीवन तथा संस्था के प्रबंधन के लिए अंशदान – बैठकें, विख्यात व्याख्यान, विषय संबंधित इवेन्ट, कालेज पत्रिका तथा विश्वविद्यालय वाल्यूम में लेख, उप-प्रधानाध्यापक, डीन, निदेशक, वार्डन, स्कूल चेयरपर्सन जैसे संस्थानीय प्रबंधन जिम्मेदारियों के जरिये विश्वविद्यालय/कॉलेज में विश्वविद्यालय जीवन को अंशदान । प्रवेश समिति, परिसर विकास, ग्रन्थालय समिति जैसे विभागीय या संस्थानीय विकास के किसी भी कारक संबंधित समिति में भाग लेना, विद्यार्थी कल्याण, काउन्सलिंग तथा अनुशासन में भाग लेना, जिम्मेदारी लेना, कांफरेन्स/प्रशिक्षण आयोजित करना, विद्यार्थियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/क्षेत्रीय तथा रोजगार गतिविधियाँ ।

अधिकतम अंक: 10

क्रम सं.	विवरण	अंक	
		प्रतिवेदक प्राधिकारी	पुनरीक्षण अधिकारी

(iii) व्यावसायिक विकास संबंधित गतिविधियाँ – राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर में व्यवसाय संबंधित समितियों में सदस्यता, विषय असोसियेशन, कांफरेन्स, सेमिनार में बिना प्रपत्र प्रस्तुति के भाग लेना, शैक्षिक प्रौद्योगिकी, पाठ्यक्रम विकास, व्यावसायिक विकास, परीक्षा सुधार, संस्थानीय प्रबंधन में एक हफते अवधि से कम लघु अवधि प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में भाग लेना, शैक्षिक तथा राष्ट्रीय विकास पर बॉडी/ समितियों में सदस्यता/ प्रतिभागिता, अखबार, पत्रिकाएँ या अन्य प्रकाशनों में लेख प्रकाशन (वर्ग 3 में आच्छादित नहीं), रेडियो व्याख्यान ।

अधिकतम अंक: 5

क्रम सं.	विवरण	अंक	
		प्रतिवेदक प्राधिकारी	पुनरीक्षण अधिकारी

### वर्ग III : अनुसंधान प्रकाशन और शैक्षिक अंशदान

- i) पुस्तकें – स्व-लेखन/संयुक्त लेखन/संपादन/अनुवादित (कृपया अलग कागज, प्रतियाँ आवश्यकतानुसार संलग्न करें)। संपादित पुस्तकों में अंशदान दिये गये लेख/अध्याय (अगर आवश्यकता पड़े तो अलग कागज, प्रतियाँ संलग्न करें)। संदर्भित पत्रिकाएँ/लेख/कांफरेन्स कार्यवृत्त/पत्रिका/अखबारों में प्रकाशित पूर्ण अनुसंधान प्रपत्र

अधिकतम अंक: 20 (प्रोफसर तथा असोसियेटेड प्रोफसर)

10 (सहायक प्रोफसर के लिए)

क्रम सं.	विवरण	अंक	
		प्रतिवेदक प्राधिकारी	पुनरीक्षण अधिकारी

- (ii) समुद्रीय सेक्टर से संबंधित अपनाये गये अनुसंधान परियोजनाएँ/जारी अनुसंधान परियोजनाएँ, समुद्री सेक्टर से संबंधित पूर्ति की गयी परियोजनाएँ और परामर्शदाता सेवाएँ ।

अधिकतम अंक: 20 ( प्रोफसर व असोसियेट प्रोफसर के लिए)

10 (सहायक प्रोफसर के लिए)

क्रम सं.	विवरण	अंक	
		प्रतिवेदक प्राधिकारी	पुनरीक्षण अधिकारी

(iii) क्षेत्रीय/राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कांफरेन्स/ सेमिनार/कार्यशाला/सिम्पोजिया/रेफ्रेशर और ओरियेन्टेशन पाठ्यक्रम आदि में प्रस्तुत प्रपत्र। प्रदत्त व्याख्यान/विशेष व्याख्यान अगर कुछ हो, विश्वविद्यालय/देश के अन्दर और बाहर, उपरोक्त 'उ' के अलावा (जैसे भाग लिये गये राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय कांफरेन्स/सेमिनार) अध्यक्षता के अधीन कांफरेन्स/सेमिनार में विशेष व्याख्यान प्रदान करने के लिए आमंत्रित ।

अधिकतम अंक: 10 (प्रोफसर तथा असोसियेटड प्रोफसर के लिए)

5 ( सहायक प्रोफसरों के लिए)

क्रम सं.	विवरण	अंक	
		प्रतिवेदक प्राधिकारी	पुनरीक्षण अधिकारी

**भाग इ : अन्य संबंधित विवरण**

किसी अन्य प्रत्ययपत्र, विशिष्ट अंशदान, प्राप्त पुरस्कार आदि का विवरण दें जिसे पहले नहीं बताया गया है।

क्रम सं.	विवरण

**संलग्न सूची:** (प्रमाण पत्र, स्वीकृत आदेश, प्रपत्र आदि जहाँ भी आवश्यक हो, संलग्न करें)

1	6
2	7
3	8
4	9
5	10



**घोषणा**

मैं प्रमाणित करता हूँ कि विवरण जो प्रदान किया गया है वह मेरे ज्ञान के अनुसार तथा विश्वविद्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार और/या उचित रूप से पूर्ति किये गये सलंगन पीबीएस प्रारूप के अनुसार सही है।

तारीख: \_\_\_\_\_

स्थान : \_\_\_\_\_

शिक्षक का हस्ताक्षर

**भाग ई – अंतिम मूल्यांकन स्कोर**

क्रम सं.	मापदंड	कुल अंक	प्रतिवेदक प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त अंक	पुनरीक्षण अधिकारी द्वारा प्रदत्त अंक
I	शिक्षण, प्रशिक्षण और मूल्यांकन संबंधित गतिविधियाँ	125		
II	पाठ्येतर विस्तार, व्यावसायिक विकास आदि	25		
III	अनुसंधान और शैक्षिक अंशदान	50/25		
IV	कुल	200/175		
V	<b>अंतिम मूल्यांकन स्कोर</b> परिवर्तन कारक को प्रयोग करने के बाद*		प्रतिवेदक प्राधिकारी के अनुसार	पुनरीक्षण प्राधिकारी के अनुसार

\*10 पाइन्ट स्केल में परिवर्तन कारक

अ. प्रोफसर तथा असोसियेट प्रोफसर के लिए

कुल प्राप्त स्कोर / 200 \* 10 =

आ. सहायक प्रोफसर के लिए-

कुल प्राप्त स्कोर / 175 \* 10 =

**भाग उ: प्रतिवेदक प्राधिकारी द्वारा लघु टिप्पणी (लगभग 100 शब्दों में)**

**भाग ऊ – पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा लघु टिप्पणी (लगभग 100 शब्दों में)**

**भाग ए – शिक्षक की अखंडता**

(प्रतिवेदक प्राधिकारी और पुनरीक्षण प्राधिकारी को संबंधित बॉक्स में टिक करना है)

क्रम सं	विवरण	प्रतिवेदक प्राधिकारी	पुनरीक्षण प्राधिकारी
i)	बिना शक के		
ii)	प्रतिकूल विषय ध्यान में नहीं आया		
iii)	जैसे कि शिक्षक की अखंडता पर शक है, एक गुप्त टिप्पणी संलग्न है।		

प्रतिवेदक प्राधिकारी का हस्ताक्षर  
(मुद्रा के साथ)

पुनरीक्षण प्राधिकारी का हस्ताक्षर  
(मुद्रा के साथ)

**2015 का अध्यादेश 06**

[कार्यकारी समिति संकल्प सं.का स 2015-30-23 दि 25-02-2015 के तहत]

**अनुभाग अधिकारी पद के लिए भर्ती नियम**

1	पदनाम	अनुभाग अधिकारी
2.	पदों की संख्या	14
3	वर्गीकरण	प्रशासनिक पद, वर्ग 'बी'
4	वेतनमान	वेतन बैड रु.9300- 34800, ग्रेड वेतन रु.4800 /-
5	प्रवरण पद या गैर प्रवरण पद	प्रवरण पद
6	आयु सीमा	<b>पदोन्नति:</b> उम्र: नहीं <b>प्रतिनियुक्ति</b> उम्र : 45 वर्ष से अधिक नहीं समावेश : उम्र : 48 वर्ष से अधिक नहीं (उपयुक्त प्रकरणों में, कुलपति द्वारा प्रतिनियुक्ति/ समावेश के लिए 2 वर्ष तक आयु सीमा में छूट दी जा सकती है)
7	पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ समावेश के लिए निर्धारित शैक्षिक व सेवा योग्यताएँ	<b>पदोन्नति:</b> <i>अनिवार्य</i> शैक्षिक योग्यताएँ : ग्रेजुएट उपाधि। सूचना तथा संप्रेषण प्रौद्योगिकी में कार्यकारी ज्ञान।

		<p><b>सेवा अर्हताएँ</b> : नियमित सेवा में कम से कम 8 वर्ष अनुभव के साथ वरिष्ठ सहायक या समतुल्य ।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति</b></p> <p>नियमित तौर पर अनुरूप पद रखने वाले व्यक्ति या केन्द्रीय/राज्य विश्वविद्यालय या स्वायत्त शिक्षा/ अनुसंधान संस्था, केन्द्रीय/ राज्य सरकार या सरकारी उद्यम, पोर्ट ट्रस्ट आदि में वेतन बैंड रु. 9300-34800, रु.4200 ग्रेड वेतन के साथ वरिष्ठ सहायक या उसके समतुल्य पद पर कम से कम आठ वर्षों का अनुभव।</p> <p><b>समावेश</b></p> <p>प्रतिनियुक्त व्यक्ति, जिन्होंने भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय में वरिष्ठ सहायक के पद पर कम से कम 3 वर्ष संतोषजनक कार्य किया है, बशर्ते कि मातृ संस्था से सहमति प्राप्त हो ।</p> <p>पदोन्नति के लिए जो शैक्षिक योग्यताएँ निर्धारित हैं वही प्रतिनियुक्ति/ समावेश के लिए लागू होगी ।</p> <p>अगर पूर्ण रूप से अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी नहीं मिले तो सेवा अर्हता में छूट प्रदान करने का अधिकार कार्यकारिणी समिति के पास सुरक्षित है ।</p>
8	भर्ती का तरीका, सीधी भर्ती के द्वारा या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ समावेश द्वारा तथा विभिन्न तरीकों से भर्ती किये जानेवाले रिक्त स्थानों की प्रतिशत	पदोन्नति द्वारा, नहीं तो प्रतिनियुक्ति/ समावेश
9	अगर विभागीय पदोन्नति समिति/चयन समिति उपलब्ध है तो उसकी संरचना	(i) अध्यक्ष के रूप में कुलसचिव (ii) कुलपति द्वारा नामित एक परिसर निदेशक (iii) कुलपति के दो नामिती
10	टिप्पणी	सेवा निवृत्ति आयु : 60 वर्ष. प्रतिनियुक्ति के लिए, प्रायोजक विभाग/ एजेन्सी से संबंधित अधिकतम आयु, जो 60 वर्ष से अधिक न हो, लागू होगी ।

नोट: दिनांक 12 मई 2009 को भारत के राजपत्र संख्या 76 के प्रशासनिक मामलों को निर्धारित करने वाले अध्यादेश के अध्याय 9 में प्रकाशित प्रकाशन क्रम संख्या 18 को निरस्त किया जाता है।

## 2015 का अध्यादेश 07

[कार्यकारी समिति संकल्प सं. का स 2015-30-23 दि 25-02-2015 के तहत]

### अनुभाग अधिकारी (वित्त) पद के लिए भर्ती नियम

1	पदनाम	अनुभाग अधिकारी ( वित्त)
2.	पदों की संख्या	3
3	वर्गीकरण	प्रशासनिक पद, वर्ग 'बी '
4	वेतनमान	वेतन बैंड रु. 9300-34800, ग्रेड वेतन रु. 4800 के साथ
5	प्रवरण पद या गैर प्रवरण पद	प्रवरण पद
6	आयु सीमा	<b>पदोन्नति</b> उम्र: नहीं

		<p><b>प्रतिनियुक्ति</b> उम्र : 45 वर्ष से अधिक नहीं</p> <p><b>समावेश :</b> उम्र : 48 वर्ष से अधिक नहीं (उपयुक्त प्रकरणों में कुलपति द्वारा प्रतिनियुक्ति/ समावेश के लिए 2 वर्ष तक आयु सीमा में छूट दी जा सकती है)</p>
7	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ समावेश के लिए निर्धारित शैक्षिक व सेवा योग्यताएँ	<p><b>पदोन्नति:</b> <i>अनिवार्य</i></p> <p><b>शैक्षिक योग्यताएँ :</b> कामर्स या गणित या सांख्यिकी में ग्रेजुएट उपाधि। सूचना तथा संप्रेषण प्रौद्योगिकी में कार्यकारी ज्ञान विशेषतः लेखाकरण साफ्टवेयर</p> <p><b>सेवा अर्हताएँ :</b> नियमित सेवा में कम से कम 8 वर्ष अनुभव के साथ वरिष्ठ सहायक ( वित्त) या समतुल्य से</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति :</b> नियमित तौर पर, अनुरूप पद में रहने वाले व्यक्ति या केन्द्रीय/ राज्य विश्वविद्यालय या स्वायत्त शिक्षा/ अनुसंधान संस्था, केन्द्रीय/ राज्य सरकार या सरकारी उद्यम, पोर्ट ट्रस्ट आदि में वित्त तथा अर्थ अंग में, वेतन बैंड रु.9300—34800, रु.4200 ग्रेड वेतन के साथ, वरिष्ठ सहायक या उसके समतुल्य पद पर कम से कम आठ वर्षों का अनुभव</p> <p><b>समावेश :</b> प्रतिनियुक्त व्यक्ति, जिन्होंने भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय में वरिष्ठ सहायक के पद पर कम से कम 3 वर्ष संतोषजनक कार्य किया है, बशर्ते कि मातृ संस्था से सहमति प्राप्त हो</p> <p>पदोन्नति के लिए जो शैक्षिक योग्यताएँ निर्धारित हैं वही प्रतिनियुक्ति/ समावेश के लिए लागू होगी।</p> <p>अगर पूर्ण रूप से अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी नहीं मिले तो सेवा अर्हता में छूट प्रदान करने का अधिकार कार्यकारिणी समिति के पास सुरक्षित है।</p>
8	भर्ती की तरीका, सीधी भर्ती के द्वारा या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ समावेश द्वारा तथा विभिन्न तरीकों से भर्ती किये जानेवाले रिक्त स्थानों की प्रतिशत	पदोन्नति के जरिये, नहीं तो प्रतिनियुक्ति/ समावेश
9	अगर विभागीय पदोन्नति समिति/चयन समिति उपलब्ध है तो उसकी संरचना	<p>अ. अध्यक्ष के रूप में कुलसचिव</p> <p>आ. कुलपति द्वारा नामित एक परिसर निदेशक</p> <p>इ. कुलपति के दो नामिती</p>
10	टिप्पणी	<p>सेवा निवृत्ति आयु : 60 वर्ष.</p> <p>प्रतिनियुक्ति के लिए, प्रायोजक विभाग/ एजेन्सी से संबंधित अधिकतम आयु, जो 60 वर्ष से अधिक न हो, लागू होगी।</p>

**2015 का अध्यादेश 08***[कार्यकारी समिति संकल्प सं का स 2015-30-23 दि 25-02-2015 के तहत]***वरिष्ठ सहायक पद के लिए भर्ती नियम**

1	पदनाम	वरिष्ठ सहायक
2.	पदों की संख्या	21
3	वर्गीकरण	मंत्रालयीन पद, वर्ग 'सी '
4	वेतनमान	वेतन बैंड रु. 9300-34800 साथ ग्रेड वेतन रु. 4200.
5	प्रवरण पद या गैर प्रवरण पद	गैर-प्रवरण पद
6	आयु सीमा	<b>पदोन्नति :</b> उम्र : नहीं <b>प्रतिनियुक्ति</b> उम्र : 40 वर्ष से अधिक नहीं <b>समावेश :</b> उम्र : 43 वर्ष से अधिक नहीं (उपयुक्त प्रकरणों में, प्रतिनियुक्ति/समावेश के लिए आयु सीमा में कुलपति द्वारा 2 वर्ष तक छूट दी जा सकती है)
7	क्या पदोन्नति प्राप्त करनेवाले/ प्रतिनियुक्ति किये जानेवाले/ समावेश किये जानेवाले के लिए शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव निर्धारित है ?	<b>पदोन्नति :</b> <i>अनिवार्य</i> ग्रेजुएट उपाधि <i>सेवा अर्हता</i> नियमित सेवा में सहायक या समतुल्य में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव रहना है । <i>वांछनीय</i> सूचना व संप्रेषण प्रौद्योगिकी में कार्यकारी ज्ञान । <b>प्रतिनियुक्ति</b> नियमित तौर पर अनुरूप पद रखनेवाले व्यक्ति या केन्द्रीय/ राज्य विश्वविद्यालय या स्वायत्त शिक्षा/ अनुसंधान संस्था, केन्द्रीय/ राज्य सरकार या सरकारी उद्यम, पोर्ट ट्रस्ट आदि में वेतन बैंड रु. 5200-20200, रु.2400 ग्रेड वेतन के साथ सहायक या उसके समतुल्य पद पर कम से कम 5 वर्षों का अनुभव । <b>समावेश</b> प्रतिनियुक्त व्यक्ति, जिन्होंने भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय में वरिष्ठ सहायक के पद पर कम से कम 3 वर्ष संतोषजनक कार्य किया है, वह भी मातृ संस्था से सहमति के तहत । पदोन्नति के लिए जो शैक्षिक योग्यताएँ निर्धारित है वही प्रतिनियुक्ति/ समावेश के लिए लागू होगी । अगर पूर्ण रूप से अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी नहीं मिले तो सेवा अर्हता में छूट प्रदान करने का अधिकार कार्यकारिणी समिति के पास सुरक्षित है ।

8	भर्ती की तरीका, सीधी भर्ती के द्वारा या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/समावेश द्वारा तथा विभिन्न तरीकों से भर्ती किये जानेवाले रिक्त स्थानों की प्रतिशत	पदोन्नति द्वारा, नहीं तो प्रतिनियुक्ति/ समावेश
9	अगर विभागीय पदोन्नति समिति/चयन समिति उपलब्ध है तो उसकी संरचना	(i) अध्यक्ष के रूप में कुलसचिव (ii) कुलपति के दो नामिती
10	टिप्पणी	सेवानिवृत्ति उम्र : 60 वर्ष प्रतिनियुक्ति के लिए, प्रायोजक विभाग/ एजेन्सी से संबंधित अधिकतम आयु, जो 60 वर्ष से अधिक न हो, लागू होगी।

नोट: दिनांक 12 मई 2009 को भारत के राजपत्र संख्या 76 के प्रशासनिक मामलों को निर्धारित करने वाले अध्यादेश के अध्याय 9 में प्रकाशित प्रकाशन क्रम संख्या 20 को निरस्त किया जाता है।

### 2015 का अध्यादेश 09

[कार्यकारी समिति संकल्प सं. का स 2015 - 30-23 दि 25-02-2015 के तहत]

#### वरिष्ठ सहायक (वित्त) पद के लिए भर्ती नियम

1	पदनाम	वरिष्ठ सहायक (वित्त)
2.	पदों की संख्या	6
3	वर्गीकरण	मंत्रालयीन पद, वर्ग 'सी'
4	वेतनमान	वेतन बैंड 9300-34800, ग्रेड वेतन रु. 4200 के साथ
5	प्रवरण पद या गैर प्रवरण पद	गैर प्रवरण पद
6	आयु सीमा	<b>पदोन्नति</b> उम्र : नहीं <b>प्रतिनियुक्ति</b> उम्र : 40 वर्ष से अधिक नहीं । <b>समावेश :</b> उम्र : 43 वर्ष से अधिक नहीं । (उपयुक्त प्रकरणों में, प्रतिनियुक्ति/ समावेश के लिए आयु सीमा में कुलपति द्वारा 2 वर्ष तक छूट दी जा सकती है)
7	क्या पदोन्नति प्राप्त करने वाले/प्रतिनियुक्ति किये जाने वाले/समावेश किये जाने वाले के लिए शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव निर्धारित है ?	<b>पदोन्नति</b> <i>अनिवार्य:-</i> कामर्स या गणित या सांख्यिकी में ग्रेजुएट उपाधि। <i>सेवा अर्हता</i> सहायक (वित्त) या समतुल्य में से, कम से कम 5 वर्ष की नियमित सेवा । <b>वांछनीय</b> सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी का कार्यकारी ज्ञान अधिमान्यतः लेखाकरण साफटवेयर में ।

		<p><b>प्रतिनियुक्ति</b></p> <p>नियमित तौर पर अनुरूप पद रखने वाले व्यक्ति या केन्द्रीय/राज्य विश्वविद्यालय या स्वायत्त शिक्षा/अनुसंधान संस्था, केन्द्रीय/राज्य सरकार या सरकारी उद्यम, पोर्ट ट्रस्ट आदि में वित्त तथा अर्थ में वेतन बैंड रु. 5200-20200 रु. 2400 ग्रेड वेतन के साथ सहायक या उसके समतुल्य पद पर 5 वर्षों का अनुभव।</p> <p><b>समावेश</b></p> <p>प्रतिनियुक्ति किये गये व्यक्ति, जिन्होंने भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय में वरिष्ठ सहायक (वित्त) के रूप कम से कम 3 वर्ष अवधि का संतोषजनक कार्य किया है, वह भी मातृ संस्था से सहमति के तहत।</p> <p>पदोन्नति के लिए जो शैक्षिक योग्यताएँ निर्धारित हैं वही प्रतिनियुक्ति/समावेश के लिए लागू होगी।</p> <p>पदोन्नति के प्रकरण में दी गई शैक्षित योग्यता ही लागू होगी।</p> <p>अगर पूर्ण रूप से अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी नहीं मिले तो सेवा अर्हता में छूट प्रदान करने का अधिकार कार्यकारिणी समिति के पास सुरक्षित है।</p>
8	भर्ती का तरीका, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/समावेश द्वारा तथा विभिन्न तरीकों से भर्ती किये जाने वाले रिक्त स्थानों की प्रतिशत	पदोन्नति द्वारा, नहीं तो प्रतिनियुक्ति/समावेश के द्वारा
9	अगर विभागीय पदोन्नति समिति/चयन समिति उपलब्ध है तो उसकी संरचना	(i) अध्यक्ष के रूप में कुलसचिव (ii) कुलपति के दो नामिती
10	टिप्पणी	सेवा निवृत्ति उम्र : 60 वर्ष प्रतिनियुक्ति के लिए, अधिकतम 60 वर्ष के तहत, प्रायोजक विभाग/एजेन्सी संबंधित उम्र लागू होगी।

### 2015 का अध्यादेश 10

[कार्यकारी समिति संकल्प सं का स 2015 - 30-24 दि 25-02-2015 के तहत]

#### निजी सचिव पद के लिए भर्ती नियम

1	पदनाम	निजी सचिव
2.	पदों की संख्या	6
3.	वर्गीकरण	सचिवालय पद, वर्ग 'बी'
4.	वेतनमान	वेतन बैंड रु.9300-34800 ग्रेड वेतन रु.4800 के साथ
5.	प्रवरण पद या गैर प्रवरण पद	प्रवरण पद
6.	आयु सीमा	<b>पदोन्नति:</b> आयु : नहीं <b>प्रतिनियुक्ति</b> आयु : 45 वर्ष से अधिक नहीं।

		<p><b>समावेश :</b> आयु : 48 वर्ष से अधिक नहीं (उपयुक्त प्रकरणों में कुलपति द्वारा 2 वर्ष तक छूट दी जा सकती है)</p>
7.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	<p><b>पदोन्नति :</b> <i>अनिवार्य</i> <i>शैक्षिक व तकनीकी योग्यताएँ</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ग्रेजुएट उपाधि ।</li> <li>2. अंग्रेजी में आशुलिपि उच्च/सीनियर ग्रेड (120 शब्द प्रति मिनट) ।</li> <li>3. अंग्रेजी में टंकण उच्च/सीनियर ग्रेड (45 शब्द प्रति मिनट) ।</li> <li>4. सूचना व संप्रेषण प्रौद्योगिकी में दक्षता ।</li> </ol> <p><i>सेवा योग्यताएँ :</i> नियमित सेवा में कम से कम 8 वर्ष के साथ निजी सहायक या समतुल्य से । <i>वांछनीय :</i> हिन्दी टंकण</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति</b> नियमित तौर पर अनुरूप पद वहन करने वाले व्यक्ति या केन्द्रीय/राज्य विश्वविद्यालय या स्वायत्त शिक्षा/अनुसंधान संस्था, केन्द्रीय/राज्य सरकार या सरकारी उद्यम, पोर्ट ट्रस्ट आदि में वेतन बैंड रु. 9300—34800, रु. 4200 ग्रेड वेतन के साथ निजी सहायक या उसके समतुल्य पद पर 8 वर्षों का अनुभव ।</p> <p><b>समावेश :</b> प्रतिनियुक्ति किये गये व्यक्ति, जिन्होंने भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय में सहायक के रूप में कम से कम 3 वर्ष की अवधि का संतोषजनक कार्य किया है बशर्ते कि मातृ संस्था से स्वीकृति प्राप्त हो। पदोन्नति के लिए जो शैक्षिक योग्यताएँ निर्धारित है वही प्रतिनियुक्ति/समावेश के लिए लागू होगी। अगर भर्ती हेतु पूर्ण रूप से अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी नहीं मिले तो सेवा अर्हता में छूट प्रदान करने का अधिकार कार्यकारिणी समिति के पास सुरक्षित है।</p>
8	भर्ती की तरीका, सीधी भर्ती के द्वारा या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/समावेश द्वारा तथा विभिन्न तरीकों से भर्ती किये जाने वाले रिक्त स्थानों की प्रतिशत	पदोन्नति द्वारा, नहीं तो प्रतिनियुक्ति/समावेश के जरिये ।
9	अगर विभागीय पदोन्नति समिति/चयन समिति उपलब्ध हो तो उसकी संरचना	(i) अध्यक्ष के रूप में कुलसचिव (ii) कुलपति द्वारा नामित एक परिसर निदेशक । (iii) कुलपति के दो नामिती ।
10.	टिप्पणी	सेवानिवृत्ति आयु : 60 वर्ष प्रतिनियुक्ति के लिए, प्रायोजक विभाग/एजेन्सी से संबंधित आयु लागू होगी ।

नोट: दिनांक 12 मई, 2009 को भारत के राजपत्र संख्या 76 के [प्रशासनिक मामलों को निर्धारित करने वाले अध्यादेश] के अध्याय 9 में प्रकाशित प्रकाशन क्रम संख्या 19 को निरस्त किया जाता है।



**2015 का अध्यादेश 11**

[कार्यकारी समिति संकल्प सं का स-2015-30-24 दि 25-02-2015 के तहत]

**निजी सहायक पद के लिए भर्ती नियम**

1.	पदनाम	निजी सहायक
2.	पदों की संख्या	8
3.	वर्गीकरण	सचिवालयीन पद, वर्ग 'सी'
4.	वेतनमान	वेतन बैंड रु. 9300-34800, ग्रेड वेतन रु. 4200 के साथ ।
5.	प्रवरण पद या गैर प्रवरण पद	प्रवरण पद
6.	आयु सीमा	<p><b>पदोन्नति :</b> उम्र: नहीं</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति :</b> उम्र : 40 वर्ष से अधिक नहीं ।</p> <p><b>समावेश :</b> उम्र : 43 वर्ष से अधिक नहीं ।</p> <p>(उपयुक्त प्रकरणों में कुलपति द्वारा 2 वर्ष तक छूट दी जा सकती है)</p>
7.	क्या पदोन्नति पाने वाले/प्रतिनियुक्ति/समावेश के लिए शैक्षिक योग्यताएँ व अनुभव निर्धारित है ?	<p><b>पदोन्नति</b></p> <p><i>अनिवार्य:</i></p> <p><i>शैक्षिक तथा तकनीकी योग्यताएँ:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ग्रेजुएट उपाधि ।</li> <li>अंग्रेजी आशुलिपि उच्च/सीनियर ग्रेड (120 शब्द प्रति मिनट) ।</li> <li>अंग्रेजी टंकण उच्च/सीनियर ग्रेड (45 शब्द प्रति मिनट) ।</li> <li>सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी में दक्षता ।</li> </ol> <p><i>सेवा अर्हता :</i> नियमित सेवा कम से कम 5 वर्ष के साथ आशुलिपिक/टंकक या समतुल्य से ।</p> <p><i>वांछनीय :</i> हिन्दी में टंकण ।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति :</b> नियमित तौर पर अनुरूप पद वहन करने वाले व्यक्ति या किसी केन्द्रीय/राज्य विश्वविद्यालय या स्वायत्त शैक्षिक/अनुसंधान संस्था, केन्द्रीय/राज्य सरकार या सरकारी उद्यम, पोर्ट ट्रस्ट आदि में वेतन बैंड रु. 5200-20200, ग्रेड वेतन रु. 2400 के साथ आशुलिपिक या समतुल्य पद पर कम से कम 5 वर्ष का अनुभव ।</p> <p><b>समावेश :</b> प्रतिनियुक्ति किये गये व्यक्ति जिन्होंने भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय में निजी सहायक के रूप में कम से कम 3 वर्ष की अवधि तक संतोषजनक कार्य किया है बशर्ते कि अपनी मातृ संस्थान से सहमति प्राप्त हो ।</p> <p>पदोन्नति के प्रकरण में जो शैक्षिक तथा तकनीकी अर्हता निर्धारित है वही प्रतिनियुक्ति/समावेश के लिए लागू होगी ।</p>

		अगर पूर्ण रूप से अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी नहीं मिले तो सेवा अर्हता में छूट प्रदान करने का अधिकार कार्यकारिणी समिति के पास सुरक्षित है।
8	भर्ती का तरीका, सीधी भर्ती के द्वारा या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण/समावेश द्वारा तथा विभिन्न तरीकों से भर्ती किये जाने वाले रिक्त स्थानों का प्रतिशत	पदोन्नति द्वारा, नहीं तो प्रतिनियुक्ति/समावेश के जरिये
9	अगर विभागीय पदोन्नति समिति/चयन समिति उपलब्ध हो तो उसकी संरचना	(i) अध्यक्ष के रूप में कुलसचिव। (ii) कुलपति के दो नामिती।
10.	टिप्पणी	सेवानिवृत्ति आयु : 60 वर्ष। प्रतिनियुक्ति के लिए, प्रायोजक विभाग/एजेन्सी से संबंधित आयु लागू होगी।

नोट: दिनांक 12 मई, 2009 को भारत के राजपत्र संख्या 76 के [प्रशासनिक मामलों को निर्धारित करने वाले अध्यादेश] के अध्याय 9 में प्रकाशित प्रकाशन क्रम संख्या 22 को निरस्त किया जाता है।

## 2015 का अध्यादेश 12

[कार्यकारी समिति संकल्प सं का स 2015-30-33 दि 25-02-2015 के तहत]

भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय मुख्यालय तथा परिसरों में परिसर निदेशक, अधिकारी तथा गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए निष्पादन मूल्यांकन का तरीका

1. भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय में नियमित तौर पर नियुक्त अधिकारी तथा गैर-शिक्षण कर्मचारी के लिए निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली (पीएएस) कार्य उत्पादन, व्यक्तिगत विशेषताओं का मूल्यांकन और कार्यकारी क्षमता का मूल्यांकन जैसे तीन भागों का होगा। परिसर निदेशकों के लिए चतुर्थ भाग, शैक्षिक अंशदान होगा।

2. कुल अंकों को निम्न तौर पर 10 पाइन्ट स्केल पर 'स्कोर' में कम करना है:

9 से 10	-	श्रेष्ठ
8 से <9	-	बहुत अच्छा
6 से <8	-	अच्छा
4 से <6	-	मध्यम
4 से कम	-	खराब

3. प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन (पीएआर) लिखा जाएगा जैसे आगामी वर्ष में, जैसे 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। वित्तीय वर्ष के दौरान, जहाँ एक से अधिक पीएआर लिखा जाएगा, ऐसे लिखे गये प्रतिवेदन में उससे संबंधित अवधि का संकेत दिया जाएगा।

अगर आच्छादित अवधि 3 महीने से कम होगी तो कोई निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन (पीएआर) लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बदले फाइल में इससे संबंधित प्रमाण पत्र रखना है।

4. 'प्रतिवेदक प्राधिकारी' द्वारा निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन (पीएआर) लिखा जाएगा और उसे 'पुनरीक्षण प्राधिकारी' द्वारा उसका पुनरीक्षण किया जाएगा। विभिन्न अधिकारी, परिसर निदेशक तथा गैर-शिक्षण कर्मचारी के लिए प्रतिवेदक प्राधिकारी तथा पुनरीक्षण प्राधिकारी निम्न होंगे:

भारतीय समुद्री विष्वविद्यालय मुख्यालय			
क्रम सं	पदों का वर्गीकरण	प्रतिवेदक अधिकारी	पुनरीक्षण अधिकारी
1.	वर्ग 'सी' अधिकारी	संबंधित सहायक कुलसचिव	कुलसचिव
2.	वर्ग 'बी' अधिकारी	संबंधित उप कुलसचिव	कुलसचिव
3.	निजी कर्मचारी - निजी सचिव/ निजी सहायक/ आशुलिपिक/ चालक आदि	संबंधित अधिकारी	
4.	वर्ग 'ए' अधिकारी		
	(i) सहायक कुलसचिव	कुलसचिव	कुलपति
	(ii) उप कुलसचिव	कुलसचिव	कुलपति
	(iii) कुलसचिव, वित्त अधिकारी, परीक्षा नियंत्रक, पुस्तकालयाध्यक्ष	कुलसचिव	
भारतीय समुद्री विष्वविद्यालय परिसर			
क्रम सं	पदों का वर्गीकरण	प्रतिवेदक प्राधिकारी	पुनरीक्षण प्राधिकारी
1.	वर्ग 'सी' अधिकारी	उप कुलसचिव [या उसकी अनुपस्थिति में सहायक कुलसचिव (प्रशासन)]	परिसर निदेशक
2.	वर्ग 'बी' अधिकारी	उप कुलसचिव [या उसकी अनुपस्थिति में सहायक कुलसचिव (प्रशासन)]	परिसर निदेशक
3.	निजी कर्मचारी - निजी सचिव/ निजी सहायक/ आशुलिपिक/ चालक आदि	संबंधित अधिकारी	
4.	वर्ग 'ए' अधिकारी		
	(i) सहायक कुलसचिव	परिसर निदेशक	कुलपति
	(ii) उप कुलसचिव	परिसर निदेशक	कुलपति
5.	परिसर निदेशक	कुलपति	

प्रतिवेदक प्राधिकारी के रूप में अपने मूल्यांकन को दर्ज करने के पूर्व, मुख्यालय से संबंधित कुलसचिव, परिसर से संबंधित परिसर निदेशक, संबंधित उप कुलसचिव से सहायक कुलसचिव के निष्पादन पर टिप्पणी की माँग कर सकते हैं और यह टिप्पणी अभिलेख का भाग बनेगा।

5. निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन (पीएआर) का प्रारूप, समय-समय पर कार्यकारिणी समिति द्वारा निर्धारित होगा। अधिकारी (वर्ग ए और वर्ग बी), परिसर निदेशक तथा वर्ग सी गैर-शिक्षण कर्मचारी के लिए अलग पीएआर प्रारूप होगा। जैसे आवश्यकता पड़े, इस

प्रारूप में संशोधन करने के लिए कुलपति प्राधिकृत है (विभिन्न निष्पादन संकतों के लिए वेइटेज को बदले बिना) तथा कार्यकारिणी समिति से आवश्यक अनुसमर्थन प्राप्त करना है।

6. वर्ग ए और वर्ग बी तथा परिसर निदेशक जिन पर प्रतिवेदित किया जा रहा है को प्रतिवेदित अवधि की समाप्ति के 2 महीने के अन्दर (जैसे 31 मई के पूर्व) प्रतिवेदक प्राधिकारी को पीएआर प्रारूप में संबंधित पंक्ति में स्व-मूल्यांकन प्रतिवेदन पेश करना पड़ेगा। (वर्ग 'सी' गैर-शिक्षण वर्ग एक अलग कागज पर लिख सकता है और उसे पीएआर प्रारूप के साथ संलग्न कर सकता है)। अगर निर्धारित समयावधि के अधीन एक अधिकारी स्व मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने से चूकता है तो फिर स्व-मूल्यांकन प्रतिवेदन के बिना अपने अंक दर्ज करने की स्वतंत्रता प्रतिवेदक प्राधिकारी तथा पुनरीक्षण प्राधिकारी को रहेगा।

7. सामान्यतः प्रारूप की प्राप्ति की तारीख से 2 महीने के अन्दर, पीएआर प्रारूप के संबंधित पंक्ति में, प्रत्येक निष्पादन संकेतक के लिए अंक तथा 10 पाइन्ट स्केल पर स्कोर, प्रतिवेदक प्राधिकारी तथा पुनरीक्षण प्राधिकारी दर्ज करेगा। जब एक प्रतिवेदक प्राधिकारी/ पुनरीक्षण प्राधिकारी सेवानिवृत्त होंगे, तब सेवानिवृत्ति की एक महीने के अन्दर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा।

8. पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा प्रदान किये जाने वाले 10 पाइन्ट स्केल पर संपूर्ण स्कोर अंतिम होगा।

9. 10 पाइन्ट स्केल पर संपूर्ण स्कोर के अलावा, प्रतिवेदक प्राधिकारी तथा पुनरीक्षण प्राधिकारी, अधिकारी के निष्पादन के बारे में 200 शब्दों के अन्दर लघु विवरणात्मक प्रतिवेदन दर्ज करेंगे।

10. पीएआर को दण्डात्मक लक्ष्य नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे अधिकारी को पूर्ण संभाव्यता उपलब्धि हेतु तथा उचित परिणाम प्राप्त करने हेतु मार्गदर्शक होना है।

11. उचित पावती के अधीन अवलोकन के लिए अधिकारी को पीएआर की छाया प्रति प्रदान की जाएगी।

12. कोई भी अधिकारी जिन्हें 10 पाइन्ट स्केल के 4 से कम स्कोर प्रदान किया गया है वह पीएआर की प्रति संप्रेषण की तारीख से 2 महीने के अन्दर पुनरीक्षण प्राधिकारी को लिखित प्रतिनिधित्व प्रस्तुत कर सकता है। व्यथित अधिकारी के प्रतिनिधित्व पर, पुनरीक्षण अधिकारी द्वारा प्रतिवेदक प्राधिकारी से टिप्पणी प्राप्त किया जाएगा और 3 महीने के अन्दर स्कोर में संशोधन के संबंध में यथोचित आदेश पारित करेगा।

13. अगर प्रतिवेदक प्राधिकारी तथा पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा लिखित लघु विवरणात्मक बयान में कोई टिप्पणी अधिकारी के विरुद्ध है तो वह पीएआर की प्रति संप्रेषण की तारीख से 2 महीने के अन्दर, पुनरीक्षण प्राधिकारी को एक लिखित निवेदन समर्पित कर सकता है। व्यथित अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिनिधित्व पर प्रतिवेदक अधिकारी की टिप्पणी पुनरीक्षण अधिकारी द्वारा प्राप्त की जाएगी और यथोचित आदेश 3 महीनों के अन्दर पारित किया जाएगा। जब प्रतिवेदक प्राधिकारी द्वारा कोई विपरीत टिप्पणी नहीं लिखा गया है परन्तु पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा विपरीत प्रतिवेदन लिखा जाए तो इसे यथोचित माना जाएगा। जहाँ प्रतिवेदक प्राधिकारी द्वारा विपरीत टिप्पणी लिखा जाए पर उसे पुनरीक्षण अधिकारी द्वारा अस्वीकार किया जाता है, उस समय यह माना जाएगा कि अधिकारी के विरुद्ध कोई विपरीत टिप्पणी नहीं है।

**भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय के वर्ग ए और वर्ग बी अधिकारियों के लिए 1 अप्रैल ..... से 31 मार्च ..... तक की निष्पादन**

**मूल्यांकन प्रतिवेदन का प्रारूप**

**भाग I : सामान्य विवरण**

1. अ. प्रतिवेदित अधिकारी का नाम  
आ. पदनाम
2. परिसर/ मुख्यालय:
3. वर्तमान पद पर भर्ती की तारीख
4. प्रतिवेदक अधिकारी के अधीन कार्य की अवधि  
(..... से ..... तक)
5. प्रतिवेदित अवधि के दौरान भाग लिये गये प्रशिक्षण, लिये गये छुट्टियों का विवरण

(i) छुट्टी -

(ii) प्रशिक्षण:-

6. क्या भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय के आचरण नियमों के अनुसार संपत्ति रिटर्न दर्ज किया गया:

**भाग II – स्व मूल्यांकन**

1. कर्तव्यों की लघु व्याख्या:

(आपसे निर्वाहन किये जाने वाले पद का उद्देश्य तथा आपसे निष्पादित किये जाने वाले आवश्यक कार्य, लगभग 100 शब्दों में)

--

2. वार्षिक कार्य योजना और उपलब्धि

निष्पादन किये जाने योग्य कार्य	प्रदेय	उपलब्धि

*टिप्पणी* : अगर आवश्यक विचार किया जाय, तो उपरोक्त प्रारूप में अलग कागज में विवरण पेश करके उसे पीएआर के साथ संलग्न कर सकते हैं।

3. क्या आप विश्वास करते हैं प्रतिवेदित अवधि के दौरान, आपने कुछ विशिष्ट अंशदान प्रदान किया, उदा : मुख्य प्रणालीकृत विकास के लिए असाधारण चुनौतिपूर्ण कार्य को सफलतापूर्वक समाप्त करना (जिसके परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय/ विद्यार्थियों के लिए विशिष्ट लाभ हो तथा समय व लागत में बचाव हो)? अगर हाँ तो शाब्दिक व्याख्या (100 शब्दों में) प्रदान करें।

--

4. आपके निष्पादन पर बाधा डालने वाले कारक कौन से हैं?

--

**भाग III – मूल्यांकन**

1. भौतिक क्षमता :
2. 'कार्य उत्पादन' का मूल्यांकन (इस मूल्यांकन में अधिकारी को, सामान्य आबादी में नहीं बल्कि समकक्ष व्यक्ति के तुलना में रेट करना है और 1-10 तक स्केल में ग्रेड, पूर्ण अंकों में प्रविष्ट करना है जिसमें 1 निम्न ग्रेड को संदर्भित करता है और 10 श्रेष्ठ ग्रेड को संदर्भित करता है। इस भाग के लिए वेइटेज 40 प्रतिशत होगी।

विवरण	प्रतिवेदक प्राधिकारी	पुनरीक्षण प्राधिकारी
(i) योजनाकृत कार्यों की उपलब्धि		
(ii) उत्पादन की गुणता		
(iii) असाधारण कार्यों की उपलब्धि/ निष्पादित अनपेक्षित कार्य		
'कार्य उत्पादन' पर संपूर्ण ग्रेडिंग [औसतम मूल्य (i) से (iii)]		

3. 'व्यक्तिगत विशेषताओं' का मूल्यांकन : (इस अनुभाग के लिए वेइटेज 30 प्रतिशत होगा)

विवरण	प्रतिवेदक प्राधिकारी	पुनरीक्षण प्राधिकारी
(i) कार्य की ओर मनोभाव		
(ii) जिम्मेदारी की भाव		
(iii) अनुशासन का रखरखाव		
(iv) भावात्मक क्षमता		
(v) संप्रेषण क्षमताएँ		
(vi) व्यावसायिक निर्णय लेने संबंधित नैतिक धैर्य और इच्छा		
(vii) नेतृत्व गुणवत्ता		
(viii) समय सीमा में कार्य करने संबंधित क्षमता		
व्यक्तिगत विशेषताओं पर संपूर्ण ग्रेडिंग [औसतम मूल्य (i) से (viii)]		

4. कार्यकारी क्षमता का मूल्यांकन (1 – 10 की स्केल में। इस प्रभाग की वेइटेज 30 प्रतिशत होगी)

विवरण	प्रतिवेदक प्राधिकारी	पुनरीक्षण प्राधिकारी
(i) कानून/ नियम/ सूचना प्रौद्योगिकी क्षमता संबंधित ज्ञान और संबंधित क्षेत्र में क्षेत्रीय नियमों की जागरूकता		
(ii) रणनीतिक योजनाकरण क्षमता		
(iii) निर्णय लेने की क्षमता		
(iv) पहलु		
(v) समन्वयन क्षमता		
(vi) अधीनस्थों को उत्प्रेरित करने/ वर्ग में कार्य करने की क्षमता		
'कार्यकारी दक्षता' पर संपूर्ण ग्रेडिंग [(i) से (vi) का औसत मूल्य]		

5. संपूर्ण ग्रेडिंग 10 में से:

[उपरोक्त 2, 3 तथा 4 के अधीन ग्रेडिंग का वेइटेड औसतम]

6. अखंडता (उचित बाक्स में टिक लगाये)

शक के बिना		
जैसे कि अधिकारी की अखंडता पर शक है, गुप्त टिप्पणी साथ संलग्न है।		
पर्याप्त समय तक अधिकारी के कार्यों पर निगरानी नहीं किया जिस कारण से निश्चित निर्णय ले नहीं पा रहा हूँ पर अधिकारी के बारे में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रतिवेदन करने के लिए नहीं है।		

7. प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा लिखित चित्र (200 शब्दों से अधिक नहीं )

प्रतिवेदक प्राधिकारी का हस्ताक्षर

ब्लाक अक्षरों में नाम:

पदनाम

तारीख :

### पुनरीक्षण प्राधिकारी की टिप्पणी

8. पुनरीक्षण प्राधिकारी के अधीन सेवा अवधि :

9. अखंडता (उचित बाक्स में टिक लगाये)

शक के बिना		
जैसे कि अधिकारी की अखंडता पर शक है, गुप्त टिप्पणी साथ संलग्न है।		
पर्याप्त समय तक अधिकारी के कार्यों पर निगरानी नहीं किया जिस कारण से निश्चित निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ पर अधिकारी के बारे में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रतिवेदन करने के लिए नहीं है।		

10. स्पष्ट करें कि प्रतिवेदक प्राधिकारी की टिप्पणियों से पुनरीक्षण प्राधिकारी पूर्ण रूप से सहमत है या नहीं : अगर प्रतिवेदक प्राधिकारी के टिप्पणियों पर, कुछ संशोधन किया जाता है तो उसके लिए कारण का भी संकेत दिया जाए।

11. प्रतिवेदक प्राधिकारी द्वारा लिखित चित्र पर टिप्पणी, अगर कुछ हो





टिप्पणी : अगर अनिवार्य समझा जाए, तो उपरोक्त प्रारूप में अलग कागज में विवरण को प्रदान किया जा सकता है और पीएआर के साथ अनुलग्न किया जा सकता है।

3. प्रतिवेदित अवधि के दौरान, क्या आप विश्वास करते हैं कि आपने कुछ विशिष्ट अंशदान प्रदान किया, उदा : मुख्य प्रणालीकृत विकास के लिए असाधारण चुनौतिपूर्ण कार्य की सफलतापूर्वक समाप्ति (जिसके परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय/ विद्यार्थियों के लिए विशिष्ट लाभ हो तथा समय व लागत में कमी हो) अगर हाँ तो शाब्दिक व्याख्या (100 शब्दों से कम) प्रदान करें।

--

4. आपके निष्पादन पर बाधा डालने वाले कारक कौन से हैं?

--

5. शैक्षिक अंशदान

(अ) पुस्तकें और लेख

क्रम सं	पृष्ठ संख्या के साथ पुस्तक का शीर्षक	सह-लेखकों की संख्या	क्या आप ही मूल लेखक हैं?

(आ) अपनाये गये अनुसंधान परियोजनाएँ

क्रम सं	क्या अनुसंधान परियोजना है या परामर्शदाता	अनुसंधान परियोजना का शीर्षक/विषय	शुरुआत की तारीख	पूर्ण होने की संभाव्य तिथि	प्राप्त कुल अनुदान/ निधियाँ (रु.)	प्रायोजक/ निधि प्रदान करनेवाले एजेन्सी का नाम	क्या प्रायोजक एजेन्सी को परिणाम/ उत्पादन भेजा गया

(इ) क्षेत्रीय/राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशनों में प्रस्तुत प्रपत्र -

क्र सं.	प्रस्तुत प्रपत्र का शीर्षक/विषय	अधिवेशन/ सेमिनार/ सम्पोजियम/ कार्यशाला/ रेफर और ओरियन्टेशन पाठ्यक्रम आदि का विषय	क्या अंतर्राष्ट्रीय/ राष्ट्रीय/ क्षेत्रीय/ विश्वविद्यालय स्तर का है	प्रायोजक (विश्वविद्यालय/ संस्था का नाम)	आयोजित जगह	क्या कार्यवृत्तों को प्रकाशित किया गया हाँ/ नहीं


(ई) किसी अन्य परिचय, विशिष्ट अंशदान, परामर्शदाता, पुरस्कार प्राप्त आदि जिन्हें पूर्व में बताया नहीं गया है।

क्रम सं	विवरण ( वर्ष, मूल्य आदि, जहाँ उपयुक्त हो उल्लिखित करें)

### भाग III : मूल्यांकन

1. भौतिक क्षमता :

2. 'कार्य उत्पादन' का मूल्यांकन (इस मूल्यांकन में सामान्य आबादी में नहीं बल्कि अधिकारी को समकक्ष व्यक्ति के तुलना में रेट करना है। 1-10 तक स्केल में ग्रेड, पूर्ण अंकों में प्रविष्ट करना है जिसमें 1 निम्न ग्रेड को संदर्भित करता है और 10 श्रेष्ठ ग्रेड को संदर्भित करता है। इस प्रभाग के लिए वेइटेज 40 प्रतिशत रहेगा) :

विवरण	प्रतिवेदक प्राधिकारी	पुनरीक्षण प्राधिकारी
(i) योजनाकृत कार्यों की उपलब्धि		
(ii) उत्पादन की गुणवत्ता		
(iii) असाधारण कार्यों की उपलब्धि/ निष्पादित अनपेक्षित कार्य		
'कार्य उत्पादन' पर संपूर्ण ग्रेडिंग [औसतम मूल्य (i) से (iii)]		

3. 'व्यक्तिगत विशेषताओं' का मूल्यांकन : (इस अनुभाग के लिए वेइटेज 20 प्रतिशत रहेगा)

विवरण	प्रतिवेदक प्राधिकारी	पुनरीक्षण प्राधिकारी
(i) कार्य की ओर मनोभाव		
(ii) जिम्मेदारी की भावना		
(iii) अनुशासन का रखरखाव		
(iv) भावात्मक क्षमता		
(v) संप्रेषण क्षमताएँ		
(vi) व्यावसायिक निर्णय लेने की इच्छा तथा नैतिक ताकत		
(vii) नेतृत्व के गुण		
(viii) समय सीमा में कार्य करने की क्षमता		
व्यक्तिगत विशेषताओं का संपूर्ण ग्रेडिंग [औसत मूल्य (i) से (viii)]		

4. कार्यकारी दक्षता का मूल्यांकन (1 - 10 की स्केल में। इस अनुभाग की वेइटेज 20 प्रतिशत होगी)

विवरण	प्रतिवेदक प्राधिकारी	पुनरीक्षण प्राधिकारी
(i) कानून/नियम/सूचना प्रौद्योगिकी क्षमता संबंधित ज्ञान और संबंधित क्षेत्र में क्षेत्रीय नियमों की जागरूकता		
(ii) रणनीतिक योजनाकरण क्षमता		
(iii) निर्णय लेने की क्षमता		
(iv) पहलु		
(v) समन्वय की क्षमता		
(vi) अधीनस्थों को उत्प्रेरित करने व विकसित करने/वर्ग में कार्य करने की क्षमता		
'कार्यकारी दक्षता' पर संपूर्ण ग्रेडिंग [(i) से (vi) का औसत मूल्य]		

5. परिसर निदेशक द्वारा प्रदान किये गये शैक्षिक अंशदान (इस अनुभाग के लिए वेइटेज 20 प्रतिशत होगी)
6. 10 में से संपूर्ण ग्रेडिंग:  
[उपरोक्त 2,3,4 और 5 के अधीन ग्रेडिंग का औसत]
7. अखंडता (उचित बॉक्स पर टिक चिन्ह लगायें)

शक के बिना		
जैसे कि अधिकारी की अखंडता पर शक है, गुप्त टिप्पणी साथ संलग्न है।		
पर्याप्त समय के लिए अधिकारी के कार्यों पर निगरानी नहीं किया जिस कारण से निश्चित निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ परंतु अधिकारी के बारे में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रतिवेदन करने के लिए नहीं है।		

8. प्रतिवेदक प्राधिकारी द्वारा लिखित चित्र (200 शब्दों से अधिक न रहना है)

प्रतिवेदक अधिकारी का हस्ताक्षर :  
 ब्लाक अक्षरों में नाम :  
 पदनाम :  
 तारीख :

पुनरीक्षण प्राधिकारी की टिप्पणी

9. पुनरीक्षण प्राधिकारी के अधीन सेवा की अवधि :  
 10. अखंडता (उपयुक्त बॉक्स पर 'टिक' लगाये)

शक के बिना		
जैसे कि अधिकारी की अखंडता शकपूर्ण है, गुप्त टिप्पणी साथ संलग्न है।		
पर्याप्त समय के लिए अधिकारी के कार्यों पर निगरानी नहीं किया जिस कारण से निश्चित निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ परंतु अधिकारी के बारे में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रतिवेदन करने के लिए नहीं है।		

11. स्पष्ट करें कि प्रतिवेदक प्राधिकारी की टिप्पणियों से पुनरीक्षण करने वाले प्राधिकारी पूर्ण रूप से सहमत है या नहीं : अगर प्रतिवेदक प्राधिकारी के टिप्पणियों पर, उनसे कुछ संशोधन किया जाता है तो ऐसे संशोधन के लिए कारण का भी संकेत दें।

12. प्रतिवेदक प्राधिकारी द्वारा लिखित चित्र पर टिप्पणी अगर कुछ हो :

13. 1 से 10 तक संपूर्ण श्रेणीकरण:

पुनरीक्षण प्राधिकारी का हस्ताक्षर :  
 ब्लाक अक्षरों में नाम :  
 पदनाम :  
 तारीख :

वर्ग 'सी' कर्मचारी के लिए निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन

1. नाम :
2. पदनाम :
3. प्रतिवेदक प्राधिकारी के अधीन सेवा की अवधि :  
 ----- से -----
4. प्रतिवेदित अवधि में छुट्टी और प्रशिक्षण प्राप्ति का विवरण :  
 (i) छुट्टी :  
 (ii) प्रशिक्षण :
5. कार्य करनेवाले खंड (प्रशासन/परीक्षा तथा शैक्षिक/वित्त व लेखा/स्टोर्स/इंजीनियरिंग) :
6. निर्दिष्ट कर्तव्यों की प्रकृति :
7. जन्म की तारीख :
8. शैक्षिक व तकनीकी योग्यता :
9. सेवा निवृत्ति की तारीख :

10. क्या सक्षम प्राधिकारी को संपत्ति रिटर्न समर्पित किया गया :
11. भर्ती का तरीका :
12. प्रथम भर्ती की तारीख :
13. वेतनमान और वर्तमान वेतन :
14. निश्चित लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियाँ (कृपया विवरण प्रस्तुत करें) :
15. भौतिक क्षमता :
16. कार्य की और मनोभाव :
17. उत्पादन की गुणवत्ता :
18. नियम, विनियम तथा प्रक्रियाओं के बारे में ज्ञान :
19. अखंडता (अधिकारी की अखंडता पर टिप्पणी लिखें):
20. प्रतिवेदक प्राधिकारी द्वारा पेन चित्र (कृपया उसकी ताकतवर क्षेत्र तथा कम ताकतवर क्षेत्र सम्मिलित करके अधिकारी की संपूर्ण गुणों पर टिप्पणी लिखें)
21. संपूर्ण रेटिंग (उत्कृष्ट/ बहुत अच्छा/ अच्छा/ संतुष्टजनक/असंतोषजनक – आपके उपयुक्त रेटिंग लिखें )
- प्रतिवेदक अधिकारी का हस्ताक्षर :
- ब्लाक अक्षरों में नाम :
- पदनाम :
- तारीख :

### पुनरीक्षण प्राधिकारी की टिप्पणी

22. पुनरीक्षण प्राधिकारी के अधीन सेवा की अवधि :
23. स्पष्ट करें कि प्रतिवेदक प्राधिकारी की टिप्पणियों से पुनरीक्षण करने वाले प्राधिकारी पूर्ण रूप से सहमत हैं या नहीं : अगर प्रतिवेदक प्राधिकरण के टिप्पणियों पर, उनसे कुछ संशोधन किया जाता है तो उस संशोधन के लिए कारण का भी संकेत दें:
24. अखंडता (प्रतिवेदित अधिकारी की अखंडता पर टिप्पणी लिखें):
25. टिप्पणी अगर कुछ हो तो प्रतिवेदक प्राधिकारी द्वारा लिखित चित्रों से लिखा जाएगा:
- पुनरीक्षण अधिकारी का हस्ताक्षर :
- ब्लाक अक्षरों में नाम :
- पद :
- तारीख :

[कार्यकारी समिति संकल्प सं.का स. 2015 – 30–35 दि. 25-02-2015 के तहत]

### वित्त अधिकारी पद के लिए भर्ती नियम

1.	पदनाम	वित्त अधिकारी
2.	पदों की संख्या	1
3.	वर्गीकरण	वर्ग ए
4.	वेतनमान	वेतन बैंड रु.37400-67000, जीपी रु.10000 के साथ
5.	प्रवरण पद या गैर-प्रवरण पद	प्रतिनियुक्ति / सीधी भर्ती / पदोन्नति
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	आयु: 55 वर्ष से अधिक नहीं (योग्य प्रकरणों में 2 वर्ष तक कुलपति द्वारा छूट प्रदान की जा सकती है)
7.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	<p><b>वर्ग 1:</b></p> <p><b>अनिवार्य:</b></p> <p>(i) सीए/आईसीडब्ल्यूए के साथ ग्रेजुएट उपाधि या कामर्स में पोस्ट ग्रेजुएट उपाधि में कम से कम 55 प्रतिशत या उसके समतुल्य ग्रेड। [टिप्पणी : अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/शारीरिक विकलांग वर्गों के अभ्यर्थियों को एम.कॉम में 5 प्रतिशत अंक छूट दी जाएगी (55 प्रतिशत से 50 प्रतिशत)]</p> <p>(ii) ग्रेड वेतन रु. 5400 या उससे अधिक में वित्त तथा लेखा में कम से कम 15 वर्ष अनुभव, जिसमें से कम से कम 8 वर्ष का अनुभव केन्द्रीय/राज्य विश्वविद्यालयों, स्वायत्त शैक्षिक संस्थाएँ, पोर्ट ट्रस्ट, सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम, केन्द्रीय/राज्य सरकारी विभाग/एजेन्सी में रु. 7600 या उससे अधिक ग्रेड वेतन है। (जहाँ एक संस्था में भिन्न वेतन संरचना है, समतुल्य वेतन मान में अभ्यर्थी पर विचार किया जाएगा)।</p> <p><b>वांछनीय:</b></p> <p>कम्प्यूटर तथा लेखाकरण साफ्टवेयर में कार्यकारी ज्ञान। [या]</p> <p><b>वर्ग 2 :</b></p> <p><b>अनिवार्य:</b></p> <p>(i) वित्त/लेखा/बजटीकरण में वर्ग 'ए' अधिकारी के रूप में कम से कम 12 वर्ष अनुभव के साथ केन्द्र/राज्य सरकार में सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी।</p> <p><b>वांछनीय:</b></p> <p>कम्प्यूटर तथा लेखा साफ्टवेयर में कार्यकारी ज्ञान।</p> <p>रिक्त स्थान पर भर्ती के लिए, अगर पूर्ण रूप से योग्यता प्राप्त अभ्यर्थी नहीं मिले तो, सेवा अर्हता पर छूट प्रदान करने का अधिकार कार्यकारिणी समिति सुरक्षित रखता है।</p>
8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु व शैक्षिक योग्यताएँ पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति	<b>पदोन्नति:</b>

	किये जाने वाले कर्मचारियों के लिए लागू होगी ?	आयु – नहीं । शैक्षिक योग्यताएँ – हाँ । <b>प्रतिनियुक्ति</b> आयु- 57 वर्ष। शैक्षिक योग्यताएँ : हाँ, वर्ग 2 को छोड़कर ।
9.	परीवीक्षाणावधि अगर कुछ हो	सीधी नियुक्तियों के लिए मात्र दो वर्ष ।
10.	भर्ती का तरीका, सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा पूर्ण किये जाने वाले रिक्त स्थानों की प्रतिशत ।	प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती/पदोन्नति के लिए लागू नहीं होगी । पदोन्नति के प्रकरण में चयन द्वारा ।
11.	अगर विभागीय पदोन्नति समिति/ चयन समिति उपलब्ध है तो उसकी संरचना क्या होगी ?	विभागीय पदोन्नति समिति / चयन समिति में निम्न व्यक्ति होंगे । i) कुलपति अध्यक्ष के रूप में । ii) कार्यकारिणी समिति के दो स्व-नामित सदस्य। iii) कार्यकारिणी समिति द्वारा नामित एक व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हो । iv) आगन्तुक द्वारा नामित एक व्यक्ति।
12.	टिप्पणी	वित्त अधिकारी पद की नियुक्ति, प्रारंभ में 5 वर्ष के लिए की जाएगी । संतुष्टजनक निष्पादन पर अधिकतम 5 वर्ष तक एक बार विस्तार के लिए हकदार होंगे । सीधी भर्ती तथा पदोन्नति पर पद पानेवालों की सेवानिवृत्ति उम्र 62 रहेगा । प्रतिनियुक्ति पर आने वाले कर्मचारियों के लिए, 62 वर्ष की अधिकतम आयु के तहत, प्रायोजक विभाग/एजेन्सी से संबंधित आयु लागू होगी ।

नोट: दिनांक 12 मई, 2009 को भारत के राजपत्र संख्या 76 के [प्रशासनिक मामलों को निर्धारित करने वाले अध्यादेश] के अध्याय 9 में प्रकाशित प्रकाशन क्रम संख्या 14 को निरस्त किया जाता है।

## 2015 का अध्यादेश 14

[कार्यकारी समिति संकल्प सं. का. स. 2015 – 30-39 दि. 25-02-2015 के तहत]

### भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को अन्य संस्थाओं में प्रतिनियुक्ति पर भेजने हेतु नीति

#### 1. प्रतिनियुक्ति के लिए अर्हता

भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय में जिस कर्मचारी की सेवाओं को स्थाई किया गया है तथा जिस कर्मचारी ने कम से कम 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लिया है, वही प्रतिनियुक्ति के लिए हकदार होगा ।

किसी भी कर्मचारी को, उसकी इच्छा के विरुद्ध अन्य संस्था में प्रतिनियुक्ति में नहीं भेजा जाएगा ।

किसी भी समय, अन्य संस्थाओं को प्रतिनियुक्ति पर किसी भी वर्ग में, भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय के 10 प्रतिशत से अधिक कर्मचारी नहीं होंगे ।

बशर्ते कि प्रशासनिक कारण बस, भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय, किसी अन्य संस्था में, किसी भी कर्मचारी को, प्रतिनियुक्ति में भेजने संबंधित विनती को अस्वीकार करने का हक सुरक्षित रखता है।

## 2. प्रतिनियुक्ति की अवधि तथा प्रतिनियुक्ति के लिए अनुमति देने वाले प्राधिकारी:-

प्रतिनियुक्ति की अवधि, प्रारंभ में दो वर्ष की होगी जिन्हें बाद में प्रत्येक बार एक वर्ष के हिसाब से अधिकतम पाँच वर्ष तक विस्तार किया जा सकता है। प्रारंभ में कुलपति, भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय द्वारा दो वर्ष तक प्रतिनियुक्ति के लिए अनुमति दी जा सकती है और उसे बाद में चार वर्ष तक विस्तार किया जा सकता है। पाँचवीं वर्ष प्रतिनियुक्ति हेतु कार्यकारिणी समिति से अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य है। किसी भी परिस्थिति में, पाँच वर्ष से अधिक अवधि की प्रतिनियुक्ति के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी।

प्रतिनियुक्ति अवधि की समाप्ति के पूर्व, कर्मचारी को वापस भेजने का हक उधार लेने वाले संस्था को रहेगा।

प्रतिनियुक्ति अवधि की समाप्ति के पूर्व, प्रतिनियुक्ति से कर्मचारी को पुनःवापस बुला लेने का हक भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय के साथ सुरक्षित है।

कुलसचिव द्वारा भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय से मुक्त किये बिना, किसी भी अन्य संस्था में किसी भी कर्मचारी को प्रतिनियुक्ति में नहीं भेजा जाएगा।

भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय से छुटकारा की तारीख से प्रतिनियुक्ति अवधि शुरू होगी और भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय में पुनः लग जाने की तारीख से पूर्व दिन पर समाप्त होगी।

पूर्ववर्ती पर जो भी बताये गये हों, तथापि, कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति अवधि, भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय में सेवानिवृत्ति की तिथि से कम से कम 12 महीने पूर्व समाप्त होगी।

## 3. सेवानिवृत्ति उम्र

उधार लेने वाले संस्था में सेवानिवृत्ति उम्र अधिक होने पर भी, सेवानिवृत्ति आयु के संबंध में भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय नियम (भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 की धारा 49(i) या (ii) या (iii) द्वारा शासित) ही उन पर प्रयोज्य होगा।

## 4. कूलिंग ऑफ अवधि

अवधि पर ध्यान दिये बिना, प्रत्येक प्रतिनियुक्ति अवधि के बाद, कूलिंग ऑफ अवधि (अपशमन अवधि) होना अनिवार्य है।

## 5. वेतन व भत्ता

प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान, कर्मचारी का वेतन तथा भत्ता, उधारकर्ता संस्था द्वारा प्रदान किया जाएगा।

प्रतिनियुक्ति किये गये कर्मचारी या तो 1. अपना भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय वेतनमान प्रतिनियुक्ति भत्ता के साथ प्राप्त कर सकता है या 2. जिस संस्था को उन्हें प्रतिनियुक्त किया जाता है वहाँ उस पद के लिए निश्चित वेतन मान।

प्रतिनियुक्ति दरें (कर्तव्य) भत्ता : (1.9.2008 से)

उसी स्थान के अधीन	:	(बैंड वेतन + जीपी) का 5% अधिकतम रु. 2000/- प्रति महीने
अन्य प्रकरणों में	:	(बैंड वेतन + जीपी) का 10% अधिकतम रु. 4000/- प्रति महीने

भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय को प्रत्यावर्तन पर, कर्मचारी, उधार में लिये गये संस्था में अधिक वेतन तथा भत्ता प्राप्त करने के बावजूद भी, प्रतिनियुक्त न किये जाने की स्थिति में, जो वेतन और भत्ता प्राप्त करने का हकदार था उस सामान्य वेतन तथा भत्ता को प्राप्त करेगा।

## 6. छुट्टी वेतन अंशदान :-



प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान, कर्मचारी को भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय की छुट्टी नियमों द्वारा शासित किया जाएगा और प्रतिनियुक्ति के दौरान छुट्टी वेतन के लिए देयता विदेशी नियोजक द्वारा वहन किया जाएगा।

### 7. छुट्टी यात्रा रियायत:-

भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय से प्रतिनियुक्ति किये गये कर्मचारी को छुट्टी यात्रा रियायत प्राप्त करने का हक है, जो भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय में उन्हें प्रयोज्य नियमों के साथ अनुपालन में दिया जाएगा और इससे संबंधित लागत उधार लेने वाले संस्था द्वारा वहन किया जाएगा।

### 8. प्रोफार्मा पदोन्नति:-

भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय के कर्मचारी, जिन्हें और एक संस्था में प्रतिनियुक्ति में रहते वक्त पदोन्नति प्राप्ति की अवधि आती है, उन्हें वरिष्ठता पर आधारित करके प्रोफार्मा/ पेपर पदोन्नति प्रदान की जाएगी।

### 9. देय राशि:-

प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान, निर्धारित अनुसूची के अनुसार, कर्मचारी, भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय को अपने सभी देय चुकाते रहेगा।

### 10. कार्य पर लगने के लिए समय तथा स्थानांतरण यात्रा भत्ता

प्रतिनियुक्त व्यक्ति, जिस उधार लेनेवाले संस्था पर उन्हें प्रतिनियुक्त किया गया है, उस संस्था के नियम तथा विनियम के अनुसार, उधार लेने वाले संस्था से, पद पर लगने तथा फिर भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय में वापस प्रत्यावर्तन किये जाने पर, लगते समय तथा स्थानांतरण यात्रा भत्ता दोनों को प्राप्त करने का हकदार है। इससे संबंधित खर्च उधार लेनेवाले नियोजक द्वारा वहन किया जाएगा।

### 11. सामान्य भविष्य निधि अंशदान:-

प्रतिनियुक्ति अवधि के दौरान, कर्मचारी, भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय के साथ अपना सामान्य भविष्य निधि या किसी अन्य अनिवार्य घटाव जमा, जिसका वह सदस्य है, जारी रखेगा। इस अंशदान को, उनके प्रत्येक महीने के वेतन से काटा जाएगा और उसे उधार में लेनेवाले संस्था द्वारा या प्रतिनियुक्त किये गये कर्मचारी द्वारा, बिना चूक के भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय में जमा किया जाएगा। अंशदायी भविष्य निधि/ कर्मचारी भविष्य निधि के प्रकरण में, निधि की ओर नियोजक अंश, उधार लेने वाले संस्था द्वारा भुगतान किया जाएगा।

### 12. चिकित्सा सुविधाएँ:-

प्रतिनियुक्त किये गये कर्मचारी, उधार लिये संस्था के नियम तथा विनियम के अनुसार चिकित्सा सुविधाएँ पाने के हकदार होंगे।

### 13. भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय के कानून, विधि तथा अध्यादेशों की प्रयोज्यता:-

उधार में लेनेवाले संस्था के नियंत्रण पर उनकी सेवाओं को दिये जाने के बावजूद भी, भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय के कानून, विधि तथा अध्यादेश से उस प्रतिनियुक्त किये गये कर्मचारी बंधित होंगे।

अगर कोई कर्मचारी, उधार में लेनेवाले संस्था में उनकी प्रतिनियुक्ति के पूर्व, ऐसे कृत्य किया हो, जो उनपर भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय के कानून, विधि तथा अध्यादेशों के अधीन लघु या विस्तार अनुशासनिक कार्यवाही लेना बाध्य करता है, तो, फिर भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय उस प्रतिनियुक्तिकार पर, प्रतिनियुक्त पर रहते वक्त भी, अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ कर सकता है और उसे जारी रख सकता है तथा उनपर उपयुक्त पाये जानेवाले जुर्माना अधिरोपित कर सकता है। उधार लेने वाली संस्था, ऐसे कार्यवाहियों को आयोजित करने में भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय को सभी उचित सहयोग प्रदान करने में बाधित है।

अगर कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर रहते वक्त, ऐसे किसी कृत्य या चूक करेगा, जिस कारण से उनपर अनुशासनिक कार्यवाही लेना पड़े, तो उधार में लेने वाली संस्था, उस कर्मचारी पर अनुशासनिक कार्यवाही लेने हेतु विनती करते हुए, कुलसचिव, भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय को विस्तार प्रतिवेदन पेश करेगा और इस संबंध में भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय द्वारा उचित कार्यवाही अपनाया जाएगा।

**14. स्थाई समावेश :-**

कोई भी कर्मचारी, जिन्हें प्रतिनियुक्ति पर अन्य संस्था को दिया गया हो, को, भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुमोदन प्राप्त किये बिना, स्थाई तौर पर समावेश नहीं किया जा सकता है।

**15. शर्त व नियमों का सुदृढ़ अनुपालन:-**

उधार लेने वाले नियोक्ता, किसी भी छूट के बिना, उपरोक्त सभी शर्त व नियमों का अनुपालन करेंगे।

**2015 का अध्यादेश 15**

*[कार्यकारी समिति संकल्प सं. का स. 2015-31-26, दि. 26-06-2015 के तहत]*

**भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों का पुनःमूल्यांकन, पुनः अंक गिनती, कृपांक प्रदान करना तथा उत्तर पुस्तिकाओं की प्रतिलिपि जारी करना**

**1. पुनःमूल्यांकन**

1.1 उत्तर पुस्तिकाओं की मूल्यांकन के लिए आवेदन को, पोस्ट ग्रेजुएट परीक्षाएँ, प्रायोगिक परीक्षाएँ, क्षेत्रीय कार्य, आंतरिक मूल्यांकन, पत्र के बदले शोध प्रबंधन समर्पण और परीक्षाएँ जहाँ दो स्वतंत्र (दोहरा) मूल्यांकनों के लिए प्रावधान है, के अलावा अन्य परीक्षाओं के लिए ही विचार किया जाएगा।

1.2 पुनःमूल्यांकन के लिए आवेदन निर्धारित प्रारूप में किया जाना है और उसे संबंधित परिसर/कॉलेजों के जरिये भेजना है।

1.3 पुनः मूल्यांकन के लिए तभी अनुमति दिया जाएगा, जब परीक्षा सत्र के दौरान, विद्यार्थी द्वारा लिखित कुल पत्रों की संख्या में से पाँच से अधिक पत्रों में अनुत्तीर्ण नहीं होंगे।

1.4 अनुत्तीर्ण पत्र में पुनः मूल्यांकन के लिए प्रति पत्र के लिए रु. 500/- शुल्क वसूला जाएगा। अगर प्रश्न पत्र के विभिन्न भागों के प्रश्नों के लिए विभिन्न उत्तर पुस्तिकाओं में उत्तर लिखा गया है तो ऐसे सभी उत्तर पुस्तिकाओं को एक इकाई/पत्र के रूप में माना जाएगा। एसबीआई -कोर बैंकिंग चालान या भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित ऐसे अन्य तरीके से शुल्क को जमा किया जाएगा।

1.5 पुनःमूल्यांकन के लिए आवेदन पत्र, विश्वविद्यालय द्वारा अन्यथा विनिर्दिष्ट किये जाने के अलावा, परिणाम की प्रकाशन तिथि से 15 दिनों के अन्दर परीक्षा नियंत्रक के कार्यालय में पहुँचना है।

1.6 किसी भी परिस्थिति में निर्धारित अंतिम तारीख के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। अधूरे आवेदन पत्रों को तथा संबंधित दस्तावेज संलग्न न किये गये आवेदनों को किसी भी कारण बताये बिना अस्वीकार किया जाएगा।

1.7 एक बार उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए जमा किये गये शुल्क को वापस नहीं किया जाएगा।

1.8 अगर प्रथम के तुलन में पुनःमूल्यांकन में विद्यार्थी कम अंक पाता है तो, वास्तविक अंक को ही रखा जा सकता है फिर भी, पुनःमूल्यांकन में अधिक अंक प्राप्त करने के बावजूद भी, विद्यार्थी परिणाम की स्थिति में बदलाव नहीं है तो, वास्तविक अंकों को वैसे ही बनाए रखा जाएगा और परिणाम को 'कोई परिवर्तन नहीं' घोषित किया जाएगा।

1.9 परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्रत्येक विषय के लिए पाँच वर्षों से अधिक शिक्षण/ उद्योग अनुभव वाले विषय विशेषज्ञों का पेनल तैयार करना है और उसे कुलपति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाना है। इस पेनल को प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार पुनरीक्षण करना है।

1.10 प्रथम मूल्यांकन जिस परीक्षक द्वारा किया गया था, उन्हीं के द्वारा पत्र को पुनःमूल्यांकन नहीं किया जाना है।

1.11 पाठ्यक्रम जहाँ एक मात्र परिसर/ कॉलेज में आयोजित किया जाता है उसके अलावा, पत्र के लिए पूर्व में विद्यार्थी जहाँ पढ़ा है, उस कॉलेज/परिसर के किसी परीक्षक द्वारा पुनः मूल्यांकन नहीं किया जाना है।

1.12 प्रति सत्र के लिए 25 से अधिक उत्तर पुस्तिकाओं को मूल्यांकन के लिए परीक्षक को नहीं देना है।

1.13 अगर उत्तर पुस्तिकाओं के 20 प्रतिशत से अधिक में, पुनःमूल्यांकन में अंकों की घटाव या चडाव होता है तो सही माध्यम के जरिये संबंधित परीक्षक से स्पष्टीकरण माँगा जाएगा और उत्तर को आगे की कार्यवाही के लिए कुलपति के सामने पेश किया जाएगा।

- 1.14 इन मार्गदर्शिकाओं के अधीन, परीक्षक जिनके विरुद्ध कार्यवाही लिया गया है, उनकी सूची का रखरखाव उप कुलसचिव द्वारा किया जाएगा। ऐसे हटाये गये परीक्षकों को, 3 वर्ष की अवधि के लिए, किसी परीक्षा के संबंध में नियुक्ति के बारे में विचार नहीं किया जाएगा।
- 1.15 जहाँ प्रथम और द्वितीय मूल्यांकन के बीच 100 में से 15 अंकों से अधिक विविधता होगी, उत्तर पुस्तिका को तृतीय मूल्यांकन के लिए भेजा जाएगा। अंतिम अंक 'तृतीय मूल्यांकन का औसत और प्रथम तथा द्वितीय मूल्यांकन के बीच निकटतम' होगी।
- 1.16 पुनः मूल्यांकन परिणामों को, आवेदनों की प्राप्ति की तिथि से एक महीने के अन्दर प्रकाशित किया जाएगा।
- 1.17 पुनः मूल्यांकन से संबंधित सभी कार्यों को अति गोपनीय माना जाएगा और इसलिए इसपर अंतरित प्रश्नों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 1.18 पुनः मूल्यांकन के लिए पारिश्रमिक भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित दरों पर प्रदान किया जाएगा।
- 1.19 परिसर/ कॉलेज के निदेशक/ प्राध्यापक को, परीक्षा नियंत्रण द्वारा आबंटित तारीख और दिन पर प्राथमिकता आधार पर (पुनःमूल्यांकन/ पुनः अंक गिनती सम्मिलित करके) परीक्षकों को उपलब्ध कराना है।
- 1.20 संबद्ध कॉलेजों के अध्यापकों को, मूल्यांकन (पुनःमूल्यांकन/ पुनः अंक गिनती सम्मिलित करके) प्राथमिकता देकर कार्य करना है। अगर, संबद्ध कॉलेज का प्राध्यापक, मूल्यांकन (मूल्यांकन/ पुनः अंक गिनती) के लिए अध्यापक को रिलीव करने से चूकता है या अध्यापक मूल्यांकन (मूल्यांकन/ पुनः अंक गिनती सम्मिलित करके) कार्य में उपस्थित होने से चूकता है, तो, संबंधित अध्यापकों पर तीन वर्षों के लिए रोक लगाया जाएगा। इसका कॉलेज की संबद्धता जारी रहने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

## 2. पुनः अंक गिनती

- 2.1 प्रायोगिक परीक्षा, क्षेत्रीय कार्य, आंतरिक मूल्यांकन व पत्र के बदले में समर्पित शोध पुस्तिकाओं के अलावा उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः अंक गिनती के लिए आवेदन, ग्रेजुएट परीक्षाएँ, पोस्ट ग्रेजुएट परीक्षाएँ, की पुनः अंक गिनती के लिए विचार किया जाएगा।
- 2.2 पुनः अंक गिनती के लिए आवेदन, निर्धारित प्रारूप में किया जाएगा और इसे संस्था के संबंधित अध्यक्ष के जरिये भेजना है।
- 2.3 पुनः अंक गिनती के लिए, प्रति पत्र के लिए रु.250/- शुल्क प्रभारित किया जाएगा। भारतीय समुद्रीय विद्यालय के एसबीआई-कोर बैंकिंग चालान के जरिये ही इस शुल्क को जमा किया जाएगा।
- 2.4 उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः अंक गिनती के लिए, एक बार जमा किये गये शुल्क को वापस नहीं किया जाएगा।
- 2.5 पुनः अंक गिनती संबंधित सभी कार्यों को अति गोपनीय माना जाएगा और इसलिए इससे संबंधित अंतरिम प्रश्नों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 2.6 पुनः अंक गिनती संबंधित आवेदन पत्र, विश्वविद्यालय द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट न किये जाने पर, परिणाम के प्रकाशन की तारीख से 15 दिनों के अन्दर, परीक्षा नियंत्रक कार्यालय में पहुँचना है।
- 2.7 परीक्षा नियंत्रक द्वारा नामित शिक्षक द्वारा पुनः अंक गिनती किया जाएगा।
- 2.8 पुनः अंक गिनती अंकों को अंतिम अंक के रूप में लिया जाएगा और वास्तविक मूल्यांकन में विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंक को बदला जाएगा और इसके अनुसार परिणाम को घोषित किया जाएगा।
- 2.9 अगर पुनः अंक गिनती अंक वही है या वास्तविक मूल्यांकन में प्राप्त अंकों से कम है तो, घोषित परिणामों का स्तर नहीं बदलेगा।
- 2.10 आवेदन पत्रों की प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों के अन्दर पुनः अंक-गिनती परिणामों को प्रकाशित किया जाना है।

## 3. कृपांक

- 3.1 सभी सत्रों में एक या अधिक प्रपत्रों में 5 अंक तक कृपांक दिया जा सकता है। इसका निर्णय परीक्षा समिति द्वारा लिया जाएगा।

## 4. प्रतिलिपियों को जारी करना

- 4.1 उत्तर पुस्तिकाओं की प्रतिलिपि, पृष्ठों की संख्या पर ध्यान न देते हुए, डाक खर्च सम्मिलित करके रु.150/- फ्लेट शुल्क भुगतान करने पर, अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को प्रदान किया जाएगा।
- 4.2 परीक्षा परिणाम प्रकाशन की तारीख से 15 दिनों के अन्दर आवेदन किया जाना है।
- 4.3 भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय के एसबीआई-कोर बैंकिंग चालान के जरिये शुल्क को जमा किया जाएगा।

## 2015 का अध्यादेश 16

[कार्यकारी समिति संकल्प सं.का स. 2015-29-05, दि. 31-10-2014 तथा का स 2015-31-27 दि 26-06-2015 के तहत]

### संबद्धता तथा मान्यता बोर्ड

भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय के मुख्यालय में संबद्धता तथा मान्यता (बीएआर) बोर्ड स्थापित किया जाएगा और उसमें निम्न सदस्य होंगे:

1. कुलपति
2. कुलसचिव
3. किसी भी परिसर के 2 प्रतिनिधि, जो इस क्षेत्र में विशेषज्ञ है को कुलपति द्वारा नामित किया जाएगा।
4. डीजीएस के दो प्रतिनिधि, नॉटिकल तथा इंजीनियरिंग शाखाओं के प्रत्येक में से एक, को कुलपति की सहमति के साथ नामित किया जाएगा।
5. शिक्षा परिषद द्वारा उद्योग से नामित 2 विशेषज्ञ।

कुलसचिव, संबद्धता तथा मान्यता बोर्ड के सदस्य-सचिव रहेंगे।

नामित सदस्यों का कार्यकाल, नामित की गयी तिथि से 3 वर्ष का होगा।

नोट: दिनांक 12 मई, 2009 को भारत के राजपत्र संख्या 76 के [शैक्षिक विषयों को निर्धारित करने वाले अध्यादेश] के अध्याय XX - III में प्रकाशित प्रकाशन 'भाग II संबंधन और मान्यता बोर्ड' को निरस्त किया जाता है।

## 2015 का अध्यादेश 17

[कार्यकारी समिति संकल्प सं. का स. 2015-31-28, दि. 26-06-2015 के तहत]

विश्वविद्यालय की परीक्षा देनेवाले विद्यार्थियों के लिए उपस्थिति की आवश्यकता तथा अध्ययन में ब्रेक को नियंत्रण करने वाले मानक

1. प्रत्येक सेमेस्टर के लिए निम्नतम कार्यकारी दिन जैसे व्याख्यान, टूटोरियल्स, सेमिनार, प्रायोगिक आदि आयोजित करने के लिए वास्तविक दिनों की संख्या 90 दिन रहेगा। सेमेस्टर के दौरान औसत पर, व्याख्यान समय हफ्ते में 30 घंटों से अधिक नहीं रहेगा और प्रायोगिक, क्षेत्र कार्य, औद्योगिक दौरा, ग्रन्थालय तथा कम्प्यूटर प्रयोगशाला, हफ्ते में 10 घंटे से अधिक नहीं रहेगा।
2. विद्यार्थियों को वर्ग में नियमित तौर पर सही समय में उपस्थित रहना है।
3. प्रत्येक वर्ग के प्रारंभ में उपस्थिति दर्ज किया जाएगा। 10 मिनट से अधिक देरी से वर्ग में प्रवेश करने वाले विद्यार्थियों को उस वर्ग में अनुपस्थित दर्ज किया जाएगा।
4. सही वर्दी के बिना (जहाँ भी वर्दी निर्धारित है) वर्ग/ प्रायोगिक के लिए आने वाले विद्यार्थियों को अनुपस्थित दर्ज किया जाएगा।
5. प्रत्येक कार्यकारी सेमेस्टर को दो सत्रों में विभाजित किया गया है जैसे पूर्वाह्न सेमेस्टर तथा अपराह्न सत्र। अगर एक सत्र के एकल व्याख्यान घंटे या प्रायोगिक वर्ग के लिए विद्यार्थी अनुपस्थित है तो उन्हें संपूर्ण सत्र के लिए अनुपस्थित दर्ज किया जाएगा जैसे वह अपना पूरा दिन की उपस्थिति खो देगा।

6. भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय के सभी सत्रांत परीक्षाओं में (सिद्धांत तथा प्रायोगिक) बैठने के लिए सभी विद्यार्थियों को निम्नतम 75 प्रतिशत उपस्थिति की आवश्यकता है।
7. उपस्थिति की निम्नतम औसत को सत्र में कुल कार्यकारी दिन के शर्तों में आकलन करना है न कि वर्गों या विषय वार।
8. छात्रवृत्ति या अन्य सहायता प्राप्त करनेवाले विद्यार्थियों के लिए उच्च उपस्थिति की आवश्यकता हो सकती है।
9. पाठ्येतर गतिविधियों, मीट/ प्रतियोगिताएँ, खेल प्रतियोगिताएँ, सेमिनार आदि में संस्था/ विश्वविद्यालय/ राज्य/ देश को प्रतिनिधित्व करनेवाले विद्यार्थियों को संबंधित परिसर निदेशक/ प्रधानाध्यापक से प्राप्त सही अनुमति के तहत, अनुपस्थित दर्ज नहीं किया जाएगा, ऐसे विद्यार्थियों को, सेमेस्टर में कुल कार्यकारी दिनों के 10 प्रतिशत सीमा के तहत वर्गों में उपस्थित माना जाएगा।
10. अगर एक विद्यार्थी, चिकित्सीय, मृत्यु या अन्य किसी कारण से, 75 प्रतिशत से कम पर, 65 प्रतिशत या उससे समान या उच्च उपस्थिति दर्ज किया है तो उपस्थिति के लिए निर्धारित क्षमादान वसूलते हुए, उपस्थिति की कमी को क्षमा करने का हक परिसर निदेशक/ प्रधानाध्यापक को है।
11. किसी भी परिस्थिति में 65 प्रतिशत से कम उपस्थिति को क्षमा नहीं किया जाएगा। विद्यार्थी जो 65 प्रतिशत से कम उपस्थिति दर्ज किया है, को सत्रांत परीक्षा लिखने की अनुमति नहीं दिया जाएगा और उन्हें अगले सत्र सेमेस्टर में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसे 'ब्रेक इन स्टडीज' माना जाएगा और उन्हें अगले शैक्षिक वर्ष में अपूर्ण सेमेस्टर को दोहराना पड़ेगा। पाठ्यक्रम में पुनः भर्ती होने के पूर्व, उन्हें (i) विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित ब्रेक इन स्टडीज के लिए क्षमादान राशि जमा करनी पड़ेगी। (ii) जिस अपूर्ण सेमेस्टर को दोहराना है वहाँ संबंधित सेमेस्टर के लिए सेमेस्टर शुल्क फिर भरना पड़ेगा और (iii) कुलपति से पूर्व अनुमति प्राप्त करना है। अनुसमर्थन के लिए विनती स्वीकार नहीं किया जाएगा।
12. फिर भी, पूर्व सत्रों के अरियर परीक्षाओं को देने के लिए इन विद्यार्थियों को अनुमति दी जाएगी।
13. निर्धारित प्रारूप में परीक्षा नियंत्रक को भेजने की जिम्मेदारी परिसर निदेशक/ प्रधानाध्यापक को है (i) सभी विद्यार्थियों का उपस्थिति विवरण, और (ii) परीक्षाओं की शुरुआत से कम से कम 14 दिनों के पूर्व या निर्धारित ऐसे तारीख के अन्दर, प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए अलग तौर पर, अर्हता प्राप्त विद्यार्थियों की उपस्थिति विवरण तथा उपस्थिति के लिए रकम जमा करनेवाले विद्यार्थियों का विवरण। अनुपस्थिति के लिए क्षमादान शुल्क भुगतान करने की आवश्यकता रहने पर भी, रकम जमा न किये विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र नहीं दिया जाएगा या परीक्षा फल को रोककर रखा जाएगा।
14. जहाँ एक विद्यार्थी स्वयं, किसी कारणवश, शैक्षिक वर्ष के मध्य में, 'अध्ययन से ब्रेक' लेने के संबंध में, परीक्षा नियंत्रक को प्रति संकेतित करके, परिसर निदेशक/ प्रधानाध्यापक को लिखित सूचना देकर बाहर होता है, बाहर होते समय सेमेस्टर को पूर्ण कर चुका है तो अगले सेमेस्टर के प्रारंभ में या अपूर्ण सेमेस्टर के प्रारंभ में, अधिकतम 3 वर्ष के अन्दर, उसी परिसर/ संबंध संस्था में पुनः प्रवेश लेने की अनुमति दी जाएगी। पाठ्यक्रम में पुनः प्रवेश लेने के पूर्व, उन्हें (i) विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित ब्रेक इन स्टडीज के लिए क्षमादान शुल्क भरना पड़ेगा, (ii) जहाँ अपूर्ण सेमेस्टर को दोहरा रहा है वहाँ फिर संबंधित सेमेस्टर के लिए सेमेस्टर शुल्क, और (iii) कुलपति से पूर्व अनुमति प्राप्त करना है। यदि, भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय परिसर या संबंध संस्था या संबंधित पाठ्यक्रम उपलब्ध नहीं है तो ब्रेक-इन-स्टडीज के बाद पुनः प्रवेश लेने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में किसी अनुसमर्थन की विनती पर विचार नहीं किया जाएगा।

**नोट:** दिनांक 12 मई 2009 को भारत के राजपत्र संख्या 76 के [शैक्षिक विषयों को निर्धारित करने वाले अध्यादेश] में प्रकाशित प्रकाशन 'अध्याय XV परीक्षाएँ' को निरस्त किया जाता है।

**2015 का अध्यादेश 18**

[कार्यकारी समिति संकल्प सं.का स. 2015-31-29, दि. 26-06-2015 के तहत]

**भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय परिसर के विद्यार्थियों द्वारा देय सेमेस्टर शुल्क तथा जुर्माना**

1. भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय के परिसरों में विद्यार्थियों द्वारा देय सेमेस्टर शुल्क, समय समय पर कार्यकारिणी समिति द्वारा निर्धारित किया जाएगा। शैक्षिक वर्ष 2015-16 के लिए भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय परिसरों में विद्यार्थियों द्वारा देय सेमेस्टर शुल्क निम्न होगा :

**भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए विद्यार्थियों द्वारा देय शुल्क**

पाठ्यक्रम	विद्यार्थियों का लिंग	शैक्षिक वर्ष के लिए कुल शुल्क	प्रत्येक सेमेस्टर में देय शुल्क		
			विषम सेमेस्टर		समान सेमेस्टर
			पाठ्यक्रम शुल्क	सेमेस्टर शुल्क	सेमेस्टर शुल्क
बी.टेक (मरीन इंजीनियरिंग)	पुरुष	2,25,000/-	25,000/-	1,00,000/-	1,00,000/-
	स्त्री	1,45,000/-		60,000/-	60,000/-
बी.टेक (नेवल आर्किटेक्चर व समुद्री इंजीनियरिंग)	पुरुष	2,25,000/-	25,000/-	1,00,000/-	1,00,000/-
	स्त्री				
बी.एससी.,(नॉटिकल विज्ञान)	पुरुष	2,20,000/-	25,000/-	97,500/-	97,500/-
	स्त्री	1,40,000/-		57,500/-	57,500/-
बी.एससी.,(समुद्री विज्ञान)	पुरुष	2,20,000/-	25,000/-	97,500/-	97,500/-
	स्त्री	1,40,000/-		57,500/-	57,500/-
बी.एससी.,(जहाज निर्माण व मरम्मत)	पुरुष	2,00,000/-	25,000/-	87,500/-	87,500/-
	स्त्री				
बी एससी की ओर ले चलनेवाले डीएनएस पाठ्यक्रम (प्रयोगित नॉटिकल विज्ञान)	पुरुष	2,20,000/-	25,000/-	97,500/-	97,500/-
	स्त्री	1,40,000/-		57,500/-	57,500/-
एम.टेक(नेवल आर्किटेक्चर व समुद्री इंजीनियरिंग)	पुरुष	2,25,000/-	25,000/-	1,00,000/-	1,00,000/-
	स्त्री			1,00,000/-	1,00,000/-
एम.टेक(बंदरगाह व ड्रेजिंग इंजीनियरिंग)	पुरुष	2,25,000/-	25,000/-	1,00,000/-	1,00,000/-
	स्त्री			1,00,000/-	1,00,000/-
एमबीए.(अंतर्राष्ट्रीय परिवहन तथा लॉजिस्टिक्स)	पुरुष	2,00,000/-	25,000/-	87,500/-	87,500/-
	स्त्री				
एसबीए (बंदरगाह व पोत प्रबंधन)	पुरुष	2,00,000/-	25,000/-	87,500/-	87,500/-
	स्त्री				
पीजीडीएमई	पुरुष	3,00,000/-	25,000/-	1,37,500/-	1,37,500/-
	स्त्री	2,00,000/-		87,500/-	87,500/-

2. **सेमेस्टर शुल्क में** – पाठ्यक्रम पर आधारित करके – सामान्यतः यह सभी या आंशिक रूप से सम्मिलित होंगे : ट्यूशन शुल्क (ग्रन्थालय शुल्क, प्रयोगशाला शुल्क, कार्यशाला शुल्क, औद्योगिक दौरा शुल्क, पाठ्येतर गतिविधि शुल्क, चिकित्सा शुल्क आदि सम्मिलित करके), मेस प्रभार, लॉजिंग प्रभार, बाल सीधा करने प्रभार, लॉड्डी प्रभार, वर्दी की लागत और ऐसे ही। इसमें प्रवेश के समय वसूली एकमुश्त रु.20000/- जमानत जमा सम्मिलित नहीं है।
3. अनिवासी भारतीय/ भारतीय मूल के व्यक्ति /विदेश निवासी वर्गों के अधीन प्रवेश दिये जानेवाले विद्यार्थियों के लिए उच्च सेमेस्टर शुल्क निर्धारित करने का हक विश्वविद्यालय के साथ सुरक्षित है।
4. सेमेस्टर शुल्क स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के आई-कलेक्ट या किसी निधि अंतरण एलक्ट्रानिक तरीका या विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किसी भी तरीका से देय होगा।
5. किसी भी पाठ्यक्रम के प्रथम सेमेस्टर के लिए, सेमेस्टर से संबंधित पूर्ण सेमेस्टर शुल्क को विद्यार्थी को प्रवेश दिये जाने के पहले वसूला जाएगा। पूर्ण रूप से प्रथम सेमेस्टर से संबंधित सेमेस्टर शुल्क भुगतान न किये जाने पर किसी भी विद्यार्थी को किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
6. द्वितीय सेमेस्टर से, सेमेस्टर के प्रारंभ होनेवाले दिन पर ही सेमेस्टर शुल्क जमा करना पड़ेगा।
7. अगर सेमेस्टर की शुरुआत दिन से 7 दिनों के अन्दर सेमेस्टर शुल्क भुगतान किया जाएगा तो जुर्माना नहीं होगा।
8. 7 दिनों के अन्दर पूर्ण रूप से सेमेस्टर शुल्क भुगतान न किये जानेवाले चूककर्ताओं की सूची, छात्रावास तथा विभाग के सूचनापट में परिसर निदेशक द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा।
9. सेमेस्टर शुल्क देरी से जमा करने पर जुर्माना निम्न होगा :
 

(अ) सेमेस्टर की शुरुआत दिन से 8वीं तथा 30वीं दिनों के बीच, 7 दिनों के अन्दर अंश में, सेमेस्टर शुल्क भुगतान किये जाने पर भी, रु.100 प्रति दिन की हिसाब से जमा करना पड़ेगा।

(आ) सेमेस्टर की शुरुआत दिन से 31वीं तथा 60वीं दिनों के बीच, जुर्माना शुल्क सम्मिलित करके आंशिक तौर पर सेमेस्टर शुल्क भुगतान किये जाने पर भी, रु.200 प्रति दिन की हिसाब से जमा करना पड़ेगा।
10. विभाग के सूचनापट तथा छात्रावास में, 30 दिनों के अन्दर जमा करने योग्य पूर्ण रूप से जुर्माना के साथ सेमेस्टर शुल्क न जमा करने वाले चूककर्ताओं की सूची, परिसर निदेशक द्वारा प्रदर्शित किया जाना है। विद्यार्थियों के लिए मात्र नहीं, बल्कि उनके माँ-बाप को भी लिखित रूप से व्यक्तिगत सूचनाएँ प्रदान करना होगा जिसमें चूककर्ताओं को विश्वविद्यालय के पंजी से हटाने संबंधित तथा सेमेस्टर की शुरुआत तारीख से 60 दिनों पहले देय जुर्माना के साथ सेमेस्टर शुल्क पूर्ण रूप से न जमा करने पर छात्रावास से भी निकालने संबंधित चेतावनी उपलब्ध होगी।
11. अगर सेमेस्टर की शुरुआत दिन से 60 दिनों के बाद भी, जुर्माना मिलाकर देय सेमेस्टर शुल्क भुगतान नहीं किया जाएगा तो, विश्वविद्यालय की पंजी से चुकने वालों का नाम हटाया जाएगा और 61वाँ दिन से उन्हें छात्रावास से भी निकाला जाएगा।
12. चूकनेवाले विद्यार्थी को सेमेस्टर में पुनः प्रवेश लेने अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते कि वह पूर्ण रूप से जुर्माना मिलाकर सेमेस्टर शुल्क, सेमेस्टर की शुरुआत दिन से 61वें तथा 90वें दिन के बीच, जमा कर देगा और रु.10000 का पुनः प्रवेश पंजीकरण शुल्क जमा करेगा। इस ब्रेक के कारण उपस्थिति में कमी हो तो उसके लिए विद्यार्थी ही जिम्मेदार होंगे।
13. अगर शुल्क जमा करने से चूकनेवाले विद्यार्थी, उन्हें प्रदत्त अवसर के बावजूद भी, सेमेस्टर की शुरुआत दिन से 90 दिनों के अन्दर, पुनः प्रवेश पंजीकरण शुल्क रु.10000 तथा देय जुर्माना के साथ सेमेस्टर शुल्क भुगतान नहीं करेगा तो उस विद्यार्थी को पढाई में एक ब्रेक भोगना पड़ेगा तथा अगले शैक्षिक वर्ष में उसी सेमेस्टर में पुनः प्रवेश लेना पड़ेगा, बशर्ते कि वह अपने से देय निलंबित पूर्ण शुल्क जमा करेगा तथा विश्वविद्यालय से लिखित पूर्व अनुमति प्राप्त करेगा।

14. विद्यार्थी तथा उनके माँ-बाप से निलंबित देयों की वसूली के लिए कानूनी कार्यवाही लेने तथा देयों का जबतक पूर्ण रूप से भुगतान ना हो, तब तक मूल प्रमाण पत्र को रोके रखने का हक, विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित है।
15. अगर एक विद्यार्थी, प्रवेश पंजीकरण शुल्क तथा पाठ्यक्रम शुल्क जमा करने के बाद, निर्धारित समयावधि के अधीन प्रथम सेमेस्टर में पाठ्यक्रम में भाग लेने हेतु परिसर में नहीं जाएगा तो किसी भी परिस्थिति में वह प्रवेश पंजीकरण शुल्क और पाठ्यक्रम शुल्क वापस प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।
16. अगर एक विद्यार्थी प्रथम सेमेस्टरके लिए प्रवेश पंजीकरण शुल्क, पाठ्यक्रम शुल्क तथा सेमेस्टर शुल्क जमा करने के बाद विश्वविद्यालय छोड़कर जाते हैं तो किसी भी परिस्थिति में उन्हें प्रवेश पंजीकरण शुल्क तथा पाठ्यक्रम शुल्क वापस नहीं दिया जाएगा। उन्हें सेमेस्टर शुल्क पूर्ण रूप से वापस करने को हक है, बशर्ते कि वह एक दिन भी वर्ग में उपस्थित न हो। अगर एक या अधिक दिनों के लिए वर्ग में उपस्थित थे तो पूर्ण सेमेस्टर शुल्क भी वापस प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।
17. अगर एक विद्यार्थी किसी सेमेस्टर के बीच में विश्वविद्यालय को छोड़कर जाएगा तो, वे भुगतान किये गये सेमेस्टर शुल्क की वापसी के लिए हकदार नहीं होंगे। फिर भी, विद्यार्थी से आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर, उनके द्वारा प्राप्य सभी रकम को काटने के लिए जमानत जमा रकम की बाकी वापस किया जाएगा।
18. यदि विद्यार्थी, विश्वविद्यालय छोड़ने से एक केलेन्डर वर्ष के अन्दर अपने खाता में उपलब्ध रकम की वापसी के लिए दावा नहीं करता है, तो उस रकम को परिसर विकास निधि की और उनका दान माना जाएगा।
19. उपरोक्त सभी के बावजूद, विद्यार्थी को सभी देय भुगतान करने, निर्धारित परीक्षा शुल्क भरने तथा 'कोई देय नहीं' प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही एंड-सेमेस्टर परीक्षा में बैठने दिया जाएगा।

नोट: दिनांक 12 मई, 2009 को भारत के राजपत्र संख्या 76 के [शैक्षिक विषयों को निर्धारित करने वाले अध्यादेश] में प्रकाशित प्रकाशन 'अध्याय X छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय और सम्बद्ध महाविद्यालय/ संस्थान को देय शुल्क' को निरस्त किया जाता है।

## 2015 का अध्यादेश 19

[कार्यकारी समिति संकल्प सं.का स. 2015-31-30, दि. 26-06-2015 के तहत]

**भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय परिसर तथा संबद्ध संस्थाओं में विद्यार्थियों के लिए परीक्षाएँ, पदवीदान तथा कई अन्य उद्देश्यों के लिए शुल्क**

क्रम सं.	विवरण	प्रस्तावित शुल्क (रु.)
अ)	परीक्षा तथा अन्य संबंधित शुल्क	
	<b>(I) ग्रेजुएट पाठ्यक्रम</b> (सत्रांत व गैर-सत्रांत प्रणाली)	
(i)	प्रत्येक लिखित प्रश्न पत्र	300 500 (अरियर पत्र के लिए)
(ii)	प्रत्येक प्रायोगिक परीक्षा – 3 घंटे	200 300 (अरियर पत्र के लिए)
(iii)	परियोजना कार्य	500



<b>(II) पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम</b>		
(i)	प्रत्येक लिखित पत्र	400 500 (अरियर पत्र के लिए)
(ii)	प्रत्येक प्रायोगिक	200 300 (अरियर पत्र के लिए)
(iii)	शोध प्रबंधन/ परियोजना	500
(iv)	मौखिक	250
<b>(III) डिप्लोमा पाठ्यक्रम</b>		
	प्रत्येक लिखित पत्र/ प्रायोगिक	200 300 (अरियर पत्र के लिए)
<b>(IV) प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम</b>		
(i)	पाठ्यक्रम परीक्षाओं में प्रमाण पत्र	
	प्रत्येक लिखित पत्र	150 200 (अरियर पत्र के लिए)
<b>(V) परीक्षाओं से संबंधित अन्य शुल्क</b>		
(i)	पृष्ठ संख्या पर ध्यान न देते हुए, प्रत्येक उत्तर पुस्तिका की फोटो प्रति प्राप्त करने के लिए	150
(ii)	प्रत्येक उत्तर-पुस्तिका अंक गिनती	250
(iii)	प्रत्येक उत्तर पुस्तिका पुनःजाँच शुल्क	500
(iv)	प्रत्येक उपस्थिति के लिए, प्रत्येक परीक्षा हेतु अंक तालिका जारी करने के लिए	150
(v)	प्रत्येक उपस्थिति के लिए, प्रत्येक परीक्षा हेतु अंक तालिका की प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए	200 + ₹.100 प्रत्येक विगत वर्ष के लिए खोज शुल्क
(vi)	समेकित अंक तालिका	500
(vii)	अस्थाई प्रमाण पत्र	250
(viii)	अस्थाई प्रमाण पत्र – प्रतिलिपि	500
(ix)	ट्रान्स्क्रिप्ट शुल्क	
	एक प्रति	500
	प्रत्येक अतिरिक्त प्रति	300
(x)	शोध प्रबंध की प्रस्तुति	
	पीएच.डी	2,000
	<i>निम्न दण्ड शुल्क जमा करने पर, पीएच डी शोध प्रबंध को समर्पित करने के लिए समय विस्तार किया जाएगा:</i>	
	निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद, 12 महीने के अन्दर पीएच डी शोध प्रबंधन समर्पित करने के लिए दण्ड शुल्क	1,000
	निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद, 36 महीने के अन्दर पीएच डी शोध प्रबंधन समर्पित करने के लिए दण्ड शुल्क	2,500
	निर्धारित अवधि की समाप्ति के 36 महीने के बाद पीएच डी शोध प्रबंधन समर्पित करने के लिए दण्ड शुल्क	5,000

आ) पदवीदान तथा अन्य संबंधित शुल्क		
	विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित पदवीदान समारोह में उपाधि जारी करने के लिए शुल्क	
अ)	ग्रेजुएट उपाधि/ डिप्लोमा – व्यक्तिगत रूप से	500
आ)	ग्रेजुएट उपाधि/ डिप्लोमा – गैर हाजिरी में	500
इ)	पोस्ट ग्रेजुएट उपाधि/ डिप्लोमा – व्यक्तिगत रूप से	1,000
ई)	ग्रेजुएट उपाधि/ डिप्लोमा – गैर-हाजिरी में	1,000
उ)	पीएच.डी – व्यक्तिगत रूप से	2,000
ऊ)	पीएच डी – गैर-हाजिरी में	2,000
ए)	किसी अन्य ग्रेजुएट उपाधि/ डिप्लोमा प्रमाण पत्र	
	- व्यक्तिगत रूप से	500
	- गैर-हाजिरी में	500
ऐ)	उपाधि प्रतिलिपि	पदवीदान शुल्क + प्रत्येक वर्ष के लिए रु. 100/- खोज शुल्क
इ) प्रवेश पंजीकरण/काउन्सलिंग शुल्क और पाठ्यक्रम शुल्क		
(i)	प्रबंधन/ प्रायोजित विद्यार्थी तथा लेटरल एंट्री के जरिये द्वितीय वर्ष में प्रवेश लेनेवाले विद्यार्थी सम्मिलित करके, भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय तथा संबद्ध संस्थाओं में प्रवेश लेने वाले सभी नये विद्यार्थियों द्वारा, प्रवेश के समय एकमुश्त प्रवेश पंजीकरण/ काउन्सलिंग शुल्क जमा करना पड़ेगा।	10,000
(ii)	प्रबंधन/ प्रायोजित विद्यार्थी तथा लेटरल एंट्री के जरिये द्वितीय वर्ष में प्रवेश लेनेवाले विद्यार्थी सम्मिलित करके, भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय तथा संबद्ध संस्थाओं में प्रवेश लेने वाले सभी नये विद्यार्थियों द्वारा प्रत्येक वर्ष पाठ्यक्रम शुल्क जमा करना पड़ेगा। यह विद्यार्थी से वसूली, कुल वार्षिक शुल्क का अंग होगा। प्रत्येक शैक्षिक वर्ष के प्रारंभ में, इस शुल्क को वसूल करके भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय मुख्यालय में अंतरण करना परिसर/ संस्था की जिम्मेदारी होगी। नया पाठ्यक्रम तथा करिकुला विकसित करने, वर्तमान पाठ्यक्रम तथा करिकुला को उन्नयन/ विकसित करने, वेब-आधारित शिक्षण सामग्री तथा अन्य प्रवर्तनीय शिक्षण सामग्रियों को विकसित करने, ऐसे विकास/ उन्नयन में शामिल विभिन्न विश्वविद्यालय प्राधिकारियों की ओर व्यय सम्मिलित करके सभी व्यय को वहन करने के लिए यह पाठ्यक्रम शुल्क वसूला जाता है।	
अ)	पोस्ट ग्रेजुएट/पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा पाठ्यक्रम	प्रति वर्ष प्रति विद्यार्थी रु. 25,000
आ)	ग्रेजुएट/ डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	प्रति वर्ष प्रति विद्यार्थी रु. 25,000
ई) अन्य शुल्क		
(i)	अनुपस्थिति के लिए क्षमादान शुल्क	2000
(ii)	अध्ययन में ब्रेक के लिए क्षमादान शुल्क	1 वर्ष के ब्रेक पर रु. 2000; 2 वर्ष के ब्रेक पर रु. 5,000; 3 वर्ष के ब्रेक पर रु. 9,000

(iii)	विश्वविद्यालय के अभिलेखों में या प्रमाण पत्र/ डिप्लोमा में विद्यार्थियों के जन्म तिथि या नाम में परिवर्तन करवाने के लिए शुल्क	500
(iv)	प्रवसन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए	200
(v)	प्रवसन प्रमाण पत्र प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए	300
<b>उ) प्राश्निक तथा संबंधित गतिविधियों के लिए पारिश्रमिक</b>		
(i)	प्रश्न पत्र तैयारी	
	- सामान्य प्रवेश परीक्षा (सीईटी)	2500
	- सीईटी के अलावा	1500
(ii)	उत्तर कुंजती की तैयारी	
	- सामान्य प्रवेश परीक्षा (सीईटी)	2500
	- सीईटी के अलावा	1500
<b>ऊ) परीक्षा जिम्मेदारियों के लिए पारिश्रमिक</b>		
(i)	फलाइंग स्कवाड	1500 प्रति दिन
(ii)	मुख्य अधीक्षक	1500*
(iii)	पर्यवेक्षक (वर्ग ए)	1500* प्रति दिन
(iv)	पर्यवेक्षक (वर्ग बी और सी )	1250* प्रति दिन
(v)	निरीक्षण/ हॉल अधीक्षक (प्रति सत्र) – प्रत्येक 25 विद्यार्थियों के लिए	500 प्रति सत्र
(vi)	समर्थन लेखक – प्रत्येक 100 विद्यार्थियों के लिए	200 प्रति दिन
(vii)	सहायक – प्रत्येक 100 विद्यार्थियों के लिए	100 प्रति दिन
(viii)	प्रायोगिक परीक्षा मूल्यांकन के लिए पारिश्रमिक (अभिलेख व मौखिक सम्मिलित करके)	15 प्रति विद्यार्थी – प्रत्येक आंतरिक तथा बाह्य परीक्षक
(ix)	शोध प्रबंध/ शोध निबंध और मौखिक के लिए परीक्षक पारिश्रमिक	
	पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम	शोध प्रबंध के लिए प्रत्येक परीक्षक प्रत्येक विद्यार्थी रु.150 और मौखिक के लिए रु. 50
	पीएच.डी.	प्रत्येक बाह्य परीक्षक के लिए 1,000
<b>ए) मूल्यांकन तथा संबंधित कर्तव्यों के लिए पारिश्रमिक</b>		
(i)	सह समन्वयक/ अध्यक्ष	1000 प्रति दिन (प्रत्येक सेमेस्टर अधिकतम रु.5000/- के तहत)
(ii)	मूल्यांकन पारिश्रमिक	प्रति उत्तर पुस्तिका के लिए रु.50 (प्रति सेमेस्टर के लिए 25 उत्तर पुस्तिकाएँ या प्रति दिन 50 उत्तर पुस्तिकाएँ)
(iii)	समर्थन देनेवाले लेखक	200 प्रति दिन
(iv)	सहायक	100 प्रति दिन

(\* ) अगर एक विशिष्ट परीक्षा केन्द्र में परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की संख्या 10 से कम है तो, देय पारिश्रमिक को 50 प्रतिशत कम किया जाएगा।

नोट: दिनांक 28 जनवरी 2010 को भारत के राजपत्र संख्या 38 में प्रकाशित प्रकाशन 'अध्याय III विभिन्न परीक्षाओं के लिए तथा अन्य विभिन्न सामान्य विषयों के लिए अनुसूचित शुल्क' को निरस्त किया जाता है।

## 2015 का अध्यादेश 20

[कार्यकारी समिति संकल्प सं.का स. 2015-31-32, दि. 26-06-2015 के तहत]

### उपाधि प्रदान हेतु पदवीदान समारोह

1. सामान्यतः, उपाधि प्रदान करने के लिए पदवीदान समारोह वर्ष में एक बार, कुलाधिपति से पूर्व अनुमति के साथ, कुलपति द्वारा निर्धारित ऐसे तारीख तथा जगह में आयोजित किया जाएगा। 'उपाधि' में विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त डिप्लोमा भी सम्मिलित है।
2. मानद उपाधियों प्रदान करने के लिए एक विशेष पदवीदान समारोह कार्यकारिणी समिति द्वारा निर्धारित समय में आयोजित किया जा सकता है।
3. पदवीदान में विश्वविद्यालय के बॉडी कार्पोरेट सम्मिलित रहेगा।
4. कुलाधिपति, अगर उपस्थित हो, तो उपाधियों प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय के पदवीदान समारोह के अध्यक्ष रहेंगे। कुलाधिपति की अनुपस्थिति में, कुलपति पदवीदान के अध्यक्ष रहेंगे।
5. पदवीदान हेतु कुलसचिव द्वारा, कम से कम 4 सप्ताह पहले सामान्य सूचना जारी की जाएगी।
6. पदवीदान के प्रत्येक सदस्य को, अनुपालन किये जाने योग्य प्रक्रियाओं के बारे में कुलसचिव एक कार्यक्रम जारी करेंगे।
7. विद्यार्थी जो पिछले पदवीदान के बाद बीते वर्षों में अपने परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए, वे पदवीदान में प्रवेश के लिए अर्ह होंगे।
8. पदवीदान में जो विद्यार्थी भाग लेने में असमर्थ है, उन्हें कुलाधिपति द्वारा या उसकी अनुपस्थिति में, कुलपति द्वारा गैर-हाजिरी में उपाधि में प्रवेश दिया जाएगा और सभी उपाधि निर्धारित पदवीदान शुल्क भुगतान किये जाने पर और आवेदन प्रस्तुत करने पर कुलसचिव द्वारा प्रदान किया जाएगा।
9. यदि पदवीदान उस वर्ष आयोजित नहीं किया जाएगा, तो, निर्धारित पदवीदान शुल्क भुगतान किये जाने पर, औपचारिक पदवीदान के लिए इंतजार किये बिना, जहाँ भी आवश्यक पाया जाता है, कुलपति उपाधि जारी करने में सक्षम होंगे।
10. निर्धारित पदवीदान शुल्क के साथ, पदवीदान के लिए आवेदन पत्र अंतिम सेमेस्टर परीक्षा के लिए परीक्षा शुल्क के साथ परिसर निदेशक/ प्रधानाध्यापक द्वारा अनिवार्य तौर पर वसूल किया जाना है। अंतिम सेमेस्टर परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र, निर्धारित पदवीदान शुल्क के साथ पदवीदान के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत न करने वाले विद्यार्थियों को जारी नहीं किया जाएगा।
11. विद्यार्थी जो उपाधि व्यक्तिगत रूप से प्राप्त करना चाहेंगे उन्हें पदवीदान की तारीख से कम से कम 7 दिन पूर्व लिखित रूप से कुलसचिव को सूचित करना है।
12. पदवीदान में विद्यार्थी काला टोपी के साथ काला रंग रोब पहनेंगे। निर्धारित शैक्षिक कपडे के बिना किसी भी विद्यार्थी को हॉल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
13. विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों द्वारा रोबिंग कमरे में पहने जाने वाले रोबों का ढॉचा निम्न होगा:

कुलाधिपति	काला टोपी के साथ 4" सोना तथा चॉदी लेस के साथ वेलवेट सामग्री का तैयार किये गये बैंगनी रंगवाले रोब
-----------	--

मुख्य अतिथि	काला टोपी के साथ, 4" पूर्ण सोना लेस के साथ वेलवेट सामग्री से तैयार किये गये गहरे लाल रंगवाले रोब
अन्य माननीय सदस्य	काला टोपी के साथ, 4" सोना तथा चाँदी लेस के साथ, वेलवेट सामग्री से तैयार किये गये भूरे रंगवाले रोब
कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक, वित्त अधिकारी, ग्रन्थपाल और परिसर निदेशक	काला टोपी के साथ, 2" पीला बैंकड के साथ, सेटिन सामग्री से तैयार किये गये नीले रंगवाला रोब
कार्यकारिणी समिति, वित्त समिति, शिक्षा परिषद आदि जैसे विश्वविद्यालय प्राधिकारी	काली टोपी के साथ, सेटिन सामग्री से तैयार किये गये काले रंग वाला रोब

14. रोबिंग के बाद, मुख्य अतिथि के साथ शैक्षिक जुलूस के सभी सदस्यों का एक दलीय फोटो खींचा जाएगा। शैक्षिक जुलूस का क्रम निम्न रहेगा:

*कुलसचिव*

*परीक्षा नियंत्रक*

*वित्त अधिकारी*

*ग्रन्थपाल*

*भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय के निदेशकगण*

*स्कूलों का डीन*

*सम कुलपति*

*महा निदेशक, जहाजरानी*

*सचिव (पोत), भारत सरकार*

*विभिन्न माननीय सदस्य (प्रोटोकॉल के आरोही क्रम में)*

*मुख्य अतिथि*

*कुलपति*

15. शैक्षिक जुलूस, दलीय फोटोग्राफ के जगह से शुरू होगी। अनुमोदित बैठक योजना के अनुसार मंच पर बैठनेवाले मंच पर चलेंगे, बाकी व्यक्ति हॉल के प्रथम पंक्ति में आसन ग्रहण करेंगे।
16. जब जुलूस आसन में प्रवेश करेगा, विद्यार्थी तथा अन्य आगन्तुक खड़े होंगे और मंच में बैठने वाले जब तक आसन ग्रहण करेंगे तब तक खड़े रहेंगे।
17. विश्वविद्यालय/ राष्ट्रगान के बाद, कुलाधिपति निम्न बताते हुए, पदवीदान का प्रारंभ होना घोषित करेंगे:

*"भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय, चेन्नई का यह पदवीदान समारोह उन विद्यार्थियों को उपाधि व डिप्लोमा प्रदान करने के लिए आयोजित है, जिन्हें उसके लिए अर्ह प्रमाणित किया गया है।"*

18. उसके बाद कुलाधिपति निम्न बताएँगे :

"मैं कुलपति को स्वागत भाषण प्रदान करने तथा पदवीदान से संबंधित अवधि की शैक्षिक उपलब्धियों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करता हूँ।"

कुलपति अपना संक्षिप्त स्वागत भाषण देंगे तथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे ।

19. इसके बाद कुलाधिपति निम्न बताएँगे :

"अभ्यर्थियों का अब परिचय दिया जाए"

सभी स्कूलों के लिए सामान्य पेशकार कुलपति होंगे ।

(अ) कुलपति निम्न बताएँगे:

"कुलाधिपति महोदय, मैं आपके सामने नॉटिकल अध्ययन स्कूल, मेराइन इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी स्कूल, नेवल आर्किटेक्चर व समुद्री इंजीनियरिंग स्कूल, समुद्री प्रबंधन स्कूल ..... (समय-समय पर ऐसे प्रस्तावित अन्य स्कूल) के अधीन पाठ्यक्रमों में व्यक्तिगत रूप से जिन्हें पोस्ट ग्रेजुएट उपाधि, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, ग्रेजुएट उपाधि प्रदान किया जाना है, प्रस्तुत करता हूँ।"

जब कुलपति उनका नाम और उनके स्कूल का नाम पढ़ेंगे, इन प्रत्येक स्कूलों के विद्यार्थी खड़े होंगे और खड़े ही रहेंगे ।

कुलाधिपति निम्न कहेंगे :

"मैं व्यक्तिगत तौर पर इन विद्यार्थियों को पोस्ट ग्रेजुएट उपाधि, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, ग्रेजुएट उपाधि तथा ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रदान करना स्वीकृत करता हूँ।"

अब ग्रेजुएट गण बैठेंगे ।

(आ) कुलपति निम्न कहेंगे :

"कुलाधिपति महोदय, मैं आपके सामने नॉटिकल अध्ययन स्कूल, मेराइन इंजीनियरिंग तथा टेक्नालजी स्कूल, नेवल आर्किटेक्चर व समुद्री इंजीनियरिंग स्कूल, समुद्री प्रबंधन स्कूल ..... (समय समय पर ऐसे प्रस्तावित अन्य ऐसे स्कूल) के अधीन पाठ्यक्रमों में गैर-हाजिरी में जिन्हें पोस्ट ग्रेजुएट उपाधि, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, ग्रेजुएट उपाधि प्रदान किया जाना है, प्रस्तुत करता हूँ ।"

कुलाधिपति निम्न कहेंगे:

"मैं गैर-उपस्थिति में उन विद्यार्थियों को पोस्ट ग्रेजुएट उपाधि, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, ग्रेजुएट उपाधि और ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रदान करने में अपनी सहमति प्रदान करता हूँ।"

कुलाधिपति ग्रेजुएट पंजी पर हस्ताक्षर करेंगे ।

20. कुलाधिपति की अनुपस्थिति में, कुलपति पदवीदान की शुरुआत की घोषणा करेंगे और उपस्थिति तथा गैर-उपस्थिति में विद्यार्थियों को उपाधियाँ प्रदान करने के लिए स्वीकृति प्रदान करेंगे तथा ग्रेजुएट की पंजी पर हस्ताक्षर करेंगे जबकि कुलसचिव सामान्य प्रस्तुतकार होंगे ।

21. मात्र पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी तथा पीएचडी उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थी मंच पर, मुख्य अतिथि/सम्माननीय अतिथि से उपाधियाँ प्राप्त करेंगे। बाकी विद्यार्थियों के लिए, समारोह की समाप्ति के बाद, पदवीदान मंडप में उपाधियों के वितरण के लिए आवश्यक व्यवस्था कुलपति द्वारा किया जाएगा ।

22. मुख्य अतिथि फिर पदवीदान भाषण प्रस्तुत करेंगे ।
23. राष्ट्रगीत के बाद, पदवीदान हॉल में शैक्षिक जुलूस जिस सिरे में प्रवेश किया था, उसके उल्टे सिरे में रोबिंग कमरों में वापस पहुंचेगा ।
24. मानद उपाधि को मात्र पदवीदान समारोह के समय प्रदान किया जाएगा और इसे गैर-हाजिरी में या व्यक्तिगत तौर पर प्राप्त कर सकते हैं ।
25. पदवीदान समारोह के संदर्भ में, मानद उपाधियों प्राप्त करनेवाले व्यक्तियों से संबंधित परिचय कुलपति द्वारा दिया जाएगा और उसे कुलाधिपति प्रदान करेंगे। कुलाधिपति की अनुपस्थिति में, कुलसचिव परिचय प्रदान करेंगे और कुलपति मानद उपाधि प्रदान करेंगे ।

नोट: दिनांक 12 मई 2009 को भारत के राजपत्र संख्या 76 के [शैक्षिक विषयों को निर्धारित करने वाले अध्यादेश] में प्रकाशित प्रकाशन 'अध्याय XX प्रदत्त डिग्रियों हेतु पदवीदान' को निरस्त किया जाता है।

### 2015 का अध्यादेश 21

[कार्यकारी समिति संकल्प सं.का स. 2015-31-33, दि. 26-06-2015 के तहत]

#### कुछ समितियों के लगातार 3 बैठकों में भाग न लेने वाले सदस्यों की स्वयं सदस्यता समाप्ति

यदि निम्न चार समितियों का नामित सदस्य

1. विभिन्न स्कूली बोर्ड
2. मान्यता तथा संबद्धता बोर्ड
3. परीक्षा समिति
4. परीक्षा अनुशासनात्मक समिति

समिति के 3 लगातार बैठकों में अनुपस्थित सदस्य की सदस्यता स्वयं समाप्त हो जाएगी। कुलपति या महानिदेशक, जहाजरानी या शिक्षा परिषद, जैसे प्रकरण हो, ऐसे गैर-गंभीर सदस्य की जगह किसी और सदस्य को नामित कर सकते हैं। नामित नए सदस्य पूर्ण कार्यकाल के लिए होंगे ।

### 2015 का अध्यादेश 22

[कार्यकारी समिति संकल्प सं. का स. 2015-31-34 दि. 26-06-2015 के तहत]

#### नॉटिकल अध्ययन स्कूल में सहायक प्रोफसर पद के लिए भर्ती नियम

(1)	पद का नाम	सहायक प्रोफसर
(2)	पदों की संख्या	18
(3)	वर्गीकरण	शिक्षक
(4)	वेतनमान	वेतन बैंड - 3 रु.15600-39100, एजीपी रु.6000 के साथ सहायक प्रोफसर के रूप में 6 वर्षों की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के बाद, रु.7000 एजीपी के लिए अर्ह होंगे । रु.7000 एजीपी में 5 वर्षों की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के बाद, रु.8000 एजीपी के लिए अर्ह होंगे । प्रबंधन स्तर में, दस अग्रिम वेतनवृद्धि की सीमा के तहत, समुद्री सेवा में प्रत्येक दो वर्ष के लिए एक अग्रिम वेतनवृद्धि प्रदान किया जाएगा ।
(5)	प्रवरण पद या गैर प्रवरण पद	लागू नहीं

(6)	सीधे भर्ती के लिए आयु सीमा	43 वर्षों को पार नहीं करना है। (उपयुक्त प्रकरणों में कुलपति द्वारा 2 वर्ष तक छूट दी जा सकती है)
(7)	सीधे भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	अनिवार्य अ. क्षमता के मास्टर (विदेश चलने) प्रमाण पत्र आ. अब लागू एसटीसीडब्ल्यू कन्वेंशन के अर्थ के अधीन प्रबंधन स्तर में निम्नतम छः महीने का नौकायन अनुभव और इ. भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित अर्हता परीक्षा में उत्तीर्णता । संबंधित क्षेत्र में पीएच डी के साथ अभ्यर्थियों को अर्हता परीक्षा से छूट दिया जाएगा।
(8)	पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति के प्रकरणों में क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएँ लागू होगी	लागू नहीं
(9)	परीवीक्षणवधि, अगर हो तो	2 वर्ष
(10)	भर्ती की तरीका	मात्र सीधी भर्ती
(11)	पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण द्वारा भर्ती के प्रकरण में, पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण किस ग्रेड से किया जाना है।	लागू नहीं
(12)	चयन समिति की संरचना	चयन समिति में निम्न होंगे (i) कुलपति (ii) सम कुलपति (iii) आगन्तुक की एक नामिती (iv) संबंधित विभाग का विभागाध्यक्ष (v) कुलपति द्वारा एक प्रोफसर नामित किया जाएगा (vi) सहायक प्रोफसर जिस विषय से संबंधित है, उस विषय में विशेष ज्ञान या रुचि के लिए, शिक्षा परिषद द्वारा सिफारिश किये गये नामों की पैनल में से, कार्यकारिणी समिति द्वारा नामित विश्वविद्यालय की सेवा में न रहनेवाले दो व्यक्ति। चयन समिति का कार्यवृत्त, निम्न तीनों में से कम से कम किन्हीं दो सदस्यों द्वारा बैठक में भाग न लेने पर मान्य नहीं होगा - आगन्तुक की नामिती, साथ-साथ, कार्यकारिणी समिति के दो नामिती।
(13)	सेवानिवृत्ति की आयु	65 वर्ष
(14)	टिप्पणी	1. संभाव्य अभ्यर्थी की लगातार डिस्चार्ज प्रमाण पत्र में उल्लिखित ऑन बोर्ड जहाज साइन-ऑन तथा साइन ऑफ से संबंधित प्रविष्टि को नौकायन अनुभव के रूप में लिया जाएगा। 2. पी.एचडी, संबंधित विषय में है कि नहीं इस पर भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम रहेगा 3. भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले आदेशों के अनुसालन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-



	जाति/अन्य पिछड़े जाति/शारीरिक विकलांग अभ्यर्थियों के उच्च आयु सीमा में छूट दृष्टांत
	5. अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि हार्दता शर्तों को निर्धारित करने के लिए मुख्य तिथि होगी

नोट: दिनांक 12 मई 2009 को भारत के राजपत्र संख्या 76 के प्रशासनिक मामलों को निर्धारित करने वाले अध्यादेश के अध्याय 9 में प्रकाशित प्रकाशन क्रम संख्या 6 को निरस्त किया जाता है।

### 2015 का अध्यादेश 23

[कार्यकारी समिति संकल्प सं.का स. 2015-31-34 दि. 26-06-2015 के तहत]

#### नॉटिकल अध्ययन स्कूल में असोसियेट प्रोफेसर पद के लिए भर्ती नियम

(1)	पद का नाम	असोसियेट प्रोफेसर
(2)	पदों की संख्या	14
(3)	वर्गीकरण	शिक्षक
(4)	वेतनमान	वेतन बैंड-4 रु.37400 - 67000, एजीपी रु.9000 के साथ प्रबंधन स्तर में, आठ अग्रिम वेतनवृद्धि की सीमा के साथ, समुद्री सेवा के प्रत्येक तीन वर्षों के लिए एक अग्रिम वेतनवृद्धि, बशर्ते कि सहायक प्रोफेसर के रूप में भर्ती के समय किसी लाभ प्राप्त न किया गया हो।
(5)	प्रवरण पद या गैर प्रवरण पद	सीधे भर्ती के लिए लागू नहीं पदोन्नति के प्रकरण में चयन द्वारा
(6)	सीधे भर्ती के लिए आयु सीमा	53 वर्षों से अधिक नहीं (उपयुक्त प्रकरणों में कुलपति द्वारा 2 वर्षों तक छूट दी जा सकती है)
(7)	सीधे भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	<b>अनिवार्य</b> <u>वर्ग 1 - मेराइनर्स बिना पीएच डी के</u> अ. मास्टर (फ़ोरिन गोइंग) सर्टिफ़िकेट ऑफ़ कोम्पेटेंस आ. वर्तमान में लागू एसटीसीडब्ल्यू कन्वेन्शन के अनुसार प्रबंधन स्तर में निम्नतम दो वर्ष का नौकायन अनुभव और इ. निम्न क्षेत्रों में से एक या अधिक में समुद्री उद्योग में निम्नतम दस वर्षों का अनुभव (i) प्रबंधन स्तर में नौकायन अनुभव [उपरोक्त (अ) में उल्लिखित निम्नतम दो को पार करके], (ii) मान्यता प्राप्त समुद्री संस्थान में नॉटिकल इंजीनियरिंग शिक्षण, (iii) जहाजरान महानिदेशालय में या किसी मान्यता प्राप्त वर्गीकरण सोसाइटी में नॉटिकल सर्वेक्षक, (iv) किसी विख्यात जहाज स्वामित्व या जहाज प्रबंधन कंपनी में तकनीकी अधीक्षक (v) मुख्य बंदरगाह में पायलेट, और

		<p>ई. भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित अर्हता परीक्षा में उत्तीर्णता</p> <p style="text-align: center;">[या]</p> <p><u>वर्ग II- मेराइनर्स पीएच डी के साथ</u></p> <p>अ. मास्टर (फ़ोरेन गोइंग) सर्टिफ़िकेट ऑफ़ कोम्पेटेंस के साथ वर्तमान में लागू एसटीसीडब्ल्यू कन्वेंशन के अनुसार प्रबंधन स्तर में निम्नतम छः माह का नौकायन अनुभव; और</p> <p>आ. भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय या भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय द्वारा संबंधित विषय में प्रदत्त पी एचडी उपाधि और</p> <p>बशर्ते कि 31.12.2017 तक भर्तियों के लिए, 1.1.2014 के पूर्व प्राप्त एक्स्ट्रा मास्टर सर्टिफ़िकेट ऑफ़ कोम्पेटेंस को, भर्ती प्रयोगों के लिए मात्र, पी एचडी के समतुल्य माना जाएगा और</p> <p>इ. निम्न में से एक या अधिक क्षेत्र में समुद्री उद्योग में कम से कम आठ वर्षों का अनुभव</p> <p>(i) प्रबंधन स्तर में नौकायन अनुभव [उपरोक्त (अ) में निर्धारित निम्नतम छः महीनों के अलावा]</p> <p>(ii) मान्यता प्राप्त समुद्री संस्थान में नॉटिकल विज्ञान शिक्षण देनेवाले</p> <p>(iii) जहाजरान अहानिदेशालय में या किसी मान्यता प्राप्त वर्गीकरण सोसाइटी में नॉटिकल सर्वेक्षक</p> <p>(iv) विख्यात जहाज स्वामित्व या जहाज प्रबंधन कंपनी में तकनीकी अधीक्षक और</p> <p>v) मुख्य बंदरगाह में पायलेट</p> <p>vi) प्रकाशन के रूप में निम्नतम एक पुस्तक/ प्रकाशन के साथ प्रकाशन कार्य का प्रमाण और/या संदर्भित जर्नल में अनुसंधान/ नीति प्रपत्र</p> <p style="text-align: center;">[या]</p> <p><u>वर्ग III- पीएच डी के साथ सहायक प्रोफेसरों से</u></p> <p>अ. भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय या भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय द्वारा संबंधित विषय में प्रदत्त पी एचडी उपाधि और</p> <p>आ. भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय में या भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय में नॉटिकल विज्ञान में सहायक प्रोफेसर के रूप में आठ वर्षों का अनुभव</p> <p>इ. प्रकाशन के रूप में निम्नतम 4 पुस्तकों/ प्रकाशनों के साथ प्रकाशन कार्य का प्रमाण और/या संदर्भित जर्नल में अनुसंधान/ नीति प्रपत्र</p>
(8)	पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति के प्रकरणों में क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएँ लागू होगी	आयु : नहीं शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ : हाँ

(9)	परीवीक्षणवधि अगर हो तो	सीधी भर्ती के लिए मात्र 2 वर्ष
(10)	भर्ती की तरीका	सीधी भर्ती / पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेश एक अभ्यर्थी जिन्होंने प्रतिनियुक्ति पर असोसियेट प्रोफेसर के रूप में 3 वर्ष संतोषजनक कार्य किया है वह समावेश के लिए अर्ह है
(11)	पदोन्नति के प्रकरण में, पदोन्नति जिस ग्रेड से किया जाना है	एजीपी रु.8000 के साथ तीन वर्ष शिक्षण पूर्ण करने वाले एक सहायक प्रोफेसर को संतोषजनक निष्पादन तथा विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा मूल्यांकन के तहत, वेतनबैंड रु.37,400-67,000, एजीपी रु.9000 के अर्ह होंगे और उन्हें असोसियेट प्रोफेसर पदनाम से अभिहित किया जाएगा।
(12)	चयन समिति / विभागीय पदोन्नति समिति की संरचना	चयन समिति / विभागीय पदोन्नति समिति में निम्न होंगे (i) कुलपति (ii) सम कुलपति (iii) आगन्तुक की एक नामिती (iv) संबंधित विभाग का विभागाध्यक्ष (v) कुलपति द्वारा एक प्रोफेसर नामित किया जाएगा (vi) असोसियेट प्रोफेसर जिस विषय से संबंधित है, उस विषय में विशेष ज्ञान या रुचि के लिए, शिक्षा परिषद द्वारा सिफारिश किये गये नामों की पैनल में से, कार्यकारिणी समिति द्वारा नामित विश्वविद्यालय की सेवा में न रहने वाले दो व्यक्ति। चयन समिति का कार्यवृत्त, निम्न तीनों में से कम से कम किन्हीं दो सदस्यों द्वारा बैठक में भाग न लेने पर मान्य नहीं होगा - आगन्तुक की नामिती, साथ-साथ, कार्यकारिणी समिति के दो नामिती।
(13)	सेवानिवृत्ति □ यु	65 वर्ष
(14)	टिप्पणी	1. संभाव्य अभ्यर्थी की लगातार डिस्चार्ज प्रमाण पत्र में उल्लिखित ऑन बोर्ड जहाज साइन-ऑन तथा साइन ऑफ से संबंधित प्रविष्टि को नौकायन अनुभव के रूप में लिया जाएगा। 2. निम्न में भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम रहेगा अ. पी.एचडी, संबंधित विषय में है कि नहीं आ. जहाज स्वामित्व या जहाज प्रबंधन कंपनी या समुद्री प्रशिक्षण में अनुभव को हिसाब में लेना है कि नहीं 3. पूर्णकालीन पीएच डी प्राप्ति हेतु व्यतीत समय को अर्हता सेवा में हिसाब में नहीं लिया जाएगा। 4. भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले आदेशों के अनुपालन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े जाति/शारीरिक विकलांग अभ्यर्थियों के उच्च आयु सीमा में छूट दिया जाएगा। 5. अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि ह□अर्हता शर्तों को निर्धारित करने के लिए मुख्य तिथि होग□

नोट: दिनांक 12 मई, 2009 को भारत के राजपत्र संख्या 76 के [प्रशासनिक मामलों को निर्धारित करने वाले अध्यादेश] के अध्याय 9 में प्रकाशित प्रकाशन क्रम संख्या 5 को निरस्त किया जाता है।

**2015 का अध्यादेश 24***[कार्यकारी समिति संकल्प सं.का स. 2015-31-34 दि. 26-06-2015 के तहत]***नॉटिकल अध्ययन स्कूल में प्रोफेसर पद के लिए भर्ती नियम**

(1)	पद का नाम	प्रोफेसर
(2)	पदों की संख्या	7
(3)	वर्गीकरण	शिक्षक
(4)	वेतनमान	वेतन बैंड-4, रु.37,400 – 67,000, एजीपी रु.10000 के साथ प्रबंधन स्तर में समुद्री सेवा के प्रत्येक चार वर्षों के लिए एक अग्रिम वेतनवृद्धि बशर्ते कि सहायक प्रोफेसर/असोसियेट प्रोफेसर के रूप में भर्ती के समय इस लाभ को उठाया नहीं गया हो
(5)	प्रवरण पद या गैर प्रवरण पद	सीधी भर्ती के लिए लागू नहीं पदोन्नति के प्रकरण में चयन द्वारा
(6)	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	58 वर्ष से अधिक नहीं (उपयुक्त प्रकरणों में कुलपति द्वारा 2 वर्षों तक छूट दी जा सकती है)
(7)	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	<b>अनिवार्य:</b> वर्ग 1 : पीएच डी के साथ मेराइनर्स से अ. मास्टर (फ़ोरेन गोइंग) सर्टिफ़िकेट ऑफ़ कोम्पेटेंसिफ़िकेस साथ वर्तमान में लागू एसटीसीडब्ल्यू कन्वेंशन के अनुसार प्रबंधन स्तर में निम्नतम छः माह का नौकायन अनुभव; और आ. भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय या भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय द्वारा संबंधित विषय में प्रदत्त पी एचडी उपाधि बशर्ते कि 31.12.2017 तक भर्तियों के लिए, 1.1.2014 के पूर्व प्राप्त एक्स्ट्रा मास्टर सर्टिफ़िकेट ऑफ़ कोम्पेटेंसिफ़िकेस, भर्ती प्रयोगों के लिए मात्र, पी एचडी के समतुल्य माना जाएगा और इ. निम्न में से एक या अधिक क्षेत्र में समुद्री उद्योग में कम से कम पन्द्रह वर्षों का अनुभव (i) प्रबंधन स्तर में नौकायन अनुभव [उपरोक्त (अ) में निर्धारित निम्नतम छः महीनों के अलावा] (ii) मान्यता प्राप्त समुद्री संस्थान में नॉटिकल विज्ञान शिक्षण देने वाले (iii) जहाजरान/जहाजनिदेशालय में या किसी मान्यता प्राप्त वर्गीकरण सोसाइटी में नॉटिकल सर्वेक्षक (iv) विख्यात जहाज स्वामित्व या जहाज प्रबंधन कंपनी में तकनीकी अधीक्षक और v) मुख्य बंदरगाह में पायलेट vi) प्रकाशन के रूप में निम्नतम त्रिपुस्तकों/ प्रकाशनों के साथ

		<p>प्रकाशन कार्य का प्रमाण और/या संदर्भित जर्नल में अनुसंधान/ नीति प्रपत्र</p> <p><u>वांछनीय</u> : पोस्ट ग्रेजुएट या पीएच डी में विद्यार्थियों को मार्गदर्शन</p> <p>[या]</p> <p><u>वर्ग 2 - पीएच डी के साथ असोसियेट प्रोफेसरों से</u></p> <p>अ. भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय या भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय द्वारा संबंधित विषय में प्रदत्त पीएच डी उपाधि और</p> <p>आ. भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय में नॉटिकल विज्ञान में असोसियेट प्रोफेसर के रूप में चार वर्षों का अनुभव</p> <p>इ. प्रकाशन के रूप में निम्नतम 10 पुस्तकों/प्रकाशनों के साथ प्रकाशन कार्य का प्रमाण और/या संदर्भित जर्नल में अनुसंधान/ नीति प्रपत्र</p> <p><u>वांछनीय</u> : पोस्ट ग्रेजुएट या पीएच डी स्तर में विद्यार्थियों को मार्गदर्शन</p>
(8)	पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति के प्रकरणों में क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएँ लागू होंगी	<p>आयु : नहीं</p> <p>शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं : हाँ</p>
(9)	परीवीक्षणवधि अगर हो तो	सीधी भर्ती के लिए मात्र 2 वर्ष
(10)	भर्ती की तरीका	<p>सीधी भर्ती / पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेश</p> <p>अभ्यर्थी जिन्होंने प्रतिनियुक्ति पर प्रोफेसर के रूप में 3 वर्ष का संतोषजनक कार्य किया है वह समावेश के लिए अर्ह है।</p>
(11)	पदोन्नति के प्रकरण में, ग्रेड जिससे किया जाना है	<p>अ. भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय या भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय द्वारा संबंधित विषय में प्रदत्त पीएच डी उपाधि और</p> <p>आ. भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय में असोसियेट प्रोफेसर के रूप में छः वर्षों का अनुभव</p> <p>इ. प्रकाशन के रूप में निम्नतम 10 पुस्तकों/ प्रकाशनों के साथ प्रकाशन कार्य का प्रमाण और/या संदर्भित जर्नल में अनुसंधान/ नीति प्रपत्र</p> <p>ई. संतोषजनक निष्पादन तथा विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा मूल्यांकन के तहत</p> <p><u>वांछनीय</u> : पोस्ट ग्रेजुएट या पीएच डी स्तर में विद्यार्थियों को मार्गदर्शन</p>
(12)	चयन समिति/ विभागीय पदोन्नति समिति की संरचना	<p>चयन समिति में निम्न होंगे</p> <p>(i) कुलपति</p> <p>(ii) सम कुलपति</p> <p>(iii) आगन्तुक की एक नामिती</p> <p>(iv) अगर प्रोफेसर हो तो, संबंधित विभाग का विभागाध्यक्ष</p> <p>(v) कुलपति द्वारा एक प्रोफेसर नामित किया जाएगा</p> <p>(vi) प्रोफेसर जिस विषय से संबंधित है, उस विषय में विशेष ज्ञान</p>

		या रुचि के लिए, शिक्षा परिषद द्वारा सिफारिश किये गये नामों की पैनल में से, कार्यकारिणी समिति द्वारा नामित विश्वविद्यालय की सेवा में न रहनेवाले तीन व्यक्ति। चयन समिति का कार्यवृत्त, निम्न चारों में से कम से कम किन्हीं तीन सदस्यों द्वारा बैठक में भाग न लेने पर मान्य नहीं होगा - आगन्तुक की नामिती, साथ-साथ, कार्यकारिणी समिति के तीन नामिती।
(13)	सेवानिवृत्ति की आयु	65 वर्ष
(14)	टिप्पणी	<p>1. संभाव्य अभ्यर्थी की लगातार डिस्चार्ज प्रमाण पत्र में उल्लिखित ऑन बोर्ड जहाज साइन-ऑन तथा साइन ऑफ से संबंधित प्रविष्टि को नौकायन अनुभव के रूप में लिया जाएगा।</p> <p>2. निम्न में भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय द्वारा लिया जानेवाले निर्णय अंतिम रहेगा</p> <p>(i) पी.एचडी, संबंधित विषय में है कि नहीं और</p> <p>(ii) जहाज स्वामित्व या जहाज प्रबंधन कंपनी या समुद्री प्रशिक्षण संस्था में अनुभव को हिसाब में लेना है कि नहीं</p> <p>(iii) संदर्भित जर्नलों में प्रकाशनों को स्वीकृत करना है कि नहीं तथा उन्हें क्या वेइटेज दिया जाना है</p> <p>3. पूर्णकालीन पी एचडी प्राप्त करने के लिए व्यतलि समय को, अर्हता सेवा हेतु हिसाब में नहीं लिया जाएगा।</p> <p>4. भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये जानेवाले आदेशों के अनुपालन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े जाति/ शारीरिक विकलांग अभ्यर्थियों के उच्च आयु सीमा में छूट दिया जाएगा।</p> <p>5. अर्हता शर्तों को निर्धारित करने के लिए मुख्य तिथि ही, अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति के लिए अंतिम दिन होगी।</p>

नोट: दिनांक 12 मई 2009 को भारत के राजपत्र संख्या 76 के प्रशासनिक मामलों को निर्धारित करने वाले अध्यादेश के अध्याय 9 में प्रकाशित प्रकाशन क्रम संख्या 4 को निरस्त किया जाता है।

## 2015 का अध्यादेश 25

[कार्यकारी समिति संकल्प सं. का सं. 2015-31-35 दि. 26-06-2015 के तहत]

### मरीन इंजीनियरिंग व टेक्नालजी स्कूल में सहायक प्रोफेसर पद के लिए भर्ती नियम

(1)	पद का नाम	सहायक प्रोफेसर
(2)	पदों की संख्या	24
(3)	वर्गीकरण	शिक्षक
(4)	वेतनमान	<p>वेतन बैंड - 3 रु. 15600-39100, एजीपी रु. 6000 के साथ सहायक प्रोफेसर के रूप में 6 वर्ष की सेवा संतोषजनक पूर्ण करने पर, एजीपी रु. 7,000 के लिए अर्ह होंगे</p> <p>एजीपी रु. 7,000 के साथ 5 वर्ष की सेवा संतोषजनक पूर्ण करने पर, एजीपी रु. 8,000 के लिए अर्ह होंगे</p> <p>प्रबंधन स्तर में समुद्री सेवा की प्रत्येक 2 वर्षों के लिए, 10 अग्रिम वेतनवृद्धि सीमा के साथ, एक अग्रिम वेतनवृद्धि दिया जाएगा</p>

(5)	प्रवरण पद या गैर प्रवरण पद	लागू नहीं
(6)	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	43 वर्षों से अधिक नहीं (उपयुक्त प्रकरणों में कुलपति द्वारा 2 वर्ष तक छूट दी जा सकती है)
(7)	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	<b>अनिवार्य:</b> अ. एमईओ क्लास 1 (मोटर) सर्टिफिकेट ऑफ कोम्पेटेंसी और आ. वर्तमान में लागू एसटीसीडब्ल्यू कन्वेन्शन के अनुसार प्रबंधन स्तर में निम्नतम छः महीने का नौकायन अनुभव और इ. भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित अर्हता परीक्षा में उत्तीर्णता। संबंधित विषय में पीएच डी के साथ अभ्यर्थियों के लिए इस अर्हता परीक्षा से छूट दिया जाएगा।
(8)	पदोन्नति के प्रकरणों में क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं लागू होंगी	लागू नहीं
(9)	परीवीक्षणवधि अगर हो तो	2 वर्ष
(10)	भर्ती की तरीका	सीधी भर्ती मात्र
(11)	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती के प्रकरण में, पदोन्नति /प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किस ग्रेड से किया जाना है ?	लागू नहीं
(12)	चयन समिति की संरचना	चयन समिति में निम्न होंगे (i) कुलपति (ii) सम कुलपति (iii) आगन्तुक की एक नामिती (iv) संबंधित विभाग का विभागाध्यक्ष (v) कुलपति द्वारा एक प्रोफेसर नामित किया जाएगा (vi) सहायक प्रोफेसर जिस विषय से संबंधित है, उस विषय में विशेष ज्ञान या रुचि के लिए, शिक्षा परिषद द्वारा सिफारिश किये गये नामों की पैनल में से, कार्यकारिणी समिति द्वारा नामित विश्वविद्यालय की सेवा में न रहनेवाले दो व्यक्ति। चयन समिति का कार्यवृत्त, निम्न तीनों में से कम से कम किन्हीं दो सदस्यों द्वारा बैठक में भाग न लेने पर मान्य नहीं होगा - आगन्तुक की नामिती, साथ-साथ, कार्यकारिणी समिति के दो नामिती।
(13)	सेवानिवृत्ति की आयु	65 वर्ष
(14)	टिप्पणी	1. संभाव्य अभ्यर्थी की लगातार डिस्चार्ज प्रमाण पत्र में उल्लिखित ऑन बोर्ड जहाज साइन-ऑन तथा साइन ऑफ से संबंधित प्रविष्टि को नौकायन अनुभव के रूप में लिया जाएगा। 2. पी.एचडी, संबंधित विषय में है कि नहीं इससे संबंधित भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम हागा और 3. भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये जानेवाले आदेशों के अनुपालन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े जाति/शारीरिक विकलांग अभ्यर्थियों के उच्च आयु सीमा में छूट दिया जाएगा। 4. अर्हता शर्तों को निर्धारित करने के लिए मुख्य तिथि ही, अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति के लिए अंतिम दिन होगी।

नोट: दिनांक 12 मई, 2009 को भारत के राजपत्र संख्या 76 के "प्रशासनिक मामलों को निर्धारित करने वाले अध्यादेश" के अध्याय 9 में प्रकाशित प्रकाशन क्रम संख्या 6 को निरस्त किया जाता है।

**2015 का अध्यादेश 26**

[कार्यकारी समिति संकल्प सं. का. सं. 2015-31-35 दि. 26-06-2015 के तहत]

**मरीन इंजीनियरिंग व टेक्नोलोजी स्कूल में असोसियेट प्रोफेसर पद के लिए भर्ती नियम**

(1)	पद का नाम	असोसियेट प्रोफेसर
(2)	पदों की संख्या	20
(3)	वर्गीकरण	शिक्षक
(4)	वेतनमान	वेतन बैंड-4 रु.37400-67000, एजीपी रु.9000 के साथ आठ अग्रिम वेतनवृद्धि सीमा के तहत प्रबंधन स्तर में समुद्री सेवा के प्रत्येक तीन वर्षों के लिए एक अग्रिम वेतनवृद्धि । बशर्ते कि सहायक प्रोफेसर के रूप में भर्ती के समय यह लाभ नहीं उठाया गया है।
(5)	प्रवरण पद या गैर प्रवरण पद	सीधी भर्ती के लिए लागू नहीं पदोन्नति के प्रकरण में चयन द्वारा
(6)	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	53 वर्ष से अधिक नहीं (उपयुक्त प्रकरणों में कुलपति द्वारा 2 वर्ष तक छूट दी जा सकती है)
(7)	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	<b>अनिवार्य:</b> <u>वर्ग - 1 मेराइनर बिना पीएच डी के</u> अ. एमईओ क्लास 1 (मोटर) सर्टिफिकेट ऑफ कोम्पेटेंसी और आ. वर्तमान में लागू एसटीसीडब्ल्यू कन्वेंशन के अनुसार प्रबंधन स्तर में निम्नतम दो वर्ष का नौकायन अनुभव और इ. निम्न में से एक या अधिक क्षेत्र में समुद्री उद्योग में कम से कम दस वर्षों का अनुभव (i) प्रबंधन स्तर में नौकायन अनुभव (उपरोक्त (□) में निर्धारित निम्नतम दो वर्ष के अलावा) (ii) मान्यता प्राप्त समुद्री संस्थान में नॉटिकल विज्ञान या समुद्री इंजीनियरिंग शिक्षण देनेवाले (iii) जहाजरानी महानिदेशालय में या किसी मान्यता प्राप्त वर्गीकरण सोसाइटी में नॉटिकल या इंजीनियरिंग सर्वेक्षक (iv) किसी जहाज स्वामित्व या जहाज प्रबंधन कंपनी में तकनीकी अधीक्षक और इ. भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित एक अर्हता परीक्षा में उत्तीर्णता  [या] <u>वर्ग II - पीएच डी के साथ मेराइनरों से</u> अ. एमईओ क्लास 1 (मोटर) सर्टिफिकेट ऑफ कोम्पेटेंसी और वर्तमान में लागू एसटीसीडब्ल्यू कन्वेंशन के अनुसार प्रबंधन स्तर में निम्नतम छः महीने का नौकायन अनुभव और आ. भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय या भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय



		<p>से मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त संबंधित विषय में पीएच डी उपाधि</p> <p>बशर्ते कि 31.12.2017 तक किये जानेवाले भर्ती के लिए, 1.1.2014 के पूर्व प्राप्त क्षमता के लिए प्रथम वर्ग प्रमाण पत्र को, भर्ती प्रयोगों के लिए मात्र पीएच डी के समतुल्य माना जाएगा और</p> <p>इ. निम्न में से एक या अधिक क्षेत्रों में समुद्री उद्योग में कम से कम आठ वर्षों का अनुभव</p> <p>(i) प्रबंधन स्तर में नौकायन अनुभव (उपरोक्त (अ) में निर्धारित निम्नतम छः महीने के अलावा)</p> <p>(ii) मान्यता प्राप्त समुद्री संस्थान में मरीन इंजीनियरिंग का शिक्षण प्रदान करनेवाले</p> <p>(iii) पोत महानिदेशालय में या किसी मान्यता प्राप्त वर्गीकरण सोसाइटी में इंजीनियरिंग सर्वेक्षक</p> <p>(iv) किसी जहाज स्वामित्व या जहाज प्रबंधन कंपनी में तकनीकी अधीक्षक</p> <p>v) प्रकाशन के रूप में निम्नतम एक पुस्तक/प्रकाशन के साथ प्रकाशन कार्य का प्रमाण और/या संदर्भित जर्नल में अनुसंधान/नीति प्रपत्र</p> <p style="text-align: center;">[या]</p> <p><u>वर्ग 3 – पीएच डी के साथ सहायक प्रोफसरों से</u></p> <p>अ. भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय या भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा संबंधित विषय में प्रदत्त पीएच डी उपाधि और</p> <p>आ. भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय या भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय में मरीन इंजीनियरिंग में सहायक प्रोफेसर के रूप में आठ वर्षों का अनुभव</p> <p>इ. प्रकाशन के रूप में निम्नतम 4 पुस्तकों/ प्रकाशनों के साथ प्रकाशन कार्य का प्रमाण और/ या संदर्भित जर्नल में अनुसंधान/नीति प्रपत्र</p>
(8)	पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति के प्रकरणों में क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएँ लागू होगी	<p>आयु : नहीं</p> <p>शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ : हाँ</p>
(9)	परीवीक्षणवधि अगर हो तो	सीधी भर्ती के लिए मात्र 2 वर्ष
(10)	भर्ती का तरीका	<p>सीधे भर्ती/पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ समावेश</p> <p>अभ्यर्थी जिन्होंने प्रतिनियुक्ति पर असोसियेट प्रोफेसर के रूप में 3 वर्ष का सतोषजनक कार्य किया है वह समावेश के लिए अर्ह है।</p>
(11)	पदोन्नति के प्रकरण में, पदोन्नति किस ग्रेड से दिया जाना है?	<p>एक सहायक प्रोफेसर, जिन्होंने रु. 8000 की एजीपी में 3 वर्ष का शिक्षण कार्य पूर्ण कर चुका है, वह संतोषजनक निष्पादन तथा विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा मूल्यांकन के तहत, बेतन बैंड रु. 37,400-67,000, एजीपी रु. 9000 तक चालन होने अर्ह होंगे और उन्हें असोसियेट प्रोफेसर नामकरण से अभिहित किया जाएगा।</p>
(12)	चयन समिति/ विभागीय पदोन्नति समिति की संरचना	चयन समिति/ विभागीय पदोन्नति समिति में निम्न होंगे

		<p>(i) कुलपति (ii) सम कुलपति (iii) आगन्तुक की एक नामिती (iv) संबंधित विभाग का विभागाध्यक्ष (v) कुलपति द्वारा एक प्रोफेसर नामित किया जाएगा (vi) असोसियेट प्रोफेसर जिस विषय से संबंधित है उस विषय में विशेष ज्ञान या रुचि के लिए, शिक्षा परिषद द्वारा सिफारिश किये गये नामों की पैनल में से, कार्यकारिणी समिति द्वारा विश्वविद्यालय की सेवा में न रहनेवाले दो व्यक्तियों को नामित किया जाएगा। चयन समिति का कार्यवृत्त, निम्न तीनों में से कम से कम किन्हीं दो सदस्यों द्वारा बैठक में भाग न लेने पर मान्य नहीं होगा - आगन्तुक की नामिती, साथ-साथ, कार्यकारिणी समिति के दो नामिती।</p>
(13)	सेवानिवृत्ति की आयु	65 वर्ष
(14)	टिप्पणी	<p>1. संभाव्य अभ्यर्थी की लगातार डिस्चार्ज प्रमाण पत्र में उल्लिखित ऑन बोर्ड जहाज साइन-ऑन तथा साइन ऑफ से संबंधित प्रविष्टि को नौकायन अनुभव के रूप में लिया जाएगा। 2. निम्न विषयों में भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय का निर्णय ही अंतिम होगा। (i). पी.एचडी, संबंधित विषय में है कि नहीं और (ii). जहाज स्वामित्व या जहाज प्रबंधन कंपनी या समुद्री प्रशिक्षण संस्था में अनुभव को हिसाब में लेना है कि नहीं 3. पूर्णकालीन पीएच डी प्राप्त करने के लिए व्यतीत समय को, अर्हता सेवा हेतु हिसाब में नहीं लिया जाएगा। 4. भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये जानेवाले आदेशों के अनुपालन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े जाति/ शारीरिक विकलांग अभ्यर्थियों के उच्च आयु सीमा में छूट दिया जाएगा। 5. अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि ही अर्हता शर्तों को निर्धारित करने के लिए मुख्य तिथि होगी।</p>

नोट: दिनांक 12 मई, 2009 को भारत के राजपत्र संख्या 76 के [प्रशासनिक मामलों को निर्धारित करने वाले अध्यादेश] के अध्याय 9 में प्रकाशित प्रकाशन क्रम संख्या 5 को निरस्त किया जाता है।

## 2015 का अध्यादेश 27

[कार्यकारी समिति संकल्प सं. का. सं. 2015-31-35 दि 26-06-2015 के तहत]

### मरीन इंजीनियरिंग व टेक्नोलोजी स्कूल में प्रोफेसर पद के लिए भर्ती नियम

(1)	पद का नाम	प्रोफेसर
(2)	पदों की संख्या	9
(3)	वर्गीकरण	शिक्षक
(4)	वेतनमान	वेतन बैंड 4; रु.37,400-67,000, एजीपी रु.10000 के साथ प्रबंधन स्तर में समुद्री सेवा में प्रत्येक चार वर्षों के लिए एक अग्रिम वेतनवृद्धि। बशर्ते कि सहायक प्रोफेसर या असोसियेट प्रोफेसर के रूप में भर्ती के समय इस सुविधा प्राप्त न किये हो

(5)	प्रवरण पद या गैर प्रवरण पद	सीधी भर्ती के लिए लागू नहीं पदोन्नति के प्रकरण में चयन द्वारा
(6)	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	58 वर्षों से अधिक नहीं (उपयुक्त प्रकरणों में कुलपति द्वारा 2 वर्षों के लिए छूट दी जा सकती है)
(7)	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	<p><b>अनिवार्यः</b></p> <p><b>वर्ग I – मेराइन्स पीएच डी के साथ</b></p> <p>अ. एमईओ क्लास 1 (मोटर) सर्टिफिकेट ऑफ कोम्पेटेंसी और वर्तमान में लागू एसटीसीडब्ल्यू कन्वेंशन के अनुसार प्रबंधन स्तर में निम्नतम छः महीने का नौकायन अनुभव और</p> <p>आ. भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त या भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्रदत्त किसी विश्वविद्यालय में पीएच डी उपाधि</p> <p>बशर्ते कि 31.12.2017 तक भर्तियों के लिए, 1.1.2014 के पूर्व प्राप्त एक्स्ट्रा फ़र्स्ट क्लास सर्टिफिकेट ऑफ कोम्पेटेंसी को, भर्ती प्रयोगों के लिए मात्र, पी एचडी के समतुल्य माना जाएगा और</p> <p>इ. निम्न क्षेत्रों में से एक या अधिक में समुद्री उद्योग में निम्नतम पंद्रह वर्षों का अनुभव</p> <p>(i). प्रबंधन स्तर में नौकायन अनुभव (उपरोक्त (अ) में उल्लिखित निम्नतम छ महीने के अलावा)</p> <p>(ii). मान्यता प्राप्त समुद्री संस्थान में मरीन इंजीनियरिंग शिक्षण</p> <p>(iii). जहाजरानी महानिदेशालय में या किसी मान्यता प्राप्त वर्गीकरण सोसाइटी में इंजीनियरिंग सर्वेक्षक</p> <p>(iv). किसी विख्यात जहाज स्वामित्व या जहाज प्रबंधन कंपनी में तकनीकी अधीक्षक</p> <p>(v). प्रकाशन के रूप में निम्नतम तीन पुस्तकों/ प्रकाशनों के साथ प्रकाशन कार्य का प्रमाण और/या संदर्भित जर्नल में अनुसंधान/ नीति प्रपत्र</p> <p><i>वांछनीयः</i> पोस्ट ग्रेजुएट या पीएच डी स्तर में विद्यार्थियों को मार्गदर्शन</p> <p style="text-align: center;">[या]</p> <p><b>वर्ग II: पी एचडी के साथ असोसियेट प्रोफसरों से</b></p> <p>अ. भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय या भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय द्वारा संबंधित विषय में प्रदत्त पीएच डी उपाधि और</p> <p>आ. भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय में या उससे मान्यता प्राप्त किसी अन्य विश्वविद्यालय में समुद्री इंजीनियरिंग में असोसियेट प्रोफसर के रूप में चार वर्षों का अनुभव</p> <p>इ. प्रकाशन के रूप में निम्नतम 10 पुस्तकों/प्रकाशनों के साथ प्रकाशन कार्य का प्रमाण और/या संदर्भित जर्नल में अनुसंधान/ नीति प्रपत्र</p>

		<b>वांछनीय</b> : पोस्ट ग्रेजुएट या पीएचडी स्तर में विद्यार्थियों को मार्गदर्शन
(8)	पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति के प्रकरणों में क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएँ लागू होगी	आयु : नहीं शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ : हाँ
(9)	परीवीक्षणवधि अगर हो तो	सीधी भर्ती के लिए मात्र 2 वर्ष
(10)	भर्ती का तरीका	सीधी भर्ती/पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ समावेश अभ्यर्थी जिन्होंने प्रतिनियुक्ति में प्रोफसर के रूप में 3 वर्ष का कार्य संतोषजनक किया है वह समावेश के लिए अर्ह है।
(11)	पदोन्नति के प्रकरण में, किस ग्रेड से किया जाना है।	अ. भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय या भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय द्वारा संबंधित विषय में प्रदत्त पीएच डी उपाधि और आ. भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय में असोसियेट प्रोफसर के रूप में छः वर्षों का अनुभव इ. प्रकाशन के रूप में निम्नतम 10 पुस्तकों/ प्रकाशनों के साथ प्रकाशन कार्य का प्रमाण और/या संदर्भित जर्नल में अनुसंधान/ नीति प्रपत्र ई. संतोषजनक निष्पादन और विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा मूल्यांकन के तहत <b>वांछनीय</b> : पोस्ट ग्रेजुएट या पीएचडी स्तर में विद्यार्थियों को मार्गदर्शन
(12)	चयन समिति/ विभागीय पदोन्नति समिति की संरचना	चयन समिति में निम्न होंगे (i) कुलपति (ii) सम कुलपति (iii) आगन्तुक की एक नामिती (iv) अगर प्रोफसर हो तो संबंधित विभाग का विभागाध्यक्ष (v) कुलपति द्वारा एक प्रोफसर नामित किया जाएगा (vi) प्रोफसर जिस विषय से संबंधित है उस विषय में विशेष ज्ञान या रुचि के लिए शिक्षा परिषद द्वारा सिफारिश किये गये नामों की पैनल में से, कार्यकारिणी द्वारा विश्वविद्यालय की सेवा में न रहने वाले तीन व्यक्तियों को नामित किया जाएगा। चयन समिति का कार्यवृत्त, निम्न चारों में से कम से कम किन्हीं तीन सदस्यों द्वारा बैठक में भाग न लेने पर मान्य नहीं होगा - आगन्तुक की नामिती, साथ-साथ, कार्यकारिणी समिति के तीन नामिती।
(13)	सेवानिवृत्ति की आयु	65 वर्ष
(14)	टिप्पणी	1. संभाव्य अभ्यर्थी की लगातार डिस्चार्ज प्रमाण पत्र में उल्लिखित ऑन बोर्ड जहाज साइन-ऑन तथा साइन ऑफ से संबंधित प्रविष्टि को नौकायन अनुभव के रूप में लिया जाएगा। 2. निम्न विषयों में भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय का निर्णय ही अंतिम होगा। (i). पी.एचडी, संबंधित विषय में है कि नहीं और (ii). जहाज स्वामित्व या जहाज प्रबंधन कंपनी या समुद्री

	<p>प्रशिक्षा संस्था में अनुभव को हिसाब में लेना है कि नहीं (iii). संदर्भ जर्नल में प्रकाशन को स्वीकृत करना है कि न ही और उसपर क्या वेइटेज दिया जाना है?</p> <p>3. पूर्णकालीन पी एचडी प्राप्त करने के लिए लिये गये समय को, अर्हता सेवा हेतु हिसाब में नहीं लिया जाएगा।</p> <p>4. भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये जानेवाले आदेशों के अनुपालन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े जाति/शारीरिक विकलांग अभ्यर्थियों के उच्च आयु सीमा में छूट दिया जाएगा।</p> <p>5. अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि ही अर्हता शर्तों को निर्धारित करने के लिए मुख्य तिथि होगी।</p>
--	--

नोट: दिनांक 12 मई, 2009 को भारत के राजपत्र संख्या 76 के [प्रशासनिक मामलों को निर्धारित करने वाले अध्यादेश] के अध्याय 9 में प्रकाशित प्रकाशन क्रम संख्या 4 को निरस्त किया जाता है।

### 2015 का अध्यादेश 28

[कार्यकारी समिति संकल्प सं. का स 2015-31-36 दि 26-06-2015 के तहत]

#### परिसर निदेशक पद के लिए भर्ती नियम

1.	पद का नाम	परिसर निदेशक
2.	पदों की संख्या	5
3.	वर्गीकरण	वर्ग 1 सेवा
4.	वेतनमान	वेतन बैंड 4 रु. 37400- 67000, एजीपी रु. 10,000 के साथ
5.	प्रवरण पद या गैर प्रवरण पद	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	60 वर्षों से अधिक नहीं (उपयुक्त प्रकरणों में कुलपति द्वारा 2 वर्ष तक छूट दी जा सकती है)
7.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	<p><u>वर्ग 1 - मेराइनर से</u></p> <p>अ. मास्टर (फ़ोरन गोइंग)/एमईओ क्लास 1 (मोटर) सर्टिफिकेट ऑफ क्रोम्पेटेंसी और वर्तमान में लागू एसटीसीडब्ल्यू कन्वेंशन के अनुसार प्रबंधन स्तर में निम्नतम छः महीने का नौकायन अनुभव और</p> <p>आ. भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय या भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त किसी अन्य विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त संबंधित विषय में पीएचडी उपाधि।</p> <p>इ. बशर्ते कि 31.12.2017 तक भर्तियों के लिए, 1.1.2014 के पूर्व प्राप्त एक्स्ट्रा मास्टर/एक्स्ट्रा फ़र्स्ट क्लास सर्टिफिकेट ऑफ क्रोम्पेटेंसी/ पीजीडीएमओएम, भर्ती प्रयोगों के लिए मात्र, पी एचडी के समतुल्य माना जाएगा और</p> <p>ई. निम्न में से एक या अधिक क्षेत्र में समुद्री उद्योग में कम से कम पंद्रह वर्षों का अनुभव</p> <p>(i) प्रबंधन स्तर में नौकायन अनुभव (उपरोक्त (अ) में निर्धारित निम्नतम छः महीने के अलावा)</p> <p>(ii) मान्यता प्राप्त समुद्री संस्थान में नॉटिकल विज्ञान या</p>

		<p>मरीन इंजीनियरिंग शिक्षण देनेवाले</p> <p>(iii) जहाजरानी महानिदेशालय में या किसी मान्यता प्राप्त वर्गीकरण सोसाइटी में नॉटिकल या इंजीनियरिंग सर्वेक्षक</p> <p>(iv) किसी जहाज स्वामित्व या जहाज प्रबंधन कंपनी में तकनीकी अधीक्षक</p> <p><u>वांछनीय</u></p> <p>संदर्भित जर्नलों में पुस्तक और/ या अनुसंधान/ नीति प्रपत्रों के रूप में प्रकाशन का प्रमाण</p> <p>[या]</p> <p><u>वर्ग II – प्रोफसर या वैज्ञानिक 'जी' से</u></p> <p>अ. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग विषय में कम से कम 55 प्रतिशत के साथ पीएच डी उपाधि और</p> <p>आ. किसी केन्द्रीय या राज्य विश्वविद्यालय/ आईआईटी/ एनआईटी / अनुसंधान संस्था या समतुल्य में कम से कम प्रोफसर या वैज्ञानिक 'जी' और</p> <p><u>वांछनीय:</u></p> <p>(i). संदर्भित जर्नलों में पुस्तक और/ या अनुसंधान/ नीति प्रपत्रों के रूप में प्रकाशन का प्रमाण।</p> <p>(ii). पोस्ट ग्रेजुएट या पीएच डी स्तर में विद्यार्थियों को मार्गदर्शन</p> <p>[या]</p> <p><u>वर्ग III – नौसेना अधिकारियों से</u></p> <p>कामाडोर या उससे उच्च रैंक वाले सेवारत या सेवानिवृत्त नौसेना अधिकारी या नेविगेशन शाखा/मरीन इंजीनियरिंग शाखा/ नेवल आर्किटेक्चर शाखा में अनुभव के साथ तटरक्षक में समतुल्य रैंक</p> <p>[या]</p> <p><u>वर्ग IV – मुख्य बंदरगार व पीएसयू से</u></p> <p>अ. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग विषय में कम से कम 55 प्रतिशत अंक के साथ और</p> <p>आ. एक अधिकारी, जो किसी मुख्य बंदरगाह में परिवहन प्रबंधक या मुख्य अभियंता या मुख्य मकैनिकल अभियंता या उप संरक्षक के रूप में सेवारत हो</p> <p>(या)</p> <p>महारत्ना या नवरत्ना वर्ग या पब्लिक सेक्टर उद्यम (पीएसयू) में वरिष्ठ कार्यपालक के रूप में समुद्र संबंधित क्षेत्र में सेवारत व्यक्ति (बोर्ड स्तर से एक रैंक निचले) या पीएसयू के मिनीरत्ना वर्ग में निदेशक के रूप में</p>
8.	पदोन्नति के प्रकरणों में निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएँ	लागू नहीं
9.	परीवीक्षणावधि अगर हो तो	सीधी भर्ती के लिए एक वर्ष
10.	भर्ती का तरीका, सीधी भर्ती या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न तरीकों द्वारा भर्ती किये जाने योग्य पदों की प्रतिशत	प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती द्वारा प्रतिनियुक्ति के द्वारा हो तो, मातृ संस्था/ एजेन्सी में अपने सेवानिवृत्ति के पूर्व, कम से कम 3 वर्ष की एक पूर्ण समयावधि पूरा करने की स्थिति में रहना है।

11.	पदोन्नति के प्रकरण में, जिस ग्रेड से किया जाना है।	लागू नहीं
12.	अगर चयन समिति उपलब्ध है तो उसकी संरचना	<p>चयन समिति में निम्न होंगे</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. कुलपति, अध्यक्ष के रूप में</li> <li>2. कार्यकारिणी समिति द्वारा सिफारिश किये गये दो विशेषज्ञ</li> <li>3. कुलपति द्वारा नामित एक नामिती</li> </ol>
13.	टिप्पणी	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. परिसर निदेशक पद पर नियुक्ति प्रारंभ में 3 साल की होगी।</li> <li>2. संतोषजनक निष्पादन पर प्रत्येक बार 3 वर्ष की हिसाब से, 2 बार विस्तार की अर्हता प्राप्त है।</li> <li>3. प्रारंभ में परिसर निदेशक को एक विशिष्ट परिसर के लिए नियुक्त किये जाने पर भी, भारत में किसी भी परिसर में उन्हें स्थानांतरण किया जा सकता है तथा भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय, मुख्यालय में किसी समतुल्य पद पर उन्हें स्थानांतरण किया जा सकता है।</li> <li>4. अगर पूर्व विरासत संस्था के कर्मचारी को परिसर निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाएगा तो, सेवानिवृत्ति से संबंधित आयु लागू होगी।</li> <li>5. प्रतिनियुक्तियों के प्रकरण में, संबंधित संस्था में सेवानिवृत्ति की आयु सीमा लागू होगी।</li> <li>6. भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय में सीधी नियुक्तियों के लिए, सेवानिवृत्ति की आयु पैसठ होगी।</li> <li>7. उपरोक्त (1) और (2) में उल्लिखित भर्ती अवधि, उपरोक्त (4) से (6) में निर्धारित सेवानिवृत्ति आयु के तहत होगी।</li> <li>8. संभाव्य अभ्यर्थी की लगातार डिस्चार्ज प्रमाण पत्र में उल्लिखित ऑन बोर्ड जहाज साइन-ऑन तथा साइन ऑफ से संबंधित प्रविष्टि को नौकायन अनुभव माना जाएगा।</li> <li>9. निम्न विषयों में भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय का निर्णय ही अंतिम होगा। <ol style="list-style-type: none"> <li>(i) पी.एचडी, संबंधित विषय में है कि नहीं और</li> <li>(ii) जहाज स्वामित्व या जहाज प्रबंधन कंपनी या समुद्री प्रशिक्षण संस्था में अनुभव को हिसाब में लेना है कि नहीं</li> <li>(iii) संदर्भ जर्नल में प्रकाशन को स्वीकृत करना है कि नहीं और उसपर क्या वेडेटेज दिया जाना है ?</li> </ol> </li> <li>10. अर्हता सेवा हेतु, पूर्णकालीन पी एचडी प्राप्ति हेतु व्यतीत समय को हिसाब में नहीं लिया जाएगा।</li> <li>11. भारत से बाहर रहनेवाले अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों के विषय में, वीडियो कांफरेन्सिंग के जरिये साक्षात्कार आयोजित करने संबंधित अधिकार भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित है।</li> <li>12. भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये जानेवाले आदेशों के अनुपालन में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े जाति/ शारीरिक</li> </ol>

	विकलांग अभ्यर्थियों के उच्च आयु सीमा में छूट दिया जाएगा। 13. अर्हता शर्तों को निर्धारित करने के लिए मुख्य तिथि ही अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति के लिए अंतिम दिन होगी।
--	---

नोट: दिनांक 12 मई, 2009 को भारत के राजपत्र संख्या 76 के [प्रशासनिक मामलों को निर्धारित करने वाले अध्यादेश] के अध्याय 9 में प्रकाशित प्रकाशन क्रम संख्या 9 को निरस्त किया जाता है।

### 2015 का अध्यादेश 29

[कार्यकारी समिति संकल्प सं. का. सं. 2015-31-37 दि 26-06-2015 के तहत]

#### कार्यपालक अभियंता पद के लिए भर्ती नियम

1.	पद का नाम	कार्यपालक अभियंता
2.	पदों की संख्या	1
3.	वर्गीकरण	वर्ग 'ए'
4.	वेतनमान	वेतन बैंड - रु. 15600-39100, ग्रेड वेतन - रु.6600
5.	प्रवरण पद या गैर प्रवरण पद	प्रवरण पद
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	लागू नहीं
8.	पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति के प्रकरणों में क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएँ लागू होगी	लागू नहीं
9.	परीवीक्षणवधि अगर हो तो	लागू नहीं
10.	भर्ती का तरीका	प्रतिनियुक्ति/पदोन्नति /समावेश
11.	पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ समावेश द्वारा भर्ती के प्रकरण में, पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति / समावेश किस ग्रेड से किया जाना है	<p><b>पदोन्नति</b> : विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा उनकी उपयुक्तता मूल्यांकन के तहत कम से कम 10 वर्षों की नियमित सेवा तथा सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट उपाधि प्राप्त भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय के सहायक अभियंताओं से</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति</b> : सीपीडब्ल्यूडी या अन्य केन्द्रीय सरकार इंजीनियरिंग विभाग, संस्थाएँ, स्वायत्त बॉडी और पब्लिक सेक्टर उद्यम से नियमित कार्यपालक अभियंता या राज्य पीडब्ल्यूडी या अन्य राज्य सरकारी अभियंत्रिक विभाग, संस्था, स्वायत्त बॉडी और पब्लिक सेक्टर उद्यमों से नियमित कार्यपालक अभियंता</p> <p style="text-align: center;">[या]</p> <p>कम से कम 7 वर्षों की नियमित सेवा के साथ सहायक कार्यपालक अभियंता या सीपीडब्ल्यूडी से या उसके समतुल्य रैंक के अन्य केन्द्रीय सरकारी इंजीनियरिंग विभाग, संस्था, स्वायत्त बॉडी और पब्लिक सेक्टर उद्यम या सहायक से सेवा में कम से कम 15 वर्षों की नियमित सेवा या राज्य पीडब्ल्यूडी या अन्य राज्य सरकार इंजीनियरिंग विभाग, संस्था, स्वायत्त बॉडी तथा पब्लिक सेक्टर उद्यम से कम से कम 7 वर्षों की नियमित सेवा।</p> <p><b>समावेश</b> :</p> <p>प्रतिनियुक्तिकार जिन्होंने मातृ संस्था से सहमति के साथ भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय में कार्यपालक अभियंता (सिविल) के रूप में</p>



		निम्नतम 3 वर्षों की अवधि तक संतोषजनक कार्य किया और चयन समिति द्वारा उनकी समावेश के लिए उपयुक्तता पर मूल्यांकन के तहत ।
12	अगर विभागीय पदोन्नति समिति/ चयन समिति उपलब्ध है, उसकी संरचना	चयन समिति में निम्न होंगे (i) कुलपति अध्यक्ष के रूप में (ii) कार्यकारिणी समिति का एक सदस्य (iii) सीपीडब्ल्यूडी / राज्य पब्लिक वर्क्स विभाग में सूपरिटेन्डिंग इंजीनियर रैंक से निचले न रहने वाले कुलपति की नामिती (iv) कुलसचिव
13	टिप्पणी	-

नोट: दिनांक 12 मई 2009 को भारत के राजपत्र संख्या 76 के प्रशासनिक मामलों को निर्धारित करने वाले अध्यादेश के अध्याय 9 में प्रकाशित प्रकाशन क्रम संख्या 38 को निरस्त किया जाता है।

### 2015 का अध्यादेश 30

[कार्यकारी समिति संकल्प सं.का स 2015-31-37 दि 26-06-2015 के तहत]

#### सहायक अभियंता पद के लिए भर्ती नियम

1.	पद का नाम	सहायक अभियंता (सिविल/ विद्युत)
2.	पदों की संख्या	10
3.	वर्गीकरण	वर्ग 'ए'
4.	वेतनमान	रु.15600-39100, ग्रेड वेतन रु.5400
5.	प्रवरण पद या गैर प्रवरण पद	गैर प्रवरण पद
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	अधिकतम 40 वर्ष (उपयुक्त प्रकरणों में कुलपति द्वारा 2 वर्ष छूट दी जा सकती है)
7.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	भवन तथा सड़क/ विद्युत कार्यों के रखरखाव तथा निर्माण में 5 वर्ष की नियमित सेवा के साथ सिविल इंजीनियरिंग/ विद्युत इंजीनियरिंग में बी.ई./ बी.टेक
8.	पदोन्नति के प्रकरणों में क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएँ लागू होगी	आयु लागू नहीं
9.	परीवीक्षणवधि अगर हो तो	सीधी भर्ती के लिए मात्र 2 वर्ष
10.	भर्ती की तरीका	प्रतिनियुक्ति/ समावेश/ सीधी भर्ती
11.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ समावेश द्वारा भर्ती के प्रकरण में पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ समावेश किस ग्रेड से किया जाना है	प्रतिनियुक्ति : सहायक अभियंता के रूप में निम्नतम 5 वर्ष नियमित सेवा के साथ जैसे प्रयोज्य हो सिविल इंजीनियरिंग या विद्युत इंजीनियरिंग में उपाधि के साथ केन्द्र/ राज्य सरकार विभाग / संस्था, स्वायत्त बॉडी और पब्लिक सेक्टर उद्यम से अभियंता या जैसे प्रयोज्य हो सिविल इंजीनियरिंग या विद्युत इंजीनियरिंग में डिप्लोमा तथा कनिष्ठ अभियंता के रूप में 10 वर्षों की नियमित सेवा समावेश : सिविल इंजीनियरिंग या विद्युत इंजीनियरिंग में उपाधि, जैसे प्रयोज्य हो के साथ प्रतिनियुक्तिकार, जो भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय में निम्नतम अवधि 3 वर्ष तक सहायक अभियंता (सिविल) / सहायक अभियंता (विद्युत) के रूप में, मातृ संस्था से सहमति के साथ कार्य किया हो और उनकी समावेश संबंधित उपयुक्तता चयन समिति द्वारा मूल्यांकित किया जाएगा।
12.	अगर विभागीय पदोन्नति समिति/ भर्ती समिति उपलब्ध है तो उसकी संरचना	चयन समिति में निम्न होंगे । (i) कुलपति, अध्यक्ष के रूप में (ii) कुलसचिव

		(iii) संबंधित परिसर निदेशक (iv) सीपीडब्ल्यूडी / राज्य पब्लिक वर्क्स विभाग में सूपरिटेन्डिंग अभियंता रैंक के निचले न रहनेवाले एक नामिती
13	टिप्पणी	-

नोट: दिनांक 12, मई 2009 को भारत के राजपत्र संख्या 76 के [प्रशासनिक मामलों को निर्धारित करने वाले अध्यादेश] के अध्याय 9 में प्रकाशित प्रकाशन क्रम संख्या 39 को निरस्त किया जाता है।

### 2015 का अध्यादेश 31

[कार्यकारी समिति संकल्प सं.का स 2015-31-41 दि 26-06-2015 के तहत]

#### शारीरिक प्रशिक्षण व स्विमिंग प्रशिक्षक पद के लिए भर्ती नियम

1	पद का नाम	शारीरिक प्रशिक्षण व स्विमिंग प्रशिक्षक
2.	पदों की संख्या	3
3.	वर्गीकरण	वर्ग सी
4.	वेतनमान	पीबी1 - रु.5200 - 20200 जीपी - रु.2400
5.	प्रवरण पद या गैर प्रवरण पद	गैर प्रवरण पद
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	भारतीय नौसेना / तटरक्षक में सेवारत / सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए 45 वर्ष से अधिक न रहना (उपयुक्त प्रकरणों में कुलपति द्वारा 2 वर्षों की छूट दी जा सकती है)
7.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	<b>अनिवार्य:</b> शारीरिक प्रशिक्षण शाखा से पेटेरी अधिकारी या भारतीय नौसेना / तटरक्षक से लाइफ गार्ड प्रमाण के साथ सीमेन शाखा से पेटेरी अधिकारी
8.	प्रतिनियुक्ति के प्रकरणों में क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएँ लागू होगी	आयु : हाँ अन्य योग्यताएँ : हाँ
9	परीवीक्षणवाधि अगर हो तो	सीधी भर्ती के लिए मात्र 2 वर्ष
10	भर्ती का तरीका	सीधी भर्ती / प्रतिनियुक्ति
11	पदोन्नति / स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति के प्रकरण में पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेश / स्थानांतरण किस गेड से किया जाना है ?	प्रतिनियुक्ति : नियमित तौर पर अनुरूप पद वहन करने वाले व्यक्ति समावेश : व्यक्ति जो मातृ संस्था से सहमति के तहत भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय में शारीरिक प्रशिक्षक व स्विमिंग प्रशिक्षक के रूप में संतोषजनक कार्य किया है तथा चयन समिति द्वारा उपयुक्तता के मूल्यांकन के तहत
12	चयन समिति की संरचना	चयन समिति में निम्न होंगे (i) कुलसचिव अध्यक्ष के रूप में (ii) संबंधित परिसर के निदेशक (iii) कुलपति का एक नामिती
13	चयन का तरीका	प्रायोगिक परीक्षा तथा साक्षात्कार
15	सेवानिवृत्ति की आयु	60 वर्ष। प्रतिनियुक्तियों के लिए प्रायोजक विभाग / ऐजन्सी की संबंधित आयु लागू होगी
16	टिप्पणी	(i) समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी किये जाने वाले आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़े जाति के अभ्यर्थियों के लिए उच्च आयु सीमा में छूट दी जाएगी। (ii) अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि ही अर्हता शर्तों को निर्धारित करने के लिए मुख्य तिथि होगी।

**2015 का अध्यादेश 32**

[ कार्यकारी समिति संकल्प सं.का स 2015-31-42 दि 26-06-2015 के तहत ]

**हास्टल वॉर्डन पद के लिए भर्ती नियम**

1.	पद का नाम	छात्रावास वार्डन
2.	पदों की संख्या	12
3.	वर्गीकरण	वर्ग सी
4.	वेतनमान	पीबी1 – रु.5200-20200 जीपी – रु.2800
5.	प्रवरण पद या गैर प्रवरण पद	गैर प्रवरण पद
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	भारतीय नौसेना/ भारतीय सेना/ वायु सेना में सेवारत/ सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए 45 वर्ष से अधिक नहीं। (उपयुक्त प्रकरणों में कुलपति द्वारा 2 वर्ष छूट दी जा सकती है)
7.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	<b>अनिवार्य:</b> 1 भारतीय नौसेना/ तटरक्षक से सीमेन शाखा में पेटी अधिकारी (या) 2. भारतीय सेना से हवलदार या 3. भारतीय वायु सेना में सर्जेंट
8.	प्रतिनियुक्ति के प्रकरणों में क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएँ लागू होंगी	आयु : हॉ अन्य योग्यताएँ : हॉ
9.	परीवीक्षणवधि अगर हो तो	सीधी भर्ती के लिए मात्र 2 वर्ष
10.	भर्ती का तरीका	सीधी भर्ती / प्रतिनियुक्ति/ समावेश के जरिये
11.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण के प्रकरण में पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ समावेश/ स्थानांतरण किस ग्रेड से किया जाना है	<b>प्रतिनियुक्ति</b> : नियमित तौर पर अनुरूप पद वहन करने वाले व्यक्ति <b>समावेश</b> : प्रतिनियुक्तिकार जिन्होंने मातृसंस्था से सहमति प्राप्ति के तहत भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय में वार्डन के रूप में संतोषजनक कार्य किया है और चयन समिति द्वारा उपयुक्तता मूल्यांकन के तहत
12.	चयन समिति की संरचना	चयन समिति में निम्न होंगे (i) कुलसचिव अध्यक्ष के रूप में (ii) संबंधित परिसर निदेशक (iii) कुलपति का एक नामिती
13.	सेवानिवृत्ति की आयु	60 वर्ष। प्रतिनियुक्तियों के लिए प्रायोजक विभाग/ एजेन्सी से संबंधित आयु लागू होगी
14.	टिप्पणी	(i) समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी किये जाने वाले आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े जाति के अभ्यर्थियों के लिए उच्च आयु सीमा में छूट दिया जाएगा। (ii) अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि ही अर्हता शर्तों को निर्धारित करने के लिए मुख्य तिथि होगी।

**2015 का अध्यादेश 33**

[कार्यकारी समिति संकल्प सं.का स 2015-31-41 दि 28-06-2015 के तहत]

**पुस्तकालय सहायक पद के लिए भर्ती नियम**

1	पदनाम	पुस्तकालय सहायक
2.	पदों की संख्या	12
3.	वर्गीकरण	वर्ग बी
4.	वेतनमान	पीबी 2 रु.9300 - 34800 जीपी - रु.4200
5.	प्रवरण पद या गैर प्रवरण पद	गैर-प्रवरण पद
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	35 वर्ष से अधिक नहीं (उपयुक्त प्रकरणों में कुलपति द्वारा 2 वर्ष तक छूट दी जा सकती है)
7.	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएँ	<b>अनिवार्य</b> 1. कम से कम 55 प्रतिशत या उसके समतुल्य ग्रेड के साथ पुस्तकालय व सूचना विज्ञान में ग्रेजुएट उपाधि 2. विश्वविद्यालय/कॉलेज पुस्तकालय में पुस्तकालय सहायक या समतुल्य के रूप में दो वर्ष का अनुभव
8.	पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति के प्रकरणों में क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएँ लागू होंगी	<b>प्रतिनियुक्ति</b> आयु : हों शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ : हों <b>पदोन्नति</b> : लागू नहीं
9	परीवीक्षणावधि, अगर कुछ हो	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष
10	भर्ती तरीका, चाहे सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न तरीकों से भर्ती करने योग्य पदों की प्रतिशत	सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति द्वारा
11	पदोन्नति द्वारा भर्ती के प्रकरण में, पदोन्नति किस ग्रेड से किया जाना है	लागू नहीं
12	विभागीय पदोन्नति समिति/ चयन समिति की संरचना.	चयन समिति में निम्न होंगे i. कुलसचिव को अध्यक्ष के रूप में ii. सदस्यों के रूप में कुलपति द्वारा दो नामिती
13	सेवानिवृत्ति आयु	60 वर्ष
14	टिप्पणी	(i) समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी किये जाने वाले आदेशों के अनुपालन में, उच्चतम आयु सीमा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े जाति/शारीरिक विकलांगता के अभ्यर्थियों के लिए छूट दिया जाएगा। (ii) अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि ही अर्हता शर्तों को निर्धारित करने के लिए मुख्य तिथि होगी।

नोट: दिनांक 12 मई, 2009 को भारत के राजपत्र संख्या 76 के [प्रशासनिक मामलों को निर्धारित करने वाले अध्यादेश] के अध्याय 9 में प्रकाशित प्रकाशन क्रम संख्या 51 को निरस्त किया जाता है।

**2015 का अध्यादेश 34**

[कार्यकारी समिति संकल्प सं.का स 2015-31-42 दि 26-06-2015 के तहत]

**कुलसचिव पद के लिए भर्ती नियम**

1.	पदनाम	कुलसचिव
2.	पदों की संख्या	1
3.	वर्गीकरण	वर्ग ए
4.	वेतनमान	वेतनबैंड 4 – रु.37400-67000 जीपी 10000 के साथ
5.	प्रवरण पद या गैर प्रवरण पद	प्रवरण पद
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	आयु 55 वर्ष से अधिक नहीं  कुलपति द्वारा उपयुक्त प्रकरणों में 2 वर्ष तक छूट दी जा सकती है।
7.	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएँ	<p><u>वर्ग 1 : विश्वविद्यालय/ अनुसंधान संस्थापन से</u></p> <p>(अ) कम से कम 55 प्रतिशत अंक के साथ पोस्ट ग्रेजुएट उपाधि या यूजीसी द्वारा निर्धारित 7 पाइन्ट स्केल में 'बी' का समतुल्य ग्रेड (टिप्पणी : अनसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ शारीरिक विकलांगता वर्गों से अभ्यर्थियों के लिए पोस्ट ग्रेजुएट उपाधि स्तर में 5 प्रतिशत (55 प्रतिशत से 50 प्रतिशत) छूट दी जाएगी) और</p> <p>(आ) एजीपी रु.7000/- और उससे अधिक में सहायक प्रोफसर के रूप में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव या असोसियेट प्रोफसर के रूप में एजीपी रु.8000/- के साथ 8 वर्षों की सेवा या अनुसंधान और/ या उच्च शिक्षा के अन्य संस्थाओं में तुलनीय अनुभव या</p> <p>सहायक कुलसचिव के रूप में कम से कम 15 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव जिसमें से कम से कम 8 वर्ष उप कुलसचिव का होना है।</p> <p>[या]</p> <p><u>वर्ग 2 : मेराइनर्स से</u></p> <p>अ. मास्टर (फोरेन गोइंग)/ एमईओ क्लास 1 (मोटर) सर्टिफिकेट ऑफ कोम्पेटेंसी;</p> <p>आ. वर्तमान में लागू एसटीसीडब्ल्यू कन्वेंशन के अनुसार प्रबंधन स्तर में निम्नतम दो वर्ष का नौकायन अनुभव और</p> <p>इ. निम्न में से एक या अधिक क्षेत्र में समुद्री उद्योग में कम से कम पंद्रह वर्षों का अनुभव</p> <p>(i) प्रबंधन स्तर में नौकायन अनुभव (उपरोक्त (□) में निर्धारित निम्नतम दो वर्ष के अलावा)</p> <p>(ii) मान्यता प्राप्त समुद्री संस्थान में नॉटिकल विज्ञान या मरीन इंजीनियरिंग शिक्षण देने वाले</p> <p>(iii) जहाजरानी महानिदेशालय में या किसी मान्यता प्राप्त वर्गीकरण सोसाइटी में नॉटिकल या इंजीनियरिंग सर्वेक्षक</p> <p>(iv) किसी जहाज स्वामित्व या जहाज प्रबंधन कंपनी में तकनीकी अधीक्षक</p>

		[या]  <i>वर्ग 3 : केन्द्र / राज्य सरकार के वर्ग ए अधिकारियों से</i>  वर्ग ए अधिकारी के रूप में कम से कम 12 वर्ष अनुभव के साथ केन्द्र / राज्य सरकार में सेवारत / सेवानिवृत्त अधिकारी
8.	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति के प्रकरणों में क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएँ लागू होंगी	<b>प्रतिनियुक्त:</b> आयु – 57 वर्ष शैक्षिक योग्यताएँ : हाँ, वर्ग 3 को छोड़कर
9.	परीवीक्षण अवधि, अगर कुछ हो	सीधी भर्ती के लिए मात्र दो वर्ष
10.	भर्ती का तरीका	प्रतिनियुक्ति / सीधी भर्ती
11.	चयन समिति उपलब्ध है तो उसकी संरचना	चयन समिति में निम्न होंगे :— (अ) कुलपति को अध्यक्ष के रूप में (आ) कार्यकारिणी समिति द्वारा उनके ही दो नामित सदस्य (इ) कार्यकारिणी समिति द्वारा नामित, विश्वविद्यालय की सेवा में न रहने वाले एक व्यक्ति (ई) आगन्तुक द्वारा नामित एक व्यक्ति (उ) न्यायालय द्वारा नामित एक व्यक्ति
12.	टिप्पणी	प्रारंभ में 5 वर्ष की अवधि के लिए कुलसचिव पद पर नियुक्त किया जाएगा। संतोषजनक निष्पादन के तहत अधिकतम 5 वर्ष तक एक विस्तार के लिए योग्य है। सेवानिवृत्ति आयु : सीधी भर्ती के लिए 62 वर्ष प्रतिनियुक्तिकारों के लिए, अधिकतम आयु 62 वर्षों के तहत, प्रायोजक विभाग / एजेन्सी से संबंधित आयु लागू होंगी।

नोट: दिनांक 12, मई 2009 को भारत के राजपत्र संख्या 76 के प्रशासनिक मामलों को निर्धारित करने वाले अध्यादेश के अध्याय 9 में प्रकाशित प्रकाशन क्रम संख्या 14 को निरस्त किया जाता है।

### 2015 का अध्यादेश 35

[कार्यकारी समिति संकल्प सं.का स 2015-31-42 दि 26-06-2015 के तहत]

#### परीक्षा नियंत्रक पद के लिए भर्ती नियम

1.	पद का नाम	परीक्षा नियंत्रक
2.	पदों की संख्या	1
3.	वर्गीकरण	वर्ग ए
4.	वेतनमान	वेतन बैंड 4 रु.37400-67000, जीपी रु.10000 के साथ
5.	प्रवरण पद या गैर प्रवरण पद	प्रवरण पद
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	आयु : 53 वर्ष से अधिक नहीं होना है। (उपयुक्त प्रकरणों में कुलपति द्वारा 2 वर्ष तक छूट दी जा सकती है)

7.	परीक्षा नियंत्रक पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	<p><u>वर्ग 1 : विश्वविद्यालय/ अनुसंधान संस्थाओं से</u></p> <p>(अ) कम से कम 55 प्रतिशत के साथ पोस्ट ग्रेजुएट उपाधि या यूजीसी द्वारा निर्धारित सात पाइन्ट स्केल में उसकी समतुल्य 'बी' ग्रेड [अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ शारीरिक विकलांगता अभ्यर्थियों के लिए पोस्ट ग्रेजुएट उपाधि में 5 प्रतिशत (55 प्रतिशत से 50 प्रतिशत) छूट दी जाएगी और</p> <p>(आ) एजीपी 7000 या उसे अधिक के साथ सहायक प्रोफसर के रूप में कम से कम 15 वर्षों का अनुभव या परीक्षा कार्य में अनुभव के साथ असोसियेट प्रोफसर के रूप में सम्मिलित करके, एजीपी रु.8000 या उससे अधिक के साथ 8 वर्षों की सेवा या अनुसंधान संस्था में और/ या उच्च शिक्षा के अन्य संस्थाओं में तुलनीय अनुभव या सहायक कुलसचिव के रूप में कम से कम 15 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव जिसमें से कम से कम 8 वर्ष उप कुलसचिव के रूप में होंगे।</p> <p style="text-align: center;">[या]</p> <p><u>वर्ग 2 : मेराइनर्स से</u></p> <p>अ. मास्टर (फोरेन गोइंग)/ एमईओ क्लास 1 (मोटर) सर्टिफिकेट ऑफ कोम्पेटेंसी;</p> <p>आ. वर्तमान में लागू एसटीसीडब्ल्यू कन्वेंशन के अनुसार प्रबंधन स्तर में निम्नतम दो वर्ष का नौकायन अनुभव और</p> <p>इ. निम्न में से एक या अधिक क्षेत्र में समुद्री उद्योग में कम से कम पंद्रह वर्षों का अनुभव</p> <p>(i) प्रबंधन स्तर में नौकायन अनुभव (उपरोक्त (□) में निर्धारित निम्नतम दो वर्ष के अलावा)</p> <p>(ii) मान्यता प्राप्त समुद्री संस्थान में नॉटिकल विज्ञान या मरीन इंजीनियरिंग शिक्षण देनेवाले</p> <p>(iii) जहाजरानी महानिदेशालय में या किसी मान्यता प्राप्त वर्गीकरण सोसाइटी में नॉटिकल या इंजीनियरिंग सर्वेक्षक</p> <p>(iv) किसी जहाज स्वामित्व या जहाज प्रबंधन कंपनी में तकनीकी अधीक्षक</p> <p style="text-align: center;">[या]</p> <p><u>वर्ग 3 : केन्द्र/ राज्य सरकार के वर्ग ए अधिकारियों से</u></p> <p>वर्ग ए अधिकारी के रूप में कम से कम 12 वर्ष अनुभव के साथ केन्द्र/राज्य सरकार में सेवारत/ सेवानृत्त अधिकारी।</p>
8.	पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति के प्रकरणों में क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएँ लागू होंगी	<p><b>प्रतिनियुक्ति</b></p> <p>आयु : 57 वर्ष</p> <p>शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ : हाँ, वर्ग 3 के प्रकरण को छोड़कर</p>
9.	परीवीक्षणवधि अगर हो तो	सीधी भर्ती के लिए मात्र 2 वर्ष
10.	भर्ती का तरीका	प्रतिनियुक्ति/ सीधी भर्ती

11.	चयन समिति उपलब्ध है तो उसकी संरचना	चयन समिति में निम्न होंगे (i) कुलपति अध्यक्ष के रूप में (ii) कार्यकारिणी समिति के दो सदस्य, जो उससे ही नामित किए गए हों। (iii) कार्यकारिणी समिति द्वारा नामित एक व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हो (iv) आगन्तुक द्वारा नामित एक व्यक्ति (v) न्यायालय द्वारा नामित एक व्यक्ति
12.	टिप्पणी	परीक्षा नियंत्रक पद पर नियुक्ति, प्रारंभ में 5 वर्ष की अवधि की होगी। संतोषजनक निष्पादन किया गया तो अधिकतम 5 वर्ष तक एक बार विस्तार के लिए योग्य है। सेवानिवृत्ति की आयु सीधी भर्ती के लिए 62 वर्ष प्रतिनियुक्तियों के लिए, अधिकतम 62 वर्ष के तहत, प्रायोजक विभाग/ एजेन्सी से संबंधित आयु लागू होगी।

नोट: दिनांक 12 मई 2009 को भारत के राजपत्र संख्या 76 के [प्रशासनिक मामलों को निर्धारित करने वाले अध्यादेश] के अध्याय 9 में प्रकाशित प्रकाशन क्रम संख्या 14 को निरस्त किया जाता है।

### 2015 का अध्यादेश 36

[कार्यकारी समिति संकल्प सं. का स 2015-31-42 दि 26-06-2015 के तहत]

#### उप कुलसचिव पद के लिए भर्ती नियम

1.	पद का नाम	उप कुलसचिव
2.	पदों की संख्या	9
3.	वर्गीकरण	वर्ग ए
4.	वेतनमान	प्रारंभिक नियुक्ति पर, वेतन को वेतन बैंड 3 - Rs. 15600-39100, ग्रेड वेतन रु. 7600 के साथ नियुक्त किया जाएगा। इस वेतन बैंड में 5 वर्ष संतोषजनक कार्य करने के बाद, उन्हें उच्च वेतन बैंड रु. 37400-67000, ग्रेड वेतन रु. 8700 तक रखा जाएगा पर उन्हें उप कुलसचिव पदनाम ही दिया जाएगा।
5.	प्रवरण पद या गैर प्रवरण पद	सीधी भर्ती / प्रतिनियुक्ति के लिए लागू नहीं पदोन्नति के प्रकरण में चयन द्वारा
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	आयु 55 वर्ष से अधिक न होना है। उपयुक्त प्रकरणों में कुलपति द्वारा 2 वर्ष तक छूट दी जा सकती है।
7.	उप कुलसचिव के पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	वर्ग 1 : विश्वविद्यालय/ अनुसंधान स्थापनाओं से अनिवार्य (अ) कम से कम 55 प्रतिशत के साथ पोस्ट ग्रेजुएट उपाधि या यूजीसी द्वारा निर्धारित सात पाइन्ट स्केल में उसकी समतुल्य 'बी' ग्रेड [अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ शारीरिक विकलांगता अभ्यर्थियों के लिए पोस्ट ग्रेजुएट उपाधि में 5 प्रतिशत (55 प्रतिशत से 50 प्रतिशत) छूट दी जाएगी। और



		<p>आ)</p> <p>(i) एजीपी 6000 या उसे अधिक के साथ सहायक प्रोफेसर के रूप में कम से कम 7 वर्षों का अनुभव तथा शैक्षिक प्रशासन में अनुभव</p> <p>(ii) अनुसंधान संस्था में और/ या उच्च शिक्षा के अन्य संस्थाओं में तुलनीय अनुभव; या</p> <p>(iii) सहायक कुलसचिव या उसके समतुल्य पद पर 5 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव</p> <p><u>वांछनीय:</u></p> <p>कम्प्यूटर में कार्यकारी ज्ञान</p> <p><u>वर्ग 2 : मेराइन्स से</u></p> <p>अ. मास्टर (फ़ोरेन गोंग)/ एमईओ क्लास 1 सर्टिफ़िकेट ऑफ़ कोम्पेटेंसी;</p> <p>आ. वर्तमान में लागू एसटीसीडब्ल्यू कन्वेंशन के अनुसार प्रबंधन स्तर में निम्नतम दो वर्ष का नौकायन अनुभव और</p> <p>इ. निम्न में से एक या अधिक क्षेत्र में समुद्री उद्योग में कम से कम 5 वर्षों का अनुभव</p> <p>(i) प्रबंधन स्तर में नौकायन अनुभव (उपरोक्त (□) में निर्धारित निम्नतम दो वर्ष के अलावा)</p> <p>(ii) मान्यता प्राप्त समुद्री संस्थान में नॉटिकल विज्ञान या मरीन इंजीनियरिंग शिक्षण देने वाले</p> <p>(iii) जहाजरानी महानिदेशालय में या किसी मान्यता प्राप्त वर्गीकरण सोसाइटी में नॉटिकल या इंजीनियरिंग सर्वेक्षक</p> <p>(iv) किसी जहाज स्वामित्व या जहाज प्रबंधन कंपनी में तकनीकी अधीक्षक</p> <p><u>वांछनीय</u></p> <p>कम्प्यूटरो में कार्यकारी अनुभव</p> <p>[या]</p> <p><u>वर्ग 3 : केन्द्र/ राज्य सरकार के वर्ग ए अधिकारियों से</u></p> <p>केन्द्र/ राज्य सरकार/ पोर्ट ट्रस्ट/ पब्लिक सेक्टर उद्यम/ अन्य केन्द्र/ राज्य सरकार के अंतर्गत स्वायत्त बाड़ियों में वर्ग ए अधिकारी के रूप में कम से कम 7 वर्ष का अनुभव।</p> <p><u>वांछनीय</u></p> <p>कम्प्यूटरो में कार्यकारी अनुभव</p> <p>अगर पूर्ण रूप से अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी न मिले तो पदों के लिए आयु तथा सेवा योग्यताओं में छूट देने का अधिकार कार्यकारिणी समिति के पास सुरक्षित है।</p>
8.	पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति के प्रकरणों में क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएँ लागू होंगी	<p><u>पदोन्नति</u></p> <p>आयु : नहीं</p> <p>शैक्षिक योग्यताएँ : हाँ</p> <p><u>प्रतिनियुक्ति</u></p> <p>आयु : 57 वर्ष</p> <p>शैक्षिक योग्यताएँ : वर्ग 3 के प्रकरण को छोड़कर</p>

9.	परीवीक्षणवधि अगर हो तो	सीधी भर्ती के लिए मात्र 2 वर्ष
10.	भर्ती का तरीका	पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ सीधी भर्ती
11.	अगर चयन समिति/ विभागीय पदोन्नति उपलब्ध है तो उसकी संरचना	चयन समिति / विभागीय पदोन्नति समिति में निम्न होंगे (i) कुलपति, अध्यक्ष के रूप में (ii) कार्यकारिणी समिति का एक सदस्य (iii) कार्यकारिणी समिति की एक नामिती (iv) कुलपति द्वारा नामित एक अधिकारी
12.	टिप्पणी	सेवानिवृत्ति की आयु : सीधी भर्ती तथा पदोन्नति प्राप्त करने वाले को 60 वर्ष । प्रतिनियुक्तियों के लिए, प्रायोजक विभाग/ एजेन्सी से संबंधित आयु लागू होगी।

नोट: दिनांक 12 मई, 2009 को भारत के राजपत्र संख्या 76 के [प्रशासनिक मामलों को निर्धारित करने वाले अध्यादेश] के अध्याय 9 में प्रकाशित प्रकाशन क्रम संख्या 15 को निरस्त किया जाता है।

### 2015 का अध्यादेश 37

[कार्यकारी समिति संकल्प सं. का स 2015-32-15 दि 21-08-2015 के तहत]

#### सहायक कुलसचिव पद के लिए भर्ती नियम

1.	पद का नाम	सहायक कुलसचिव
2.	पदों की संख्या	9
3.	वर्गीकरण	वर्ग ए
4.	वेतनमान	वेतन बैंड 3 - Rs. 15600-39100, ग्रेड वेतन रु. 5400 के साथ । इस वेतन बैंड में 8 वर्ष कार्य करने के बाद, उन्हें ग्रेड वेतन रु.6600 दिया जाएगा पर उन्हें सहायक कुलसचिव पदनाम ही दिया जाएगा ।
5.	प्रवरण पद या गैर प्रवरण पद	सीधी भर्ती/ प्रतिनियुक्ति / समावेश के लिए लागू नहीं । पदोन्नति के प्रकरण में अनुभाग अधिकारी या उसके समकक्ष से चयन द्वारा ।
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं । (उपयुक्त प्रकरणों में कुलपति द्वारा 2 वर्ष तक छूट दी जा सकती है)।
7.	सहायक कुलसचिव के पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	<b>अनिवार्य :</b> (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ या समतुल्य ग्रेड में पोस्ट ग्रेजुएट उपाधि । (ii) शिक्षा/ परीक्षा / वित्त और लेखा/ खरीद/ मानव संसाधन प्रबंधन में कम से कम 3 वर्षों का निम्न में से किन्हीं एक या अधिक में संबन्धित कार्यालयी अनुभव: (अ) केंद्रीय या राज्य विश्वविद्यालय या अनुसंधान संस्थान; (□) केन्द्र/राज्य सरकार के विभागों तथा एजेन्सी; (इ) केंद्र

		<p>या राज्य सरकार के अंतर्गत स्वायत्त संस्था; (ई) पोर्ट ट्रस्ट; (उ) पब्लिक सेक्टर उद्यम; (ऊ) पब्लिक सेक्टर बैंक या वित्तीय संस्थान; (ए) पब्लिक लिमिटेड कंपनी।</p> <p>वांछनीय :</p> <p>सूचना व संप्रेषण प्रौद्योगिकी का कार्यकारी ज्ञान</p>
8.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति / समावेश के प्रकरणों में क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएँ लागू होगी	<p><b>पदोन्नति :</b></p> <p>आयु : नहीं</p> <p>शैक्षिक योग्यताएँ : हाँ</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति :</b></p> <p>आयु : 50 वर्ष से अधिक नहीं</p> <p>शैक्षिक योग्यताएँ : हाँ</p> <p><b>समावेश:</b></p> <p>आयु : 53 वर्ष से अधिक नहीं</p> <p>शैक्षिक योग्यताएँ : हाँ</p>
9.	परीवीक्षणवधि अगर हो तो	सीधी भर्ती के लिए मात्र 2 वर्ष
10.	भर्ती का तरीका	<p>पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती/ समावेश</p> <p>कम्प्यूटर आधारित <input type="checkbox"/> नलाइन स्क्रीनिंग परीक्षा तथा व्यक्तिगत साक्षात्कार के द्वारा सीधी भर्ती की जाएगी। जो व्यक्ति स्क्रीनिंग परीक्षा उत्तरीण करेंगे उन्हें ही व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।</p> <p>पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेश के लिए <input type="checkbox"/> नलाइन स्क्रीनिंग परीक्षा की <input type="checkbox"/> वश्यकता नहीं है।</p>
11.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ समावेश द्वारा भर्ती के प्रकरण में, किस ग्रेड से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ समावेश/ स्थानांतरण किया जाना है	<p><b>पदोन्नति :</b> अनुभाग अधिकारी या उसके समकक्ष के साथ कम से कम छः वर्ष की अनुभाग अधिकारी के रूप में सेवा।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति:</b> नियमित तौर पर अनुरूप पद रखने वाले व्यक्ति या किसी केन्द्रीय/ राज्य विश्वविद्यालय या स्वायत्त शिक्षा/ अनुसंधान संस्था, केन्द्रीय/ राज्य सरकार या सरकारी उद्यम, पोर्ट ट्रस्ट आदि में वेतन बैंड रु. 9300-34800, ग्रेड वेतन रु. 4800 के साथ अनुभाग अधिकारी या उसके समकक्ष पद में छः वर्षों का अनुभव।</p> <p><b>समावेश</b></p> <p>प्रतिनियुक्त व्यक्ति, जिन्होंने भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय में सहायक कुलसचिव के रूप में निम्नतम 3 वर्ष अवधि का संतोषजनक कार्य किया है, बशर्ते कि मातृ संस्था से स्वीकृति के साथ।</p> <p>सीधी भर्ती के लिए जो शैक्षिक योग्यताएँ निर्धारित हैं वही पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ समावेश के लिए लागू होगी।</p>
12.	अगर चयन समिति/ विभागीय पदोन्नति उपलब्ध है तो उसकी संरचना	<p>(i) कुलपति, अध्यक्ष के रूप में</p> <p>(ii) कुलसचिव</p> <p>(iii) कार्यकारिणी समिति की एक नामिती</p> <p>(iv) कुलपति द्वारा नामित एक अधिकारी</p>

13	सेवानिवृत्ति आयु	60 वर्ष । प्रतिनियुक्तियों के लिए, प्रायोजक विभाग/ एजेन्सी से संबंधित आयु, जो 60 वर्ष से अधिक न हो, लागू होगी।
12.	टिप्पणी	(i) समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी किये जानेवाले आदेशों के अनुपालन में, उच्चतम आयु सीमा में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े जाति/ शारीरिक विकलांगता के अभ्यर्थियों के लिए छूट दिया जाएगा। (ii) अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि ही अर्हता शर्तों को निर्धारित करने के लिए मुख्य तिथि होगी। (iii) समतुल्य प्रशासनिक अनुभव के संदर्भ में भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम होगा। (iv) उपयुक्त कम्प्यूटर आधारित (ऑनलाइन) स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित करने हेतु कुलपति को प्राधिकृत किया गया है।

नोट: दिनांक 12 मई, 2009 को भारत के राजपत्र संख्या 76 के [प्रशासनिक मामलों को निर्धारित करने वाले अध्यादेश] के अध्याय 9 में प्रकाशित प्रकाशन क्रम संख्या 16 को निरस्त किया जाता है।

### 2015 का अध्यादेश 38

[कार्यकारी समिति संकल्प सं.का स 2015-32-15 दि 21-08-2015 के तहत]

#### सहायक कुलसचिव (वित्त) पद के लिए भर्ती नियम

1.	पद का नाम	सहायक कुलसचिव (वित्त) साथ में <input type="checkbox"/> त्रिक लेखा परीक्षा अधिकारी
2.	पदों की संख्या	7
3.	वर्गीकरण	वर्ग ए
4.	वेतनमान	वेतन बैंड 3 - Rs.15600-39100, ग्रेड वेतन रु.5400 के साथ। इस वेतन बैंड में 8 वर्ष कार्य करने के बाद, उन्हें ग्रेड वेतन रु. 6600 दिया जाएगा पर उन्हें सहायक कुलसचिव (वित्त)/ <input type="checkbox"/> त्रिक लेखा परीक्षा अधिकारी पदनाम ही दिया जाएगा।
5.	प्रवरण पद या गैर प्रवरण पद	सीधी भर्ती / प्रतिनियुक्ति / समावेश के लिए लागू नहीं। पदोन्नति के प्रकरण में अनुभाग अधिकारी (वित्त) या उसके समकक्ष से चयन द्वारा।
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	आयु 40 वर्ष से अधिक न होना है। (उपयुक्त प्रकरणों में कुलपति द्वारा 2 वर्ष तक छूट दी जा सकती है)।
7.	सहायक कुलसचिव (वित्त) के पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	अनिवार्य : (i) कम से कम 55 प्रतिशत या समतुल्य ग्रेड के साथ कामर्स में पोस्ट ग्रेजुएट उपाधि या सीए/ <input type="checkbox"/> ई सी डब्ल्यू ए के साथ ग्रेजुएट ; उपाधि एक मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से होनी चाहिए।

		(ii) वित्त और लेखा शाखा में कम से कम 3 वर्षों का कार्यालयी अनुभव । वांछनीय: मुख्यतः लेखा सॉफ्टवेयर में सूचना व संप्रेषण प्रौद्योगिकी का कार्यकारी ज्ञान ।
8.	पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति / समावेश के प्रकरणों में क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएँ लागू होंगी ?	<b>पदोन्नति :</b> आयु : नहीं शैक्षिक योग्यताएँ : हँ <b>प्रतिनियुक्ति :</b> आयु : 50 वर्ष से अधिक नहीं शैक्षिक योग्यताएँ : हँ <b>समावेश:</b> आयु : 53 वर्ष से अधिक नहीं शैक्षिक योग्यताएँ : हँ
9.	परीवीक्षणावधि अगर हो तो	सीधी भर्ती के लिए मात्र 2 वर्ष
10.	भर्ती का तरीका	पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ सीधी भर्ती/ समावेश कम्प्यूटर आधारित <input type="checkbox"/> नलाइन स्क्रीनिंग परीक्षा तथा व्यक्तिगत साक्षात्कार के द्वारा सीधी भर्ती की जाएगी । जो व्यक्ति स्क्रीनिंग परीक्षा सफल करेंगे उन्हें ही व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा । पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ समावेश के लिए <input type="checkbox"/> नलाइन स्क्रीनिंग परीक्षा की <input type="checkbox"/> वश्यकता नहीं है ।
11.	पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ समावेश द्वारा भर्ती के प्रकरण में, किस ग्रेड से पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ समावेश/ स्थानांतरण किया जाना है	<b>पदोन्नति :</b> अनुभाग अधिकारी (वित्त) या उसके समकक्ष के साथ कम से कम छः वर्ष की वित्त या लेखा शाखा में सेवा । <b>प्रतिनियुक्ति:</b> नियमित तौर पर अनुरूप पद रखनेवाले व्यक्ति या किसी केन्द्रीय/ राज्य विश्वविद्यालय या स्वायत्त शिक्षा/ अनुसंधान संस्था, केन्द्रीय/ राज्य सरकार या सरकारी उद्यम, पोर्ट ट्रस्ट आदि में वेतन बैंड रु.9300-34800, ग्रेड वेतन रु. 4800 के साथ वित्त व लेखा शाखा में अनुभाग अधिकारी या उसके समकक्ष पद में छः वर्षों का अनुभव । <b>समावेश</b> प्रतिनियुक्त व्यक्ति, जिन्होंने भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय में सहायक कुलसचिव (वित्त) के रूप में निम्नतम 3 वर्ष अवधि का संतोषजनक कार्य किया है, बशर्ते कि मातृ संस्था से स्वीकृति के साथ । <b>सीधी भर्ती</b> के लिए जो शैक्षिक योग्यताएँ निर्धारित है वही पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ समावेश के लिए लागू होगी ।
12.	अगर चयन समिति/ विभागीय पदोन्नति उपलब्ध है तो उसकी संरचना	(i) कुलपति, अध्यक्ष के रूप में (ii) कुलसचिव (iii) कार्यकारिणी समिति की एक नामिती (iv) कुलपति द्वारा नामित एक अधिकारी

13.	सेवानिवृत्ति आयु	60 वर्ष । प्रतिनियुक्तियों के लिए, प्रायोजक विभाग/ एजेन्सी से संबंधित आयु, जो 60 वर्ष से अधिक न हो, लागू होगी ।
14.	टिप्पणी	(i) समय समय पर भारत सरकार द्वारा जारी किये जाने वाले आदेशों के अनुपालन में, उच्चतम आयु सीमा में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े जाति / शारीरिक विकलांगता के अभ्यर्थियों के लिए छूट दिया जाएगा । (ii) अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि ही अर्हता शर्तों को निर्धारित करने के लिए मुख्य तिथि होगी । (iii) उपयुक्त कम्प्यूटर आधारित (ऑनलाइन) स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित करने हेतु कुलपति को प्राधिकृत किया गया है ।

नोट: दिनांक 12 मई, 2009 को भारत के राजपत्र संख्या 76 के प्रशासनिक मामलों को निर्धारित करने वाले अध्यादेश के अध्याय 9 में प्रकाशित प्रकाशन क्रम संख्या 16 को निरस्त किया जाता है।

### 2015 का अध्यादेश 39

[कार्यकारी समिति संकल्प सं.का स 2015-32-16 दि 21-08-2015 के तहत]

#### सहायक पद के लिए भर्ती नियम

1.	पदनाम	सहायक
2.	पदों की संख्या	54
3.	वर्गीकरण	मंत्रालयीन पद, वर्ग 'सी'
4.	वेतनमान	ग्रेड वेतन रु.2400 के साथ वेतन बैंड रु..5200-20200
5.	प्रवरण पद या गैर प्रवरण पद	सीधी भर्ती / प्रतिनियुक्ति / समावेश के लिए लागू नहीं । कनिष्ठ सहायक से पदोन्नति के प्रकरण में चयन द्वारा ।
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	उम्र : 35 वर्षों से अधिक नहीं । (उपयुक्त प्रकरणों में कुलपति द्वारा 2 वर्ष छूट दी जा सकती है)
7.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	<b>अनिवार्य:-</b> शैक्षिक योग्यताएँ : निम्नतम 50 प्रतिशत अंक या उसके समतुल्य ग्रेड के साथ मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट उपाधि। <b>वांछनीय :</b> सूचना व संप्रेषण प्रौद्योगिकी का कार्यकारी ज्ञान ।
8.	पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति / समावेश के प्रकरणों में क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएँ लागू होगी ?	<b>पदोन्नति</b> उम्र: नहीं शैक्षिक और अन्य योग्यताएँ : मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट उपाधि। <b>प्रतिनियुक्ति</b> उम्र : 40 वर्ष शैक्षिक योग्यताएँ : हाँ <b>समावेश :</b> उम्र : 43 वर्ष से अधिक नहीं

		शैक्षिक योग्यताएँ : हाँ (उपयुक्त प्रकरणों में प्रतिनियुक्ति/ समावेश के लिए आयु सीमा में कुलपति द्वारा 2 वर्ष तक छूट दी जा सकती है)
9	परीवीक्षणावधि, अगर कुछ हो	सीधी भर्ती के लिए मात्र 2 वर्ष
10	भर्ती का तरीका, सीधी भर्ती के द्वारा या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ समावेश द्वारा तथा विभिन्न तरीकों से भर्ती किये जाने योग्य रिक्त स्थानों की प्रतिशत	सीधी भर्ती / पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति/ समावेश से कम्प्यूटर आधारित आनलाइन स्क्रीनिंग परीक्षा तथा व्यक्तिगत साक्षात्कार के द्वारा सीधी भर्ती की जाएगी। जो व्यक्ति स्क्रीनिंग परीक्षा द्वारा सफल होंगे उन्हें ही व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेश के लिए आनलाइन स्क्रीनिंग परीक्षा की आवश्यकता नहीं है।
11	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण द्वारा भर्ती के प्रकरण में, किस ग्रेड से पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/समावेश/ स्थानांतरण किया जाना है	<b>पदोन्नति</b> : मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट उपाधि के साथ, कनिष्ठ सहायक के रूप में 5 वर्षों की नियमित सेवा। <b>प्रतिनियुक्ति</b> नियमित तौर पर अनुरूप पद वाले व्यक्ति या किसी केन्द्रीय/ राज्य विश्वविद्यालय या स्वायत्त शिक्षा/ अनुसंधान संस्था, केन्द्रीय/ राज्य सरकार या सरकारी उद्यम, पोर्ट ट्रस्ट आदि में वेतन बैंड रु. 5200-20200, ग्रेड वेतन रु. 1900 के साथ कनिष्ठ सहायक या उसके समतुल्य पद पर 5 वर्षों का अनुभव। <b>समावेश</b> प्रतिनियुक्त व्यक्ति, जिन्होंने भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय में सहायक के रूप में निम्नतम 3 वर्ष अवधि का संतोषजनक कार्य किया है, बशर्ते कि मातृ संस्था से स्वीकृति के साथ। सीधी भर्ती के लिए जो शैक्षिक योग्यताएँ निर्धारित है वही प्रतिनियुक्ति/ समावेश के लिए लागू होगी।
12	अगर विभागीय पदोन्नति समिति/ चयन समिति उपलब्ध हो तो उसकी संरचना	(i). अध्यक्ष के रूप में कुलसचिव (ii). कुलपति का दो नामिती।
13.	सेवानिवृत्ति आयु	60 वर्ष। प्रतिनियुक्तियों के लिए, प्रायोजक विभाग/ एजेन्सी से संबंधित आयु, जो 60 वर्ष से अधिक न हो, लागू होगी।
14.	टिप्पणी	(i) समय समय पर भारत सरकार द्वारा जारी किये जाने वाले आदेशों के अनुपालन में, उच्चतम आयु सीमा में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े जाति /शारीरिक विकलांगता के अभ्यर्थियों के लिए छूट दिया जाएगा। (ii) अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि ही अर्हता शर्तों को निर्धारित करने के लिए मुख्य तिथि होगी। (iii) उपयुक्त कम्प्यूटर आधारित (ऑनलाइन) स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित करने हेतु कुलपति को प्राधिकृत किया गया है।

नोट: दिनांक 12 मई, 2009 को भारत के राजपत्र संख्या 76 के प्रशासनिक मामलों को निर्धारित करने वाले अध्यादेश के अध्याय 9 में प्रकाशित प्रकाशन क्रम संख्या 23 को निरस्त किया जाता है।

**2015 का अध्यादेश 40**

[कार्यकारी समिति संकल्प सं.का स 2015-32-16 दि 21-08-2015 के तहत]

**सहायक (वित्त) पद के लिए भर्ती नियम**

1.	पदनाम	सहायक (वित्त)
2.	पदों की संख्या	7
3.	वर्गीकरण	मंत्रालयीन पद, वर्ग 'सी'
4.	वेतनमान	वेतन बैंड रु.5200-20200, ग्रेड वेतन रु.2400 के साथ
5.	प्रवरण पद या गैर प्रवरण पद	सीधी भर्ती / प्रतिनियुक्ति / समावेश के लिए लागू नहीं। कनिष्ठ सहायक से पदोन्नति के प्रकरण में चयन द्वारा।
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	उम्र : 35 वर्ष से अधिक नहीं। (उपयुक्त प्रकरणों में कुलपति द्वारा 2 वर्ष तक छूट दी जा सकती है)
7.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	<b>अनिवार्य :</b> शैक्षिक योग्यता : कॉमर्स या गणित या सांख्यिकी में निम्नतम औसत 50 प्रतिशत अंक या उसके समतुल्य ग्रेड के साथ मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट उपाधि। <b>वांछनीय</b> सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी, मुख्यतः लेखाकरण साफ्टवेयर में कार्यकारी ज्ञान।
8.	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेश के प्रकरणों में क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएँ लागू होंगी ?	<b>पदोन्नति</b> उम्र: नहीं शैक्षिक और अन्य योग्यताएँ : कॉमर्स या गणित या सांख्यिकी में मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट उपाधि। <b>प्रतिनियुक्ति</b> उम्र : 40 वर्ष से अधिक नहीं शैक्षिक योग्यताएँ : हाँ <b>समावेश :</b> उम्र : 43 वर्ष से अधिक नहीं शैक्षिक योग्यताएँ : हाँ (उपयुक्त प्रकरणों में प्रतिनियुक्ति / समावेश के लिए आयु सीमा में कुलपति द्वारा 2 वर्ष तक छूट दी जा सकती है)
9.	परीवीक्षणवाधि, अगर कुछ हा	सीधी भर्ती के लिए मात्र 2 वर्ष
10.	भर्ती का तरीका, सीधी भर्ती के द्वारा या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति / समावेश द्वारा तथा विभिन्न तरीकों से भर्ती किये जाने योग्य रिक्त स्थानों की प्रतिशत	सीधी भर्ती / पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेश से कम्प्यूटर आधारित आनलाइन स्क्रीनिंग परीक्षा तथा व्यक्तिगत साक्षात्कार के द्वारा सीधी भर्ती की जाएगी। जो व्यक्ति स्क्रीनिंग परीक्षा द्वारा सफल होंगे उन्हें ही व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेश के लिए आनलाइन स्क्रीनिंग परीक्षा की आवश्यकता नहीं है।



11.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण द्वारा भर्ती के प्रकरण में, किस ग्रेड से पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/समावेश/ स्थानांतरण किया जाना है	<p><b>पदोन्नति :</b> कॉमर्स या गणित या सांख्यिकी में मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से प्रेजुएट उपाधि के साथ वित्त व लेखा शाखा में कनिष्ठ सहायक के रूप में 5 वर्षों की नियमित सेवा ।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति</b> नियमित तौर पर अनुरूप पद वाले व्यक्ति या किसी केन्द्रीय/ राज्य विश्वविद्यालय या स्वायत्त शिक्षा/ अनुसंधान संस्था, केन्द्रीय/ राज्य सरकार या सरकारी उद्यम, पोर्ट ट्रस्ट आदि में वेतन बैंड रु. 5200-20200, ग्रेड वेतन रु. 1900 के साथ वित्त व लेखा शाखा में कनिष्ठ सहायक या उसके समतुल्य पद पर 5 वर्षों का अनुभव।</p> <p><b>समावेश</b> प्रतिनियुक्त व्यक्ति, जिन्होंने भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय में सहायक के रूप में निम्नतम 3 वर्ष अवधि का संतोषजनक कार्य किया है, बशर्ते कि मातृ संस्था से स्वीकृति के साथ। सीधी भर्ती के लिए जो शैक्षिक योग्यताएँ निर्धारित है वही प्रतिनियुक्ति/ समावेश के लिए लागू होगी।</p>
12.	अगर विभागीय पदोन्नति समिति/ चयन समिति उपलब्ध हो तो उसकी संरचना	(i). अध्यक्ष के रूप में कुलसचिव (ii). कुलपति का दो नामिती ।
13.	सेवानिवृत्ति आयु	60 वर्ष । प्रतिनियुक्तियों के लिए, प्रायोजक विभाग/ एजेन्सी से संबंधित आयु, जो 60 वर्ष से अधिक न हो, लागू होगी ।
14.	टिप्पणी	(i) समय समय पर भारत सरकार द्वारा जारी किये जानेवाले आदेशों के अनुपालन में, उच्चतम आयु सीमा में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े जाति /शारीरिक विकलांगता के अभ्यर्थियों के लिए छूट दिया जाएगा। (ii) अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त की अंतिम तिथि ही अर्हता शर्तों को निर्धारित करने के लिए मुख्य तिथि होगी । (iii) उपयुक्त कम्प्यूटर आधारित (ऑनलाइन) स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित करने हेतु कुलपति को प्राधिकृत किया गया है।

### 2015 का अध्यादेश 41

[कार्यकारी समिति संकल्प सं.का स 2015-32-16 दि 21-08-2015 के तहत]

#### आशुलिपिक/ टंकक पद पर नियुक्ति के लिए नियम

1.	पदनाम	आशुलिपिक-टंकक
2.	पदों की संख्या	7
3.	वर्गीकरण	सचिवालय पद, वर्ग 'सी'
4.	वेतनमान	वेतन बैंड रु. 5200-20200, ग्रेड वेतन रु. 2400 के साथ
5.	प्रवरण पद या गैर प्रवरण पद	गैर-प्रवरण पद

6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	आयु : 30 वर्ष के अधिक नहीं । (कुलपति द्वारा उपयुक्त प्रकरणों में 2 वर्ष तक छूट दी जा सकती है)
7.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	अनिवार्य : <i>शैक्षिक तथा तकनीकी योग्यताएँ :</i> 1. मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट उपाधि 2. अंग्रेजी आशुलिपि में प्रारंभिक/ जूनियर ग्रेड (80 शब्द प्रति मिनट) 3. अंग्रेजी टंकण उच्च/ सीनियर ग्रेड (45 शब्द प्रति मिनट) 4. सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी में दक्षता । <i>वांछनीय :</i> हिन्दी टंकण ।
8.	प्रतिनियुक्ति / समावेश के प्रकरणों में क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएँ लागू होगी ?	<b>प्रतिनियुक्ति</b> उम्र : 40 वर्ष से अधिक नहीं शैक्षिक योग्यताएँ : हाँ <b>समावेश :</b> उम्र : 43 वर्ष से अधिक नहीं शैक्षिक तथा तकनीकी योग्यताएँ : हाँ (उपयुक्त प्रकरणों में प्रतिनियुक्ति/ समावेश के लिए आयु सीमा में कुलपति द्वारा 2 वर्ष तक छूट दी जा सकती है)
9	परीवीक्षणावधि, अगर कुछ हो	सीधी भर्ती के लिए मात्र 2 वर्ष
10	भर्ती का तरीका, सीधी भर्ती के द्वारा या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ समावेश द्वारा तथा विभिन्न तरीकों से भर्ती किये जाने योग्य रिक्त स्थानों की प्रतिशत	सीधी भर्ती/ प्रतिनियुक्ति/ समावेश से कम्प्यूटर आधारित आनलाइन स्क्रीनिंग परीक्षा तथा व्यक्तिगत साक्षात्कार के द्वारा सीधी भर्ती की जाएगी। जो व्यक्ति स्क्रीनिंग परीक्षा द्वारा सफल होंगे उन्हें ही व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा । पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेश के लिए आनलाइन स्क्रीनिंग परीक्षा की आवश्यकता नहीं है।
11	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण द्वारा भर्ती के प्रकरण में, किस ग्रेड से पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/समावेश/ स्थानांतरण किया जाना है	<b>प्रतिनियुक्ति</b> नियमित तौर पर अनुरूप पद वाले व्यक्ति या किसी केन्द्रीय/ राज्य विश्वविद्यालय या स्वायत्त शिक्षा/ अनुसंधान संस्था, केन्द्रीय/ राज्य सरकार या सरकारी उद्यम, पोर्ट ट्रस्ट आदि में कार्यरत । <b>समावेश</b> प्रतिनियुक्त व्यक्ति, जिन्होंने भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय में सहायक के रूप में निम्नतम 3 वर्ष अवधि का संतोषजनक कार्य किया है, बशर्ते कि मातृ संस्था से स्वीकृति के साथ ।
12	अगर विभागीय पदोन्नति समिति/ चयन समिति उपलब्ध हो तो उसकी संरचना	(i). अध्यक्ष के रूप में कुलसचिव (ii). कुलपति का दो नामिती ।
13.	सेवानिवृत्ति आयु	60 वर्ष । प्रतिनियुक्तियों के लिए, प्रायोजक विभाग/ एजेन्सी से संबंधित आयु, जो 60 वर्ष से अधिक न हो, लागू होगी ।

14.	टिप्पणी	<p>(i) समय समय पर भारत सरकार द्वारा जारी किये जाने वाले आदेशों के अनुपालन में, उच्चतम आयु सीमा में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े जाति /शारीरिक विकलांगता के अभ्यर्थियों के लिए छूट दिया जाएगा।</p> <p>(ii) अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त की अंतिम तिथि ही अर्हता शर्तों को निर्धारित करने के लिए मुख्य तिथि होगी।</p> <p>(iii) उपयुक्त कम्प्यूटर आधारित (ऑनलाइन) स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित करने हेतु कुलपति को प्राधिकृत किया गया है।</p>
-----	---------	--

नोट : दिनांक 12 मई, 2009 को भारत के राजपत्र संख्या 76 के प्रशासनिक मामलों को निर्धारित करने वाले अध्यादेश के अध्याय 9 में प्रकाशित प्रकाशन क्रम संख्या 24 को निरस्त किया जाता है।

एस. वी. दुर्गा प्रसाद, कुल सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./92-पी/15(196)]

## INDIAN MARITIME UNIVERSITY

### NOTIFICATION

Chennai, the 4th September, 2015

**IMU/HQ/ADM/Notification/2015.**—In exercise of the powers conferred by Section 47(1) of the Indian Maritime University Act, 2008 (22 of 2008), the following Notifications are published for general information:

#### **Ordinance 01 of 2014**

*[vide Executive Council resolution No.EC 2014-28-19 dated 26-06-2014]*

#### **Guidelines for Admissions by Lateral Entry into the Second year of B.Tech (Marine Engineering) and B.Tech (Naval Architecture & Ocean Engineering)**

##### **B.Tech (Marine Engineering)**

- 1) The candidate should have a Diploma in Mechanical Engineering (or) Diploma in Marine Engineering from any Institute approved by AICTE with at least 60% marks overall and should have completed the diploma within the stipulated period of 3 years.
- 2) The candidate should have secured 50% marks in English in 10<sup>th</sup> standard or 12<sup>th</sup> standard.
- 3) Age limit – 18 to 25 years.
- 4) Lateral Entry admissions should be made only to the available vacant seats at the beginning of the second year.

##### **B.Tech (Naval Architecture & Ocean Engineering):**

- 1) The candidate should have either a B.Sc (Ship-building and Repair) with at least 60% marks overall and should have completed the degree within the stipulated period of 3 years.

(or)

Diploma in Ship Building Engineering from the Institute of Ship Building Technology, Goa with at least 60% marks overall and should have completed the diploma within the stipulated period of 4 years.

(or)

Diploma in Mechanical Engineering/Civil Engineering from any Institute approved by AICTE with at least 60% marks overall and should have completed the diploma within the stipulated period of 3 years.

- 2) Age limit – 18 to 25 years.
- 3) Lateral Entry admissions should be made only to the available vacant seats at the beginning of the second year.
- 4) While making admissions, candidates will be taken, one at a time, from each of the above 3 streams by rotation.

**Ordinance 02 of 2014***[vide Executive Council resolution No.EC 2014-28-26 dated 26-06-2014]***Recruitment Rules for the post of Deputy Finance Officer**

1.	Name of Post	Deputy Finance Officer
2.	Number of posts	1
3.	Classification	Group A
4.	Scale of Pay	On initial appointment, pay shall be fixed in the Pay Band Rs. 15600-39100 with GP of Rs. 7600. After completing 5 years of service in this Pay Band, he/she will move to the higher Pay Band of Rs.37400-67000 with GP of Rs. 8700 but shall continue to be designated as Deputy Finance Officer.
5.	Whether selection post or non-selection post	Not applicable for Direct Recruitment/ Deputation. By Selection in case of Promotion.
6.	Age-limit for direct recruitment	Age not more than 55 years. (Relaxable up to 2 years by Vice Chancellor in deserving cases).
7.	Educational and other qualifications required for direct recruitment for Deputy Finance Officer	<p><b>Essential:</b></p> <p>(a) At least 55% marks (or its equivalent grade) in Master of Commerce (or) C.A/I.C.W.A. &amp;</p> <p>(b) At least 5 years' experience in finance and accounts in Grade Pay Rs. 5,400/Rs. 6,600 (or equivalent) in Central/State Universities, Autonomous Educational Institutes, Port Trusts, Public Sector Undertakings, Central/State Government Departments/ Agencies.</p> <p style="text-align: center;">[OR]</p> <p>At least 8 years' post-qualification experience in finance and accounts (i) as a practising chartered/cost accountant or (ii) in a senior position in any reputed company.</p> <p><b>Desirable:</b></p> <p>Working knowledge of computers.</p> <p>The Executive Council reserves the right to relax the service qualifications if fully eligible candidates are not available to fill-up the vacancies.</p>
8.	Whether Age and Educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees/Deputationists?	<p><b>Promotion:</b></p> <p>Age – No.</p> <p>Educational qualifications: Yes.</p> <p><b>Deputation:</b></p> <p>Age – 57 years.</p> <p>Educational qualifications: Yes. However, the qualifications will not apply to Group A officers of Central/State Government who have at least 7 years' experience of working in the fields of Finance/Accounting/Budgeting.</p>
9.	Period of probation, if any	Two years for direct recruitment only.
10.	<b>Method of recruitment:</b> whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ transfer and	Promotion/Deputation/Direct Recruitment.

	percentage of vacancies to be filled by various methods.	
11.	If a departmental promotion committee/ recruitment committee exists, what is its composition?	Departmental Promotion Committee/Selection committee will consist of: (i) The Vice-Chancellor as Chairperson. (ii) One member of the Executive Council. (iii) One nominee of the Executive Council. (iv) One officer nominated by the Vice Chancellor.
12.	Remarks	Age of superannuation: 60 years for direct recruits and promotees. For deputationists, relevant age of the sponsoring department/agency will apply.

**Note:** The Notification published at Serial No.15 in Chapter 9 of "Ordinances Governing Administrative Matters" of the Gazette of India No. 76, dated May 12, 2009 is hereby repealed.

#### **Ordinance 03 of 2014**

*[vide Executive Council resolution No.EC 2014-29-15 dated 31-10-2014]*

#### **Authorities competent to order Transfers and Postings of Faculty, Officers and other Employees**

The following officers are empowered to order transfers and postings of staff working in Indian Maritime University:

Sl. No.	Competent Authority	Can order Transfers and Postings of
1.	Vice Chancellor	Campus Directors; Professors, Associate Professors and Assistant Professors appointed on regular basis; Faculty appointed on contract basis; Group A Officers (i.e. non-teaching staff of the rank of Assistant Registrar and above) appointed on regular basis; non-teaching staff appointed on contract basis – within a Campus; from one Campus to another; from Headquarters to a Campus and <i>vice versa</i> .
2.	Registrar	Group B and Group C Officials (i.e. non-teaching staff of the rank of Section Officer and below) appointed on regular basis – from one Campus to another and from a Campus to IMU Headquarters and <i>vice versa</i> .
3.	Campus Director	Group B and Group C Officials (i.e. non-teaching staff of the rank of Section Officer and below) appointed on regular basis and of non-teaching staff appointed on contract basis - within the same Campus.

#### **Ordinance 04 of 2014**

*[vide Executive Council resolution No.EC 2014-28-14 dated 26-06-2014*

*and EC 2014-29-30 dated 31-10-2014]*

#### **Composition of School Boards**

1. Every School shall have a School Board which shall consist of the following members:
  - (i) Dean of the School (Ex-officio).
  - (ii) Heads of Departments of the School (Ex-officio).
  - (iii) One Professor, One Associate Professor and one Assistant Professor from IMU nominated by the Vice Chancellor.
  - (iv) Not more than four subject experts from Affiliated Institutes nominated by the Vice Chancellor.
  - (v) Two subject experts nominated by the Director-General of Shipping (only in respect of the School of Nautical Studies and the School of Maritime Studies).
  - (vi) Not more than three subject experts who are not employees of the University or of any of its Affiliated Institutes nominated by the Academic Council out of a panel of six names proposed by the Vice Chancellor in the case of the School of Marine Engineering & Technology and the School of Nautical Studies; and not more than six

subject experts who are not employees of the University or of any of its Affiliated Institutes nominated by the Academic Council out of a panel of twelve names proposed by the Vice Chancellor in the case of the School of Naval Architecture & Ocean Engineering, the School of Maritime Management.

2. The term of office of members other than Ex-officio members shall be three years and they shall be eligible for re-nomination.
3. The Dean of the School shall be Chairman of the Board and shall convene the meeting of the Board. Where the post of Dean is vacant, the Chairman shall be nominated by the Vice Chancellor.
4. The functions of the School Board shall be to:
  - (a) Co-ordinate the teaching and research work in the departments assigned to the school.
  - (b) Appoint Committees to organize the teaching and research work in subjects or areas which do not fall within the sphere of any departments in the school and supervise the work of such Committees.
  - (c) Approve the courses of study of various programmes including research degrees offered by the Departments.
  - (d) Recommend to the Executive Council the names of examiners for the evaluation of thesis for Ph.D. and other research degree.
  - (e) Recommend to the Academic Council, creation or abolition of teaching posts after considering proposals received from the Departments /Centres.
  - (f) Recommend the suggestions of the Board of Post-graduate Studies to the Academic Council regarding the award of research degrees to candidates who have been adjudged to be fit to receive such degrees.
  - (g) Consider and act on any proposal regarding the welfare of the students of the school.
  - (h) Consider schemes for the advancement of the standards of teaching and research and to submit proposals in this regard to the Academic Council.
  - (i) Perform all other functions which may be prescribed by the Act, Statutes and Ordinances and to consider all such matters as may be referred to it by the Executive Council, the Academic Council or the Vice Chancellor.
  - (j) Delegate to the Dean or to any other member of the Board or to a Committee such powers, general or specific, as may be decided by Vice Chancellor.
5. Meetings of the Board shall either be ordinary or special. Ordinary meetings shall be held twice in a year of which one shall be held in the first quarter of the Academic session.
6. Special meetings may be called by the Dean on his own initiative or shall be called at the suggestions of the Vice Chancellor or on a written request from at least one fifth of the members of the Board.
7. The Quorum for a meeting of the Board shall be one third of its total membership.
8. Notice for the ordinary meeting of the Board shall be issued at least ten days before the date fixed for the meeting and for the special meetings at least five days before the date fixed for the meeting.
9. Rules of conduct of the meetings shall be as prescribed by the regulations to be framed in this regard.

*Note: The Notification published in Chapter-II 'School Board' of "Ordinances Governing Academic Matters" of the Gazette of India No. 76, dated May 12, 2009 is hereby repealed.*

#### **Ordinance 01 of 2015**

*[vide Executive Council resolution No.EC 2015-30-11 dated 25-02-2015  
and AC 2015-13-01 dated 19-06-2015, EC 2015-31-44 dated 26-06-2015]*

#### **Creation of Board of Research Studies**

1. The Indian Maritime University shall have a Board of Research Studies, the composition of which shall be as under:
 

(i) Vice Chancellor	-	Chairman (ex-officio)
(ii) Deans of Schools of Studies	-	Members (ex-officio)

- (iii) One Professor from each School of Studies nominated by the Vice Chancellor -Members
- (iv) One Associate Professor from each School of Studies nominated by the Vice Chancellor -Members
- (v) Six experts (with Ph.D) representing Teaching, Research and Industry nominated by the Academic Council out of a panel of 12 names proposed by the Vice Chancellor -Members
2. The term of office of the nominated members shall be 3 years and they shall be eligible for re-nomination.
3. The functions of the Board of Research Studies shall be:
- (i) Propose guidelines and regulations for all matters connected with Ph.D and other research programmes.
- (ii) Prepare a perspective plan for major thrust areas for research in the disciplines under the purview of the University.
- (iii) Review the current status of research in each department.
- (iv) Perform such other functions as may be assigned by the Academic Council or the Executive Council from time to time.
4. The meetings of the Board shall be held at least twice a year.
5. The quorum for a meeting of the Board shall be one third of the total members.
6. Notice for a meeting of the Board shall be issued at least ten days before the date fixed for the meeting.
7. The Board may determine its own procedures for working.

#### **Ordinance 02 of 2015**

*[vide Executive Council resolution No.EC 2015-30-12 dated 25-02-2015  
and AC 2015-13-01 dated 19-06-2015, EC 2015-31-44 dated 26-06-2015]*

#### **Creation of School of Naval Studies**

1. The Indian Maritime University shall have a School of Naval Studies, the composition of which shall be as under:
- (a) Vice Chancellor – Chairman (Ex-Officio).
- (b) Deans of the School of Nautical Studies, the School of Marine Engineering & Technology and the School of Naval Architecture and Ocean Engineering – Members (Ex-officio).
- (c) One Faculty each from the Schools of Nautical Studies, Marine Engineering & Technology, and Naval Architecture and Ocean Engineering not below the rank of Associate Professor nominated by the Vice Chancellor – Members.
- (d) Three experts nominated by the Academic Council out of a panel of four names proposed by the Vice Chancellor and two names nominated by the Director-General of Shipping.
- (e) Six experts in relevant fields nominated by the competent authority of the Indian Navy.
2. The term of office of the nominated members shall be three years and shall be eligible for re-nomination.
3. The functions of the School of Naval Studies shall be:
- (i) Scrutinize and recommend the various programmes run by Training Schools of the Indian Navy which are suitable for the award of the appropriate Degrees/Diplomas/Certificates by IMU.
- (ii) Oversee the guidelines and regulations of the various programmes including the number, age and educational qualifications of the trainees; the number, age and the educational and service qualifications of the Faculty; provision of facilities/infrastructure; course content and duration; methods of evaluation, among others.

- (iii) Perform such other functions as may be assigned to it by the Academic Council and Executive Council from time to time.
4. The Meetings of the School of Naval Studies shall be held at least once a year.
5. The quorum for a meeting shall be 1/3<sup>rd</sup> of the total members.
6. Notice for a meeting of the School of Naval Studies shall be issued at least 21 days before the date of the meeting.
7. The School may determine its own procedures for working.

**Ordinance 03 of 2015**

*[vide Executive Council resolution No.EC 2015-30-13 dated 25-02-2015  
and AC 2015-13-01 dated 19-06-2015, EC 2015-31-44 dated 26-06-2015]*

**Creation of School of Allied Studies**

1. The Indian Maritime University shall have a School of Allied Studies, the composition of which shall be as under:
- (i) Deans of the Schools of Marine Engineering & Technology, Nautical Studies, Naval Architecture & Ocean Engineering and Maritime Management. —Members (ex-officio).  
One of the Deans shall be Chairman of the School Board by rotation every year in the order mentioned above.
- (ii) One Faculty from each School of Studies not below the rank of Associate Professor nominated by the Vice Chancellor. —Members.
- (iii) Four Faculty from the Affiliated Institutes (from different disciplines) nominated by the Vice Chancellor. - Members.
- (iv) Six experts representing Teaching, Research and Industry nominated by the Academic Council out of a panel of 12 names proposed by the Vice Chancellor —Members.
2. The term of the office of the nominated members shall be 3 years and they shall be eligible for re-nomination.
3. The functions of the School of Allied Studies shall be:
- (i) Propose guidelines and regulations for such Certificate, Diploma, PG Diploma and PG Degree courses as may be assigned to it by the Vice Chancellor.
- (ii) Development of curricula, syllabi and supporting course materials for such Certificate, Diploma, PG Diploma and PG Degree courses.
- (iii) Perform such other functions as assigned to it by the Academic Council and the Executive Council from time to time.
4. The meetings of the Board shall be held at least twice a year.
5. The quorum for a meeting of the Board shall be one third of the total members.
6. Notice for a meeting of the Board shall be issued at least ten days before the date fixed for the meeting.
7. The Board may determine its own procedures for working.

**Ordinance 04 of 2015**

*[vide Executive Council resolution No.EC 2015-30-16 dated 25-02-2015]*

**Terms and conditions for acceptance of Endowments**

A. Terms and conditions of Endowments for Medals and Prizes

1. The minimum donation towards an Endowment for a single Medal or Prize shall be Rs.1.00 lakh. There shall be no maximum limit. Donations greater than Rs.1.00 lakh should be in multiples of Rs.10,000.



2. The amount shall be deposited by IMU in a Nationalised Bank in Fixed Deposit in such a way as to maximize, to the extent possible, the interest accruing to the Fixed Deposit.
3. The annual interest from the Fixed Deposit shall be utilized for the giving of Medal and Prize every year.
4. For a minimum Endowment of Rs.1.00 lakh - assuming a Fixed Deposit interest rate of 8% per annum - a Medal/Prize of value approximately Rs.8,000 can be given.
5. The name of the Medal or Prize, its purpose, and the types of students to whom it can be given should be clearly specified by the donor. IMU will normally accept the donor's request in this regard. However, IMU reserves the right to reject an Endowment or to make suitable modifications in the name or purpose or the types of students to whom the Medal or Prize should be given if what was proposed by the donor is considered to be prejudicial to social harmony or to law and order or academic excellence or is impractical/impossible to implement.
6. Subject to what is stated in (5) above, it shall be the prerogative of IMU to select the students for the Medal or Prize under intimation to the donor.
7. The Medal or Prize will normally be given after one year from the date of acceptance of the Endowment by IMU. If the donor wants the Medal or Prize to be given within one year from the date of acceptance, then he should donate an additional amount equal to the value of the Medal or the Prize amount.
8. An Endowment once created in IMU is irrevocable and the donor or his heirs/successors/assignees cannot ask for it to be returned. An Endowment is deemed to be created when IMU has issued a letter to the donor intimating him the acceptance of his donation.
9. Two or more donors can institute an Endowment jointly.
10. If for any reason the Medal or Prize could not be given in a particular year, IMU shall arrange to give it as soon as it may be practicable.
11. If for any reason no student is found to be eligible to receive the Medal or Prize during a given year, the amount shall be added to the principal of the Fixed Deposit.
12. IMU's employees will not be allowed to create any Endowment *in their name* while in service.
13. There shall not be any financial burden upon IMU's funds in awarding the Endowment Medal or Prize.
14. Donations towards Endowments will be accepted only in the form of Demand Draft/Banker's Cheque.
15. Where endowments are received from foreign nationals or foreign companies, due compliance with the laws should be ensured.
16. There should not be any diversion of Endowment funds to other purposes.

**B. Terms and conditions concerning the Endowment for Scholarships**

1. The minimum donation towards an Endowment for a Scholarship shall be Rs. 3.00 lakhs. There shall be no maximum limit. But donations greater than Rs.3.00 lakh should be in multiples of Rs.10,000.
2. The amount shall be deposited by IMU in a Nationalised Bank in Fixed Deposit in such a way as to maximize, to the extent possible, the interest accruing to the Fixed Deposit.
3. The annual interest from the Fixed Deposit shall be utilized for the giving of Scholarship(s) every year.
4. For a minimum Endowment of Rs.3.00 lakhs - assuming a Fixed Deposit interest rate of 8% per annum - a Scholarship of approximately Rs.25,000 can be given.
5. The name of the Scholarship, its purpose, and the types of students to whom it can be given should be clearly specified by the donor. IMU will normally accept the donor's request in this regard. However, IMU reserves the right to reject an Endowment or to make suitable modifications in the name or purpose or the types of students to whom the Scholarship should be given if what was proposed by the donor is considered to be prejudicial to social harmony or to law and order or academic excellence or is impractical/impossible to implement.
6. Subject to what is stated in (5) above, it shall be the prerogative of IMU to select the students for the Scholarship under intimation to the donor.

7. The Scholarship will normally be given after one year from the date of acceptance of the Endowment by IMU. If the donor wants the Scholarship to be given within one year from the date of acceptance, then he should donate an additional amount equal to the value of the Scholarship amount.
8. An Endowment once created in IMU is irrevocable and the donor or his heirs/successors/assignees cannot ask for it to be returned. An Endowment is deemed to be created when IMU has issued a letter to the donor intimating him the acceptance of his donation.
9. Two or more donors can institute an Endowment jointly.
10. If for any reason the Scholarship could not be given in a particular year, IMU shall arrange to give it as soon as it may be practicable.
11. If for any reason no student is found to be eligible to receive the Scholarship during a given year, the amount shall be added to the principal of the Fixed Deposit.
12. IMU's employees will not be allowed to create any Endowment *in their name* while in service.
13. There shall not be any financial burden upon IMU's funds in awarding the Endowment Scholarship.
14. Donations towards Endowments will be accepted only in the form of Demand Draft/Banker's Cheque.
15. Where endowments are received from foreign nationals or foreign companies, due compliance with the laws should be ensured.
16. There should not be any diversion of Endowment funds to other purposes.

C. Terms and conditions concerning the Endowment for Orations

1. The minimum donation towards an Endowment for an Oration to be delivered in IMU for the benefit of the students shall be Rs.5.00 lakhs. There shall be no maximum limit. But donations greater than Rs.5.00 lakhs should be in multiples of Rs.10,000.
2. The amount shall be deposited by IMU in a Nationalised Bank in Fixed Deposit in such a way as to maximize, to the extent possible, the interest accruing to the Fixed Deposit.
3. The annual interest from the Fixed Deposit shall be utilized for organizing an Oration every year.
4. For a minimum Endowment of Rs. 5.00 lakhs - assuming a Fixed Deposit interest rate of 8% per annum – an amount of approximately Rs. 40,000 is likely to be available which should defray all the costs of organizing the Oration including the travel, boarding and lodging, honorarium to the speaker, function arrangements and so on.
5. The name of the Oration, its purpose, and the type of audience to whom it should be delivered should be clearly specified by the donor. IMU will normally accept the donor's request in this regard. However, IMU reserves the right to reject an Endowment or to make suitable modifications in the name or purpose or the type of audience to whom the Oration should be delivered if what was proposed by the donor is considered to be prejudicial to social harmony or to law and order or academic excellence or is impractical/impossible to implement.
6. Subject to what is stated in (5) above, it shall be the prerogative of IMU to organize the Oration under intimation to the donor.
7. The Oration will normally be organized after one year from the date of its acceptance by IMU. If the donor wants the Oration to be organized within one year from the date of its acceptance, then he should donate an additional amount equal to the cost of organizing the Oration.
8. An Endowment once created in IMU is irrevocable and the donor or his heirs/successors/assignees cannot ask for it to be returned. An Endowment is deemed to be created when IMU has issued a letter to the donor intimating him the acceptance of his donation.
9. Two or more donors can institute an Endowment jointly.
10. If for any reason the Oration could not be organized in a particular year, IMU shall arrange to organize it as soon as it may be practicable.
11. If there are any savings after organizing an Oration in any year, the saving shall be added to the principal of the Fixed Deposit.
12. IMU's employees will not be allowed to create any Endowment *in their name* while in service.

13. There shall not be any financial burden upon IMU's funds in organizing the Endowment Oration.
14. Donations towards Endowments will be accepted only in the form of Demand Draft/Banker's Cheque.
15. Where endowments are received from foreign nationals or foreign companies, due compliance with the laws should be ensured.
16. There should not be any diversion of Endowment funds to other purposes.

*Note: The Notification published in Chapter-XII 'Award of Scholarships, Studentships, Fellowships, Medals, Prizes, Endowments etc' of "Ordinances Governing Academic Matters" of the Gazette of India No. 76, dated May 12, 2009 is hereby repealed.*

#### **Ordinance 05 of 2015**

*[vide Executive Council resolution No.EC 2015-30-20 dated 25-02-2015]*

#### **Mode of Performance Appraisal for the Faculty of IMU Campuses**

(1) The Performance Appraisal System (PAS) for the *regular* Faculty of the Indian Maritime University shall consist of 3 parts, viz.

*Category 1* – Teaching, Learning and Evaluation related activities with maximum marks of 125.

*Category 2* – Co-curricular, Extension and Professional development related activities with maximum marks of 25.

*Category 3* – Research publications and academic contributions with maximum marks of 50 for Associate Professors and Professors and 25 for Assistant Professors.

The total marks will be 200 for Professors and Associate Professors and 175 for Assistant Professors.

(2) The total marks should be reduced to a 'score' on a 10-point scale as follows:

9 to 10	-	Outstanding
8 to <9	-	Very Good
6 to <8	-	Good
4 to <6	-	Average
Less than 4	-	Poor

(3) A. *Category 1:*

- (i) Lectures, Seminars, Tutorials, Practicals, Contact hours -Total Marks – 50.
- (ii) Academic Load in excess of allocated hours -Total Marks – 10.
- (iii) Reading / instructional material consulted and additional knowledge resources provided-Total Marks – 10.
- (iv) Use of Participatory and Innovative Teaching – Learning Methodologies, Designing of new courses and Updating of course contents, Course Improvement etc. - Total Marks –10.
- (v) Feedback from students - Total Marks – 20.
- (vi) Examination Duties Assigned and performed (Question Paper setting, Evaluation etc and Affiliation duties) = Total Marks – 25.

B. *Category 2:*

- (i) Extension, Co-curricular & field based Activities- Total Marks – 20
- (ii) Contribution to University Life and Management of the Institution -Total Marks – 20
- (iii) Professional Development related Activities (Membership in Statutory Bodies/Committees of other recognized Educational Institutions) - Total Marks – 10

*C. Category 3:*

- (i) Books- Self authored/co-authored/edited/Translated /Articles/ Chapters contributed in edited books /Full Research Papers published in referred journals / Conference Proceedings / published in Journals/Periodicals (for Self author - 10 Scores and for Co- author – 5 Scores) –Total Marks – a) Professor& Associate Professor - 20., b) Assistant Professor – 10
- (ii) Ongoing Research Projects related to Maritime Sector, Completed Projects & Consultancy related to Maritime Sector - Total Marks - a) Professor& Associate Professor - 20., b) Assistant Professor – 10.
- (iii) Papers presented in Regional/National and International Conferences/Seminars/ Workshop/ Symposia/Refresher and Orientation courses, etc. Lectures/Special lectures delivered, if any, in Institutions within and outside the University/ Country other than above (i.e. National/International Conferences/Seminars attended)/Special lecture(s) in Conferences/Seminars under Chairmanship (for self-author – 5 Scores and for Co-author – 2 Scores)- Total Marks –a) Professor& Associate Professor - 10., b) Assistant Professor – 5.

(4) The Performance Appraisal Report (PAR) shall normally cover an academic year of IMU i.e. from 1<sup>st</sup> August to 31<sup>st</sup> July of the following year. Where more than one PAR is written during the course of an academic year, each such report shall indicate the period to which it pertains. No Performance Assessment Report (PAR) need be written if the period covered is less than 3 months. Instead a certificate to this effect may be kept in the file.

(5) The performance assessment of a Faculty member will be done by a 'Reporting Authority' and it will then be reviewed by a 'Reviewing Authority'. The Reporting Authority and Reviewing Authority for Assistant Professor, Associate Professor and Professor shall be as under:

Sl. No.	Cadre	Reporting Authority	Reviewing Authority
1.	Assistant Professor	Head of the Department in the Campus not below the rank of an Associate Professor.	Campus Director
2.	Associate Professor	Campus Director.	Vice Chancellor
3.	Professor	Campus Director.	Vice Chancellor.

Before recording his assessment as Reporting Authority, the Campus Director may seek a note on the performance of an Associate Professor from the Head of the Department in the Campus not below the rank of Professor.

(6) The format of the Performance Assessment Report (PAR) shall be as prescribed by the Executive Council from time to time. The Vice Chancellor is authorised to make such modifications to the format (without changing the scores for the various Academic Performance Indicators) as deemed necessary and obtain the ratification of the Executive Council.

(7) The Faculty member reported upon shall be required to furnish a 'self-assessment report' in the relevant columns of the PAR format to the Reporting Authority within 2 months from the conclusion of the Academic Year [i.e. before 30<sup>th</sup> September]. He shall not however record any marks for himself. If the Faculty member fails to submit his self-assessment report within the time limit prescribed, then the Reporting Authority and the Reviewing Authority shall be at liberty to record their scores without the self-assessment report.

(8) The Reporting Authority and the Reviewing Authority shall record the marks for each Academic Performance Indicator in the relevant columns of the PAR format and also the score on the 10-point scale normally within 2 months from the date of receipt of the form. When a Reporting Authority/Reviewing Authority retires, he may give his report on his Faculty members within one month of retirement.

(9) The marks/score on the 10-point scale given by the Reviewing Authority is final.

(10) Apart from the marks/score on the 10-point scale, the Reporting Authority and the Reviewing Authority shall also record a brief narrative report of the Faculty member's performance within 100 words.

(11) The PAR should not aim to be punitive; rather its aim should be to guide the Faculty member to achieve his full potential and produce better results.

(12) A photocopy of the PAR shall be furnished to the Faculty member for perusal under proper acknowledgement.

(13) Any Faculty member who has been awarded a score below 4 on the 10-point scale may submit a written representation to the Reviewing Authority within 2 months from the date of communication of a copy of the PAR. The Reviewing

Authority shall obtain the remarks of the Reporting Authority on the representation of the aggrieved Faculty member and pass such orders as appropriate regarding the amendment of the score within 3 months.

14) If any comment made in the course of the brief narrative report penned by the Reporting Authority as well as the Reviewing Authority is adverse to the Faculty member, he may submit a written representation to the Reviewing Authority within 2 months from the date of communication of a copy of the PAR. The Reviewing Authority shall obtain the remarks of the Reporting Authority on the representation of the aggrieved Faculty member and pass such orders as appropriate within 3 months. The same will hold good where a Reporting Authority has not made any adverse comment but the Reviewing Authority has made an adverse remark. Where an adverse comment has been made by the Reporting Authority and the same has been specifically rebutted by the Reviewing Authority, it shall be treated as if there is no adverse comment against the Faculty member.

**Proforma for Performance Appraisal Report (PAR) for the**

**Regular Faculty of the Indian Maritime University**

**Part A: General Information and Academic background**

- (1) Name of the faculty member:  
(in Block Letters)
- (2) Campus :
- (3) Present Designation:
- (4) Pay Band of Scale of Pay                      Grade Pay Rs.
- (5) Date of initial joining the University and name of post :
- (6) Address for Correspondence:  
Tel. No. (Office)                                      Residence  
Mobile No.:    E-mail ID :
- (7) Academic Qualifications:

Sl. No.	Qualifications	Subject/s	Percentage of Marks	Year of Passing
i).	10th/SSLC/ equivalent			
ii).	HSC/12th/PUC/ equivalent			
iii).	UG Degree please mention the degree and discipline			
iv).	PG Degree please mention the degree and discipline			
v).	M. Phil			
vi).	Ph. D			
vii).	Any others			

(8) Whether passed NET / SLET? If so, the year in which qualified:

(9) Date on which the last Property returns filed:

**PART – B - ACADEMIC PERFORMANCE INDICATORS**

*Note to Faculty:* Please fill up only the columns 'Sl. No'. and 'Description'

**Category I: Teaching, Learning And Evaluation Related Activities**

(a) Lectures, Seminars, Tutorials, Practicals, Contact hours (give semester wise details wherever necessary)  
- Maximum Marks: 50

Sl. No.	Description	Marks	
		Reporting Authority	Reviewing Authority

Note: No score to be given if a teacher takes less than 80% of the assigned classes. Universities may give allowance for periods of leave when alternative teaching arrangements will ordinarily be made.

(b) Academic Load in excess of allocated hours - Maximum Marks: 10

Sl. No.	Description	Marks	
		Reporting Authority	Reviewing Authority

(ii) Reading / instructional material consulted and additional knowledge resources provided to students.  
Maximum Marks: 10

Sl. No.	Description	Marks	
		Reporting Authority	Reviewing Authority

(iii) Use of Participatory and Innovative Teaching – Learning Methodologies,  
Designing of new courses, Updating of course contents,  
Course Improvement etc.

Maximum Marks: 10

Sl. No.	Description	Marks	
		Reporting Authority	Reviewing Authority

(iv) Based on Feedback from students at the end of each semester.

Maximum Marks: 20

Sl. No.	Description	Marks	
		Reporting Authority	Reviewing Authority

- (v) *Examination and Affiliation duties assigned and performed (Question Paper setting, Evaluation, Inspection of affiliated colleges etc.)*

*Maximum Marks: 25*

Sl. No.	Description	Marks	
		Reporting Authority	Reviewing Authority

**CATEGORY II: CO-CURRICULAR, EXTENSION, PROFESSIONAL DEVELOPMENT RELATED ACTIVITIES**

- (i) Extension, Co-curricular & field based Activities. – Institutional Co-curricular activities such as field studies/educational tours, Industry –implant Training, Positions held/Leadership role played in Organisation linked with Extension work and NSS, NCC or other similar activity. Students and staff related socio cultural and sports programmes, campus publications., Community work such as values of National Integration, secularism, democracy, socialism, humanism, peace, scientific temper, flood or drought relief, small family norms etc.

*Maximum Marks: 10*

Sl. No.	Description	Marks	
		Reporting Authority	Reviewing Authority

- (ii) Contribution to Corporate Life and Management of the Institution -Contribution to University Life in Universities/Colleges through meetings, popular lectures, subjected related events, articles in college magazine and University volumes., Institutional Governance responsibilities like, Vice Principal, Dean, Director, Warden, School Chairperson; participation in committees concerned with any aspect of departmental or institutional management such as admission committee, campus development, library committee; Responsibility for, or participation in committees for Students Welfare, Counselling and Discipline; Organisation of Conference/Training: International/national/regional and placement activity for students.

*Maximum Marks – 10*

Sl. No.	Description	Marks	
		Reporting Authority	Reviewing Authority

- (iii) Professional Development Related Activities - Membership in professional related committees at state and national level; Participation in subject associations, conferences, seminars without paper presentation; Participation in short term training courses less than one week duration in educational technology, curriculum development, professional development, Examination reforms, institutional governance; Membership/participation in Bodies/Committees on Educational and National Development; Publication of articles in newspapers, magazines or other publications (not covered in category III); radio talks.

*Maximum Marks: 5*

Sl. No.	Description	Marks	
		Reporting Authority	Reviewing Authority

**CATEGORY III: RESEARCH PUBLICATIONS AND ACADEMIC CONTRIBUTIONS**

- (i) Books- Self authored/co-authored/edited/Translated (Please attach separate sheet, copies if necessary).  
Articles/Chapters contributed in edited books (Please attach separate sheet, copies if necessary).  
Full Research Papers published in referred journals/Articles/Conference Proceedings/published in Journals/Periodicals.

Maximum Marks: 20 (for Professors &amp; Associated Professors)

10 (for Assistant Professors)

Sl. No.	Description	Marks	
		Reporting Authority	Reviewing Authority

- (ii) Research Projects Undertaken/Ongoing Research Projects related to Maritime Sector, Completed Projects & Consultancy related to Maritime Sector.

Maximum Marks: 20 (for Professors &amp; Associate Professors)

10 (for Assistant Professors)

Sl.No.	Description	Marks	
		Reporting Authority	Reviewing Authority

- (iii) Papers presented in Regional/National and International Conferences/Seminars/ Workshop/ Symposia/Refresher and Orientation courses, etc. Lectures/Special lectures delivered, if any, in Institutions within and outside the University/ Country other than E above (i.e. National/International Conferences/Seminars attended) Invited to deliver special lecture(s) in Conferences/Seminars under Chairmanship



Maximum Marks: 10 (for Professors &amp; Associated Professors)

5 (for Assistant Professors)

Sl.No.	Description	Marks	
		Reporting Authority	Reviewing Authority

**PART C: OTHER RELEVANT INFORMATION**

Please give details of any other credentials, significant contributions, awards received etc. not mentioned earlier.

Sl. No.	Description

**LIST OF ENCLOSURES:** (Please attach copies of certificates, sanction orders, papers etc. wherever necessary)

- |   |    |
|---|----|
| 1 | 6  |
| 2 | 7  |
| 3 | 8  |
| 4 | 9  |
| 5 | 10 |

**DECLARATION**

I certify that the information provided is correct to the best of my knowledge and as per records available with the University and /or documents enclosed along with the duly filled PBAS proforma.

Date: \_\_\_\_\_

Place: \_\_\_\_\_

Signature of the Faculty Member

**PART D –FINAL ASSESSMENT SCORE**

S. No.	Criteria	Total Marks	Marks awarded by Reporting authority	Marks awarded by Reviewing authority
I	Teaching, Learning and Evaluation related activities	125		
II	Co-curricular, Extension, professional development etc.	25		
III	Research and Academic Contribution	50/25		

IV	Total	200/175		
V	<b>Final Assessment Score</b> after applying the Conversion factor*		As per Reporting Authority	As per Reviewing Authority

\*Conversion factor to 10-point scale:

(a) For Professors & Associate Professors-

Total Score obtained / 200 \* 10 =

(b) For Assistant Professors –

Total Score obtained / 175 \* 10 =

**PART E: BRIEF NARRATIVE REMARKS OF THE REPORTING AUTHORITY** (in about 100 Words)

--

**PART F–BRIEF NARRATIVE REMARKS OF THE REVIEWING AUTHORITY** (in about 100 Words)

--

**PART G-INTEGRITY OF THE FACULTY MEMBER**

[Reporting Authority and Reviewing Authority to tick the relevant box].

S.No.	Particulars	Reporting Authority	Reviewing Authority
i.	Beyond Doubt		
ii.	Nothing adverse has come to notice.		
iii.	Since the integrity of the Faculty member is doubtful, a secret note is attached		

*Signature of the Reporting Authority*  
(with seal)

*Signature of the Reviewing Authority*  
(with seal)

**Ordinance 06 of 2015***[vide Executive Council resolution No.EC 2015-30-23 dated 25-02-2015]***Recruitment Rules for the post of Section Officer**

1	Name of the Post	Section Officer
2	Number of Posts	14
3	Classification	Administrative Post, Group 'B'
4	Scale of Pay	Pay Band of Rs.9300- 34800 with a Grade Pay of Rs.4800.
5	Whether selection post or non-selection post	Selection Post
6	Age limit	<p><b>Promotion:</b> Age: No</p> <p><b>Deputation:</b> Age: Not more than 45 years.</p> <p><b>Absorption:</b> Age: Not more than 48 years. (Age limit for Deputation/Absorption relaxable up to 2 years by Vice Chancellor in deserving cases)</p>
7	Educational and Service qualifications prescribed for Promotees/ Deputationists/ Absorption?	<p><b>Promotion:</b> <i>Essential:-</i> <i>Educational Qualification:</i> A Bachelor's Degree. Working knowledge of Information &amp; Communication Technology. <i>Service Qualification:</i> From Senior Assistants or equivalent with atleast 8 years of regular service.</p> <p><b>Deputation:</b> A person holding analogous post on regular basis (or) at least eight years' experience as Senior Assistant or equivalent post working in the Pay Band of Rs.9300-34800 with a Grade Pay of Rs.4200 in any Central/State University or autonomous educational/ research institution, Central/ State Government or Government undertaking, Port Trust, etc.</p> <p><b>Absorption:</b> A Deputationist who has worked as Section Officer satisfactorily for a minimum period of 3 years in IMU, subject to concurrence from his parent organization.</p> <p>The same educational qualification as in the case of Promotees shall apply for Deputation/Absorption.</p> <p>The Executive Council reserves the right to relax the service qualification, if fully eligible candidates are not available to fill up the vacancies.</p>
8	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	By Promotion, failing which by Deputation/ Absorption
9	If a Departmental Promotion Committee/ Recruitment Committee exist, what is its composition?	<p>(i) Registrar as Chairperson.</p> <p>(ii) One Campus Director nominated by the Vice Chancellor.</p>

		(iii) Two nominees of the Vice Chancellor.
10	Remarks	Age of superannuation: 60 years. For Deputationists, relevant age of the sponsoring Department/Agency will apply subject to a maximum of 60 years.

Note: The Notification published at Serial No.18 in Chapter 9 of "Ordinances Governing Administrative Matters" of the Gazette of India No. 76, dated May 12, 2009 is hereby repealed.

**Ordinance 07 of 2015**

*[vide Executive Council resolution No.EC 2015-30-23 dated 25-02-2015]*

**Recruitment Rules for the post of Section Officer (Finance)**

1	Name of the Post	Section Officer (Finance)
2.	Number of Posts	3
3	Classification	Administrative Post, Group 'B'
4	Scale of Pay	Pay Band of Rs.9300-34800 with a Grade Pay of Rs.4800
5	Whether selection post or non-selection post	Selection Post
6	Age limit	<b>Promotion:</b> Age: No <b>Deputation:</b> Age: Not more than 45 years. <b>Absorption:</b> Age: Not more than 48 years. (Age limit for Deputation/Absorption relaxable up to 2 years by Vice Chancellor in deserving cases)
7	Educational and Service qualifications prescribed for Promotees/ Deputationists/ Absorption?	<b>Promotion:</b> <i>Essential:-</i> <i>Educational Qualification:</i> A Bachelor's Degree in Commerce or Mathematics or Statistics. Working knowledge of Information & Communication Technology, especially in Accounting Software. <i>Service Qualification:</i> From Senior Assistants(Finance) or equivalent with at least 8 years of regular service. <b>Deputation:</b> A person holding analogous post on regular basis (or) at least eight years' experience as Senior Assistant or equivalent post working in the Pay Band of Rs.9300-34800 with a Grade Pay of Rs.4200 in Finance & Accounts wing of any Central/ State University or autonomous educational/ research institution, Central/ State Government or Government undertaking, Port Trust, etc. <b>Absorption:</b> A Deputationist who has worked as Section Officer satisfactorily for a minimum period of 3 years in IMU, subject to concurrence from his parent organization. The same educational qualification as in the case of Promotees shall apply for Deputation/Absorption. The Executive Council reserves the right to relax the service qualification, if fully eligible candidates are not available to fill up the vacancies.

8	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	By Promotion, failing which by Deputation/ Absorption.
9	If a Departmental Promotion Committee/ Recruitment Committee exist, what is its composition?	(i) Registrar as Chairperson. (ii) One Campus Director nominated by the Vice Chancellor. (iii) Two nominees of the Vice Chancellor.
10	Remarks	Age of superannuation: 60 years. For Deputationists, relevant age of the sponsoring Department/Agency will apply subject to a maximum of 60 years.

**Ordinance 08 of 2015**

*[vide Executive Council resolution No.EC 2015-30-23 dated 25-02-2015]*

**Recruitment Rules for the post of Senior Assistant**

1	Name of the Post	Senior Assistant
2.	Number of Posts	21
3	Classification	Ministerial Post, Group 'C'
4	Scale of Pay	Pay Band of Rs.9300-34800 with a Grade Pay of Rs.4200.
5	Whether selection post or non-selection post	Non-Selection Post
6	Age limit	<b>Promotion:</b> Age: No <b>Deputation:</b> Age: Not more than 40 years. <b>Absorption:</b> Age: Not more than 43 years. (Age limit for Deputation/Absorption relaxable up to 2 years by Vice Chancellor in deserving cases)
7	Whether educational qualifications and experience prescribed for Promotees/ Deputationists/Absorption?	<b>Promotion:</b> <i>Essential:-</i> A Bachelor's Degree. <i>Service Qualification:-</i> From Assistants or equivalent with at least 5 years of regular service. <i>Desirable:-</i> Working knowledge of Information & Communication Technology. <b>Deputation:</b> A person holding analogous post on regular basis (or) at least 5 years' experience as Assistant or equivalent post working in the Pay Band of Rs.5200-20200 with a Grade Pay of Rs.2400 in any

		<p>Central/State University or autonomous educational/research institution, Central/State Government or Government undertaking, Port Trust, etc.</p> <p><b>Absorption:</b> A Deputationist who has worked as Senior Assistant satisfactorily for a minimum period of 3 years in IMU, subject to concurrence from his parent organization.</p> <p>The same educational qualification as in the case of Promotees shall apply for Deputation/Absorption.</p> <p>The Executive Council reserves the right to relax the service qualification, if fully eligible candidates are not available to fill up the vacancies.</p>
8	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	By Promotion, failing which by Deputation/ Absorption.
9	If a Departmental Promotion Committee / Recruitment Committee exist, what is its composition?	<p>(i) Registrar as Chairperson.</p> <p>(ii) Two nominees of the Vice Chancellor.</p>
10	Remarks	<p>Age of superannuation: 60 years.</p> <p>For Deputationists, relevant age of the Sponsoring Department/Agency will apply subject to a maximum of 60 years.</p>

*Note: The Notification published at Serial No.20 in Chapter 9 of "Ordinances Governing Administrative Matters" of the Gazette of India No. 76, dated May 12, 2009 is hereby repealed.*

**Ordinance 09 of 2015**

*[vide Executive Council resolution No.EC 2015-30-23 dated 25-02-2015]*

**Recruitment Rules for the post of Senior Assistant (Finance)**

1	Name of the Post	Senior Assistant(Finance)
2.	Number of Posts	6
3	Classification	Ministerial Post, Group 'C'
4	Scale of Pay	Pay Band of Rs.9300-34800 with a Grade Pay of Rs.4200.
5	Whether selection post or non-selection post	Non-Selection Post
6	Age limit	<p><b>Promotion:</b> Age: No</p> <p><b>Deputation:</b> Age: Not more than 40 years.</p> <p><b>Absorption:</b> Age: Not more than 43 years.</p> <p>(Age limit for Deputation/Absorption relaxable up to 2 years by Vice Chancellor in deserving cases)</p>
7	Whether educational qualifications and experience prescribed for Promotees/ Deputationists/Absorption?	<p><b>Promotion:</b> <i>Essential:-</i> A Bachelor's Degree in Commerce or Mathematics or Statistics.</p>

		<p><i>Service Qualification:-</i></p> <p>From Assistants (Finance) or equivalent with at least 5 years of regular service.</p> <p><i>Desirable:-</i></p> <p>Working knowledge of Information &amp; Communication Technology preferably in Accounting Software.</p> <p><b>Deputation:</b></p> <p>A person holding analogous post on regular basis (or) at least 5 years' experience as Assistant or equivalent post working in the Pay Band of Rs.5200-20200 with a Grade Pay of Rs.2400 in Finance &amp; Accounts wing of any Central/State University or autonomous educational/research institution, Central/State Government or Government undertaking, Port Trust, etc.</p> <p><b>Absorption:</b> A Deputationist who has worked as Senior Assistant (Finance) satisfactorily for a minimum period of 3 years in IMU, subject to concurrence from his parent organization.</p> <p>The same educational qualification as in the case of Promotees shall apply for Deputation/Absorption.</p> <p>Educational qualification as in the case of Promotees shall apply.</p> <p>The Executive Council reserves the right to relax the service qualification, if fully eligible candidates are not available to fill up the vacancies.</p>
8.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/Absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	By Promotion, failing which by Deputation/ Absorption.
9.	If a Departmental Promotion Committee / Recruitment Committee exist, what is its composition?	(i) Registrar as Chairperson. (ii) Two nominees of the Vice Chancellor.
10.	Remarks	Age of superannuation: 60 years. For Deputationists, relevant age of the Sponsoring Department/Agency will apply subject to a maximum of 60 years.

**Ordinance 10 of 2015**

*[vide Executive Council resolution No.EC 2015-30-24 dated 25-02-2015]*

**Recruitment Rules for the post of Private Secretary**

1.	Name of the Post	Private Secretary
2.	Number of Posts	6
3.	Classification	Secretarial Post, Group 'B'
4.	Scale of Pay	Pay Band of Rs.9300-34800 with a Grade Pay of Rs.4800.
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection post

6.	Age limit	<p><b>Promotion:</b> Age: No</p> <p><b>Deputation:</b> Age: Not more than 45 years.</p> <p><b>Absorption:</b> Age: Not more than 48 years. (Relaxable upto 2 years by Vice Chancellor in deserving cases)</p>
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<p><b>Promotion:</b> <i>Essential:-</i> <i>Educational &amp; Technical Qualifications:</i></p> <p>(i) A Bachelor's Degree.</p> <p>(ii) Shorthand Higher/Senior Grade in English [120 words per minute].</p> <p>(iii) Typewriting Higher/Senior Grade in English [45 words per minute].</p> <p>(iv) Proficiency in Information &amp; Communication Technology</p> <p><i>Service Qualification:</i> From Personal Assistant or equivalent with at least 8 years of regular service.</p> <p><i>Desirable:-</i> Typing in Hindi.</p> <p><b>Deputation:</b> A person holding analogous post on regular basis (or) atleast 8 years' experience as Personal Assistant or equivalent post working in the Pay Band of Rs.9300-34800 with a Grade Pay of Rs.4200 in any Central / State University or autonomous educational/ research institution, Central / State Government or Government undertaking, Port Trust, etc.</p> <p><b>Absorption:</b> A Deputationist who has worked as Private Secretary satisfactorily for a minimum period of 3 years in IMU, subject to concurrence from his parent organization.</p> <p>Educational &amp; Technical qualifications as in the case of Promotees shall apply for Deputation/Absorption.</p> <p>The Executive Council reserves the right to relax the service qualification, if fully eligible candidates are not available to fill up the vacancies.</p>
8	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	By Promotion, failing which by Deputation/ Absorption.
9	If a Departmental Promotion Committee/ Recruitment Committee exist and what is its composition?	<p>(i) Registrar as Chairperson.</p> <p>(ii) One Campus Director nominated by the Vice Chancellor.</p> <p>(iii) Two nominees of the Vice Chancellor.</p>
10.	Remarks	<p>Age of superannuation: 60 years.</p> <p>For Deputationists, relevant age of the Sponsoring Department/Agency will apply.</p>

*Note: The Notification published at Serial No.19 in Chapter 9 of "Ordinances Governing Administrative Matters" of the Gazette of India No. 76, dated May 12, 2009 is hereby repealed.*



**Ordinance 11 of 2015***[vide Executive Council resolution No.EC 2015-30-24 dated 25-02-2015]***Recruitment Rules for the post of Personal Assistant**

1	Name of the Post	Personal Assistant
2.	Number of Posts	8
3.	Classification	Secretarial Post, Group 'C'
4.	Scale of Pay	Pay Band of Rs.9300-34800 with a Grade Pay of Rs.4200.
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection post
6.	Age-limit	<p><b>Promotion:</b> Age: No</p> <p><b>Deputation:</b> Age: Not more than 40 years.</p> <p><b>Absorption:</b> Age: Not more than 43 years. (Relaxable upto 2 years by Vice Chancellor in deserving cases)</p>
7.	Whether educational qualifications and experience prescribed for Promotees/ Deputationists/ Absorption?	<p><b>Promotion:</b> <i>Essential:-</i> <i>Educational &amp; Technical Qualifications:-</i></p> <p>(i) A Bachelor's Degree.</p> <p>(ii) Shorthand Higher/Senior Grade in English [120 words per minute].</p> <p>(iii) Typewriting Higher/Senior Grade in English [45 words per minute].</p> <p>(iv) Proficiency in Information &amp; Communication Technology.</p> <p><i>Service Qualification:</i> From Steno-typists or equivalent with atleast 5 years of regular service.</p> <p><i>Desirable:-</i> Typing in Hindi</p> <p><b>Deputation:</b> A person holding analogous post on regular basis (or) atleast 5 years' experience as Steno-typist or equivalent post working in the Pay Band of Rs.5200-20200 with a Grade Pay of Rs.2400 in any Central/State University or autonomous educational/ research institution, Central/ State Government or Government undertaking, Port Trust, etc.</p> <p><b>Absorption:</b> A Deputationist who has worked as Personal Assistant satisfactorily for a minimum period of 3 years in IMU, subject to concurrence from his parent organization.</p> <p>Educational &amp; Technical qualifications as in the case of Promotees shall apply for Deputation/Absorption.</p> <p>The Executive Council reserves the right to relax the service qualification, if fully eligible candidates are not available to fill up the vacancies.</p>
8	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by	By Promotion, failing which by Deputation/ Absorption.

	deputation/ transfer/ Absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	
9	If a Departmental Promotion Committee/ Recruitment Committee exist and what is its composition?	(i) Registrar as Chairperson. (ii) Two nominees of the Vice-Chancellor.
10.	Remarks	Age of superannuation: 60 years. For Deputationists, relevant age of the Sponsoring Department/Agency will apply.

*Note: The Notification published at Serial No. 22 in Chapter 9 of "Ordinances Governing Administrative Matters" of the Gazette of India No. 76, dated May 12, 2009 is hereby repealed.*

**Ordinance 12 of 2015**

*[vide Executive Council resolution No.EC 2015-30-33 dated 25-02-2015]*

**Mode of Performance Appraisal for Campus Directors, Officers and Non-teaching Staff of IMU Headquarters and Campuses**

1. The Performance Appraisal System (PAS) for Officers and Non-teaching Staff of the Indian Maritime University who are appointed on regular basis shall consist of three parts, viz. Work Output, Assessment of Personal Attitudes and Assessment of Functional Competency. For Campus Directors, there will be a fourth part viz., Academic Contribution.

2. The total marks should be reduced to a 'score' on a 10-point scale as

follows:

9 to 10	-	Outstanding
8 to <9	-	Very Good
6 to <8	-	Good
4 to <6	-	Average
Less than 4	-	Poor

3. The Performance Appraisal Report (PAR) shall be written for each financial year that is from 1<sup>st</sup> April to 31<sup>st</sup> March of the following year. Where more than one PAR is written during the course of a financial year, each such report shall indicate the period to which it pertains.

No Performance Assessment Report (PAR) need be written if the period covered is less than 3 months. Instead a certificate to this effect may be kept in the file.

4. The Performance Appraisal Report (PAR) shall be written by a "Reporting Authority" and it will then be reviewed by a "Reviewing Authority". The Reporting Authority and Reviewing Authority for the various Officers, Campus Directors and Non-teaching Staff shall be as under:

IMU Headquarters			
Sl. No	Category of Posts	Reporting Authority	Reviewing Authority
1.	Group 'C' Officers	Concerned Assistant Registrar	Registrar
2.	Group 'B' Officers	Concerned Deputy Registrar	Registrar
3.	Personal Staff - Private Secretary / Personal Assistant/Stenotypist/ Driver etc.	The Officer concerned	

4.	Group 'A' Officers – (i) Assistant Registrar	Registrar	Vice-Chancellor
	(ii) Deputy Registrar	Registrar	Vice-Chancellor
	(v) Registrar, Finance Officer, Controller of Examinations, Librarian	Vice Chancellor	
<b>IMU Campuses</b>			
<b>Sl. No</b>	<b>Category of Posts</b>	<b>Reporting Authority</b>	<b>Reviewing Authority</b>
1.	Group 'C' Officers	Deputy Registrar [or in his absence Assistant Registrar (Admin)]	Campus Director
2.	Group 'B' Officers	Deputy Registrar [or in his absence Assistant Registrar (Admin)]	Campus Director
3.	Personal Staff - Private Secretary/Personal Assistant/Steno-typist/Driver etc.	The Officer concerned	
4.	Group 'A' Officers – (i) Assistant Registrar	Campus Director	Vice-Chancellor
	(ii) Deputy Registrar	Campus Director	Vice-Chancellor
5.	Campus Director	Vice Chancellor	

Before recording his assessment as Reporting Authority, the Registrar in the respect of Headquarters/the Campus Director in respect of a Campus may seek a note on the Performance of an Asst. Registrar from the concerned Deputy Registrar and this note shall form part of the records.

5. The format of the Performance Assessment Report (PAR) shall be as prescribed by the Executive Council from time-to-time. There shall be separate PAR formats for the Officers (Group A and Group B), the Campus Directors and the Group C Non-Teaching staff. The Vice-Chancellor is authorised to make such modifications to the format (without changing the weightages/marks for the various Performance Indicators) as deemed necessary and obtain the ratification of the Executive Council.

6. Group A and Group B Officers and the Campus Directors reported upon shall be required to furnish a self-assessment report in the relevant columns of the PAR format to the Reporting Authority within 2 months of the conclusion of the Reporting period [i.e. before 31<sup>st</sup> May]. [Group C Non-Teaching staff may write on a separate sheet of paper and attach it with the PAR format]. If an official fails to submit his self-assessment report within the time limit prescribed, then the Reporting Authority and the Reviewing Authority shall be at liberty to record their marks without the self-assessment report.

7. The Reporting Authority and the Reviewing Authority shall record the marks for each Performance Indicator in the relevant columns of the PAR format and also the score on the 10-point scale normally within 2 months from the date of receipt of the form. When a Reporting Authority/Reviewing Authority retires, he shall give his report on within one month of retirement.

8. The overall score on the 10-point scale given by the Reviewing Authority is final.

9. Apart from the overall score on the 10-point scale, the Reporting Authority and the Reviewing Authority shall also record a brief narrative report of the official's performance within 200 words.

10. The PAR should not aim to be punitive; rather its aim should be to guide the Official to achieve his full potential and produce better results.

11. A photocopy of the PAR shall be furnished to the official for perusal under proper acknowledgement.

12. Any official who has been awarded a score below 4 on the 10-point scale may submit a written representation to the Reviewing Authority within 2 months from the date of communication of a copy of the PAR. The Reviewing Authority shall obtain the remarks of the Reporting Authority on the representation of the aggrieved official and pass such orders as appropriate regarding the amendment of the score within 3 months.

13. If any comment made in the course of the brief narrative report penned by the Reporting Authority as well as the Reviewing Authority is adverse to the official, he may submit a written representation to the Reviewing Authority within 2 months from the date of communication of a copy of the PAR. The Reviewing Authority shall obtain the remarks of the Reporting Authority on the representation of the aggrieved official and pass such orders as appropriate within 3 months. The same will hold good where a Reporting Authority has not made any adverse comment but the Reviewing Authority has made an adverse remark. Where an adverse comment has been made by the Reporting Authority and the same has been specifically rebutted by the Reviewing Authority, it shall be treated as if there is no adverse comment against the official.

**Format of Performance Appraisal Report for Group A and Group B Officers of the Indian Maritime University  
for the period from**

**01<sup>st</sup> April .....to 31<sup>st</sup> March .....**

**Part I: General Information**

1. a) Name of the officer reported upon :
- b) Designation :
2. Campus/Head Quarters :
3. Date of appointment to the present post :
4. Length of service under the reporting Officer :  
(from ..... to .....)
5. Details of leave, trainings attended during the period under report.  
(i) Leave:- (ii) Training:-
6. Whether property return filed :  
as per the Conduct Rules of IMU

**Part II: Self Appraisal**

1. Brief description of duties:

(Objectives of the position you hold and the tasks you are required to perform, in about 100 words)

--

2. Annual work plan and achievement

Tasks to be performed	Deliverables	Achievement

*Note:* If considered necessary, the details can be furnished in a separate sheet of paper in the above format and attached to the PAR.

3. During the period under report, do you believe that you have made any exceptional contribution, e.g. successful completion of an extraordinarily challenging task for major systemic improvement (resulting in significant benefits to the university and/or reduction time and costs)? If so, please give a verbal description (within 100 words)

--

4. What are the factors that hindered your performance ?

--

### **Part III : Appraisal**

1. Physical capacity :

2. Assessment of "Work Output" (This assessment should rate the officer vis-à-vis his peers and not the general population. Grades should be assigned on a scale of 1-10, in whole numbers, with 1 referring to the lowest grade and 10 to the best grade. Weightage to this section would be 40%)

Description	Reporting Authority	Reviewing Authority
(i) Accomplishment of planned work		
(ii) Quality of output		
(iii) Accomplishment of exceptional work / unforeseen tasks performed		
Overall Grading on "Work Output" [Average value of (i) to (iii)]		

3. Assessment of "Personal Attributes": (weightage to this section would be 30%)

Description	Reporting Authority	Reviewing Authority
(i) Attitude to work		
(ii) Sense of responsibility		
(iii) Maintenance of Discipline		
(iv) Emotional ability		
(v) Communication Skills		
(vi) Moral Courage and willingness to take professional stand		
(vii) Leadership qualities		
(viii) Capacity to work in time limit		
Overall grading on "Personal Attributes" [Average value of (i) to (viii)]		

4. Assessment of Functional Competency (on a scale of 1-10. Weightage to this Section will be 30%)

Description	Reporting Authority	Reviewing Authority
(i) Knowledge of laws/rules/procedures/IT skills and awareness of the local norms in the relevant area		
(ii) Strategic planning ability		
(iii) Decision making ability		

(iv) Initiative		
(v) Coordination ability		
(vi) Ability to motivate and develop subordinates ./ work in a team		
Overall Grading on 'Functional Competency' [Average value of (i) to (vi)]		

5. Overall grading out of 10:

[Weighted average of grading under 2, 3 and 4 above]

6. Integrity (Please tick the appropriate box)

Beyond doubt	
Since the integrity of the Officer is doubtful, a secret note is attached	
Not watched the Officer's work for sufficient time to form a definite judgment but nothing adverse has been reported to me about the officer	

7. Pen Picture by Reporting Authority (Not more than 200 words)

--

Signature of the Reporting Authority:

Name in Block Letters:

Designation:

Date:

**REMARKS OF REVIEWING AUTHORITY**

8. Length of Service under the \_\_\_\_\_ :  
Reviewing Authority

9. Integrity (Please tick the appropriate box)

Beyond doubt	
Since the integrity of the Officer is doubtful, a secret note is attached	
Not watched the Officer's work for sufficient time to form a definite judgment but nothing adverse has been reported to me about the officer	

10. State clearly whether the Reviewing Authority :  
fully agrees with the remarks of the Reporting Authority. If any modification is made by him on the remarks of the

Reporting Authority, the reasons for such modification shall be indicated.

11. Comments if any, on the pen picture written by the Reporting Authority

--

12. Overall grading on a scale of 1 to 10:

Signature of the Reviewing Authority:

Name in Block Letters:

Designation:

Date:

**Format of Performance Appraisal Report for Campus Director of the Indian Maritime University for the period from**

**01<sup>st</sup> April .....to 31<sup>st</sup> March .....**

**Part I: General Information**

1. Name of the Campus Director :
2. Campus :
3. Date of appointment to the present post :
4. Length of service under the Reporting Authority :  
(From ..... to .....)
5. Details of leave, trainings attended during the period under report. (i) Leave:-  
(ii) Training:-
6. Whether property return filed as per the Conduct Rules of IMU :

**Part II: Self-Appraisal**

1. Brief description of duties:  
(Objectives of the position you hold and the tasks you are required to perform, in about 100 words)

--

2. Annual work plan and achievement

Tasks to be performed	Deliverables	Achievement

*Note:* If considered necessary, the details can be furnished in a separate sheet of paper in the above format and attached to the PAR.





## (C) Papers presented in Regional/ National and International Conferences:

Sl.No.	Title/Subject of paper presented	Subject of Conference/ Seminar/ Symposium/ Workshop/ Refresher & Orientation courses, etc.	Whether International/ National/ Regional/ University level	Organised by (Name of the University/ Institution)	Place held	Whether the proceedings published Yes /No

## (D) Details of any other credentials, significant contributions, consultancy, awards received etc. not mentioned earlier.

Sl.No.	Details (Mention Year, Value etc., where relevant)

**Part III : Appraisal**

- Physical capacity :
- Assessment of "Work Output" (This assessment should rate the officer vis-à-vis his peers and not the general population. Grades should be assigned on a scale of 1-10, in whole numbers, with 1 referring to the lowest grade and 10 to the best grade. Weightage to this section would be 40%)

Description	Reporting Authority	Reviewing Authority
(i) Accomplishment of planned work		
(ii) Quality of output		
(iii) Accomplishment of exceptional work / unforeseen tasks performed		
Overall Grading on "Work Output" [Average value of (i) to (iii)]		

## 3. Assessment of "Personal Attributes": (weightage to this section would be 20%)

Description	Reporting Authority	Reviewing Authority
(i) Attitude to work		
(ii) Sense of responsibility		
(iii) Maintenance of Discipline		
(iv) Emotional ability		
(v) Communication Skills		
(vi) Moral Courage and willingness to take professional stand		
(vii) Leadership qualities		
(viii) Capacity to work in time limit		
Overall grading on "Personal Attributes" [Average value of (i) to (viii)]		

## 4. Assessment of Functional Competency (on a scale of 1-10. Weightage to this Section will be 20%)

Description	Reporting Authority	Reviewing Authority
(i) Knowledge of laws/rules/procedures/IT skills and awareness of the local norms in the relevant area		
(ii) Strategic planning ability		
(iii) Decision making ability		
(iv) Initiative		
(v) Coordination ability		
(vi) Ability to motivate and develop subordinates / work in a team		
Overall Grading on 'Functional Competency' [Average value of (i) to (vi)]		

## 5. Academic contribution made by the Campus Director (Weightage to this Section will be 20%)

## 6. Overall grading out of 10:

[Weighted average of grading under 2, 3, 4 and 5 above]

## 7. Integrity (Please tick the appropriate box)

Beyond doubt	
Since the integrity of the Officer is doubtful, a secret note is attached	
Not watched the Officer's work for sufficient time to form a definite judgment but nothing adverse has been reported to me about the officer	

8. Pen Picture by Reporting Authority (Not more than 200 words)

--

Signature of the Reporting Authority:

Name in Block Letters:

Designation:

Date:

**REMARKS OF REVIEWING AUTHORITY**

9. Length of Service under the :  
Reviewing Authority

10. Integrity (Please tick the appropriate box)

Beyond doubt	
Since the integrity of the Officer is doubtful, a secret note is attached	
Not watched the Officer's work for sufficient time to form a definite judgment but nothing adverse has been reported to me about the officer	

11. State clearly whether the Reviewing :  
Authority fully agrees with the remarks  
of the Reporting Authority. If any  
modification is made by him on the  
remarks of the Reporting Authority,  
the reasons for such modification shall  
be indicated.

12. Comments if any, on the pen picture :  
written by the Reporting Authority

--

13. Overall grading on a scale of 1 to 10:

Signature of the Reviewing Authority:

Name in Block Letters:

Designation:

Date:

**PERFORMANCE APPRAISAL REPORT FOR GROUP 'C' STAFF**

1. Name :  
2. Designation :

- 
3. Length of service under the Reporting authority (From.....to.....) :
  4. Details of leave, trainings attended during the period under report. :
    - (i) Leave:
    - (ii) Training:
  5. Wing in which working (Administration/ Exams & Academics/Finance & Accounts/ Stores/Engineering) :
  6. Nature of duties assigned
  7. Date of Birth :
  8. Educational and Technical Qualifications :
  9. Date of Superannuation :
  10. Whether property return has been submitted to the Competent Authority :
  11. Mode of Appointment :
  12. Date of first appointment :
  13. Scale of Pay & Present pay :
  14. Achievements made against the target fixed (Please furnish the details) :
  15. Physical capacity :
  16. Attitude to work :
  17. Quality of output :
  18. Knowledge of Rules, Regulations and Procedures :
  19. Integrity (please comment on the integrity of the official) :
  20. Pen picture by Reporting Authority (Please comment on the overall qualities of the official including areas of strengths and lesser strength) :
  21. Overall rating (Outstanding/ very good/ good/ satisfactorily/poor-Please write the appropriate rating) :
- Signature of the Reporting Authority :  
 Name in Block Letters :  
 Designation :  
 Date :

**REMARKS OF REVIEWING AUTHORITY**

22. Length of service under the Reviewing Authority :

23. State clearly the Reviewing Authority fully agrees :

with the remarks of the Reporting Authority. If any modification is made by him on the remarks of the Reporting Authority, the reasons for such modification shall be indicated.

24. Integrity (Please comment on the integrity of the :  
Official reported upon)

25. Comments, if any on the pen picture written :  
by the Reporting Authority

Signature of the Reviewing Authority :

Name in Block Letters :

Designation :

Date :

**Ordinance 13 of 2015**

*[vide Executive Council resolution No.EC 2015-30-35 dated 25-02-2015]*

**Recruitment Rules for the post of Finance Officer**

1.	Name of the post	Finance Officer
2.	Number of Posts	1
3.	Classification	Group A
4.	Scale of Pay	Pay Band will be Rs. 37400-67000 with GP of Rs. 10,000
5.	Whether selection post or non selection post	Deputation/Direct Recruitment/Promotion
6.	Age limit for direct recruitment	Age not more than 55 years (relaxable by Vice Chancellor up to 2 years in deserving cases.)
7.	Educational and other qualifications required for direct recruitment	<p><b><u>Category 1:</u></b></p> <p><b>Essential:</b></p> <p>(i) Bachelor's degree with CA/ICWA [or] at least 55% marks or its equivalent grade in Master of Commerce Degree.</p> <p>[N.B: A relaxation of 5% marks (from 55% to 50%) in M.Com will be allowed for candidates belonging to SC/ST/PwD categories]&amp;</p> <p>(ii) At least 15 years' experience in Finance and Accounts in Grade Pay of Rs.5,400 or above out of which at least 8 years' experience shall be in Grade Pay of Rs.7,600 or above in Central/State Universities, Autonomous Educational Institutes, Port Trusts, Public Sector Undertakings, Central/State Government Departments/Agencies. [Where an organization has a different salary structure, candidates in equivalent pay scale will be considered].</p> <p><b>Desirable:</b></p> <p>Working knowledge of computers and accounting software.</p>

		[OR]
		<p><b>Category 2:</b></p> <p><b>Essential:</b></p> <p>(i) Serving or retired officer of Central/State Governments with at least 12 years' experience as Group A officer in Finance/Accounting/Budgeting.</p> <p><b>Desirable:</b></p> <p>Working knowledge of computers and accounting software.</p> <p>The Executive Council reserves the right to relax the service qualifications if fully eligible candidates are not available to fill up the vacancy.</p>
8.	Whether Age & Educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees / Deputationists?	<p><b>Promotion:</b></p> <p>Age – No.</p> <p>Educational qualifications: Yes.</p> <p><b>Deputation:</b></p> <p>Age – 57 years.</p> <p>Educational qualifications: Yes, except in the case of Category 2.</p>
9.	Period of probation, if any	Two years for direct recruitment only.
10.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of vacancies to be filled by various methods.	Not applicable for Deputation/Direct Recruitment/Promotion By Selection in case of Promotion.
11.	If a departmental promotion committee/recruitment committee exists, what is its composition?	<p>Departmental Promotion Committee/Selection committee will consist of:</p> <p>i) The Vice-Chancellor as Chairperson.</p> <p>ii) Two members of the Executive Council nominated by it.</p> <p>iii) One person not in the service of the University nominated by the Executive Council.</p> <p>iv) One person nominated by the Visitor.</p>
12.	Remarks	<p>Appointment to the post of Finance Officer will be for tenure of 5 years initially.</p> <p>Eligible for only one extension up to a maximum of 5 years subject to satisfactory performance.</p> <p>Age of superannuation: 62 years for direct recruits and promotees.</p> <p>For deputationists, relevant age of the sponsoring department/agency will apply subject to a maximum of 62 years.</p>

*Note: The Notification published at Serial No.14 in Chapter 9 of "Ordinances Governing Administrative Matters" of the Gazette of India No. 76, dated May 12, 2009 is hereby repealed.*

**Ordinance 14 of 2015***[vide Executive Council resolution No.EC 2015-30-39 dated 25-02-2015]***Policy for sending IMU employees on Deputation  
to other Organisations****1. Eligibility for Deputation:-**

Only an employee who has been confirmed in his service in the Indian Maritime University and has completed at least 5 years of service thereafter will be eligible for deputation.

No employee will be sent on deputation to another organization against his will.

Not more than 10% of IMU employees in any cadre shall be on deputation to other organizations at any given point of time.

Provided that IMU reserves the right, on administrative grounds, to reject the request of an employee to be sent on deputation to another organization.

**2. Period of Deputation and Authority to permit Deputation:-**

The period of deputation will initially be two years which may subsequently be extended one year at a time up to a maximum period of five years. The Vice Chancellor, IMU may permit the initial deputation for two years and its subsequent extension up to four years. The approval of the Executive Committee is mandatory for extension of deputation for the fifth year. No extension of deputation shall be allowed beyond five years under any circumstances.

The borrowing organization shall have the right to revert an employee before his period of deputation is over.

IMU shall also be at liberty to recall an employee from deputation before the period of deputation is over.

No employee shall proceed on deputation to another organization unless he is relieved from IMU by the Registrar.

The period of deputation shall commence from the date of relief from IMU and end on the day previous to the date of re-joining in IMU.

Notwithstanding what is stated in the foregoing, the period of deputation of an employee shall end at least twelve months before the date of his superannuation in IMU.

**3. Age of Superannuation:-**

An employee's age of superannuation as per IMU's laws [whether governed by Section 49(i) or (ii) or (iii) of IMU Act, 2008] will apply to him even if the age of superannuation is higher in the borrowing organization.

**4. Cooling-off period:-**

A cooling-off period of five years is mandatory after every period of deputation irrespective of its duration.

**5. Pay and Allowances:-**

During the period of deputation, the pay and allowances of the employee shall be borne by the borrowing organization.

The deputationist can opt for either (i) his IMU pay scale along with deputation allowance or (ii) for the pay scale attached to the post in the borrowing organisation to which he is deputed.

*Rates of Deputation (Duty) Allowance: (with effect from 1.9.2008)*

Within the same station : 5% of (Band Pay + GP) subject to  
maximum of Rs.2,000 p.m.

In other cases : 10% of (Band Pay + GP) subject to  
maximum of Rs.4,000 p.m.

On his reversion to IMU, the employee shall continue to get his normal pay and allowances that he would have got but for his deputation even though he may have received higher pay and allowances in the borrowing organization.

**6. Leave salary contribution:-**

During the period of deputation, the employee shall continue to be governed by the leave rules of IMU and the liability for the leave salary during the period of deputation shall be borne by the foreign employer.

**7. Leave Travel Concession:-**

The deputationist from IMU will continue to be entitled for leave travel concession, in accordance with the rules applicable to him in IMU and the cost thereof will be borne by the borrowing organization.

**8. Proforma Promotion:-**

An employee of IMU who is due for promotion while on deputation to another organization will be given proforma/paper promotion in IMU as per his seniority.

**9. Dues to be paid:-**

During the period of deputation, the employee shall continue to pay all his dues to IMU as per the prescribed schedule.

**10. Joining Time and Transfer T.A:-**

The deputationist will be entitled to Joining Time and Transfer Travelling Allowance both on joining the post in the borrowing organization and on reversion to IMU, as per the rules and regulations of that borrowing organization to which he is deputed. The expenditure on this account shall be borne by the borrowing employer.

**11. Provident Fund Contribution:-**

During the period of deputation, the employee shall continue to subscribe to the provident Fund or any other mandatory deductions to IMU to which he may have been subscribing. This contribution shall be deducted from his monthly salary and remitted to IMU by the borrowing organisation or by the deputationist himself without fail. In the case of Contributory Provident Fund/E.P.F, the employer's share to the Fund shall be paid by the borrowing organization.

**12. Medical facilities:-**

The deputationist will be entitled to medical facilities as per the rules and regulations of the borrowing organization.

**13. Applicability of Laws, Statutes and Ordinances of IMU:-**

The deputationist shall be bound by the Laws, Statutes and Ordinances of IMU notwithstanding the fact that his services are placed at the disposal of the borrowing organisation.

If an employee, before his deputation to the borrowing organisation, had committed any act or omission which renders him liable for disciplinary action for a minor or major penalty under IMU's Laws, Statutes and Ordinances, then IMU shall be competent to initiate or continue disciplinary proceedings against the deputationist and to impose such penalty on him as deemed fit even while he is on deputation. The borrowing organization shall be bound to render all reasonable cooperation to IMU for conducting such proceedings.

If an employee commits any act or omission while on deputation which renders him liable for disciplinary action, then the borrowing organization shall send a detailed report to the Registrar, IMU with a request to initiate disciplinary action, and IMU will take necessary action in this regard.

**14. Permanent Absorption:-**

No employee on deputation to another organization can be absorbed permanently by that organization unless IMU's Executive Council grants its approval for such absorption.

**15. Strict adherence of terms and conditions: -**

The borrowing employer shall strictly adhere to the terms and conditions specified above without any exception.

**Ordinance 15 of 2015**

*[vide Executive Council resolution No.EC 2015-31-26 dated 26-06-2015]*

**Revaluation, Retotalling, Award of Grace Marks and Issue of Photocopies of Answer Scripts for IMU's Programmes.****1. REVALUATION**



- 1.1 Application for Revaluation of answer scripts will be considered only for Examinations **other than** Post Graduate Examinations, Practical Examinations, field work, internal assessment, thesis submitted in lieu of a paper and Examinations for which there is provision for two independent (double) valuations.
- 1.2 Application for Revaluation shall be made in the prescribed form and to be sent through respective campuses/colleges.
- 1.3 Revaluation can be admitted only if the candidate had failed in not more than five papers out of the total number of papers written by the candidate during that examination session.
- 1.4 A fee of Rs.500/- will be charged per paper for Revaluation in a failed paper. If different sections of questions in a Question Paper are answered in different answer books all such answer books shall be treated together as a single unit/paper. The fee shall be remitted by way of SBI – Core Banking Challan or in such other manner prescribed by the Indian Maritime University.
- 1.5 Application for Revaluation should reach the Office of the Controller of Examinations within *15 days* from the date of publication of the results unless otherwise specified by the University.
- 1.6 Applications received after the last date prescribed will not be considered under any circumstances. Incomplete forms and forms not accompanied by relevant documents may be rejected without assigning any reason whatsoever.
- 1.7 Fee once remitted for Revaluation of answer scripts will not be refunded.
- 1.8 If a candidate gets less marks in the Revaluation than in the first, the original mark may be retained. However, even in case a candidate gets higher marks in the Revaluation but the status of the candidates' result has not changed, only the original marks will be retained and the result declared as "No change".
- 1.9 A panel of subject experts having more than five years of teaching/industry experience has to be prepared for each subject by the Controller of Examinations and the same has to be approved by the Vice Chancellor. This panel has to be reviewed every three years.
- 1.10 The paper for Revaluation should not be valued by the same examiner who has done the first valuation.
- 1.11 The paper for Revaluation should not be revalued by any Examiner who belongs to the same *campus/college* where the candidate studied before appearing for that paper except where a Programme is conducted at only One Campus/College.
- 1.12 Not more than 25 papers per session should be given to an Examiner for Revaluation.
- 1.13 If the work of an Examiner leads to an increase or decrease of marks in Revaluation in more than 20% of the scripts, explanation shall be called for from the concerned Examiner through proper channel and the reply will be placed before the Vice-Chancellor for further action.
- 1.14 The Deputy Registrar shall maintain a list of Examiners against whom action has been taken under these guidelines. Such debarred examiners shall not be considered for appointments in connection with any examination for a period of 3 years.
- 1.15 Where there is variation of more than 15 marks out of 100 between the first and second valuation, the paper shall be sent for third valuation. The final marks shall be the "average of third valuation and the nearest among the first and second valuation".
- 1.16 The Revaluation results are to be published within one month from the date of receipt of the applications.
- 1.17 All works relating to Revaluation will be treated as extremely confidential and therefore interim enquiries will not be entertained.
- 1.18 Remuneration for Revaluation will be paid at the approved rates of Indian Maritime University.
- 1.19 The Directors/Principals of the campuses/colleges should make available the Examiners required for Evaluation (including Revaluation/Re-totalling) on top priority basis on the day and date allotted by the Controller of Examinations.
- 1.20 Teachers of the affiliated colleges are required to attend the Evaluation (including Revaluation/Re-totalling) work on top priority basis. If the Principal of an affiliated college fails to relieve the teacher for Evaluation (including Revaluation/Re-totalling) or the teacher fails to attend the work of Evaluation (including Revaluation/Re-totalling), then the concerned teachers would be debarred for three years. This would also have an adverse effect on the continuation of the affiliation of the college.

## 2. RE-TOTALLING

2.1 Application for Re-totalling of answer scripts will be considered for Under Graduate Examinations, Post Graduate Examinations, other than Practical Examinations, field work, internal assessment, thesis submitted in lieu of a paper.

2.2 Application for Re-totalling shall be made in the prescribed form and to be sent through respective head of Institutions.

2.3 A fee of Rs.250/- will be charged per paper for Re-totalling. The fee shall be remitted by way of *SBI-Core Banking Challan* of Indian Maritime University.

2.4 Fee once remitted for Re-totalling of answer scripts will not be refunded.

2.5 All works relating to Re-totalling will be treated as extremely confidential and therefore interim enquiries will not be entertained.

2.6 Application for Re-totalling should reach the Office of the Controller of Examinations within *15 days* from the date of publication of the results unless otherwise specified by the University.

2.7 *The Re-totalling will be done by the Faculty to be nominated by the Controller of Examinations.*

2.8 Re-totaled marks will be taken as the final marks and the marks secured by the candidate in the original valuation will be changed and results published accordingly.

2.9 If the Re-totaled marks are the same or less than the marks secured in the original valuation, the status of the results declared will remain unchanged.

2.10 The Re-totalling results to be published within 15 days from the date of receipt of the applications.

## 3. GRACE MARKS

3.1 Grace marks up to 5 marks may be awarded in one or more papers in all semesters. This decision will be taken by the Examination Committee.

## 4. ISSUE OF PHOTOCOPIES

4.1 Photocopies of answer scripts will be issued to failed candidates only at a flat fee of Rs.150/- per subject irrespective of the number of pages and inclusive of postal charges.

4.2 The application is made within 15 days from the date of publication of Examination results.

4.3 The fee shall be remitted by way of SBI-Core Banking Challan of Indian Maritime University.

### **Ordinance 16 of 2015**

*[vide Executive Council resolution No. EC 2014-29-05 dated 31-10-2014*

*and EC 2015-31-27 dated 26-06-2015]*

### **Board of Affiliation and Recognition**

The Board of Affiliation and Recognition (BAR) would be placed in the Headquarters of IMU and will have the following members:

1. Vice Chancellor
2. Registrar.
3. 2 representatives from any of the campuses who are experts in the field to be nominated by VC.
4. Two representatives of DGS, one each from Nautical and Engineering branches to be nominated by DGS with the consent of Vice Chancellor.
5. 2 experts from the industry to be nominated by Academic Council.

The Registrar is the Member-Secretary of the Board of Affiliation and Recognition.

The term of the nominated members shall be 3 years from the date of nomination.

*Note: The Notification published in Chapter-XXI – III – Part II ‘Board of Affiliation and Recognition’ of ‘Ordinances Governing Academic Matters’ of the Gazette of India No. 76, dated May 12, 2009 is hereby repealed.*

**Ordinance 17 of 2015***[vide Executive Council resolution No.EC 2015-31-28 dated 26-06-2015]***Attendance Requirement for Students to appear in University Examinations and Norms for regulating Break in Studies.**

1. The minimum number of working days for each semester i.e. the actual number of days for holding lectures, tutorials, seminars, practicals, etc., shall be 90. On an average during a semester, the lecture hours shall be not less than 30 hours a week, and practicals, field work, industry visits, library and computer lab shall be not less than 10 hours a week.
2. Students should attend all the classes regularly and punctually.
3. Attendance shall be marked at the beginning of each class. Students coming late to any class by more than 10 minutes will be marked absent for that period.
4. Students coming to class/practicals without proper uniform (wherever uniform has been prescribed) will be marked absent.
5. Each working day is divided into two sessions, i.e. the forenoon session and the afternoon session. If a student is absent for a single lecture hour or practical class in a session, he shall be marked absent for the entire session, i.e. he will lose half a day's attendance.
6. All students must put in a minimum of 75% of attendance in order to appear in the end-semester examinations (Theory and Practical) of the Indian Maritime University.
7. The minimum percentage of attendance should be calculated only in terms of the total working days in the semester and not in terms of classes or subject-wise.
8. A higher percentage of attendance may be required for a student who is in receipt of scholarship or other assistance.
9. Students representing the affiliated Institute/University/State/ Country in extra-curricular activity meets/competitions, sports competitions, seminars, etc., with the proper permission of the Campus Director/Principal concerned shall not be marked absent; such students shall be *deemed to have attended the classes* subject to a ceiling of 10% of the total working days in the semester.
10. If a student has put in less than 75% but above or equal to 65% of attendance, owing to reasons such as medical, bereavement or any other, the Campus Director/Principal is empowered to condone the shortage of attendance subject to the collection of the prescribed *Condonation Fee for Attendance*.
11. There will be no condonation of attendance below 65% under any circumstances whatsoever. A student who has put in less than 65% attendance will not be permitted to write the university's end-semester examination and will not be permitted to move to the next semester. It will be treated as a case of 'Break-in-Studies' and he will be required to repeat the incomplete semester in the next academic year. Before rejoining the Programme, he must pay (i) the *Condonation Fee for Break in Studies* as prescribed by the University, (ii) pay the Semester Fees for the concerned semester once again where he is repeating an incomplete semester, and (iii) obtain prior permission from the Vice Chancellor. No requests for ratification will be entertained.
12. However, such students are permitted to write the arrear examinations of *previous semesters*.
13. It shall be the responsibility of the Campus Director/Principal to send to the Controller of Examinations in the prescribed format (i) the Attendance Particulars of all the students, and (ii) the Attendance Particulars of students who are eligible for and have paid the Condonation Fee for Attendance – separately for each Programme – at least 14 days before the commencement of the examinations or such other date as may be prescribed. Hall tickets will not be issued or the results will be withheld in respect of candidates who are required to pay but have not paid the Condonation Fee for Attendance.
14. Where a candidate withdraws on his own, for any reason, in the middle of an academic year, *under written intimation to the Campus Director/Principal concerned with a copy marked to the Controller of Examinations*, in order to take a 'Break in Studies', such candidate will be permitted to rejoin the same Campus/affiliated institute within a maximum period of 3 years at the beginning of the incomplete semester or at the beginning of the next semester if he had completed a semester at the time of withdrawal. Before rejoining the Programme, he must pay (i) the *Condonation Fee for Break in Studies* as prescribed by the University, (ii) pay the Semester Fees for the concerned semester once again where he is repeating an incomplete semester, and (iii) obtain prior permission from the Vice Chancellor. Provided however that where the IMU Campus or the affiliated institute or the

concerned Programme is no longer in existence, permission will not be given to rejoin after the Break in Studies. No requests for ratification will be entertained.

*Note: The Notification published in Chapter-XIV 'Examinations' of "Ordinances Governing Academic Matters" of the Gazette of India No. 76, dated May 12, 2009 is hereby repealed.*

**Ordinance 18 of 2015**

*[vide Executive Council resolution No.EC 2015-31-29 dated 26-06-2015]*

**Semester Fees and Penalty payable by students**

**of IMU Campuses**

1. The Semester Fees payable by the students of the Campuses of the Indian Maritime University shall be as prescribed by the Executive Council from time to time. The Semester Fees that will be applicable to students of IMU Campuses from the academic year 2015-16 shall be as follows:

**Fee Payable by Students for various Programmes in IMU**

Programme	Student Gender	Total Fees for an Academic Year	Fee Payable per Semester		
			Odd Semester		Even Semester
			Programme Fee	Semester Fee	Semester Fee
B.Tech ( Marine Engineering)	Male	2,25,000/-	25,000/-	1,00,000/-	1,00,000/-
	Female	1,45,000/-		60,000/-	60,000/-
B.Tech (Naval Architecture and Ocean Engineering)	Male	2,25,000/-	25,000/-	1,00,000/-	1,00,000/-
	Female				
B.Sc.(Nautical Science)	Male	2,20,000/-	25,000/-	97,500/-	97,500/-
	Female	1,40,000/-		57,500/-	57,500/-
B.Sc.(Maritime Science)	Male	2,20,000/-	25,000/-	97,500/-	97,500/-
	Female	1,40,000/-		57,500/-	57,500/-
B.Sc (Ship Building and Repair)	Male	2,00,000/-	25,000/-	87,500/-	87,500/-
	Female				
DNS course leading to B.Sc (Applied Nautical Science)	Male	2,20,000/-	25,000/-	97,500/-	97,500/-
	Female	1,40,000/-		57,500/-	57,500/-
M.Tech (Naval Architecture and Ocean Engineering)	Male	2,25,000/-	25,000/-	1,00,000/-	1,00,000/-
	Female			1,00,000/-	1,00,000/-
M.Tech (Harbour & Dredging Engineering)	Male	2,25,000/-	25,000/-	1,00,000/-	1,00,000/-
	Female			1,00,000/-	1,00,000/-
MBA (International Transportation & Logistics)	Male	2,00,000/-	25,000/-	87,500/-	87,500/-
	Female				
MBA ( Port & Shipping Management)	Male	2,00,000/-	25,000/-	87,500/-	87,500/-
	Female				
PGDME	Male	3,00,000/-	25,000/-	1,37,500/-	1,37,500/-
	Female	2,00,000/-		87,500/-	87,500/-

2. The Semester Fees - depending upon the Programme - will normally include some or all of the following: Tuition Fee (inclusive of Library Fee, Laboratory Fee, Workshop Fee, Industrial Visit Fee, Extra-curricular activities Fee, Medical Fee, etc.), Mess Charges, Lodging Charges, Hair-cut Charges, Laundry Charges, cost of Uniform, cost of Books and so on. They do not include the interest free, one-time Caution Deposit of Rs.20,000 collected at the time of admission.
3. The University reserves the right to prescribe higher Semester Fees for students admitted under the Non-Resident Indians/Persons of Indian Origin/Foreign Nationals categories.
4. The Semester fees shall be payable through State Bank of India's I-Collect or through any Electronic/Online mode of transfer of funds or in such other manner as may be prescribed by the University.
5. For the first semester of any Programme, the full Semester Fees relating to the semester shall be collected before admitting the student. *No student shall be admitted to any Programme in any Campus unless the Semester Fees relating to the first semester have been paid in full.*
6. From the second semester *onwards*, the Semester Fees shall be due on the opening day of the semester.
7. If the Semester Fees are paid in full within 7 days of the opening day of the semester there shall be no penalty.
8. The Campus Director shall display on the Notice Board of the Department as well as the Hostel, the list of defaulters who did not pay their Semester fees in full within 7 days. He may also give individual notices in writing to the defaulters.
9. The penalty for late payment of the Semester Fees shall be as follows:
  - (a) between the 8<sup>th</sup> day & the 30<sup>th</sup> day from the opening day of the semester:- @Rs.100/- per day *even if the Semester Fees had been paid in part within 7 days.*
  - (b) between the 31<sup>st</sup> day and the 60<sup>th</sup> day from the opening day of the semester:- @ Rs.200/- per day *even if the Semester Fees plus the Penalty payable had been paid in part earlier.*
10. The Campus Director shall display on the Notice Board of the Department as well as the Hostel, the list of defaulters who did not pay their Semester fees together with the Penalty payable in full within 30 days. He shall further give individual notices in writing not only to the defaulters but also their parents warning them that the defaulters' names are liable to be removed from the University rolls and that they are liable to be expelled from the hostel if they do not pay the Semester Fees together with the Penalty payable in full before 60 days of the opening day of the semester.
11. If any part of the Semester Fees together with the Penalty payable remains unpaid even after 60 days from the opening day of the semester, *the names of the defaulters shall be removed from the rolls of the University and they shall be expelled from the hostel with effect from the 61<sup>st</sup> day.*
12. The defaulting student may be permitted to rejoin the semester if, between the 61<sup>st</sup> and the 90<sup>th</sup> day from the opening day of the semester, he pays the Semester Fees together with the Penalty payable in full and further pays a re-Admission Registration Fee of Rs.10,000/-. The student shall be solely responsible for any shortfall of attendance due to this break.
13. If the defaulting student fails to avail of even this window of opportunity and does not pay the Semester Fees together with the Penalty payable in full along with the re-Admission Registration Fee of Rs.10,000/- within 90 days from the opening day of the semester, then the student will have to suffer a break in study and rejoin the same semester in the following academic year provided he clears all the pending dues in full and after obtaining the prior permission in writing from the University.
14. The University reserves the right to initiate legal action for recovery of the pending dues from the student as well as his parents, and to withhold his original certificates until such time as the dues are fully cleared.
15. If a student after paying his Admission Registration Fee and Programme Fee does not report at the Campus to join the Programme in the first semester within the time prescribed, then he shall not be entitled to the refund of the Admission Registration Fee and the Programme Fee under any circumstances.
16. If a student after paying his Admission Registration Fee, Programme Fee and the Semester Fees for the first semester withdraws from the University, then he shall not be entitled to the refund of the Admission Registration fee and the Programme Fee under any circumstances. He shall be entitled to the refund of the Semester Fees in full *provided he has not attended classes even for a single day.* If he has attended classes for one or more days, then he shall forgo the Semester Fees paid by him in full.

17. If a student withdraws from the University in the middle of any other semester, then he shall not be entitled to the refund of any Semester Fees paid by him. However, the Caution deposit is refundable, on an application from the student, after deducting all the dues against him.
18. If any student does not claim the refund of any amount lying to his credit within one calendar year of his withdrawing from the University, it shall be deemed to have been donated by him to the Campus Development Fund.
19. Notwithstanding what is stated above, no student shall be allowed to appear in the end-semester examination unless he has cleared all his dues, paid the prescribed Examination Fee, and produced a 'No dues' certificate.

*Note: The Notification published in Chapter-XI 'Fee payable by the Students of the University and the Affiliated Colleges/ Institutions' of "Ordinances Governing Academic Matters" of the Gazette of India No. 76, dated May 12, 2009 is hereby repealed.*

**Ordinance 19 of 2015**

*[vide Executive Council resolution No.EC 2015-31-30 dated 26-06-2015]*

**Fees for Examinations, Convocation and various other purposes  
for students of IMU Campuses and Affiliated Institutes**

Sl. No.	Particulars	Proposed Fee (Rs.)
<b>A) Examination and other related fees</b>		
<b>(II) Under Graduate Courses</b> (Semester and Non-Semester system)		
(i)	Each written Examination paper	300 500 (for arrear paper)
(ii)	Each Practical Examination – 3 hours	200 300 (for arrear paper)
(iii)	Project work	500
<b>(II) Post Graduate Courses</b>		
(i)	Each written paper	400 500 (for arrear paper)
(ii)	Each practical	200 300 (for arrear paper)
(iii)	Dissertation/Project	500
(iv)	Viva voce	250
<b>(III) Diploma Courses</b>		
	Each written paper / practical	200 300 (for arrear paper)
<b>(IV) Certificate Courses</b>		
(i)	Certificate in courses examinations	
	Each written paper	150 200 (for arrear paper)
<b>(V) Other fees related to Examinations</b>		

(i)	For obtaining Photo copy of each Answer Script irrespective of the number of pages	150
(ii)	Re-totalling per Answer Script	250
(iii)	Revaluation fee per Answer Script	500
(iv)	For issuing statement of marks for each examination for each appearance	150
(v)	For issue of duplicate statement of marks for each examination for each appearance	200 + Rs.100 search fee for each previous year
(vi)	Consolidated statement of marks	500
(vii)	Provisional Certificate	250
(viii)	Duplicate Provisional Certificate	500
(ix)	Transcript fee	
	One copy	500
	Every additional copy	300
(x)	Submission of Thesis	
	Ph.D	2,000
	<i>Extension of time to submit Ph.D. Thesis will be granted on payment of penalty fees as follows:</i>	
	Penalty fee for submission of Ph.D thesis within 12 months after the lapse of the stipulated period.	1,000
	Penalty fee for submission of Ph.D. thesis beyond 12 months and up to 36 months after the lapse of the stipulated period.	2,500
	Penalty fee for submission of Ph.D. thesis beyond 36 months after the lapse of stipulated period.	5,000
<b>B) Convocation and other related fees</b>		
	Fee for issue of degree in a Convocation conducted by the University	
(a)	Under Graduate degrees/diplomas – In person	500
(b)	Under Graduate degrees/diplomas – In absentia	500
(c)	Post Graduate degrees/diplomas – In person	1,000
(d)	Post Graduate degrees/diplomas – In absentia	1,000
(e)	Ph.D. – In person	2,000
(f)	Ph.D. – In absentia	2,000
(g)	Any other degree/diploma/certificate	
	- In person	500
	- In absentia	500

(h)	Duplicate Degree	Convocation fee + Rs.100 search fee for each previous year
<b>C) Admission Registration/Counselling Fee and Programme Fee</b>		
(i)	One-time Admission Registration/Counselling fee, payable at the time of Admission by all new students of IMU Campuses as well as Affiliated Institutes including management/sponsored candidates and those who get admission into 2 <sup>nd</sup> year by Lateral Entry.	10,000
(ii)	Programme Fee, payable <u>every year</u> by all students of IMU Campuses as well as Affiliated Institutes including management/sponsored candidates and those who get admission into 2 <sup>nd</sup> year by Lateral Entry. It is an integral component of the total Annual Fee collected from a student. It shall be the responsibility of the Campus / Institute to collect and transfer this fee to IMU Headquarters at the beginning of every academic year. The Programme Fee is meant to defray the expenses involved in the development of new programmes and curricula; upgradation/improvement of existing programmes and curricula; development of web-based teaching materials and other innovative teaching aids; and related expenses, including expenses of various University authorities engaged in such development/ upgradation/ improvement.	
(a)	Post Graduate/P.G Diploma Courses	25,000 per year per student
(b)	Under Graduate /Diploma/ Certificate Courses	25,000 per year per student
<b>D) Other fees</b>		
(i)	Condonation Fee for Attendance	2000
(ii)	Condonation Fee for Break in Studies	2000 for break of 1 year; 5,000 for break of 2 years; 9,000 for break of 3 years;
(iii)	Fees for effecting change of names or date of birth of Candidates in the Records of the University and in Certificate/Diplomas	500
(iv)	For obtaining a Migration Certificate	200
(v)	For obtaining duplicate Migration certificate	300
<b>(E) Remuneration for Question paper setters and related activities</b>		
(i)	Question paper setting	
	- Common Entrance Test (CET)	2500
	- Other than CET	1500
(ii)	Preparation of Answer Key	
	- Common Entrance Test (CET)	2500
	- Other than CET	1500



<b>(F) Remuneration for Exam Duties</b>		
(i)	Flying Squad	1500 per day.
(ii)	Chief Superintendent	1500*
(iii)	Observer [Group A]	1500* per day
(iv)	Observer [Group B & C]	1250* per day
(v)	Invigilation/Hall Superintendent (per session) - for every 25 students.	500 per session
(vi)	Supporting Clerical – for every 100 students.	200 per day
(vii)	Attender – for every 100 students.	100 per day
(viii)	Remuneration for evaluation of Practical Exams (incl. Record & Viva)	15 per student - each for internal and external Examiners.
(ix)	Remuneration to Examiners for Thesis/Dissertation and Viva Voce	
	PG Courses	150 per student per examiner for Dissertation and 50 for Viva Voce
	Ph.D.	1,000 per external Examiner.
<b>(G) Remuneration for Evaluation and Related duties</b>		
(i)	Co-ordinators / Chairman	1000 per day (subject to maximum of Rs. 5000 per semester)
(ii)	Evaluation Remuneration	50 per answer script (subject to a ceiling of 25 answer scripts per session or 50 answer scripts per day)
(iii)	Supporting Clerical staff	200 per day
(iv)	Attender	100 per day

(\* If the number of students appearing in a particular Examination Centre is less than 10, then the Remuneration payable will stand reduced by 50%.

Note: The Notification published in Chapter-III 'Schedule of Fees for various Examinations and for other various general purposes' of the Gazette of India No. 38, dated January 28, 2010 is hereby repealed.

### **Ordinance 20 of 2015**

*[vide Executive Council resolution No.EC 2015-31-32 dated 26-06-2015]*

#### **Convocation for Conferring Degrees**

1. A Convocation for the purpose of conferring degrees shall ordinarily be held once in a year on such date and place as may be fixed by the Vice-Chancellor with the prior approval of the Chancellor. The term 'degree' shall include any diploma conferred by the University.
2. A Special Convocation for the purpose of conferring Honorary degrees may also be held at such time as may be decided by the Executive Council.
3. The Convocation shall consist of the body corporate of the University.
4. The Chancellor shall, if present, preside at the Convocation of the University for conferring degrees. In the absence of the Chancellor, the Vice-Chancellor shall preside at the Convocation.
5. Not less than four weeks' public notice shall be given by the Registrar of the Convocation.
6. The Registrar shall issue to each member of the Convocation a programme of the procedure to be observed thereat.

7. The candidates who have passed their examinations in the years since the last Convocation shall be eligible to be admitted to the Convocation.
8. Such candidates as are unable to present themselves *in person* at a Convocation shall be admitted to the degree *in absentia* by the Chancellor or in his absence by the Vice-Chancellor, and their degrees shall be given by the Registrar on application and payment of the prescribed Convocation Fee.
9. Provided that in case the Convocation is not held in a particular year, the Vice-Chancellor shall be competent to issue degrees, wherever considered essential, without waiting for the formal Convocation, on payment of prescribed Convocation Fee.
10. Applications for Convocation along with the prescribed Convocation Fee should be compulsorily collected by the Campus Directors/Principals along with the Examination fees for the final semester examination. Hall tickets for the final semester examination will not be issued to those students who do not submit applications for Convocation along with the prescribed Convocation Fee.
11. The candidates who wish to receive the degrees *in person* should intimate the Registrar in writing at least 7 days before the date of the Convocation.
12. The candidates at the Convocation shall wear black colour robe with black cap. No candidate shall be admitted to the Convocation who is not in the prescribed academic dress.
13. The following design of Robes shall be worn in the Robing room by the various dignitaries:

Chancellor	Purple colour Robe of velvet material with 4" gold and silver lace with black cap.
Vice- Chancellor	Purple colour Robe of velvet material with 3" gold and silver lace with black cap.
Chief Guest	Dark Red colour Robe of velvet material with 4" full gold lace with black cap.
Other Guests of Honour	Maroon colour Robe of velvet material with 4" gold and silver lace with black cap.
Registrar, Controller of Examination, Finance Officer, Librarian and Campus Directors	Blue colour Robe of satin material with 2" yellow band with black cap.
Members of University Authorities like Executive Council, Finance Committee, Academic Council etc.	Black colour Robe of satin material with black cap.

14. After the robing, there shall be a Group Photograph of all the members of the Academic Procession with the Chief Guest. The order of the Academic Procession shall be as follows:

*Registrar*

*Controller of Examinations*

*Finance Officer*

*Librarian*

*Directors of IMU Campuses*

*Deans of Schools*

*Pro-Vice Chancellor*

*The Director-General of Shipping*

*The Secretary (Shipping), Government of India*

*The various Guests of Honour (in the ascending order of protocol)*

*The Chief Guest*

*Vice-Chancellor.*

15. The Academic Procession will commence from the place of the Group Photograph. Only those members of the procession who are to sit on the dais as per the approved seating plan will go on to the dais; the rest will take their seats in the first row of the Hall.

16. When the procession enters the Hall, the candidates and other invitees shall rise and remain standing until all those on the dais have taken their seats.

17. After the University/National Anthem, the Chancellor shall declare the Convocation open by saying:

*“This Convocation of the Indian Maritime University, Chennai has been called to confer the Degrees and Diplomas upon the candidates who have been certified to be worthy of the same.”*

18. The Chancellor shall then say:

*“I invite the Vice-Chancellor to deliver the welcome address and present the report on the academic achievements of the University during the period relating to the Convocation.”*

The Vice Chancellor shall make a brief welcome address and present the report.

19. The Chancellor shall then say:

*“Let the Candidates be now presented”*

The Vice Chancellor shall be the common Presenter for all the Schools.

(a) The Vice Chancellor shall say:

*“Mr. Chancellor, I present to you the candidates who are to be awarded Postgraduate degrees, Postgraduate diplomas, Undergraduate degrees and Undergraduate diplomas in person in Programmes under the School of Nautical Studies, the School of Marine Engineering and Technology, the School of Naval Architecture and Ocean Engineering, the School of Maritime Management . . .”* [and such other Schools as may be introduced from time to time].

The candidates belonging to each of these Schools shall stand up as soon as the Vice Chancellor reads out the name of their School and shall keep standing.

The Chancellor shall say:

*“I assent to the award of Postgraduate degrees, Postgraduate diplomas, Undergraduate degrees and Undergraduate diplomas to these candidates in person.”*

The graduates shall now sit down.

(b) The Vice Chancellor shall say:

*“Mr. Chancellor, I present to you the candidates who are to be awarded Postgraduate degrees, Postgraduate diplomas, Undergraduate degrees and Undergraduate diplomas in absentia in Programmes under the School of Nautical Studies, the School of Marine Engineering and Technology, the School of Naval Architecture and Ocean Engineering, the School of Maritime Management . . .”* [and such other Schools as may be introduced from time to time].

The Chancellor shall say:

*“I assent to the award of Postgraduate degrees, Postgraduate diplomas, Undergraduate degrees and Undergraduate diplomas to these candidates in absentia.”*

The Chancellor shall sign the *Register of Graduates*.

20. In the absence of the Chancellor, the Vice Chancellor shall declare the Convocation open, and assent to the award of the degrees to the candidates *in person* and *in absentia*, and sign the Register of Graduates while the Registrar shall be the common Presenter.

21. Only the candidates who are to receive medals and the Ph.D-awardees shall receive the degrees from the Chief Guest/Guest of Honour on the dais. For the rest of the *in person* candidates, the Vice Chancellor shall make necessary arrangements for the distribution of the degrees in the Convocation Hall after the main function is over.
22. The Chief Guest shall then deliver the Convocation Oration.
23. After the National Anthem, the Academic Procession shall return to the Robing room *in reverse order* to that in which it entered the Convocation Hall.
24. Honorary degree shall be conferred only at a Convocation and may be taken either *in person* or *in absentia*.
25. The presentation of the persons at the Convocation on whom Honorary degrees are to be conferred shall be made by the Vice-Chancellor and the Chancellor shall award the same. In the absence of the Chancellor, the Registrar shall be the presenter and the Vice Chancellor shall award the Honorary degrees.

*Note: The Notification published in Chapter-XIX 'Convocation for Conferring Degrees' of "Ordinances Governing Academic Matters" of the Gazette of India No. 76, dated May 12, 2009 is hereby repealed.*

### **Ordinance 21 of 2015**

*[vide Executive Council resolution No.EC 2015-31-33 dated 26-06-2015]*

#### **Automatic Cessation of Membership of Members who do not attend 3 consecutive meetings of certain Committees**

If a nominated member of the following four Committees:

1. Various School Boards
2. Board of Affiliation and Recognition
3. Examination Committee
4. Examination Disciplinary Committee

absents himself for 3 consecutive meetings of the Committee, then he shall automatically cease to be a member of the Committee. The Vice-Chancellor or the DG Shipping or the Academic Council as the case may be can then nominate another member in place of such non-serious member. The new member shall enjoy the full tenure of a nominated member.

### **Ordinance 22 of 2015**

*[vide Executive Council resolution No.EC 2015-31-34 dated 26-06-2015]*

#### **Recruitment Rules for the post of Assistant Professor in the School of Nautical Studies**

(1)	Name of post	Assistant Professor
(2)	No. of posts	18
(3)	Classification	Faculty
(4)	Scale of Pay	PayBand-3 Rs.15600–39100 with AGP Rs. 6000. Shall be eligible for the AGP of Rs.7,000 after the completion of 6 years as Assistant Professor subject to satisfactory performance. Shall be eligible for the AGP of Rs.8,000 after completing 5 years of service at AGP of Rs.7,000 subject to satisfactory performance. One advance increment shall be given for every two years of sea service at Management level subject to a ceiling of ten advance increments.
(5)	Whether Selection post or Non-selection post	Not Applicable
(6)	Age limit for direct recruitment	Not exceeding 43 years (Relaxable by Vice-Chancellor up to 2 years in deserving cases).

(7)	Educational and other qualifications required for Direct Recruitment.	<b>Essential:</b> (a) Master (Foreign Going) Certificate of Competency; (b) Sailing experience for a minimum period of six months at Management level within the meaning of STCW Convention in force; and (c) A pass in the Eligibility Test conducted by the IMU. Candidates with a Ph.D in a relevant discipline are exempted from the Eligibility Test.
(8)	Whether Age & Educational qualifications prescribed for Direct Recruits will apply in the case of Promotees?	Not Applicable
(9)	Period of Probation, if any	Two years
(10)	Method of Recruitment	Direct Recruitment only.
(11)	In case of recruitment by Promotion/Deputation/Transfer, grades from which Promotion/Deputation/Transfer to be made.	Not Applicable.
(12)	What is the composition of the Selection Committee?	The Selection Committee will consist of: (i) Vice-Chancellor (ii) Pro-Vice Chancellor (iii) A Nominee of the Visitor (iv) The Head of the Department concerned. (v) One Professor to be nominated by the Vice-Chancellor. (vi) Two persons not in the service of the University, nominated by the Executive Council, out of a panel of names recommended by the Academic Council for their special knowledge of, or interest in the subject with which the Assistant Professor is concerned.  The proceedings of the Selection Committee shall not be valid unless at least any two members of the following three - Visitor's nominee plus the two nominees of the Executive Council - attend the meeting.
(13)	Age of superannuation	65 years.
(14)	Remarks	1. Sailing experience is to be reckoned from the entries related to sign-on and sign-off from on-board ships as mentioned in the Continuous Discharge Certificate of the prospective candidate. 2. IMU's decision as to whether the Ph.D is in the relevant discipline shall be final. 3. The upper age limit will be relaxed for the candidates belonging to SC/ST/OBC/PwD candidates, in accordance with the orders issued by the Govt. of India from time to time. 4. The crucial date for determining the eligibility conditions shall be the closing date for receipt of applications from candidates.

*Note: The Notification published at Serial No.6 in Chapter 9 of "Ordinances Governing Administrative Matters in the Gazette" of India No. 76, dated May 12, 2009 is hereby repealed.*

**Ordinance 23 of 2015***[vide Executive Council resolution No.EC 2015-31-34 dated 26-06-2015]***Recruitment Rules for the post of Associate Professor in the  
School of Nautical Studies**

(1)	Name of post	Associate Professor
(2)	No. of posts	14
(3)	Classification	Faculty
(4)	Scale of Pay	PayBand-4 Rs.37400– 67000 with AGP Rs.9000.  One advance increment for every three years of sea service at Management level subject to a ceiling of eight advance increments. Provided the benefit has not been availed of at the time of recruitment as Assistant Professor.
(5)	Whether Selection post or Non-selection post	Not Applicable for Direct Recruitment.  By Selection in case of Promotion
(6)	Age limit for Direct Recruitment	Not exceeding 53 years.  (Relaxable by the Vice Chancellor up to 2 years in deserving cases)
(7)	Educational and other qualifications required for Direct Recruitment	<p><b>Essential:</b></p> <p><u>Category I – From Mariners without Ph.D</u></p> <p>(a) Master (Foreign Going) Certificate of Competency; and</p> <p>(b) Sailing experience for a minimum period of two years at Management level within the meaning of STCW Convention in force; and</p> <p>(c) A minimum of ten years of experience in Maritime industry in one or more of the following areas:</p> <p>(i) Sailing experience at Management level [beyond the prescribed minimum of two years indicated in (b) above],</p> <p>(ii) Teaching Nautical Science in a recognised maritime institution,</p> <p>(iii) Nautical Surveyor in Directorate General of Shipping or in any recognized Classification Society.</p> <p>(iv) Technical Superintendent in any reputed Ship-owning or Ship-managing company,</p> <p>(v) Pilot in a Major Port;</p> <p style="text-align: center;">&amp;</p> <p>(d) A pass in the Eligibility Test conducted by the IMU.</p> <p style="text-align: center;">[or]</p> <p><u>Category II - From Mariners with Ph.D</u></p> <p>(a) Master (FG) Certificate of Competency with a minimum Sailing experience of six months at Management level within the meaning of STCW convention in force; and</p> <p>(b) A Ph.D degree in the relevant discipline offered by IMU or</p>

		<p>any University recognized by IMU.</p> <p>Provided that for recruitments made till 31.12.2017, the Extra Master Certificate of Competency obtained <i>prior to 1.1.2014</i> shall be treated as equivalent to Ph.D for recruitment purposes only; and</p> <p>(c) A minimum of eight years of experience in Maritime industry in one or more of the following areas:</p> <p>(i) Sailing experience at Management level [beyond the prescribed minimum of six months indicated in (a) above],</p> <p>(ii) Teaching Nautical Science in a recognised maritime institution,</p> <p>(iii) Nautical Surveyor in Directorate General of Shipping or in any recognized Classification Society.</p> <p>(iv) Technical Superintendent in any reputed Ship-owning or Ship-managing company.</p> <p>(v) Pilot in a Major Port.</p> <p>(vi) Evidence of published work with a minimum of 1 publication as book and/or research/policy paper in refereed journal.</p> <p>[or]</p> <p><u>Category III – From Assistant Professors with Ph.D</u></p> <p>(a) Ph.D degree in the relevant discipline offered by IMU or any University recognized by IMU; and</p> <p>(b) Eight years of experience as Assistant Professor in Nautical Science in IMU or in any University recognized by IMU; and</p> <p>(c) Evidence of published work with a minimum of 4 publications as books and/or research/policy papers in refereed journals.</p>
(8)	Whether Age & Educational qualifications prescribed for Direct Recruits will apply in the case of Promotees and Deputationists?	Age: No. Education and other qualifications: Yes.
(9)	Period of Probation, if any	Two years for Direct Recruitment.
(10)	Method of Recruitment	Direct Recruitment /Promotion /Deputation /Absorption. A candidate who has put in 3 years of satisfactory service as Associate Professor on Deputation is eligible for Absorption.
(11)	In case of Promotion, grade from which promotion to be made	An Assistant Professor who has completed 3 years of teaching in the AGP of Rs.8,000 shall, subject to satisfactory performance and assessment by the Departmental Promotion Committee, be eligible to move to the pay band of Rs.37,400– 67,000 with AGP Rs. 9,000 and to be designated as Associate Professor.
(12)	Composition of the Selection Committee/ Departmental Promotion Committee.	The Selection Committee/Departmental Promotion Committee will consist of: (i) Vice Chancellor (ii) Pro-Vice Chancellor

		<p>(iii) A Nominee of the Visitor</p> <p>(iv) The Head of the Department concerned.</p> <p>(v) One Professor to be nominated by the Vice Chancellor.</p> <p>(vi) Two persons not in the service of the University, nominated by the Executive Council, out of a panel of names recommended by the Academic Council for their special knowledge of, or interest in the subject with which the Associate Professor is concerned.</p> <p>The proceedings of the Selection Committee shall not be valid unless at least any two members of the following three - Visitor's nominee plus the two nominees of the Executive Council - attend the meeting.</p>
(13)	Age of superannuation	65 years.
(14)	Remarks	<p>1. Sailing experience is to be reckoned from the entries related to sign-on and sign-off from on-boardships as mentioned in the Continuous Discharge Certificate of the prospective candidate.</p> <p>2. IMU's decision as to -</p> <p>(i) whether the Ph.D is in the relevant discipline;</p> <p>(ii) whether the experience put in a Ship-owning or Ship-managing company or a maritime training institute should be counted or not;</p> <p>shall be final.</p> <p>3. The time taken for obtaining full-time Ph.D degree will not be counted for the qualifying service.</p> <p>4. The upper age limit will be relaxed for the candidates belonging to SC/ST/OBC/PwD candidates, in accordance with the orders issued by the Govt. of India from time to time.</p> <p>5. The crucial date for determining the eligibility conditions shall be the closing date for receipt of applications from candidates.</p>

*Note: The Notification published at Serial No.5 in Chapter 9 of "Ordinances Governing Administrative Matters" of the Gazette of India No. 76, dated May 12, 2009 is hereby repealed.*

**Ordinance 24 of 2015**

*[vide Executive Council resolution No.EC 2015-31-34 dated 26-06-2015]*

**Recruitment Rules for the post of Professor in the  
School of Nautical Studies**

(1)	Name of post	Professor
(2)	No. of posts	7
(3)	Classification	Faculty
(4)	Scale of Pay	<p>Pay Band-4; Rs.37,400–67,000 with AGP Rs.10,000.</p> <p>One advance increment for every four years of sea service at Management level.</p> <p>Provided the benefit has not been availed of at the time of recruitment as Assistant Professor/Associate Professor.</p>



(5)	Whether Selection post or Non- selection post	Not Applicable for Direct Recruitment. By Selection in case of Promotion.
(6)	Age limit for direct recruitment	Not exceeding 58 years. (Relaxable by Vice Chancellor up to 2 years indeserving cases)
(7)	Educational and other qualifications required for direct recruitment	<p><b>Essential:</b></p> <p><u>Category I – From Mariners with Ph.D</u></p> <p>(a) Master (Foreign Going) Certificate of Competency with a minimum Sailing experience of six months at Management level within the meaning of STCW convention in force; and</p> <p>(b) A Ph.D Degree in a relevant discipline offered by IMU or by any University recognised by IMU. Provided that for recruitments made till 31.12.2017, the Extra Master Certificate of Competency obtained <i>prior to 1.1.2014</i> shall be treated as equivalent to Ph.D for recruitment purposes only; and</p> <p>(c) A minimum of fifteen years of experience in Maritime industry in one or more of the following areas:</p> <p>(i) Sailing experience at Management level [beyond the prescribed minimum of six months indicated in (a) above],</p> <p>(ii) Teaching Nautical Science in a recognised maritime institution,</p> <p>(iii) Nautical Surveyor in Directorate General of Shipping or in any recognized Classification Society.</p> <p>(iv) Technical Superintendent in any reputed Ship-owning or Ship-managing company.</p> <p>(v) Pilot in a Major Port,</p> <p>(vi) Evidence of published work with a minimum of 3 publications as books and/or research/policy papers in refereed journals.</p> <p><u>Desirable:</u> Guidance of students at P.G or Ph.D level. [or]</p> <p><u>Category II – From Associate Professors with Ph.D</u></p> <p>(a) Ph.D degree in the relevant discipline offered by IMU or any University recognized by IMU; and</p> <p>(b) Four years of experience as Associate Professor in Nautical Science in IMU.</p> <p>(c) Evidence of published work with a minimum of 10 publications as books and/or research/policy papers in refereed journals.</p> <p><u>Desirable:</u> Guidance of students at P.G or Ph.D level.</p>
(8)	Whether Age & Educational qualifications prescribed for Direct Recruits will apply in the case of Promotees and Deputationists?	Age: No Educational and other qualifications: Yes
(9)	Period of Probation, if any	Two years for Direct Recruitment.
(10)	Method of Recruitment	Direct Recruitment / Promotion / Deputation / Absorption.

		A candidate who has put in 3 years of satisfactory service as Professor on Deputation is eligible for Absorption.
(11)	In case of promotion, grade from which to be made	<p>(a) A Ph.D Degree in relevant discipline offered by IMU or by any University recognised by IMU; and</p> <p>(b) Six years of experience as Associate Professor in IMU.</p> <p>(c) Evidence of published work with a minimum of 10 publications as books and/or research/policy papers in refereed journals.</p> <p>(d) Subject to satisfactory performance and assessment by the Departmental Promotion Committee.</p> <p><i>Desirable:</i> Guidance of students at P.G or Ph.D level.</p>
(12)	Composition of the Selection Committee/ Departmental Promotion Committee.	<p>The Selection Committee will consist of :</p> <p>(i) Vice Chancellor</p> <p>(ii) Pro-Vice Chancellor</p> <p>(iii) A Nominee of the Visitor</p> <p>(iv) The Head of the Department concerned, if he is a Professor.</p> <p>(v) One Professor to be nominated by the Vice Chancellor.</p> <p>(vi) Three persons not in the service of the University, nominated by the Executive Council, out of a panel of names recommended by the Academic Council for their special knowledge of, or interest in the subject with which the Professor is concerned.</p> <p>The proceedings of the Selection Committee shall not be valid unless at least any three members of the following four - Visitor's nominee plus the three nominees of the Executive Council - attend the meeting.</p>
(13)	Age of superannuation	65 years.
(14)	Remarks	<p>1. Sailing experience is to be reckoned from the entries related to sign-on and sign-off from on-boardships as mentioned in the Continuous Discharge Certificate of the prospective candidate.</p> <p>2. IMU's decision as to -</p> <p>(i) whether the Ph.D is in the relevant discipline, and</p> <p>(ii) whether the experience put in a Ship-owning or Ship-managing company or a maritime training institute should be counted or not,</p> <p>(iii) whether the publications in refereed journals should be accepted and what weightage should be given to them, shall be final.</p> <p>3. The time taken for obtaining full-time Ph.D degree will not be counted for the qualifying service.</p> <p>4. The upper age limit will be relaxed for the candidates belonging to SC/ST/ OBC/ PwD in accordance with the orders issued by the Govt. of India from time to time.</p> <p>5. The crucial date for determining the eligibility conditions shall be the closing date for receipt of applications from candidates.</p>

*Note:* The Notification published at Serial No.4 in Chapter 9 of "Ordinances Governing Administrative Matters" of the Gazette of India No. 76, dated May 12, 2009 is hereby repealed.

**Ordinance 25 of 2015***[vide Executive Council resolution No.EC 2015-31-35 dated 26-06-2015]***Recruitment Rules for the post of Assistant Professor in the  
School of Marine Engineering and Technology**

(1)	Name of post	Assistant Professor
(2)	No.of posts	24
(3)	Classification	Faculty
(4)	Scale of Pay	PayBand-3 Rs.15600-39100 with AGP Rs. 6000. Shall be eligible for the AGP of Rs.7,000 after the completion of 6 years as Assistant Professor subject to satisfactory performance. Shall be eligible for the AGP of Rs.8,000 after completing 5 years of service at AGP of Rs.7,000 subject to satisfactory performance. One advance increment shall be given for every two years of sea service at Management level subject to a ceiling of ten advance increments.
(5)	Whether Selection post or Non-selection post	Not Applicable.
(6)	Age limit for direct recruitment	Not exceeding 43 years (Relaxable by Vice Chancellor up to 2 years in deserving cases).
(7)	Educational and other qualifications required for Direct Recruitment.	<b>Essential:</b> (a) MEO Class I (Motor) Certificate of Competency; (b) Sailing experience for a minimum period of six months at Management level within the meaning of STCW Convention in force; and (c) A pass in the Eligibility Test conducted by the IMU. Candidates with a Ph.D in a relevant discipline are exempted from the Eligibility Test.
(8)	Whether Age & Educational qualifications prescribed for Direct Recruits will apply in the case of Promotees?	Not Applicable
(9)	Period of Probation, if any	Two years
(10)	Method of Recruitment	Direct Recruitment only.
(11)	In case of recruitment by promotion/ Deputation/Transfer, grades from which Promotion/Deputation/Transfer to be made.	Not Applicable.
(12)	What is the composition of the Selection Committee?	The Selection Committee will consist of : (i) Vice Chancellor (ii) Pro-Vice Chancellor (iii) A Nominee of the Visitor (iv) The Head of the Department concerned. (v) One Professor to be nominated by the Vice Chancellor. (vi) Two persons not in the service of the University, nominated by

		<p>the Executive Council, out of a panel of names recommended by the Academic Council for their special knowledge of, or interest in the subject with which the Assistant Professor is concerned.</p> <p>The proceedings of the Selection Committee shall not be valid unless at least any two members of the following three - Visitor's nominee plus the two nominees of the Executive Council - attend the meeting.</p>
(13)	Age of superannuation	65 years.
(14)	Remarks	<p>1. Sailing experience is to be reckoned from the entries related to sign-on and sign-off from on-boardships as mentioned in the Continuous Discharge Certificate of the prospective candidate.</p> <p>2. IMU's decision as to whether the Ph.D is in the relevant discipline shall be final.</p> <p>3. The upper age limit will be relaxed for the candidates belonging to SC/ST/OBC/PwD candidates in accordance with the orders issued by the Govt. of India from time to time.</p> <p>4. The crucial date for determining the eligibility conditions shall be the closing date for receipt of applications from candidates.</p>

*Note: The Notification published at Serial No.6 in Chapter 9 of "Ordinances Governing Administrative Matters" of the Gazette of India No. 76, dated May 12, 2009 is hereby repealed.*

**Ordinance 26 of 2015**

*[vide Executive Council resolution No.EC 2015-31-35 dated 26-06-2015]*

**Recruitment Rules for the post of Associate Professor in the School of Marine Engineering and Technology**

(1)	Name of post	Associate Professor
(2)	No. of posts	20
(3)	Classification	Faculty
(4)	Scale of Pay	<p>Pay Band-4 Rs.37400– 67000 with AGP Rs.9000.</p> <p>One advance increment for every three years of sea service at Management level subject to a ceiling of eight advance increments. Provided the benefit has not been availed of at the time of recruitment as Assistant Professor.</p>
(5)	Whether Selection post or Non-selection post	<p>Not Applicable for Direct Recruitment.</p> <p>By selection in case of Promotion</p>
(6)	Age limit for Direct Recruitment	<p>Not exceeding 53 years.</p> <p>(Relaxable by the Vice Chancellor up to 2 years in deserving cases)</p>
(7)	Educational and other qualifications required for Direct Recruitment	<p><b>Essential:</b></p> <p><u>Category I – From Mariners without Ph.D</u></p> <p>(a) MEO Class I (Motor) Certificate of Competency; and</p> <p>(b) Sailing experience for a minimum period of two years at Management level within the meaning of STCW Convention in force; and</p> <p>(c) A minimum of ten years of experience in Maritime</p>

		<p>industry in one or more of the following areas:  (i) Sailing experience at Management level [beyond the prescribed minimum of two years indicated in (b) above],  (ii) Teaching Marine Engineering in a recognised maritime institution,  (iii) Engineering Surveyor in Directorate General of Shipping or in any recognized Classification Society,  (iv) Technical Superintendent in any reputed Ship-owning or Ship-managing company,  &amp;  (d) A pass in the Eligibility Test conducted by the IMU.  [or]  <u>Category II - From Mariners with Ph.D</u>  (a) MEO Class I (Motor)Certificate of Competency with a minimum Sailing experience of six months at Management level within the meaning of STCW convention in force; and  (b) A Ph.D degree in the relevant discipline offered by IMU or by any University recognized by IMU.  Provided that for recruitments made till 31.12.2017, the Extra First Class Certificate of Competency <i>obtained prior to 1.1.2014</i> shall be treated as equivalent to Ph.D for recruitment purposes only; and  (c) A minimum of eight years of experience in Maritime industry in one or more of the following areas:  (i) Sailing experience at Management level [beyond the prescribed minimum of six months indicated in (a) above],  (ii) Teaching Marine Engineering in a recognised maritime institution,  (iii) Engineering Surveyor in Directorate General of Shipping or in any recognized Classification Society.  (iv) Technical Superintendent in any reputed Ship-owning or Ship-managing company.  (v) Evidence of published work with a minimum of 1 publication as book and/or research/policy paper in refereed journal.  [or]  <u>Category III – From Assistant Professors with Ph.D</u>  (a) Ph.D degree in the relevant discipline offered by IMU or any University recognized by IMU; and  (b) Eight years of experience as Assistant Professor in Marine Engineering in IMU or any university recognized by IMU.  (c) Evidence of published work with a minimum of 4 publications as books and/or research/policy papers in refereed journals.</p>
(8)	Whether Age & Educational qualifications prescribed for Direct Recruits will apply in the	Age: No Educational and other qualifications: Yes

	case of Promotees and Deputationists?	
(9)	Period of Probation, if any	Two years for Direct Recruitment.
(10)	Method of Recruitment	Direct Recruitment / Promotion / Deputation / Absorption. A candidate who has put in 3 years of satisfactory service as Associate Professor on Deputation is eligible for Absorption.
(11)	In case of Promotion, grade from which promotion to be made	An Assistant Professor who has completed 3 years of teaching in the AGP of Rs. 8,000 shall, subject to satisfactory performance and assessment by the Departmental Promotion Committee, be eligible to move to the pay band of Rs.37,400– 67,000 with AGP Rs.9,000 and to be designated as Associate Professor.
(12)	Composition of the Selection Committee/ Departmental Promotion Committee.	The Selection Committee/Departmental Promotion Committee will consist of: (i) Vice Chancellor (ii) Pro-Vice Chancellor (iii) A Nominee of the Visitor (iv) The Head of the Department concerned. (v) One Professor to be nominated by the Vice Chancellor. (vi) Two persons not in the service of the University, nominated by the Executive Council, out of a panel of names recommended by the Academic Council for their special knowledge of, or interest in the subject with which the Associate Professor is concerned.  The proceedings of the Selection Committee shall not be valid unless at least any two members of the following three - Visitor's nominee plus the two nominees of the Executive Council - attend the meeting.
(13)	Age of superannuation	65 years.
(14)	Remarks	1. Sailing experience is to be reckoned from the entries related to sign-on and sign-off from on-boardships as mentioned in the Continuous Discharge Certificate of the prospective candidate. 2. IMU's decision as to - (i) whether the Ph.D is in the relevant discipline, (ii) whether the experience put in a Ship-owning or Ship-managing company or a maritime training institute should be counted or not, shall be final. 3. The time taken for obtaining full-time Ph.D degree will not be counted for the qualifying service. 4. The upper age limit will be relaxed for the candidates belonging to SC/ST/OBC/PwD candidates in accordance with the orders issued by the Govt. of India from time to time. 5. The crucial date for determining the eligibility conditions shall be the closing date for receipt of applications from candidates.

*Note: The Notification published at Serial No.5 in Chapter 9 of "Ordinances Governing Administrative Matters" of the Gazette of India No. 76, dated May 12, 2009 is hereby repealed.*

**Ordinance 27 of 2015***[vide Executive Council resolution No.EC 2015-31-35 dated 26-06-2015]***Recruitment Rules for the post of Professor in the  
School of Marine Engineering and Technology**

(1)	Name of post	Professor
(2)	No.of posts	9
(3)	Classification	Faculty
(4)	Scale of Pay	Pay Band-4; Rs.37,400-67,000 with AGP Rs.10,000. One advance increment for every four years of sea service at Management level. Provided the benefit has not been availed of at the time of recruitment as Assistant Professor or Associate Professor.
(5)	Whether Selection post or Non- selection post	Not Applicable for Direct Recruitment. By Selection in case of Promotion.
(6)	Age limit for direct recruitment	Not exceeding 58 years. (Relaxable by Vice Chancellor up to 2 years in deserving cases)
(7)	Educational and other qualifications required for direct recruitment	<p><b>Essential:</b></p> <p><u>Category I – From Mariners with Ph.D</u></p> <p>(a) MEO Class I (Motor) Certificate of Competency with a minimum Sailing experience of six months at Management level within the meaning of STCW convention in force; and</p> <p>(b) A Ph.D.Degree in relevant discipline offered by IMU or by any University recognised by IMU. Provided that for recruitments made till 31.12.2017, the Extra First Class Certificate of Competency obtained <i>prior to 1.1.2014</i> shall be treated as equivalent to Ph.Dfor recruitment purposes only; and</p> <p>(c) A minimum of fifteen years of experience in Maritime industry in one or more of the following areas: (i) Sailing experience at Management level [beyond the prescribed minimum of six months indicated in (a) above], (ii) Teaching Marine Engineering in a recognised maritime institution, (iii) Engineering Surveyor in Directorate General of Shipping or in any recognized Classification Society. (iv) Technical Superintendent in any reputed Ship-owning or Ship-managing company. (v) Evidence of published work with a minimum of 3 publications as books and/or research/policy papers in refereed journals.</p> <p><u>Desirable:</u> Guidance of students at P.G or Ph.D level.</p> <p>[or]</p>

		<p><u>Category II – From Associate Professors with Ph.D</u></p> <p>(a) Ph.D degree in the relevant discipline offered by IMU or any University recognized by IMU; and</p> <p>(b) Four years of experience as Associate Professor in Marine Engineering in IMU or any University recognized by IMU;</p> <p>(c) Evidence of published work with a minimum of 10 publications as books and/or research/policy papers in refereed journals.</p> <p><u>Desirable:</u> Guidance of students at P.G or Ph.D level.</p>
(8)	Whether Age & Educational qualifications prescribed for Direct Recruits will apply in the case of Promotees and Deputationists?	Age: No Educational and other qualifications: Yes
(9)	Period of Probation, if any	Two years for Direct Recruitment.
(10)	Method of Recruitment	Direct Recruitment / Promotion / Deputation / Absorption. A candidate who has put in 3 years of satisfactory service as Professor on Deputation is eligible for Absorption.
(11)	In case of promotion, grade from which to be made	<p>(a) A Ph.D.Degree in relevant discipline offered by IMU or by any University recognised by IMU; and</p> <p>(b) Six years of experience as Associate Professor in IMU.</p> <p>(c) Evidence of published work with a minimum of 10 publications as books and/or research/policy papers in refereed journals.</p> <p>(d) Subject to satisfactory performance and assessment by the Departmental Promotion Committee.</p> <p><u>Desirable:</u> Guidance of students at P.G or Ph.D level.</p>
(12)	Composition of the Selection Committee/ Departmental Promotion Committee.	<p>The Selection Committee will consist of:</p> <p>(i) Vice Chancellor</p> <p>(ii) Pro-Vice Chancellor</p> <p>(iii) A Nominee of the Visitor</p> <p>(iv) The Head of the Department concerned, if he is a Professor.</p> <p>(v) One Professor to be nominated by the Vice Chancellor.</p> <p>(vi) Three persons not in the service of the University, nominated by the Executive Council, out of a panel of names recommended by the Academic Council for their special knowledge of, or interest in the subject with which the Professor is concerned.</p> <p>The proceedings of the Selection Committee shall not be valid unless at least any three members of the following four - Visitor's nominee plus the three nominees of the Executive Council - attend the meeting.</p>
(13)	Age of superannuation	65 years.
(14)	Remarks	1. Sailing experience is to be reckoned from the entries related to sign-on and sign-off from on-boardships as mentioned in the Continuous Discharge Certificate of the prospective candidate.



		<p>2. IMU's decision as to -</p> <p>(i) whether the Ph.D is in the relevant discipline, and</p> <p>(ii) whether the experience put in a Ship-owning or Ship-managing company or a maritime training institute should be counted or not,</p> <p>(iii) whether the publications in refereed journals should be accepted and what weightage should be given to them, shall be final.</p> <p>3. The time taken for obtaining full-time Ph.D degree will not be counted for the qualifying service.</p> <p>4. The upper age limit will be relaxed for the candidates belonging to SC/ST/ OBC/PwD candidates in accordance with the orders issued by the Govt. of India from time to time.</p> <p>5. The crucial date for determining the eligibility conditions shall be the closing date for receipt of applications from candidates.</p>
--	--	---

*Note: The Notification published at Serial No.4 in Chapter 9 of "Ordinances Governing Administrative Matters" of the Gazette of India No. 76, dated May 12, 2009 is hereby repealed.*

**Ordinance 28 of 2015**

*[vide Executive Council resolution No. EC 2015-31-36 dated 26-06-2015]*

**Recruitment Rules for the Post of Campus Director**

1.	Name of Post	Campus Director
2.	Number of posts	5
3.	Classification	Class I service
4.	Scale of Pay	Pay Band 4 Rs.37400- 67000 with AGP Rs.10,000
5.	Whether selection post or non-selection post	Not applicable.
6.	Age limit for direct recruitment	Not exceeding 60 years. (Relaxable up to 2 years by the Vice Chancellor in deserving cases).
7.	Educational and other qualifications required for direct recruitment	<p><u>Category I – From Mariners</u></p> <p>(a) Master(Foreign Going) / MEO Class I (Motor) Certificate of Competency with a minimum Sailing experience of six months at Management level within the meaning of STCW convention in force; and</p> <p>(b) A Ph.D.Degree in relevant discipline offered by IMU or by any University recognised by IMU.</p> <p>Provided that for recruitments made till 31.12.2017, the Extra Master/Extra First Class Certificate of Competency/PGDMOM obtained <i>prior to 1.1.2014</i> shall be treated as equivalent to Ph.D for recruitment purposes only; and</p> <p>(c) A minimum of fifteen years of experience in Maritime industry in one or more of the following areas:</p> <p>(i) Sailing experience at Management level [beyond the</p>

		<p>prescribed minimum of six months indicated in (a) above],</p> <p>(ii) Teaching Nautical Science or Marine Engineering in a recognised maritime institution,</p> <p>(iii) Nautical or Engineering Surveyor in Directorate General of Shipping or in any recognized Classification Society.</p> <p>(iv) Technical Superintendent in any reputed Ship-owning or Ship-managing company.</p> <p><b>Desirable:</b></p> <p>Evidence of published work as books and/or research/policy papers in refereed journals.</p> <p>[OR]</p> <p><u>Category II – From Professors or Scientists G</u></p> <p>(a) Ph.D degree with at least 55% marks in Master’s degree in an Engineering discipline from any recognized university; and</p> <p>(b) At least a Professor or Scientist G in any Central or State University/IIT/NIT/ Research Organisation or equivalent.</p> <p><u>Desirable:</u></p> <p>(i) Evidence of published work as books and/or research/policy papers in refereed journals.</p> <p>(ii) Guidance of students at P.G or Ph.D level.</p> <p>[OR]</p> <p><u>Category III – From Naval Officers</u></p> <p>A serving or retired Naval officer of the rank of Commodore or above (or) equivalent rank in Coast Guard with experience in Navigation branch / Marine Engineering branch / Naval Architecture branch.</p> <p>[OR]</p> <p><u>Category IV - From Major Ports or PSUs</u></p> <p>(a) At least 55% marks in Master’s degree in an <i>Engineering discipline</i> from any recognized university; and</p> <p>(b) An officer who is working as Traffic Manager or Chief Engineer or Chief mechanical Engineer or Deputy Conservator in any Major Port</p> <p>(or)</p> <p>a person working in a <b>Maritime related sectors</b> as Senior Executive (one rank below Board level) in Maharatna and Navaratna category of Public Sector Undertakings (PSUs) or as Director in Miniratna category of PSUs.</p>
8.	Whether age and educational qualifications prescribed in case of promotees.	Not applicable.
9.	Period of probation, if any.	One year for direct recruits.
10.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ transfer and percentage of vacancies to be filled	By Deputation / Direct Recruitment If by Deputation, the candidate must be in a position to complete at least one full term of 3 years before his superannuation in his parent

	by various methods.	department/agency.
11.	In case of promotion, grade from which to be made	Not applicable.
12.	If a Selection Committee exists, what is its composition?	Selection Committee will consist of: (i) The Vice-Chancellor as Chairperson. (ii) Two Experts as recommended by the Executive Council. (iii) One Nominee of the Vice Chancellor.
13.	Remarks	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appointment to the post of Campus Director will be made for a tenure of 3 years initially.</li> <li>2. Eligible for 2 extensions up to 3 years at a time subject to satisfactory performance.</li> <li>3. Even though a Campus Director may be initially appointed to a particular Campus, he shall be liable for transfer to any other Campus within India, and to any equivalent post in IMU Headquarters.</li> <li>4. If an employee of an erstwhile legacy institute is appointed as Campus Director, the relevant age of superannuation will apply.</li> <li>5. In case of deputationists, the age of superannuation in the relevant parent organization will apply.</li> <li>6. For direct recruits to IMU, the age of superannuation shall be sixty five years.</li> <li>7. The tenure of appointment indicated in (1) and (2) above will be subject to the age of superannuation specified in (4) to (6) above.</li> <li>8. Sailing experience is to be reckoned from the entries related to sign-on and sign-off from on-board ships as mentioned in the Continuous Discharge Certificate of the prospective candidate.</li> <li>9. IMU's decision as to - <ol style="list-style-type: none"> <li>(i) whether the Ph.D is in the relevant discipline, and</li> <li>(ii) whether the experience put in a Ship-owning or Ship-managing company or a maritime training institute should be counted or not,</li> <li>(iii) whether the publications in refereed journals should be accepted and what weightage should be given to them, shall be final.</li> </ol> </li> <li>10. The time taken for obtaining full-time Ph.D degree will not be counted for the qualifying service.</li> <li>11. In respect of eligible candidates who are residing outside India, IMU reserves the right to conduct the interview through Video Conferencing.</li> <li>12. The upper age limit will be relaxed for the candidates belonging to SC / ST / OBC / PwD candidates in accordance with the orders issued by the Govt. of India from time to time.</li> <li>13. The crucial date for determining the eligibility conditions shall be the closing date for receipt of applications from candidates.</li> </ol>

*Note: The Notification published at Serial No.9 in Chapter 9 of "Ordinances Governing Administrative Matters" of the Gazette of India No. 76, dated May 12, 2009 is hereby repealed.*

**Ordinance 29 of 2015***[vide Executive Council resolution No.EC 2015-31-37 dated 26-06-2015]***Recruitment Rules for the post of Executive Engineer**

1.	Name of the Post	Executive Engineer
2.	Number of Posts	1
3.	Classification	Group "A"
4.	Scale of Pay	Pay Band – Rs.15600-39100, Grade Pay –Rs.6600
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection Post
6.	Age limit for direct recruits	Not Applicable
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	Not applicable
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Not applicable
9.	Period of Probation, if any	Not applicable
10.	Method of recruitment	Deputation/Promotion/Absorption
11.	In case of recruitments by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/ absorption to be made.	<p><b>Promotion:</b> from Assistant Engineers of IMU possessing Degree in Civil Engineering and having at least 10 years' regular service subject to assessment of his suitability by the Departmental Promotion Committee.</p> <p><b>Deputation:</b> Regular Executive Engineers from CPWD or other Central Government Engineering Departments, Organisations, Autonomous Bodies and Public Sector Undertakings or regular Executive Engineers from the State PWD or other State Government Engineering Departments, Organisations, Autonomous Bodies and Public Sector Undertakings.</p> <p style="text-align: center;">[or]</p> <p>Assistant Executive Engineers with at least 7 years' regular service or Assistant Engineers with at least 15 years' regular service from CPWD or of equivalent rank from other Central Government Engineering Departments, Organisations, Autonomous Bodies and Public Sector Undertakings or Assistant Executive Engineers from the State PWD or other State Government Engineering Departments, Organisations, Autonomous Bodies and Public Sector Undertakings with at least 7 years' regular service.</p> <p><b>Absorption:</b> A Deputationist who has worked as Executive Engineer (Civil) satisfactorily for a minimum period of 3 years in IMU, subject to concurrence from his parent organization and his suitability for absorption being assessed by the Selection Committee.</p>

12	If a Departmental Promotion Committee/Recruitment Committee exist, what is its composition?	The Selection Committee will consist of: (i) Vice Chancellor as Chairperson (ii) One nominee of the Executive Council (iii) One nominee of the Vice Chancellor not below the rank of Superintending Engineer in the CPWD/ State Public Works Department (iv) Registrar.
13	Remarks	-

*Note: The Notification published at Serial No.38 in Chapter 9 of "Ordinances Governing Administrative Matters" of the Gazette of India No. 76, dated May 12, 2009 is hereby repealed.*

**Ordinance 30 of 2015**

*[vide Executive Council resolution No.EC 2015-31-37 dated 26-06-2015]*

**Recruitment Rules for the post of Assistant Engineer**

1.	Name of the Post	Assistant Engineer (Civil/Electrical)
2.	Number of Posts	10
3.	Classification	Group "A"
4.	Scale of Pay	Rs.15600-39100, with Grade Pay of Rs.5400
5.	Whether selection post or non-selection post	Non Selection Post
6.	Age limit for direct recruits	Maximum 40 years (Relaxable upto 2 years by Vice Chancellor in deserving cases)
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	B.E/B.Tech. in Civil Engineering/Electrical Engineering with 5 years' regular service in construction and maintenance of buildings and roads/Electrical works.
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Age not applicable.
9.	Period of Probation, if any	Two years for direct recruits
10.	Method of recruitment	Deputation/Absorption/Direct Recruitment.
11.	In case of recruitments by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made.	<b><u>Deputation:</u></b> Engineers from Central/State Government Departments/Organisations, Autonomous Bodies and Public Sector Undertakings, possessing a degree in Civil Engineering or Electrical Engineering as applicable with a minimum of 5 years' regular service as Assistant Engineer [or] a Diploma in Civil Engineering or Electrical Engineering as applicable with a minimum of 10 years' regular service as Junior Engineer.  <b><u>Absorption:</u></b> A Deputationist possessing a degree in Civil Engineering or Electrical Engineering as applicable and who has worked as Assistant Engineer (Civil)/ Assistant Engineer (Electrical) satisfactorily for a minimum period of 3 years in IMU, subject to concurrence from his parent organization and his suitability for absorption being assessed by the Selection Committee.
12.	If a Departmental Promotion Committee/ Recruitment Committee exist, what is its composition?	The Selection Committee will consist of: (i) Vice Chancellor as Chairperson

		(ii) Registrar (iii) Campus Director concerned (iv) One nominee of the Vice Chancellor not below the rank of Superintending Engineer in the CPWD/ State Public Works Department.
13	Remarks	-

*Note: The Notification published at Serial No.39 in Chapter 9 of "Ordinances Governing Administrative Matters" of the Gazette of India No. 76, dated May 12, 2009 is hereby repealed.*

**Ordinance 31 of 2015**

*[vide Executive Council resolution No.EC 2015-31-41 dated 26-06-2015]*

**Recruitment Rules for the post of  
Physical Training-cum-Swimming Instructor**

1	Name of the Post	Physical Training-cum-Swimming Instructor
2.	Number of Posts	3
3.	Classification	Group C
4.	Scale of Pay	PB1 - Rs.5200 – 20200 GP –Rs.2400
5.	Whether selection post or non-selection post	Non-Selection post
6.	Age limit for direct recruits	Not exceeding 45 years for serving/retired personnel of Indian Navy/Coast Guard. (Relaxable by the Vice Chancellor by 2 years in deserving cases).
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<b>Essential :</b> Petty Officer from Physical Training branch or Petty Officer from Seaman branch with Life Guard certificate from Indian Navy / Coast Guard.
8.	Whether Age and other qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Deputationists?	Age: Yes Other Qualifications: Yes
9	Period of Probation, if any	Two years for Direct Recruits
10	Method of recruitment,	By Direct Recruitment / Deputation
11	In case of recruitments by promotion/transfer, grades from which promotion/ deputation/ absorption /transfer to be made	<b>Deputation:</b> A person holding an analogous post on regular basis. <b>Absorption:</b> A deputationist who has worked as Physical Trainer-cum-Swimming Instructor satisfactorily in IMU subject to concurrence from his parent organization and assessment of suitability by the Selection Committee.
12	Composition of Selection Committee.	The Selection Committee will consist of: (i) Registrar as Chairperson. (ii) Campus Director concerned. (iii) One nominee of the Vice Chancellor.
13	Mode of selection	Practical Test-cum-Interview.
15	Age of superannuation	60 years. For Deputationists, the relevant age of the sponsoring department/agency will apply.

16	Remarks	(i) The upper age limit will be relaxed for the candidates belonging to SC/ST/OBC in accordance with the orders issued by the Govt. of India from time to time.  (ii) The crucial date for determining the eligibility conditions shall be the closing date for receipt of applications from candidates.
----	---------	--

**Ordinance 32 of 2015***[vide Executive Council resolution No.EC 2015-31-41 dated 26-06-2015]***Recruitment Rules for the post of Hostel Warden**

1	Name of the Post	Hostel Warden
2.	Number of Posts	12
3.	Classification	Group C
4.	Scale of Pay	PB1 – Rs.5200-20200 GP –Rs.2800
5.	Whether selection post or non-selection post	Non-Selection post
6.	Age limit for direct recruits	Not exceeding 45 years for serving/retired personnel of Indian Navy/Coast Guard/Indian Army/Indian Air Force.  (Relaxable by the Vice Chancellor by 2 years in deserving cases).
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<b>Essential :</b>  (1) Petty Officer in Seaman branch from Indian Navy / Coast Guard  [or]  (2) Havildar from Indian Army  [or]  (3) Sergeant in Indian Air force.
8.	Whether Age and other qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case Deputationists?	Age: Yes  Other Qualifications: Yes
9	Period of Probation, if any	Two years for Direct Recruits.
10	Method of recruitment	By Direct Recruitment / Deputation / Absorption
11	In case of recruitments by promotion/ deputation/ transfer, grades from which promotion/ deputation/ absorption /transfer to be made	<b>Deputation:</b> A person holding an analogous post on regular basis.  <b>Absorption:</b> A deputationist who has worked as Warden satisfactorily in IMU subject to concurrence from his parent organization and assessment of suitability by the Selection Committee.
12	Composition of Selection Committee	The Selection Committee will consist of:  (i) Registrar as Chairperson.  (ii) Campus Director concerned.  (iii) One nominee of the Vice Chancellor.

13	Age of superannuation	60 years. For Deputationists, the relevant age of the sponsoring department/agency will apply.
14	Remarks	(i) The upper age limit will be relaxed for the candidates belonging to SC/ST/OBC in accordance with the orders issued by the Govt. of India from time to time.  (ii) The crucial date for determining the eligibility conditions shall be the closing date for receipt of applications from candidates.

**Ordinance 33 of 2015**

*[vide Executive Council resolution No.EC 2015-31-41 dated 26-06-2015]*

**Recruitment Rules for the post of Library Assistant**

1	Name of the Post	Library Assistant
2.	Number of Posts	12
3.	Classification	Group B
4.	Scale of Pay	PB 2; Rs.9300 – 34800 GP –Rs.4200
5.	Whether selection post or non-selection post	Non-Selection Post
6.	Age limit for direct recruits	Not exceeding 35 years.  (Relaxable by the Vice Chancellor by 2 years in deserving cases).
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<b>Essential:</b>  1. A Bachelor's degree in Library and Information Science with at least 55% marks or its equivalent grade.  2. Two years' experience as Library Assistant or equivalent in a University/College library.
8.	Whether Age, Educational and other qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes/deputationists.	<b>Deputation:</b>  Age: Yes.  Educational and other qualifications: Yes.  <b>Promotion:</b> Not applicable.
9	Period of Probation, if any	Two years for Direct Recruits
10	Method of recruitment, whether by direct recruitment or promotion and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	By Direct Recruitment / Deputation
11	In case of recruitments by promotion, grade from which promotion to be made	Not Applicable
12	Composition of Selection Committee/ Departmental Promotion Committee.	The selection Committee will consist of:  i. Registrar as Chair person  ii. Two nominees of the Vice Chancellor as Members
13	Age of superannuation	60 years.
14	Remarks	(i) The upper age limit will be relaxed for the candidates belonging to SC/ST/OBC/ PwD candidates, in accordance



		<p>with the orders issued by the Govt. of India from time to time.</p> <p>(ii) The crucial date for determining the eligibility conditions shall be the closing date for receipt of applications from candidates.</p>
--	--	---

*Note: The Notification published at Serial No.51 in Chapter 9 of "Ordinances Governing Administrative Matters" of the Gazette of India No. 76, dated May 12, 2009 is hereby repealed.*

**Ordinance 34 of 2015**

*[vide Executive Council resolution No.EC 2015-31-42 dated 26-06-2015]*

**Recruitment Rules for the post of Registrar**

1.	Name of the post	Registrar
2.	Number of Posts	1
3.	Classification	Group A
4.	Scale of Pay	Pay Band 4 - Rs. 37400-67000 with GP of Rs. 10000
5.	Whether Selection post or non-Selection post	Selection post.
6.	Age limit for direct recruitment	Age not more than 55 years. (Relaxable by Vice Chancellor up to 2 years in deserving cases.)
7.	Educational and other qualifications required for direct recruitment for Registrar	<p><u>Category 1: From University/Research Establishment</u></p> <p>(a) Master's Degree with at least 55% marks or its equivalent grade of 'B' in the UGC prescribed seven point scales. [N.B: A relaxation of 5% marks (from 55% to 50%) at the Master's Degree level will be allowed for candidates belonging to SC/ST/PwD categories]; &amp;</p> <p>(b) At least 15 years' experience as Assistant Professor in the AGP of Rs.7,000 and above or with 8 years of service in the AGP of Rs.8,000 and above including as Associate Professor; or</p> <p>Comparable experience in research establishment and/or other institutions of higher education; or</p> <p>At least 15 years' administrative experience as Assistant Registrar out of which at least 8 years shall be as Deputy Registrar.</p> <p style="text-align: center;">[OR]</p> <p><u>Category 2: From Mariners</u></p> <p>(a) Master (Foreign Going) / MEO Class I (Motor) Certificate of Competency;</p> <p>(b) Sailing experience of minimum of two years at Management level within the meaning of STCW Convention in force; and</p> <p>(c) A minimum of fifteen years of experience in Maritime industry in one or more of the following areas:</p> <p>(i) Sailing experience at Management level [beyond the prescribed minimum of two years indicated in (b) above];</p> <p>(ii) Teaching Nautical Science or Marine Engineering in a recognised maritime institution;</p>

		(iii) Nautical or Engineering Surveyor in Directorate General of Shipping or in any recognized Classification Society; (iv) Technical Superintendent in any reputed Ship-owning or Ship-managing company. [OR] <i>Category 3: From Group A officers of Central/State Governments</i> Serving or retired officer of Central/State Governments with at least 12 years' experience as Group A officer.
8.	Whether Age & Educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Deputationists?	<b>Deputation:</b> Age – 57 years. Educational qualifications: Yes, except in the case of Category 3.
9.	Period of probation, if any	Two years for Direct Recruitment only.
10.	Method of recruitment.	Deputation/Direct Recruitment.
11.	If a Selection Committee exists, what is its composition?	Selection Committee will consist of: (a) The Vice-Chancellor as Chairperson. (b) Two members of the Executive Council nominated by it. (c) One person not in the service of the University nominated by the Executive Council. (d) One person nominated by the Visitor. (e) One person nominated by the Court.
12.	Remarks	Appointment to the post of Registrar will be for a tenure of 5 years initially. Eligible for only one extension up to a maximum of 5 years subject to satisfactory performance. Age of superannuation: 62 years for Direct Recruits. For Deputationists, relevant age of the sponsoring department/ agency will apply subject to a maximum of 62 years.

*Note: The Notification published at Serial No.14 in Chapter 9 of "Ordinances Governing Administrative Matters" of the Gazette of India No. 76, dated May 12, 2009 is hereby repealed.*

**Ordinance 35 of 2015**

*[vide Executive Council resolution No. EC 2015-31-42 dated 26-06-2015]*

**Recruitment Rules for the post of Controller of Examinations**

1.	Name of the post	Controller of Examinations
2.	Number of Post	1
3.	Classification	Group A
4.	Scale of Pay	Pay Band 4 - Rs. 37400-67000 with GP of Rs.10000
5.	Whether Selection post or non-Selection post	Selection post.
6.	Age limit for direct recruitment	Age not more than 55 years. (Relaxable by Vice Chancellor up to 2 years in deserving cases.)
7.	Educational and other qualifications required	<i>Category 1: From University/Research Establishment</i>

	for direct recruitment for Controller of Examinations	<p>(a) Master's Degree with at least 55% marks or its equivalent grade of 'B' in the UGC prescribed seven point scales. [N.B: A relaxation of 5% marks (from 55% to 50%) at the Master's Degree level will be allowed for candidates belonging to SC/ST/PwD categories]; &amp;</p> <p>(b) At least 15 years' experience as Assistant Professor in the AGP of Rs.7,000 and above or with 8 years of service in the AGP of Rs.8,000 and above including as Associate Professor along with experience in examination work; or Comparable experience in research establishment and/or other institutions of higher education; or</p> <p>At least 15 years' administrative experience as Assistant Registrar out of which at least 8 years shall be as Deputy Registrar.</p> <p>[OR]</p> <p><u>Category 2: From Mariners</u></p> <p>(a) Master (Foreign Going) / MEO Class I (Motor) Certificate of Competency;</p> <p>(b) Sailing experience of a minimum of two years at Management level within the meaning of STCW Convention in force; and</p> <p>(c) A minimum of fifteen years of experience in Maritime industry in one or more of the following areas:</p> <p>(i) Sailing experience at Management level [beyond the prescribed minimum of two years indicated in (b) above];</p> <p>(ii) Teaching Nautical Science or Marine Engineering in a recognised maritime institution;</p> <p>(iii) Nautical or Engineering Surveyor in Directorate General of Shipping or in any recognized Classification Society;</p> <p>(iv) Technical Superintendent in any reputed Ship-owning or Ship-managing company.</p> <p>[OR]</p> <p><u>Category 3: From Group A officers of Central/State Governments</u></p> <p>Serving or retired officer of Central/State Governments with at least 12 years' experience as Group A officer.</p>
8.	Whether Age & Educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Deputationists?	<p><b>Deputation:</b></p> <p>Age – 57 years.</p> <p>Educational qualifications: Yes, except in the case of Category 3.</p>
9.	Period of probation, if any	Two years for Direct Recruitment only.
10.	Method of recruitment.	Deputation/Direct Recruitment.
11.	If a Selection Committee exists, what is its composition?	<p>Selection Committee will consist of:</p> <p>(i) The Vice-Chancellor as Chairperson.</p> <p>(ii) Two members of the Executive Council nominated by it.</p> <p>(iii) One person not in the service of the University nominated by the Executive Council.</p> <p>(iv) One person nominated by the Visitor.</p> <p>(v) One person nominated by the Court.</p>

12.	Remarks	<p>Appointment to the post of Controller of Examinations will be for a tenure of 5 years initially.</p> <p>Eligible for only one extension up to a maximum of 5 years subject to satisfactory performance.</p> <p>Age of superannuation: 62 years for Direct Recruits.</p> <p>For Deputationists, relevant age of the sponsoring department/agency will apply subject to a maximum of 62 years.</p>
-----	---------	---

Note: The Notification published at Serial No.14 in Chapter 9 of "Ordinances Governing Administrative Matters" of the Gazette of India No. 76, dated May 12, 2009 is hereby repealed.

**Ordinance 36 of 2015**

*[vide Executive Council resolution No.EC 2015-31-42 dated 26-06-2015]*

**Recruitment Rules for the post of Deputy Registrar**

1.	Name of Post	Deputy Registrar
2.	Number of posts	9
3.	Classification	Group A
4.	Scale of Pay	On initial appointment, pay shall be fixed in the Pay Band 3 - Rs.15600-39100 with Grade Pay of Rs.7600. After completing 5 years of satisfactory service in this Pay Band, he will move to the higher Pay Band - 4 of Rs.37400-67000 with Grade Pay of Rs. 8700 but shall continue to be designated as Deputy Registrar.
5.	Whether selection post or non- selection post	Not applicable for Direct Recruitment/ Deputation. By Selection in case of Promotion.
6.	Age limit for direct recruitment	Not more than 55 years. (Relaxable up to 2 years by Vice Chancellor in deserving cases.)
7.	Educational and other qualifications required for direct recruitment for Deputy Registrar	<p><u>Category 1: From University/Research Establishment</u></p> <p><b>Essential:</b></p> <p>(a) Master's degree with at least 55% marks or its equivalent grade of B in the UGC prescribed seven point scales; and</p> <p>(b) (i) At least 7 years' experience as Assistant Professor in the AGP of Rs. 6000 and above with experience in educational administration; or</p> <p>(ii) Comparable experience in research establishment and/or other institutions of higher education; or</p> <p>(iii) 5 years' administrative experience as Assistant Registrar or in an equivalent post.</p> <p><b>Desirable:</b></p> <p>Working knowledge of computers.</p> <p align="right">(or)</p> <p><u>Category 2: From Mariners</u></p> <p><b>Essential:</b></p> <p>(a) Master (Foreign Going) Certificate of Competency or MEO Class I Certificate of Competency.</p> <p>(b) Sailing experience of minimum of 2 years at Management level within the meaning of STCW Convention in force.</p> <p>(c) A minimum of 5 years' experience in Maritime industry in one or more of the following areas:</p> <p>(i) Sailing experience at Management level [beyond the prescribed minimum of two years indicated in (b) above];</p> <p>(ii) Teaching Nautical Science or Marine Engineering in a recognised maritime institution;</p>

		<p>(iii) Nautical or Engineering Surveyor in Directorate General of Shipping or in any recognized Classification Society;</p> <p>(iv) Technical Superintendent in any reputed Ship-owning or Ship-managing company.</p> <p><b>Desirable:</b> Working knowledge of computers. (or) <u>Category 3: From Group A Officers</u></p> <p><b>Essential:</b> Group A Officers who have at least 7 years' working experience in Central or State Governments, Port Trusts, Public Sector Undertakings and other Autonomous Bodies under the Central or State Governments.</p> <p><b>Desirable:</b> Working knowledge of computers. The Executive Council reserves the right to relax the age and service qualifications if fully eligible candidates are not available to fill up the vacancies.</p>
8.	Whether Age & Educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees/Deputationists?	<p><b>Promotion:</b> Age – No. Educational qualifications: Yes.</p> <p><b>Deputation:</b> Age – 57 years. Educational qualifications: Yes, except in the case of Category 3.</p>
9.	Period of probation, if any	Two years for direct recruitment only.
10.	Method of recruitment.	Promotion/Deputation/Direct Recruitment.
11.	If a Selection Committee/ Departmental Promotion Committee/ exists, what is its composition?	<p>Selection committee / Departmental Promotion Committee will consist of:</p> <p>(i) The Vice-Chancellor as Chairperson. (ii) One member of the Executive Council. (iv) One nominee of the Executive Council. (iv) One officer nominated by the Vice Chancellor.</p>
12.	Remarks	Age of superannuation: 60 years for direct recruits and promotees. For deputationists, relevant age of the sponsoring department/ agency will apply.

Note: The Notification published at Serial No.15 in Chapter 9 of "Ordinances Governing Administrative Matters" of the Gazette of India No. 76, dated May 12, 2009 is hereby repealed.

### **Ordinance 37 of 2015**

*[vide Executive Council resolution No.EC 2015-32-15 dated 21-08-2015]*

#### **Recruitment Rules for the post of Assistant Registrar**

1.	Name of Post	Assistant Registrar
2.	Number of Posts	9
3.	Classification	Group A
4.	Scale of Pay	Pay Band of Rs. 15,600 – 39,100 with Grade Pay of Rs 5400. After completing 8 years of service in this Pay Band, he will move to Grade Pay of Rs. 6600 within the same Pay Band, but shall continue to be designated as Assistant Registrar.

5.	Whether selection post or non selection post	Not Applicable for Direct Recruitment/ Deputation/Absorption. By Selection in case of Promotion from Section Officers or equivalent.
6.	Age limit for direct recruitment	Age: Not more than 40 years. (Relaxable up to 2 years by Vice Chancellor in deserving cases).
7.	Educational and other qualifications required for direct recruitment for Assistant Registrar.	<b>Essential:</b> (i) A Master's Degree from a recognized University with at least 55% marks or its equivalent grade. (ii) At least three years of relevant administrative experience in an office in Academics/Examinations/Finance & Accounts/ Procurement/Human Resources Management in one or more of the following: (a) Central or State Universities or Research Institutions; (b) Central or State Government Departments and Agencies; (c) Autonomous Bodies under the Central or State Government; (d) Port Trusts; (e) Public Sector Undertakings; (f) Public Sector Banks or Financial Institutions; (g) Public Limited Companies. <b>Desirable:</b> Good knowledge of Information, Communication & Technology.
8.	Whether Age, Educational and other qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees/ Deputationists/ Absorption?	<b>Promotion:</b> Age: No Educational Qualification: Yes. <b>Deputation:</b> Age: Not more than 50 years. Educational Qualification: Yes. <b>Absorption:</b> Age: Not more than 53 years. Educational Qualification: Yes.
9.	Period of probation, if any	Two years for Direct Recruitment only.
10.	Method of recruitment	Direct Recruitment/Promotion/Deputation/ Absorption. Direct Recruitment will be done through an Online Screening Test and Personal Interview. Persons who have qualified in the Screening Test alone will be called for the Personal Interview. Online Screening Test is not necessary in the case of Promotion, Deputation and Absorption.
11.	In case of recruitment by promotion/ deputation grades for which promotion/ deputation/ absorption/transfer to be made	<b>Promotion:</b> From Section Officer or equivalent with at least 6 years of regular service in the category of Section Officer. <b>Deputation:</b> A person holding analogous post on regular basis (or) at least six years' experience as Section Officer or equivalent working in the Pay Band of Rs.9300-34800 with Grade Pay of Rs.4800 in Central/ State University or autonomous educational/ research institution, Central/State Government or Government undertaking, Port Trust, etc. <b>Absorption:</b> A Deputationist who has worked as Assistant Registrar satisfactorily for a minimum period of 3 years in IMU subject to concurrence from his parent organization. The same educational qualification as in the case of direct recruits shall apply for Promotion/ Deputation/Absorption.
12.	If a departmental promotion committee/ recruitment committee exists, what is its composition?	(i) The Vice-Chancellor as Chairperson. (ii) Registrar. (iii) One nominee of the Executive Council. (iv) One nominee of the Vice-Chancellor.

13.	Age of Superannuation	60 years. For Deputationists, relevant age of the sponsoring Department/Agency will apply subject to a maximum of 60 years.
14.	Remarks	(1) The upper age limit will be relaxed for the candidates belonging to SC/ST/OBC/PwD candidates, in accordance with the orders issued by the Govt. of India from time to time. (2) The crucial date for determining the eligibility conditions shall be the closing date for receipt of applications from candidates. (3) IMU's decision as to what is "relevant administrative experience" shall be final. (4) The Vice Chancellor is authorised to devise an appropriate Computer-based (Online) Screening Test.

*Note: The Notification published at Serial No.16 in Chapter 9 of "Ordinances Governing Administrative Matters" of the Gazette of India No. 76, dated May 12, 2009 is hereby repealed.*

**Ordinance 38 of 2015**

*[vide Executive Council resolution No.EC 2015-32-15 dated 21-08-2015]*

**Recruitment Rules for the post of Assistant Registrar (Finance)**

1.	Name of Post	Assistant Registrar (Finance) including Internal Audit Officer.
2.	Number of Posts	7
3.	Classification	Group A
4.	Scale of Pay	Pay Band of Rs. 15,600-39,100 with Grade Pay of Rs.5,400. After completing 8 years of service in this Pay Band, the persons will move to Grade Pay of Rs. 6,600 within the same Pay Band but shall continue to be designated as Assistant Registrar (Finance)/Internal Audit Officer.
5.	Whether selection post or non-selection post	Not Applicable for Direct Recruitment/ Deputation/ Absorption. By Selection in case of Promotion from Section Officer (Finance) or equivalent.
6.	Age limit for direct recruitment	Age: Not more than 40 years. (Relaxable up to 2 years by Vice Chancellor in deserving cases).
7.	Educational and other qualifications required for direct recruitment for Assistant Registrar (Finance).	<b>Essential:</b> (i) A Master's Degree in Commerce with at least 55% marks or its equivalent grade or a Bachelor's Degree with CA/ICWA; the degree should be from a recognized University. (ii) At least three years of experience in an office in the Finance and Accounts wing.  <b>Desirable:</b> Good knowledge of Information, Communication & Technology, especially in Accounting software.
8.	Whether Age, Educational and other qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees/ Deputationists/ Absorption?	<b>Promotion:</b> Age: No Educational Qualification: Yes  <b>Deputation:</b>

		Age: Not more than 50 years Educational Qualification: Yes <b>Absorption:</b> Age: Not more than 53 years. Educational Qualification: Yes
9.	Period of probation, if any	Two years for Direct Recruitment only
10.	Method of recruitment	Direct Recruitment /Promotion/Deputation/ Absorption.  Direct Recruitment will be done through an Online Screening Test and Personal Interview. Persons who have qualified in the Screening Test alone will be called for the Personal Interview.  Online Screening Test is not necessary in the case of Promotion, Deputation and Absorption.
11.	In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption grades for which promotion/ deputation/ absorption/transfer to be made	<b>Promotion:</b> From Section Officer (Finance) or equivalent with at least 6 years of regular service in Finance & Accounts wing.  <b>Deputation:</b> A person holding analogous post on regular basis (or) at least six years' experience as Section Officer or equivalent working in the Pay Band of Rs.9300-34800 with Grade Pay of Rs.4800 in Finance & Accounts wing of any Central/State University or autonomous educational/ research institution, Central/ State Government or Government undertaking, Port Trust, etc.  <b>Absorption:</b> A Deputationist who has worked as Assistant Registrar (Finance) satisfactorily for a minimum period of 3 years in IMU subject to concurrence from his parent organization.  The same educational qualification as in the case of direct recruits shall apply for Promotion/ Deputation/Absorption.
12.	If a departmental promotion committee/ recruitment committee exists, what is its composition?	(i) The Vice-Chancellor as Chairperson. (ii) Registrar. (iii) One nominee of the Executive Council. (iv) One nominee of the Vice-Chancellor.
13.	Age of Superannuation	60 years.  For Deputationists, relevant age of the sponsoring Department/Agency will apply subject to a maximum of 60 years.
14.	Remarks	(1) The upper age limit will be relaxed for the candidates belonging to SC/ST/OBC/PwD candidates, in accordance with the orders issued by the Govt. of India from time to time.  (2) The crucial date for determining the eligibility conditions shall be the closing date for receipt of applications from candidates.  (3) The Vice Chancellor is authorised to devise an appropriate Computer-based (Online) Screening Test.

*Note: The Notification published at Serial No.16 in Chapter 9 of "Ordinances Governing Administrative Matters" of the Gazette of India No. 76, dated May 12, 2009 is hereby repealed.*



**Ordinance 39 of 2015***[vide Executive Council resolution No. EC 2015-32-16 dated 21-08-2015]***Recruitment Rules for the post of Assistant**

1	Name of the Post	Assistant
2.	Number of Posts	54
3.	Classification	Ministerial Post, Group 'C'
4.	Scale of Pay	Pay Band of Rs.5200-20200 with a Grade Pay of Rs.2400.
5.	Whether selection post or non-selection post	Not Applicable for Direct Recruitment/ Deputation/ Absorption. By Selection in case of Promotion from Junior Assistant.
6.	Age limit for direct recruits	Age: Not more than 35 years. (Relaxable up to 2 years by Vice Chancellor in deserving cases).
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<i>Essential:-</i> <i>Educational Qualification:-</i> A Bachelor's Degree from a recognized University with a minimum of 50% of marks or its equivalent grade. <i>Desirable:-</i> Working knowledge of Information & Communication Technology.
8.	Whether Age, Educational and other qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees / Deputationists/Absorption?	<b>Promotion:</b> Age: No Educational and other Qualification: A Bachelor's Degree from a recognized University. <b>Deputation:</b> Age: 40 years Educational Qualification: Yes <b>Absorption:</b> Age: Not more than 43 years. Educational Qualification: Yes (Age limit for Deputation/Absorption relaxable up to 2 years by Vice Chancellor in deserving cases)
9	Period of Probation, if any	Two years for Direct Recruitment only
10	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	By Direct Recruitment/Promotion/ Deputation/ Absorption. Direct Recruitment will be done through an Online Screening Test and Personal Interview. Persons who have qualified in the Screening Test alone will be called for the Personal Interview. Online Screening Test is not necessary in the case of Promotion, Deputation and Absorption.
11	In case of recruitments by promotion/ deputation/ transfer, grades from which promotion/ deputation/ absorption /transfer to be made	<b>Promotion:</b> From Junior Assistants with 5 years of regular service with a Bachelor's Degree from a recognized university. <b>Deputation:</b> A person holding an analogous post on regular basis (or) at least 5 years' experience as Junior Assistant or equivalent post working in the Pay Band of Rs.5200-20200 with a Grade Pay

		of Rs.1900 in any Central/State University or autonomous educational/ research institution, Central/ State Government or Government undertaking, Port Trust, etc. <b>Absorption:</b> A Deputationist who has worked as Assistant satisfactorily for a minimum period of 3 years in IMU, subject to concurrence from his parent organization. The same educational qualification as in the case of direct recruits shall apply for Deputation/Absorption.
12.	If a Departmental Promotion Committee/ Recruitment Committee exist and what is its composition?	(i) Registrar as Chairperson. (ii) Two nominees of the Vice Chancellor.
13.	Age of superannuation	60 years. For Deputationists, relevant age of the Sponsoring Department/ Agency will apply subject to a maximum of 60 years.
14.	Remarks	(1) The upper age limit will be relaxed for the candidates belonging to SC/ST/OBC/ PwD candidates, in accordance with the orders issued by the Govt. of India from time to time. (2) The crucial date for determining the eligibility conditions shall be the closing date for receipt of applications from candidates. (3) The Vice Chancellor is authorised to devise an appropriate Computer-based (Online) Screening Test.

Note: The Notification published at Serial No.23 in Chapter 9 of "Ordinances Governing Administrative Matters" of the Gazette of India No. 76, dated May 12, 2009 is hereby repealed.

#### **Ordinance 40 of 2015**

*[vide Executive Council resolution No. EC 2015-32-16 dated 21-08-2015]*

#### **Recruitment Rules for the post of Assistant(Finance)**

1.	Name of the Post	Assistant (Finance)
2.	Number of Posts	7
3.	Classification	Ministerial Post, Group 'C'
4.	Scale of Pay	Pay Band of Rs.5200-20200 with a Grade Pay of Rs.2400.
5.	Whether selection post or non-selection post	Not Applicable for Direct Recruitment/ Deputation/Absorption. By Selection in case of Promotion from Junior Assistant.
6.	Age limit for direct recruits	Age: <i>Not more than 35 years.</i> (Relaxable up to 2 years by Vice Chancellor in deserving cases).
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<i>Essential:-</i> <i>Educational Qualification:</i> A Bachelor's Degree from a recognized University with a minimum aggregate of 50% marks or its equivalent grade in Commerce or Mathematics or Statistics. <i>Desirable:-</i> Working knowledge of Information & Communication Technology, particularly in Accounting Software.
8.	Whether Age, Educational and other qualifications prescribed for direct recruits	<b>Promotion:</b>

	will apply in the case of Promotees / Deputationists/ Absorption?	Age: No Educational and other Qualification: A Bachelor's Degree from a recognized University in Commerce or Mathematics or Statistics. <b>Deputation:</b> Age: Not more than 40 years Educational Qualification: Yes. <b>Absorption:</b> Age: Not more than 43 years. Educational Qualification: Yes (Age limit for Deputation/Absorption relaxable up to 2 years by Vice Chancellor in deserving cases)
9	Period of Probation, if any	Two years for Direct Recruitment only
10	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	By Direct Recruitment/Promotion/Deputation/Absorption. Direct Recruitment will be done through an Online Screening Test and Personal Interview. Persons who have qualified in the Screening Test alone will be called for the Personal Interview. Online Screening Test is not necessary in the case of Promotion, Deputation and Absorption.
11	In case of recruitments by promotion/ deputation/ transfer, grades from which promotion/ deputation/ absorption /transfer to be made	<b>Promotion:</b> From Junior Assistants with 5 years of regular service in the Finance & Accounts wing with a Bachelor's Degree from a recognized University in Commerce or Mathematics or Statistics. <b>Deputation:</b> A person holding analogous post on regular basis (or) at least 5 years' experience as Junior Assistant or equivalent post working in the Pay Band of Rs.5200-20200 with a Grade Pay of Rs.1900 in the Finance & Accounts wing in any Central/State University or autonomous educational/ research institution, Central/ State Government or Government undertaking, Port Trust, etc. <b>Absorption:</b> A Deputationist who has worked as Assistant satisfactorily for a minimum period of 3 years in IMU, subject to concurrence from his parent organization. The same educational qualification as in the case of direct recruits shall apply for Deputation/Absorption.
12	If a Departmental Promotion Committee/ Recruitment Committee exist and what is its composition?	(i) Registrar as Chairperson. (ii) Two nominees of the Vice Chancellor.
13.	Age of superannuation	60 years. For Deputationists, relevant age of the Sponsoring Department/Agency will apply.
14.	Remarks	(1) The upper age limit will be relaxed for the candidates belonging to SC/ST/OBC/PwD candidates, in accordance with the orders issued by the Govt. of India from time to time. (2) The crucial date for determining the eligibility conditions shall be the closing date for receipt of applications from candidates. The Vice Chancellor is authorised to devise an appropriate Computer-based (Online) Screening Test.

**Ordinance 41 of 2015***[vide Executive Council resolution No.EC 2015-32-16 dated 21-08-2015]***Recruitment Rules for the post of Stenotypist**

1	Name of the Post	Stenotypist
2.	Number of Posts	7
3.	Classification	Secretarial Post, Group 'C'
4.	Scale of Pay	Pay Band of Rs.5200-20200 with a Grade Pay of Rs.2400.
5.	Whether selection post or non-selection post	Non-Selection post.
6.	Age limit for direct recruits	Age: Not more than 30 years. (Relaxable upto 2 years by Vice Chancellor in deserving cases).
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<i>Essential:-</i> <i>Educational &amp; Technical Qualifications:</i> (i) A Bachelor's Degree from a recognized University. (ii) Shorthand Lower/Junior Grade in English [80 words per minute] (iii) Typewriting Higher/Senior Grade in English [45 words per minute]. (iv) Proficiency in Information & Communication Technology. <i>Desirable:-</i> Typing in Hindi.
8.	Whether Age, Educational and other qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Deputationists/ Absorption?	<b>Deputation:</b> Age: Not more than 40 years Educational & Technical Qualification: Yes. <b>Absorption:</b> Age: Not more than 43 years Educational & Technical Qualification: Yes. (Age limit for Deputation/Absorption relaxable up to 2 years by Vice Chancellor in deserving cases)
9	Period of Probation, if any	Two years for Direct Recruitment only
10	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	By Direct Recruitment/ Deputation /Absorption. Direct Recruitment will be done through an Online Screening Test and Personal Interview. Persons who have qualified in the Screening Test alone will be called for the Personal Interview. Online Screening Test is not necessary in the case of Promotion, Deputation and Absorption.
11	In case of recruitments by promotion/ deputation/ transfer, grades from which promotion/ deputation/ transfer to be made	<b>Deputation:</b> A person holding analogous post on regular basis in any Central/State University or autonomous educational/ research institution, Central/ State Government or Government undertaking, Port Trust, etc. <b>Absorption:</b> A Deputationist who has worked as Steno-typist satisfactorily for a minimum period of 3 years in IMU, subject to concurrence from his parent organization.

12	If a Departmental Promotion Committee/ Recruitment Committee exist and what is its composition?	(i) Registrar as Chairperson. (ii) Two nominees of the Vice Chancellor.
13.	Age of superannuation	60 years. For Deputationists, relevant age of the Sponsoring Department/Agency will apply.
14.	Remarks	(1) The upper age limit will be relaxed for the candidates belonging to SC/ST/OBC/PwD candidates, in accordance with the orders issued by the Govt. of India from time to time. (2) The crucial date for determining the eligibility conditions shall be the closing date for receipt of applications from candidates. (3) The Vice Chancellor is authorised to devise an appropriate Computer-based (Online) Screening Test.

*Note: The Notification published at Serial No.24 in Chapter 9 of "Ordinances Governing Administrative Matters" of the Gazette of India No. 76, dated May 12, 2009 is hereby repealed.*

S. V. DURGA PRASAD, Registrar

[ADVT-III/4/Exty./92-P/15(196)]